अष्टम माला, खंड 48, अंक 29

सोमवार, 10 अप्रैल, 1989
20 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 48 में अंक 21 से 30 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 48, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 29, सोमवार, 10 अप्रैल, 1989/20 चैत्र, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	556, 558, 560, 562, 564, 565, 567, 568, 571 और 573	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	553 से 555, 557, 559 561, 563, 566, 569, 570, और 572	23-31
अतारांकित प्रश्न संख्या :	5405 से 5502, 5504 से 5572, और 55074 से 5590 (5574)	32-191
सभा पटल पर रखे गए पत्र		191-193
लोक लेखा समिति		193
146वां और 147वां प्रतिवेदन		
नियम 377 के अधीन मामले		193-197
(एक) देश में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में सुधार किए जाने की मांग		
श्री अख्तर हसन		193
(दो) आयकर अधिकारियों द्वारा बम्बई में हीरे के व्यापारियों का कथित उत्पीड़न रोके जाने की मांग		
श्री अनूपचन्द शाह		194
(तीन) मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के चम्बल क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक डाकघर खोले जाने की मांग		
श्री कम्मोदीलाल जाटव		194

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) उत्तर बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु केसरिया होते हुए हाजीपुर और नरकटियागंज के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की मांग	
श्रीमती किशोर सिंह	194
(पांच) आंध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अधिक संख्या में केन्द्रीय साक्षरता परियोजनाओं, शिक्षण निलयम, वाहनों और टेलीफोनों की मंजूरी दिए जाने की मांग	
श्री श्रीहरि राव	195
(छः) कर्नाटक में मीटर गेज ट्रंक रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की मांग	
श्री एस० एम० गुरड्डी	196
(सात) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाकर 28 वर्ष किए जाने तथा ग्रामीण उम्मीदारों के लिए एक अनुशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की मांग	
डा० गौरी शंकर राजहंस	196
(आठ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मांग	
श्री टी० बशीर	197
अनुदान की मांगें, 1989-90	197-215
ऊर्जा मंत्रालय	
श्री वसंत साठे	197
सदस्य की गिरफ्तारी	215
ठक्कर आयोग के अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	215-267
सरदार बूटा सिंह	215
श्री वी० एन० गाडगिल	235
श्री बिपिन पाल दास	238
श्री श्रीपति मिश्र	239
श्री राजीव गांधी	245
श्री आशुतोष लाहा	256
श्री शांताराम नायक	260
श्री विजय एन० पाटिल	265
श्री रामेश्वर नीखरा	268
कार्य-मंत्रणा समिति	
69वां प्रतिवेदन	268

लोक सभा

सोमवार, 10 अप्रैल, 1989/20 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विमान-ढांचों का निर्माण

[अनुवाद]

*556. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने वाणिज्यिक स्तर पर विमानों के पुर्जों और विमान-ढांचों का निर्माण आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक स्तर पर विमानों के पुर्जों का निर्माण कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) क्या बोइंग कम्पनी ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से पुर्जों की खरीद की पेशकश की है ;

(घ) क्या एयरबस उद्योग ने भी वाणिज्यिक स्तर पर निर्मित विमानों के पुर्जों की सप्लाई के लिए क्रयादेश देने का संकेत दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वाणिज्यिक स्तर पर विमानों के पुर्जों का निर्माण आरम्भ करने के लिए, क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही)। (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड विमान और वाणिज्यिक विमान के लिए संरचनात्मक संघटकों का उत्पादन कर रहा है।

(ख) वाणिज्यिक विमानों के संघटकों का उत्पादन सर्वप्रथम 1964 में एच०एस०-748 विमान के लिए किया गया था।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को कुछ कार्य सौंपने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में उत्पादन के अध्ययन हेतु फरवरी, 1989 में अमरीका की बोइंग कम्पनी के प्रतिनिधियों ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का दौरा किया था।

(ख) जी, हां ।

(ग) एयरबस इण्डस्ट्री और अन्य प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के साझेदारों से की गई जांच-पड़ताल के प्रत्युत्तर में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड "कोटेशन" पेश किए हैं। पहले से प्राप्त आर्डरों को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है ।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, यह जानकर वास्तव में खुशी होती है कि अब हम न केवल कुछ किस्म के विमान बना ही नहीं रहे हैं बल्कि अब हम अन्य उन्नत देशों को विमानों के संघटक भी बेचने की स्थिति में हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर में, रक्षा मंत्रालय के अनेक अनुसंधान एवं विकास स्कन्ध हैं । मैंने अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को उन संगठनों में कार्य करते देखा है । वे आश्चर्य-जनक कार्य कर रहे हैं । उन्हें केवल सरकार से और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि विमान निर्माण के क्षेत्र में देश में कितना प्रतिशत कार्य हो रहा है, जिसमें विमान संघटक भी शामिल हैं । देश में विमानों के वाणिज्यिक संघटकों, संरचनात्मक संघटकों के निर्माण का क्या प्रतिशत है जिनके बारे में एयरबस इण्डस्ट्री और बोइंग कम्पनी से प्रश्न पूछे गए हैं? इन विमानों और संघटकों का देश में कितने प्रतिशत निर्माण हो रहा है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय सदस्य को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि जहां तक एच० ए० एल० में विमानों के स्वदेशीकरण का सम्बन्ध है, 40 से 50 प्रतिशत भाग देश में ही बनाए जाते हैं । हम उन संघटकों का भी निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें हम आयात करते हैं । अतः इस दिशा में हम सही प्रगति कर रहे हैं ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या यह सच है कि एच० ए० एल० ने डोनियर-228 और एच० टी० टी० 34 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के विषय मे कोई दीर्घकालीन निर्यात योजना तैयार की है ? यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम केवल संघटकों का निर्यात कर रहे हैं। यदि कोई क्रयादेश मिलता है तो हम उनका निर्माण कर निर्यात करने का प्रयास करेंगे ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : सामान्यतः जब सरकार किसी देश से विमान खरीदती है तो वापस खरीदने का प्रावधान रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, बोइंग और एयरबस इण्डस्ट्रीज विश्व के छोटे देशों के साथ विमान को वापस खरीदने का प्रावधान रखती हैं । क्या हमारी बोइंग और एयरबस इण्डस्ट्री के साथ ऐसी कोई व्यवस्था है ? हम सोवियत संघ से अनेक वाणिज्यिक विमान ले रहे हैं । क्या सरकार सोवियत संघ के साथ सहयोग करार करने पर विचार करेगी क्योंकि एच०ए०एल० में उपलब्ध उत्पादन सुविधाएं सोवियत विमानों के अनुरूप हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : योजना आयोग ने देश में ही सिविल विमान बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है । मेरे विचार में नागर विमान की ओर से एक शिष्टमंडल सोवियत संघ गया था । चूंकि माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे हैं तो शायद इसकी चर्चा हो रही होगी । इस विषय में किसी अन्तिम निर्णय की हमें जानकारी नहीं है ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : वापस खरीदने सम्बन्धी समझौते के विषय में आप क्या कहेंगे ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जब भी कुछ होगा, हमें खुशी होगी। हम भी चाहते हैं कि वापस खरीदने का प्रावधान होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उसमें आधा हिस्सा रह गया है। उसकी तरफ मैं, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट के हम कम्पोनेंट तैयार कर रहे हैं और उनके एक्सपोर्ट की सम्भावनाएं भी बनीं हैं, लेकिन जो एयरक्राफ्ट हम सवारियों को इधर-से-उधर और उधर से इधर पहुंचाने के प्रयोग में लाते हैं, क्या उनका भी उत्पादन आरम्भ हुआ है, यदि हुआ है, तो क्या उनके एक्सपोर्ट की सम्भावनाएं भी बन रही है, क्योंकि आज तो हमारे देश में जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उनकी बहुत कमी है जिसके कारण हम अपने देश में विमान सेवाएं चलाने में भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले जवाब में बताया है हम एच० एस०-748 एयरक्राफ्ट के कमर्शियल कम्पोनेंट का उत्पादन सन् 1964 से व एक्सपोर्ट सन् 1974 से कर रहे हैं। हम डोनियर सिविल एयरक्राफ्ट के कम्पोनेंट एक्सपोर्ट करने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं।

उड़ीसा और बिहार की कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

*558. **श्री शिव प्रसाद साहू :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र और उड़ीसा में रहने वाली राउतिया, पुरान और कुरमी जैसी बहुत ही पिछड़ी और निर्धन जातियों को निकट भविष्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इन्हें कब तक इस सूची में सम्मिलित किया जाएगा ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 242(2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता। इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से साफ तौर पर पूछा था कि बिहार एवं उड़ीसा में रहने वाले राउतिया, पुरान और कुरमी जाति के लोगों, जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, क्या उनको अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित करने का विचार सरकार रखती है ? मंत्री महोदया ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । मैंने इस सम्बन्ध में कई बरस से पत्राचार भी किया है और बरसों से मुलाकात भी कर रहा हूं लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है । मंत्री महोदया ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है । मैं उनकी बात से सहमत हूं, हमारी सरकार बराबर इस बात पर ध्यान दे रही है कि कोई भी योजना हो, काम हो तो वह समयबद्ध हो तो इसकी सीमा भी एक-दो वर्ष निर्धारित होनी चाहिए । सातवीं लोक सभा से यह बात चल रही है, इसके पहले भी मिजोरम और दूसरे प्रान्तों के अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहा गया है। क्या मंत्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि कोई समयबद्ध तिथि या साल ऐसा निर्धारित किया है कि उसमें यह कार्य पूरा हो जाएगा ? जिन लोगों के बारे में मैंने अपने प्रश्न में कहा है, क्या उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का वह प्रयास करेंगी ?

डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी : अध्यक्ष मोहदय, माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं अवगत हूं । सदन के एक ही नहीं, अनेक माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में मुझे पत्र लिखे हैं और अपने-अपने क्षेत्र में, अपनी-अपनी स्टेट्स में जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों को लिस्ट में लाने के लिए उन्होंने सुझाव भी भेजे हैं, सरकार इस पर विचार कर रही है और सरकार के पूरी तरह से यह एक्टिव कंसीडरेशन में है । गवर्नमेंट के लिए यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तिथि तक और कितने दिनों के अन्दर सरकार इसका फैसला कर लेगी । जैसे ही फैसला हो जाएगा मैं माननीय सदन के सामने इसके लिए बिल लेकर आऊंगी, क्योंकि पार्लियामेंट को ही इसका फैसला करना है । यह बात इतनी आसान नहीं है, 1967 से यह विषय चल रहा है । जब 32 साल आपने इसमें दिए हैं तो थोड़ा समय और दे दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : महोदय, अनेक राज्यों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के कई वर्गों के दावे लम्बे समय से विचाराधीन है । वास्तव में संसद सदस्यों और अन्य अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों और केन्द्र को अनेक अभ्यावेदन भेजे गए हैं । इसके अलावा, कुछ लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के फर्जी प्रमाणपत्र प्राप्त करके नाजायज लाभ उठा रहे हैं । न्यायालयों में ऐसे अनेक मामले आए हैं और उच्च न्यायालयों ने भी ऐसे मामलों में निर्णय दिए हैं । जिन लोगों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं, वे डाक्टरी और इंजीनियरी की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं । उन्होंने हेराफेरी से ये प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं । इन प्रमाणपत्रों के आधार पर लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य परीक्षाओं में सफल हो गए हैं । ऐसे अनेक मामले लम्बित हैं । इसलिए, इस समूचे मामले का निबटाने के लिए क्या सरकार ऐसे उपबन्धों के दुरुपयोग की जांच करने और अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में छूट गए लोगों को शामिल करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक स्थायी अर्ध-न्यायिक आयोग गठित करने के बारे में विचार करेगी ?

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या पर निर्णय लेने के लिए किसी अर्ध-न्यायिक कोई आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी एक स्थायी आयोग पहले ही है। जब कभी भी झूठे प्रमाणपत्रों के बारे में कोई शिकायत होती है या यदि पात्र लोगों को प्रमाणपत्र से मना किया जाता है तो ऐसे मामले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की जानकारी में लाए जाते हैं। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक और आयोग की आवश्यकता नहीं है।

श्री बाजू बन रियान : महोदय, त्रिपुरा में लास्कर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सुविधाएं प्राप्त हैं क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें गलती से कुछ प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं और इस मामले पर राज्य के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी विचार किया था। न्यायालयों का मत था कि वे अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं तथा उन्हें अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिएं। मैं केन्द्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्य सरकार को यह सुविधा बन्द करने के अनुदेश दे दिए हैं। वर्तमान स्थिति क्या है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : यद्यपि लास्कर समुदाय का प्रश्न कई वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है तथा माननीय सदस्य ने भी मुझे इस विषय में बताया था तथापि मैं कहना चाहूंगी कि इस समूची समस्या पर विचार करने के बाद, हमने राज्य सरकार को लिखा है कि इस मामले पर संसद द्वारा अथवा अन्यथा निर्णय लिए जाने तक इस समुदाय के लोगों को और प्रमाणपत्र न दिए जाएं। परन्तु लास्कर समुदाय से सम्बन्धित होने के नाते जो लोग लाभ उठा रहे हैं, उन्हें वही बुनियादी सुविधाएं मिलती रहेंगी और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्य गावित : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह विषय अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत चिन्ताजनक विषय है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में जो पिछड़ी जातियां आना चाहती हैं वह आ नहीं पा रही हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही गलत लोग इसमें सम्मिलित हो गए हैं। मन्त्री जी ने जिस बिल को लाने के बारे में कहा है, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह पूरी अभ्यास करके ही कोई इस विषय में निर्णय लें। कुछ गलत लोग जो इसमें सम्मिलित हो गए हैं, उनको उसमें से निकालने के लिए सरकार क्या कोई निर्णय करेगी ?

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, उसमें पूरी तरह से विचार करके ही सरकार कोई निर्णय लेने जा रही है। इस कारण से इसमें इतनी देरी भी लगायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल हमीद जी, आप क्वश्चन नम्बर 560 और 562 दोनों एक साथ कर लो। लगे हाथ दोनों मोर्चा मार लो।

असम से विदेशियों का निष्कासन

[अनुवाद]

*560. श्री अब्दुल हमीद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौते के अनुसार वर्ष 1985 से अब तक असम से निष्कासित विदेशियों की संख्या का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों को बंगलादेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वे इस समय कहां रह रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) असम राज्य सरकार के अनुसार 31 जनवरी, 1989 तक असम से 7974 विदेशियों को निष्कासित किया जा चुका है ।

(ख) 1972 में बंगलादेश सरकार द्वारा दिए गए इस वचन के अनुसार कि 25 मार्च, 1971 के बाद के सभी शरणार्थियों को वापस ले लिया जाएगा, उक्त विदेशियों को सीमा पार कर दिया गया ।

(ग) इस समय उनके रहने के स्थान के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत जांच

*562. श्री अब्दुल हमीद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अनुसार असम में बहुत से न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने न्यायाधिकरणों का गठन किथा गया है ;

(ग) इन न्यायाधिवरणों पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(घ) इन न्यायाधिकरणों द्वारा प्रति वर्ष कितने मामले निपटाए गए हैं और इन न्यायाधिकरणों में कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत असम सरकार द्वारा 17 न्यायाधिकरण और केन्द्र सरकार द्वारा एक अपीली न्यायाधिकरण गठित किया गया ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार इन न्यायाधिकरणों पर अब तक (31-3-1988 तक) लगभग 1.60 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं ।

(घ) राज्य सरकार के अनुसार इन न्यायाधिकरणों द्वारा 1986 में 99 मामले, 1987 में 105 मामले और 1988 में 1676 मामले निपटाए गए । 31-1-1989 को 11,406 मामले लम्बित थे ।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल हमीद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 31 जनवरी, 1989 तक असम से 7974 विदेशियों को निष्कासित किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया है कि भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच यह वादा हुआ है कि बंगलादेश सरकार को स्वीकार्य वचन के अनुसार 25 मार्च, 1971 के बाद के सभी शरणार्थियों को वापस ले लिया जाएगा। परन्तु वास्तव में असम में क्या हो रहा है। असम पुलिस ने भारतीय नागरिकों को जबरदस्ती सीमा पार ले जाकर जंगलों में छोड़ दिया। परन्तु बंगलादेश सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोगों को बंगलादेश सरकार को विधिवत् सौंपा जाए और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जैसा कि मैं उत्तर में कह चुका हूं, इस बारे में स्पष्टतः निर्धारित प्रक्रिया है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को निष्कासित नहीं कर सकती। पहचान हो जाने पर न्यायाधिकरण द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने के बाद ही उन्हें सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल को सौंपा जाता है और उन्हें सीमा पार भेज दिया जाता है। इन्दिरा-मुजीब समझौते के अनुसार, बंगलादेश सरकार उन्हें लेने के लिए बाध्य है और यदि हम उन्हें एक बार वहां भेज दें और वे दोबारा आ जाएं तो हम उन्हें सीमापार धकेलने की दोबारा कोशिश करते हैं। परन्तु बंगलादेश सरकार और भारत सरकार के बीच ऐसा कोई करार नहीं हुआ है कि उन्हें विधिवत् सौंपा जाए। यदि कोई शिकायत मिलती है कि पुलिस ने जबरदस्ती किसी को निष्कासित किया है तो माननीय सदस्य हमें लिख सकते हैं और हम निश्चित तौर पर मामला राज्य सरकार के साथ उठाएंगे।

श्री अब्दुल हमीद : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि 7,974 व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति भारतीय हैं और वे भारत वापस आ चुके हैं क्योंकि पुलिस ने उन्हें गैर-कानूनी ढंग से खदेड़ा था। कुछ ऐसी मिसालें हैं। एक यह है कि नवगांव जिले के एक 70 वर्षीय वृद्ध को असम से जबरदस्ती बाहर निकाल कर जंगल में छोड़ दिया गया। 6-7 दिन के बाद वह पैदल ही असम आया। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। भारतीय नागरिकों को पुलिस द्वारा जबरदस्ती निकाला जा रहा है किन्तु बंगलादेश की सरकार उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। वे सभी वापिस आ रहे हैं। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पुनर्वास का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं और उन्हें मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि उनका सामान असम सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, असम समझौते का उद्देश्य किसी भारतीय नागरिक को परेशान करना नहीं है। हमारे पास ऐसी शिकायतें बार-बार आयी हैं और हमने यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया है और एक या दो मामलों में हमें राज्य सरकार से सकारात्मक उत्तर मिला है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसा विशेष मामले हैं तो वे उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हम वे मामले राज्य सरकार के साथ उठायेंगे। किन्तु हमें परेशान किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं और हमने उन मामलों को राज्य सरकार के साथ उठाया है और केवल उन्हें ही भेजा जाना है जिनकी पहचान न्यायधिकरण ने की है, और किसी को नहीं और हम कड़ाई से इन मानदंडों का पालन

करते हैं और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार भी इन्हीं मानदंडों का पालन कर रही है। यदि कोई शिकायत है तो हम निश्चित रूप से ही इसकी जांच करेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ऐसे नागरिकों को जो पिछली तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, असमिया भाषा बोलते हैं, जिनकी असम में जमीनें हैं और जो पिछली तीन पीढ़ियों से मतदाता हैं, परेशान किया जा रहा है और उन्हें विदेशी मानकर जाने के लिए कहा जा रहा है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जैसाकि मैंने कहा है, समझौते के अनुसार 1-1-66 से पहले आने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया है और उनके लिए इस सदन में नागरिकता अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। लोग 1-1-1966 और 24-3-1971 के दौरान भारत आए हैं, उनका पता लगने पर उन्हें केवल दस वर्षों तक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा किंतु संसद में पारित एक अधिनियम के अनुसार उन्हें पारपत्र एवं वीसा सहित सभी सुविधाएं दी गई हैं। महोदय, किसी भी भारतीय नागरिक को परेशान करना इस समझौते का उद्देश्य नहीं है। हां, शिकायतें मिल रही हैं और अब हम कभी-कभी हस्तक्षेप कर रहे हैं और राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है। यदि हमारे पास ऐसी शिकायतें आईं तो हम उनका ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सुदर्शन दास : अध्यक्ष महोदय, विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भारतीय नागरिकों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार संविधान के मूलभूत मानदंड के संबंध में असम सरकार द्वारा किए जा रहे राज्य के प्रशासन से संतुष्ट है और यदि नहीं तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध संविधान के संबंधित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी ?

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि आई० एम० (डी. टी.) अधिनियम के लागू किए जाने के बाद कितने विदेशियों का पता लगाया गया और कितनों को वापिस भेजा गया।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, 1952 और 1985 के बीच पिछली सरकारों द्वारा विदेशियों के 3,82,668 मामले दर्ज किए गए और उन्होंने 3,23,366 व्यक्तियों को वापिस भेजा। अब वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने पर तथा असम समझौते के अनुसार आई० एम० (डी० टी०) अधिनियम में परिवर्तन किए जाने के फलस्वरूप इस अधिनियम को उन लोगों पर लागू किया गया जो 1966 से 1971 के बीच आए हैं। मुझे राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 1,95,672 मामलों में जांच शुरू की गई, 1,24,761 मामलों में जांच पूरी करके मामले जांच समिति को सौंप दिए गए। 13,437 मामले न्यायधिकरणों को भेज दिए गए। 1,779 व्यक्ति अवैध आप्रवासी पाए गए। यह आई० एम० (डी० टी०) अधिनियम के अंतर्गत हुआ।

विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत 4,86850 मामले शुरू किए गए, 3,58,739 मामलों में जांच पूरी की गई। न्यायाधिकरणों को 27904 मामले भेजे गए। उन्होंने 7,749 व्यक्तियों के मामले में अपना निर्णय दिया।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत शुरू किए गए मामलों का

संख्या काफी अधिक है । लेकिन जिन मामलों में न्यायाधिकरणों ने अपना निर्णय दे दिया है, उनकी संख्या बहुत कम है, जिसका अभिप्राय है कि कुछ व्यक्तियों को परेशान किया गया । मूलभूत उद्देश्य तो जांच करना था और इस प्रक्रिया में परेशानी के बारे में···(व्यवधान) हमें इसका बहुत अफसोस है ।

लेकिन मेरे विचार से इससे बचा जा सकता है । परेशानी से बचाव के प्रयत्न किए जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल हमीद : तीन लाख व्यक्तियों को परेशान किया गया जिनमें से केवल 7,000 व्यक्ति आप्रवासी पाए गए ।

श्री अताउर्रहमान : जब श्री हमीद और मेरे मित्र श्री सुदर्शन दास ने प्रश्न पूछे, तो मैं चुप रहा । वे, आम भाषा में 'परेशान किया गया और 'परेशान किया गया' शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं । उन्होंने केवल एक उदाहरण दिया है । मैंने अपने मुख्य-मंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत के साथ अल्पसंख्यक क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने जोर देकर कहा है कि जो लोग 1971 तक आए हैं, उन्हें वापिस नहीं भेजा जाएगा । इसलिए परेशानी का तो सवाल ही नहीं उठता । हां, जांच अवश्य होगी । यदि जांच को परेशानी कहा जाता है तो फिर किसी भी बात को परेशानी कहा जा सकता है ।

श्री अब्दुल हमीद : असम पुलिस द्वारा इसका बेजा लाभ उठाया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री अयाठर्रमान : मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है असम गण परिषद् के सत्ता में आने के बाद श्री संतोष मोहन देव ने बताया कि सुनवाई के बाद केवल कुछ हजार तथा कथित विदेशियों को ही वापस भेजा गया है । लेकिन, आठवें दशक 3-4 लाख व्यक्तियों को वापिस भेजा गया था । उनके विरुद्ध कोई मामले दर्ज नहीं किए गए थे । मैंने यह सब देखा है । विदेशियों को आधी रात को उठाकर उनके सामान सहित कोई आरोप लगाए बंगलादेश सीमा पर भेज दिया गया था । ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं । हम जांच कर रहे हैं । हम यह भी सावधानी बरत रहे हैं कि कोई परेशान न हो । किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है क्योंकि मुझे किसी से शिकायत नहीं मिली है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनवारी लाल बैरवा

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके लिहाफ पर जवाब दे दिया है ।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र शामिल करना

*564. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम और पश्चिमी घाट के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना मे 870 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल करने हेतु एक ज्ञापन भेजा है क्योंकि यह भी एक पिछड़ा क्षेत्र है और उस पर्वतीय क्षेत्र में आता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) सातवीं योजना मे पर्वतीय क्षेत्र (पश्चिमी घाट सहित) विकास कार्यक्रम के लिए 870 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ज्ञापन में यह उल्लेख है कि अरावली पर्वतमाला विशृंखलित है तथा इसमें अंतराल विद्यमान हैं। जिससे मरूस्थलीय रेत राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्रों अजमेर और सीकर जिलों की ओर बढ़ रही है राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद भी यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ ही है। अतः यह प्रतिवेदन किया गया था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए और इसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि अरावली प्रदेश के समेकित विकास के लिए उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड स्थापित किया जाए।

राजस्थान की भांति कई अन्य राज्यों ने भी यह प्रतिवेदन किया है कि विद्यमान पर्वतीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उनके पर्वतीय क्षेत्रकों को भी केन्द्रीय सहायता के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसलिए मई, 1986 में योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ दल स्थापित किया ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु मापदंड तैयार किए जाएं और उस आधार पर विद्यमान क्षेत्रों के अतिरिक्त नए पर्वतीय क्षेत्रों की एक सूची तैयार की जा सके। राजस्थान के अरावली क्षेत्र को विशेषज्ञ दल द्वारा नए पर्वतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है और राष्ट्रीय विकास परिषद को अनुमोदनार्थ इसकी सिफारिश की जाएगी ताकि इसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह काफी संतोषप्रद है। फिर भी मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र है, उसमे हमारा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वह आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें इस पहाड़ी क्षेत्र को स्पेशल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है और आप की जो प्लानिंग कमेटी है,

उसके एक एक्सपर्ट ग्रुप ने जाकर इसकी जांच भी की है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और इस संबंध में जो जांच की गई है और जो रिपोर्ट है, वह हमारे पक्ष फेवरएबिल है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल द्वारा जब तक यह एप्रूव नहीं होगी, तब तक इसके बारे में निर्णय नहीं होगा मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में इसे प्रस्तुत करने के लिए क्या आप जल्द से जल्द बैठक करेंगे और हमें संतुष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : जैसाकि माननीय सदस्य ने सही ही कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अरावली पहाड़ियों को शामिल किए जाने के संबंध में 1985 में प्रधान मंत्री को भेजे गए एक ज्ञापन के ब्यौरे की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह भी सही है कि विशेषज्ञ समिति ने इसकी विस्तारपूर्वक जांच की थी तथा आंतरिक योजना आयोग में इस पर चर्चा की गई थी। अब इसे एन० डी० सी० की मंजूरी चाहिए।

माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

निश्चित रूप से एन० डी० सी० द्वारा स्वीकृत इस कार्यक्रम पर हम तत्काल कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, एक्सपर्ट कमेटी ने जो यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो अरावली क्षेत्र के अलावा दूसरे और कौन से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत की है और इस संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, क्या उसे सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : यह सही है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में न केवल अरावली क्षेत्र ही शामिल होना चाहते हैं कि बल्कि देश के अनेक राज्य ऐसा चाहते हैं। वस्तुतः इस मामले पर विस्तार-पूर्वक जांच की जा चुकी है। अब यह योजना आयोग में विचाराधीन है और शीघ्र ही इसे एन०डी० सी० की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुनझुनू) : जनाबे-सदर मुहतरम्, अरावली का पहाड़ी क्षेत्र जो शुरू होता है, वह राजस्थान के एक जिले झुनझुनू से होता है और झुनझुनू से सीकर और अलवर होता हुआ राजस्थान में आगे बढ़ता है। झुनझुनू में 33 खेतड़ी में 33 पंचायतें हैं, जिनमें से आधी पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर आती हैं। उसमें 83 गांव हैं, जिनकी संख्या 1,38,717 है और उदयपुर वाटी के क्षेत्र में 35 पंचायतें आती हैं, 79 गांव आते हैं और उनकी जनसंख्या 1,41,053 है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उदयपुर वाटी, खेतड़ी और नीम के थाने के इलाकों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : माननीय सदस्य ने इन दो विशेष क्षेत्रों का सही जिक्र किया है। जैसा

कि मैंने पहले अपने उत्तर में कहा था, भारत सरकार राजस्थान सरकार द्वारा 1985 में प्रधान मन्त्री को दिए गए ज्ञापन में वर्णित उन सभी क्षेत्रों को शामिल करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये योजना आयोग की स्वीकृति के लिए लम्बित हैं। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा बताए गए क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम इसकी अवश्य जांच करेंगे और मेरे विचार से यह हमारे कार्यक्रम में भी शामिल है।

श्री रामसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं मध्य भारत की सबसे बड़ी श्रृंखलाएं हैं और वनों की कटाई के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि योजना के अनुसार क्या-क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि इन पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया जा सके। यदि सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो इससे मरू क्षेत्र के पर्यावरण में सुधार हो सकता है।

श्री बीरेन सिंह एंगती : जी हां, महोदय, सरकार की यह नीति है। जहां तक राजस्थान राज्य का सम्बन्ध है आज तक पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लम्बित पड़ा है क्योंकि हम एन० डी० सी० के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन्तु साथ ही भारत सरकार ने मरू विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के लिए वनरोपण कार्यक्रम सहित मरू का विकास करने तथा उसका सुधार करने के लिए पर्याप्त धन राशि मन्जूर की गई है। यह हमारी नीति है। जहां तक क्षेत्र विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है कृषि और कृषि-उद्योग तथा वनरोपण आदि के अतिरिक्त हमने सरकार के साथ सहयोग किया है ताकि विशिष्ट वनरोपण कार्यक्रम के लिए अधिक से अधिक धन प्रदान किया जा सके।

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, सरकार ने पांच वर्ष से भी पहले अरावली पर्वत की तलहटी में स्थित हरियाणा के पांच जिलों के लिए वनरोपण कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। यह एक 15 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था जिसका वित्त पोषण स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा किया गया था। परियोजना को अन्तिम रूप देकर मन्जूरी दी गई थी। किन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है। क्या सरकार यह बताएगी कि क्या इस परियोजना का विचार त्याग दिया गया है, और यदि अरावली पहाड़ियों की तराई में हरियाणा के पांच जिलों के लिए अनुमोदित परियोजना का विचार त्याग दिया गया है तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में नया कार्यक्रम आरम्भ करने की क्या सम्भावनाएं हैं?

श्री बीरेन सिंह एंगती : महोदय, यह प्रश्न अरावली पहाड़ी क्षेत्र से सम्बन्धित है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा हरियाणा में एक क्षेत्र विशेष के बारे में पूछे गए प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे उसके लिए एक अलग प्रश्न चाहिए क्योंकि मेरे पास उस कार्यक्रम विशेष के बारे में जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

भारत पर्यटन विकास निगम और उसके मजदूर संघों के बीच विवाद

565. **श्री टी० बशीर** : क्या नगर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम और उसके कर्मचारियों/मजदूर संघों के बीच विभिन्न न्यायालयों में कितने औद्योगिक विवाद चल रहे हैं और उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले पारस्परिक बातचीत द्वारा निपटाए गए ;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितने पंचाट निर्णय लागू किए गए ;

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने कितने मामलों में उच्च न्यायालयों में अपीलें की हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को पहले के अकबर होटल के औद्योगिक विवादों के बारे में पहले कभी कोई ज्ञापन प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

31-3-1989 की स्थिति के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम और इसके कामगारों/मजदूर संघों के बीच विभिन्न न्यायालयों में 191 औद्योगिक विवाद लम्बित थे। इन मामलों के ब्यौरे अनुबन्ध-1 मे दिए गए हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा तीन विवाद पारस्परिक बातचीत द्वारा निपटाए गए।

भारत पर्यटन विकास निगम ने चार अधिनिर्णयों को कार्यान्वित किया।

भारत पर्यटन विकास ने अलग-अलग उच्च न्यायालयों में 8 अपीलें की हैं जो फिलहाल लम्बित हैं।

श्री वी० गोपालसामी, संसद सदस्य ने दिनांक 22-11-1988 के अपने पत्र द्वारा सरकार का ध्यान तत्कालीन अकबर होटल के औद्योगिक विवादों की ओर दिलाया है। इसमें उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में स्थिति अनुबन्ध-2 में दी गई है।

अनुबन्ध-1

भारत पर्यटन विकास निगम तथा उसके कर्मचारियों/संघों के बीच विभिन्न न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवादों का ब्योरा

क्रम संख्या	एकक का नाम	लम्बित मामले सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	—	1	49	50

1	2	3	4	5	6
2.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	—	—	7	7
3.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	—	—	7	7
4.	कुतब होटल, नई दिल्ली	—	—	2	2
5.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	—	—	15	15
6.	अकबर होटल, नई दिल्ली	—	3	9	12
7.	लोधी होटल, नई दिल्ली	—	—	2	2
8.	मुख्यालय	—	1	8	9
9.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	—	—	3	5
10.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	—	—	12	12
11.	अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स	—	2	16	18
12.	होटल अशोक बंगलौर	—	1	12	13
13.	होटल हसन अशोक	—	—	1	1
14.	होटल पाटलीपुत्र अशोक पटना	—	—	1	1
15.	होटल वाराणसी अशोक	—	—	1	1
16.	क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई	—	—	5	5
17.	क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण	—	—	2	1
18.	ललित महल पैलेस होटल मैसूर	—	2	17	19
19.	होटल जयपुर अशोक	—	—	1	1
20.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट कोवलम	—	2	7	9
	जोड़ :	—	12	179	191

अनुबन्ध-2

उठाए गए मुद्दे	स्थिति
1	2
1. भारत पर्यटन विकास निगम अपने छोटे कामगारों को सबक सिखाने के लिए राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है ।	अधिकांश मामले कामगारों/मजदूर संघों द्वारा दायर किए गए हैं । भारत पर्यटन विकास निगम को गुणों के आधार पर बचाव करना होता है ।

1	2
2. तीन वर्ष की अवधि में औद्योगिक विवाद 14 से बढ़कर 195 हो गए हैं।	तत्कालीन अकबर होटल कर्मचारियों सम्बन्धी औद्योगिक विवादों की संख्या मात्र 14 थी, जबकि कर्मचारियों द्वारा दायर किए मामलों की कुल संख्या 195 थी।
3. पूर्ण-विकसित विधि विभाग पर व्यय के साथ-साथ मुकदमेंबाजी पर व्यय।	भारत पर्यटन विकास निगम में लगभग 10000 कर्मचारी हैं। निगम स्तर पर विधि विभाग न केवल विधि विवाद ही देखता है बल्कि दैनिक विधि मामले भी देखता है।
4. विधि विभाग की सलाह की जानबूझकर अवज्ञा करना — अधिनिर्णय के अनुसार कर्मचारियों को बहाल किए बिना पूरी मजदूरी का भुगतान — दायित्व निर्धारित करना।	न्यायालय के आदेशों के अनुसार अधिनिर्णय कार्यान्वित किए जाते हैं।
5. एस० के० वर्मा बनाम महेश चन्द्र मामले में सर्वोच्च न्यायालय अधिमत का उल्लेख किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों, जिनका विगत रिकार्ड संदिग्ध है, के कठोर, श्रमिक-विरोधी दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए दिसम्बर 1986 के पूर्व पत्र का हवाला दिया गया है।	अधिकांश मामलों में कामगार/मजदूर संघ न्यायालयों में गए हैं ; तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम का यह प्रयास रहता है कि मामलों को जहां तक सम्भव हो सके बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए।

श्री टी० बशीर : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न बन्द हुए अकबर होटल में काफी अर्से से लम्बित श्रमिक विवादों के बारे में है। यह होटल कुछ वर्ष पूर्व बन्द कर दिया गया था। मेरे समेत कई संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन मंत्री श्री जगदीश टाईटलर ने बताया था कि भारत पर्यटन विकास निगम बन्द हुए अकबर होटल में लम्बे समय से लम्बित विवादों को निपटाने के लिए तुरन्त कदम उठायेगा। ये विवाद अभी तक बकाया हैं। जब भारत पर्यटन विकास निगम कोई होटल बन्द करता है तो उसके दावों का निपटारा तुरंत कर दिया जाना चाहिए और श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच विवाद तुरन्त निपटाएं जाने चाहिए। किन्तु श्रम न्यायालयों के फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये विवाद काफी अर्से से लम्बित हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक बन्द होटल के विवादों को निपटाने में इतना अधिक समय क्यों लिया जा रहा है। इन विवादों को बिना किसी और विलम्ब के निपटाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम उनके ज्ञापन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं और इस विवाद को निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक विषय है जिस पर एकाधिक विभागों द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा वे न्यायालयों में भी गए हैं और कुछ मामले न्यायालयों में

भी लम्बित पड़े हैं। इसीलिए यह विलम्ब हो रहा है। किन्तु हम निश्चित रूप से इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे।

श्री टी० बशीर : महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार, वास्तव में इन विवादों के संबंध में प्रबन्धक लोग न्यायालय में गए हैं और श्रमिकों को तो इस मुकदमे में घसीटा गया है। मेरे पास, भारत पर्यटन विकास निगम के लम्बित औद्योगिक विवादों के कुछ आंकड़े हैं। 1983 में भारत पर्यटन विकास निगम के श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच केवल 47 औद्योगिक विवाद थे। किन्तु आपके उत्तर से पता चलता है कि आई०टी०डी०सी० प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच अब 191 विवाद हैं इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आई०टी०डी०सी में औद्योगिक संबंध अच्छे नहीं है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय, आई०टी०डी०सी० में बिगड़ते औद्योगिक वातावरण की जांच के लिए आई०टी०डी०सी० के बाहर एक समिति का गठन करेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि आई०टी०डी०सी० में औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं यह नहीं कहूंगा कि औद्योगिक संबंध बहुत अच्छे हैं। किन्तु यह दो तरफा संबंध है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका सहारा श्रमिकों और प्रबन्धकों के विवादों को हल करने के लिए लिया जाता है। हम पहले से मौजूद व्यवस्था के अनुसार इन विवादों को निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी मामलों में अपील प्रबन्धकों द्वारा दायर नहीं की गई है। श्रमिकों द्वारा भी अपील दायर की गई है। और जब श्रमिकों द्वारा भी अपील दायर की गई है तो लम्बित मामलों की संख्या बढ़ती है। यह स्थिति है। इसके साथ ही हमने इस समस्या पर विचार किया है और आई०टी०डी०सी० के अधिकारियों से कहा है कि जो मामले हल किए जा सकते हैं, वे हल किए जाएं। किन्तु, जो मामले वास्तव में अदालतों में लम्बित हैं, उनमें जब तक दूसरा पक्ष सहयोग नहीं करता, कोई भी फैसला कर पाना अत्यंत कठिन है।

श्री सम्मन चावस : महोदय, अकबर होटल लाभ पर चल रहा था। यह प्रचार किया गया कि यह एक ऐसा सरकारी होटल है जो लाभ कमा रहा है। यह ठीक प्रकार से कार्य कर रहा था। यह बताया गया कि प्रधानमंत्री ने निदेशों के अन्तर्गत इसे विदेश मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए बन्द कर दिया गया। अभी पिछले शुक्रवार, अर्थात् तीन दिन पूर्व दिल्ली में अकबर होटल के परिसर में इसकी तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। अभी भी 26 लोग बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप एक लाभ कमाने वाले होटल में काम कर रहे लोगों का क्या करेंगे। औद्योगिक कानून के अनुसार इसे बन्द करने का कोई कारण नहीं था, किन्तु, सरकार की नीति के अनुसार ऐसा किया गया। आप छंटनी किए गए श्रमिकों का क्या करेंगे ? आप उन्हें कहां नौकरी देंगे और कितने समय के भीतर ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे विचार से यह कहना सही नहीं है कि जब यह विदेश मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया इसके कमरे भरे रहते थे। किन्तु, सरकार इन श्रमिकों की सहायता के लिए कानून के उपबंधों का निश्चित रूप से इस्तेमाल करेगी।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर सामान की चोरी करने वाला गिरोह

+

*567. श्री वसुदेव आचार्य :

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर सामान की चोरी करने वाले गिरोह में सामान लादने वाले कुछ कर्मचारी शामिल थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस प्रकार की चोरी रोकने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 9 जनवरी, 1989 की इंडियन एयरलाइंस उड़ान संख्या आई०सी०-263 (कलकत्ता-दिल्ली सैक्टर) और 6 जनवरी, 1989 की उड़ान संख्या आई०सी०-221 (कलकत्ता-बागडोगरा सैक्टर) पर यात्रा करने वाले दो यात्रियों द्वारा उनके पंजीकृत सामान से गहने और नकदी चोरी चले जाने के बारे में की गई शिकायतों के फलस्वरूप, दमदम (कलकत्ता) की पुलिस ने इंडियन एयरलाइंस के सात कुलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

(ग) यात्री सामान के रख-रखाव पर कड़ी सतर्कता बरती जाती है और जब कभी इंडियन एयरलाइंस के नोटिस में चोरी का कोई मामला आता है तो इसकी जांच की जाती है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह था कि क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर सामान की चोरी करने वाले गिरोह में सामान लादने वाले कुछ कर्मचारी शामिल थे और क्या हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी भी इस कार्य में लिप्त हैं। किन्तु, जो कुछ मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं उसका उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उस हवाई अड्डे पर किसी गिरोह का पता चला है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जांच से पता चला कि सामान लादने वाले कुछ कर्मचारी इसमें शामिल थे और जब उनके लॉकरों की तलाशी ली गई तो उनमें सामान को खोलने में काम आने वाले चाबियों के कुछ गुच्छे मिले। पुलिस को शामिल लोगों के बारे में सूचित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

मैं हर एक पर कालिख नहीं पोतना चाहता। मैंने उन्हें बताया है कि सामान लादने वाले कुछ कर्मचारी इसमें लिप्त थे और वह इन तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने बताया है कि सख्त सतर्कता के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य हवाई अड्डों से भी इस प्रकार के मामले जानकारी में आए हैं।

यह समाचार इसलिए प्रकाश में आया क्योंकि चोरी किए गए गहने प्रसिद्ध अभिनेत्री सुप्रिया देवी के थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को अन्य हवाई अड्डों पर इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी है और उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अन्य हवाई अड्डों से भी एक-दो मामले हमारी जानकारी में आए हैं; किन्तु यह एक बड़ा मामला था जिसमें 4 लाख रुपये के गहने चोरी गए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि महंगी चीजें सामान में न ले जाई जाएं। यदि सामान में महंगी चीजें हैं तो हवाई अड्डे के अधिकारियों को सूचित करना होगा कि यह सामान में है। उन्हें उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रभार देने होगा ताकि वह सामान अलग किसी अन्य स्थान पर रखा जाए। सूटकेसों में लाखों रुपए ले जाए जाते हैं किन्तु अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होती। कई बार सहायता देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए महंगी चीजें हाथ में रखनी चाहिए न कि सामान में जो इस प्रकार से रखा जाता है। इसके साथ ही, हम भी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और जितनी अधिक सुरक्षा संभव होगी हम प्रदान करेंगे।

आयुध उपकरण फैक्टरी, कानपुर में आग लगना

***568. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगा लिया है कि कानपुर की आयुध उपकरण फैक्टरी के कपड़ा एकक में वर्ष 1987 में लगी आग से कितनी हानि हुई थी ;

(ख) कानपुर की आयुध उपकरण फैक्टरी में वर्ष 1987 में लगी आग की जांच करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आग लगने की घटना के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

17 और 18 मई, 1987 (रविवार) की रात को कानपुर स्थित आयुध उपस्कर निर्माणी के लाइट टेक्सटाइल के शैडों में से एक शैड में आग लगने के कारणों की दो जांच-बोर्डों ने जांच की थी।

2. महाप्रबंधक, आयुध उपस्कर निर्माण, कानपुर द्वारा 18 मई, 1987 को गठित प्रथम जांच बोर्ड की अध्यक्षता संयुक्त महाप्रबंधक, श्री के० पी० सिंह ने की और उप महाप्रबंधक, श्री जी० पी० सिन्हा तथा निर्माण-कार्य प्रबंधक, श्री महेश गुप्ता ने सदस्यों के रूप में भाग लिया। इस बोर्ड की जांच रिपोर्ट अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणियां, आयुध उपस्कर निर्माण, ग्रुप मुख्यालय कानपुर को भेजी गई थी। तत्पश्चात् उन्होंने 4 जून, 1987 को एक नियमित जांच बोर्ड की नियुक्ति की। आयुध उपस्कर निर्माणी, ग्रुप मुख्यालय, कानपुर के निदेशक, सतर्कता श्री सी० आर० गुप्ता ने इस बोर्ड की

अध्यक्षता की और आयुध उपस्कर निर्माणी ग्रुप मुख्यालय के संयुक्त निदेशक (परियोजना) श्री वी० पी० चन्द्र और आयुध उपस्कर निर्माणी, ग्रुप मुख्यालय के लेखा अधिकारी श्री आर० के० सिंह ने इसमें सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। दूसरी समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 जुलाई, 1987 को पूरी की।

3. भवन, विद्युत वायरिंग, सामग्री आदि के संबंध में क्षति का मूल्य 1,16,650/- रुपए आंका गया।

4. निम्नलिखित कर्मचारियों, जिन्हें आग लगने का तत्काल पता लगाते और उसे बुझाने में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया गया, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई :—

(क) रात की पाली में सुरक्षा प्रभारी एक सुरक्षा सहायक ग्रेड "क"।

(ख) "बे-ब्रिज" के समीप द्वारपाल के रूप में तैनात एक सुरक्षा सहायक ग्रेड "ख"।

(ग) एक जमादार दरवान (सिविलियन)।

(घ) एक दरवान (सिविलियन)।

(ङ) एक फायरमैन।

उपर्युक्त (क) से (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी और वेतन में कटौती करने की शास्ति (पेनॅल्टी) उन पर पहले ही आरोपित की जा चुकी है।

5. जिस भवन में आग लगी थी उसे खोलने और बन्द करने के प्रभारी फोरमैन के विरुद्ध आयुध निर्माणी बोर्ड ने अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है।

6. आग लगने की इस दुर्घटना के लिए किसी व्यक्ति को सीधे दोषी नहीं पाया गया जो संभवतः विद्युत शार्ट सर्किट के कारण लगी ; हालांकि इस संबंध में उपलब्ध सबूत निर्णायक नहीं था।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि इसमें लगे हुए कर्मचारी आग का पता लगाने और इसे शीघ्र बुझाने में लापरवाह पाए गए। मेरे विचार में आग को शीघ्र बुझाने में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को किसी भी तरह के क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मैं पक्के तौर पर यह महसूस करता हूं कि इन लापरवाह कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिया गया दण्ड काफी नहीं है। मुझे उनके वेतन से काटी गई राशि ठीक से पता नहीं है। किन्तु मेरे विचार से और अधिक दण्डनीय कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि विभाग का ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को, जिससे इस कारखाने को 1,16,650 रुपये की हानि हुई, किस प्रकार की कड़ी सजा देने का विचार है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य बहुत ही संगत प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले प्राथमिक जांच बोर्ड था और चूंकि इसे संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः उन्होंने नियमित जांच बोर्ड की स्थापना की। नियमित जांच बोर्ड रात्रि पारी के सुरक्षा प्रभारी एक सुरक्षा सहायक, ग्रेड 'ए' ; 'बे ब्रिज' के निकट गेट-कीपर के रूप में ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा सहायक, ग्रेड 'बी' ; दो सिविलियन और एक अग्नि-शमन कर्मचारी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुका है। अब माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या जुर्माना कड़ा है या इसमें नरमी बरती गई है ? इस जुर्माने की सिफारिश नियमित

जांच बोर्ड ने की थी और यह जुर्माना भी पहले ही लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उस फोरमैन के विरुद्ध, जो उस बिल्डिंग को खोलने और बंद करने का प्रभारी था, जिसमें आग लगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आरम्भ कर दी है। यह मामले पर अभी कार्यवाही हो रही है। उन्होंने नियमित जांच बोर्ड की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई की है। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि यह कार्रवाई सख्त कार्रवाई नहीं है तब हमें मामले की जांच करनी पड़ेगी किन्तु कार्रवाई जांच बोर्ड ही करेगा।

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा : ऐसा लगता है कि इस आग का कारण शॉर्ट सरकिट है। मैं समझता हूं यह इमारत पुरानी है और बिजली की तारें भी पुरानी हैं। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली मंत्री महोदय द्वारा सुझाई गई कार्रवाई के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा इस इमारत में पुन-तार बिछाने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में पुनः शॉर्ट सरकिट न हो ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह विवरण बड़ा है। नियमित जांच बोर्ड ने लगभग 14 उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं। यदि आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

विज्ञान और तकनीकी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम

*571. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान उच्च विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किस आधार पर तैयार किए जायेंगे ; और

(ख) उच्च विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी दूर करने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा मूल अनुसंधान पर एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए योजना आयोग ने प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद् अध्यक्ष प्रो० सी० एन० आर० राव की अध्यक्षता में इन विषयों पर दो अलग-अलग दल बनाये थे। इन दलों द्वारा किए गए विचार-विमर्श के आधार पर रिपोर्टें योजना आयोग को प्रस्तुत की गयीं, जिनमें अनेक सिफारिशें की गयी थीं। 8वीं योजना में मूल अनुसंधान तथा तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की गतिविधियों में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद् द्वारा भी इन रिपोर्टों का उपयोग किया गया। सिफारिशों में कुछ विशेषताएं ये हैं कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को विश्वविद्यालयों के रूप में मानना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उच्च क्षेत्रों में अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करना। इन रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उच्च क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी के बारे में रिपोर्ट में प्रस्तावित कार्रवाई के अन्तर्गत विचार किए जाने की सम्भावना है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रो० सी० एन० आर० राव, अध्यक्ष, विज्ञान सलाहकार परिषद, के अधीन गठित दो समितियों, जिनका उन्होंने अपने उत्तर में हवाला दिया है, द्वारा की गई सिफारिशें कौन-कौन सी हैं ? ये सिफारिशें किस चरण पर पहुंची हैं और ऐसी कौन-सी सिफारिशें है जिन्हें क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ? जैसाकि मैंने आठवीं योजना में विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा के बारे में प्रश्नकिया है इस पर सातवीं योजना में कितनी राशि खर्च की गई है और आठवीं योजना में कितनी राशि खर्च की जानी है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इन समितियों ने अनेक सिफारिशें की हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ सभी सिफारिशों को बताने दिया जाएगा। सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि परिष्कृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने अत्यधिक विकसित क्षेत्रों अर्थात आनुवंशिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स अन्तरिक्ष, न्यूक्लीय-प्रौद्योगिकी, द्रव्य और इसी प्रकार के क्षेत्रों को सामने लाने का प्रयास किया है। सिफारिशें ये हैं कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इनके प्रबंध का विकास करना चाहिए और हमे विश्वविद्यालयों में छात्रों को तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सूचना प्रदान करनी चाहिए। यह सिफारिश की गई है कि एक विश्वविद्यालय इन सभी बातों को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया है कि दो या तीन या चार विश्वविद्यालयों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और इन विकसित क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अन्तर-विश्वविद्यालय मैंकेनिजम बनाया जा सकता है। जहां तक इन प्रयोजनों के लिए धन उपलब्ध कराने का संबंध है इसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन होगा क्योंकि इन क्षेत्रों में शिक्षा और प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए शिक्षा मंत्रालय विज्ञान मंत्रालय, तथा अन्य संगठनों को भी धन दिया जाता है। सभी विभागों से सूचना एकत्रित करने के बाद ही उत्तर दिया जा सकता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मंत्री महोदय ने हमारे देश में उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनशक्ति की कमी को स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनशक्ति की कमी किस सीमा तक है तथा क्या इस संबंध में किसी प्रकार का मूल्यांकन या अध्ययन किया गया है ? जैसाकि आप जानते हैं, हमारी समस्या प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की है और इस उन्नति के लिए इस कमी को स्वभावतः भरा जाना चाहिए। उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह खुशी की बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। आज भारत में, हम जनशक्ति के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आनुवंशिकी और ऐसे बहुत से क्षेत्रों में भी हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं हैं। हम काफी हद तक आत्म-निर्भर हैं। किन्तु क्योंकि ये क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में हैं और भविष्य में भी हमें वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, और शिक्षाशास्त्रियों की आवश्यकता होगी अतः इन क्षेत्रों में उन्नत स्तर पर भी इस प्रकार की मांगों का प्रबंध करने के लिए एक योजना तैयार की जानी है। इसलिए विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी तैयारी की जा रही है। महासागर विकास विभाग विश्वविद्यालयों को कुछ धन देता है; आणविक आयोग भी धन देता है; अन्तरिक्ष विभाग भी धन देता है शिक्षा विभाग भी धन देता है। किन्तु फिलहाल भविष्य में अर्थात पांच वर्ष, दस वर्ष, पन्द्रह वर्ष और बीस वर्ष की अवधि में अपेक्षित विज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की सही संख्या मालूम नहीं है किन्तु इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया

जाना है । किन्तु दिशा स्पष्ट है ; विचार स्पष्ट हैं और संभावित आवश्यकताएं भी स्पष्ट हैं हम इन अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ।

उड़ीसा द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग

*573. श्री सोमनाथ रथ : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1985-86 और 1989-90 की वार्षिक योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान उक्त राज्य सरकार द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया, और

(ग) क्या राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : उड़ीसा की वार्षिक योजना 1988-89 तक के लिए परिव्यय और व्यय और वार्षिक योजना 1989-90 के लिए परिव्यय नीचे दिए गए हैं —

(करोड़ रु०)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
1985-86	450.00	445.64
1986-87	605.00	574.26
1987-88	742.00	701.40
1988-89	742.23	742.23 (प्रत्याशित)
1989-9	925.00	

(ग) उड़ीसा के पिछड़ेपन को दूर करने लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

(1) जैसाकि उपर्युक्त सारणी में देखा जा सकता है, राज्य की वार्षिक योजनाओं के लिए परिव्ययों में उचित वृद्धि की गई है ।

(2) अविशेष श्रेणी राज्यों के लिए उपलब्ध कुल केन्द्रीय सहायता का 20 प्रतिशत, राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों के बीच आबंटित किया गया है और इस मापदंड के अन्तर्गत उड़ीसा एक लाभग्राही राज्य है ।

(3) राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, राज्य के अपने संसाधनों में विशेष वृद्धि करने के लिए सामान्य विपणन ऋणों के अलावा विशेष विपणन ऋण भी दिए जाते हैं। वार्षिक योजना 1988-89 के लिए उड़ीसा को 71.30 करोड़ रु० के सामान्य विपणन ऋणों के अलावा 49.90 करोड़ रु० के विशेष विपणन ऋण दिए गए हैं।

(4) पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने की दृष्टि से केन्द्र ने अगले 5 वर्षों या इससे अधिक अवधि के दौरान 100 संवृद्धि केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है जिसमें 3 संवृद्धि केन्द्र उड़ीसा को आवंटित किए गए हैं। ये संवृद्धि केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को चुम्बक की भांति आकर्षित करेंगे।

(5) एक विशेष कार्यक्रम, अर्थात् गरीबी दूर करने से संबंधित क्षेत्र विकास नीति, शुरू किया गया है जिसमें राज्य के कालाहण्डी और कोरापुट जिलों के चयनित खण्ड जो बार-बार सूखे से प्रभावित होते हैं और जिनमें अनुसूचित/अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रधानता शामिल है।

(6) राज्य को "पूर्वी क्षेत्रों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम" के अन्तर्गत शामिल किया गया है जिनके अन्तर्गत प्रति चयनित खण्ड के लिए 10 लाख रु० की राशि आवंटित की गई है और जिस पर होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 आधार पर बांटा गया है।

(7) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वियनाधीन हैं, उड़ीसा जैसे राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्रीय सहायता मुख्य रूप से गरीबी की स्थिति के आधार पर आवंटित की गई हैं।

(8) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

श्री सोमनाथ रथ : भाग (घ) में मंत्री ने उत्तर दिया कि उड़ीसा को तीन संवृद्धि केन्द्र आवंटित किए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ये तीन संवृद्धि केन्द्र कौन-कौन से हैं और वित्तीय परिव्यय क्या है?

श्री बीरेन सिंह एंगती : सरकार द्वारा देश में स्थापित किए गए 100 संवृद्धि केन्द्रों में से उड़ीसा को तीन केन्द्र आवंटित किए गए हैं। इस समय मेरे पास उन केन्द्रों के नाम उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उन संवृद्धि केन्द्रों के लिए वर्ष 1989-90 के लिए 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यदि माननीय सदस्य को नाम चाहिएं तो मैं उन्हें बाद में सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

—————लिखित

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमा विवाद

[अनुवाद]

*553. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के बीच चल रहे सभी सीमा विवादों पर अग्रेतर विचार न करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में भाषाई अल्पसंख्यकों के न्यायोचित हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ख) सरकार इन मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है ।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का विकास

*554. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का विकास/सेवाओं और सुविधाओं में सुधार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ग) इस हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 2.90 करोड़ रुपए के उपस्करों की खरीद/स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी गई है ।

(ग) अन्य कार्रवाइयों में विमान को रात्रि में उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करना और भूमि उपलब्ध होने पर "विमान उतारने की प्रणाली" (इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) की स्थापना के साथ मार्ग (रनवे) का अभिनवीकरण और विस्तार करना शामिल हैं ।

सार्वजनिक छुट्टियां

*555. श्री बी० बी० रमैया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में शनिवार तथा रविवार सहित एक वर्ष में औसतन कितनी सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं ;

(ख) क्या सार्वजनिक छुट्टियों की यह संख्या अमरीका, ब्रिटेन आदि जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय हित में सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या कम करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) प्रशासनिक कार्यालयों, आपरेटिव तथा औद्योगिक संस्थानों आदि जैसे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में छुट्टियों की कोई एक समान पद्धति विद्यमान नहीं है। प्रशासनिक कार्यालयों के लिए एक कलैण्डर वर्ष में 16 सार्वजनिक छुट्टियां हैं। ये कार्यालय शनिवार और रविवार को भी बन्द रहते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए छुट्टियों की पद्धति प्रशासनिक/कार्यात्मक अपेक्षाओं तथा देश में सुस्थापित सामाजिक/धार्मिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। अतः इस पद्धति की अन्य देशों की पद्धतियों से तुलना करना उचित नहीं होगा।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वेस्ट लैन्ड और डोफिन हेलिकाप्टरों के रखरखाव के बारे में जांच

*557. श्री मोहनभाई पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में वैष्णो देवी, मद्रास और दीमापुर में हुई बड़ी हेलीकाप्टर दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए "पवन हंस" के वेस्टलैंड और डोफिन हेलिकाप्टरों के रखरखाव की प्रक्रिया के बारे में जांच करने के आदेश दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जांच के आदेश कब दिए गए और जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या विशेष एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 9 फरवरी, 1989 को एक समिति का गठन किया गया था। नागर विमानन के कार्यवाहक उप-महानिदेशक, श्री एस० पी० मार्या, एयर इंडिया के उप-निदेशक इंजीनियरिंग श्री एस० वी० वैशम्पायन और एयर इंडिया के उप-इंजीनियरी प्रबन्धक (किस्म नियंत्रण) श्री एन० के० रथ समिति के सदस्य हैं।

(ग) मैसर्स पवन हंस लिमिटेड को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने, पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान के लिए पर्याप्त परिचायक प्रशिक्षण देने और तटीय परिचालनों का आयोजन करने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों/तटों पर स्थित स्थानों के लिए किसी भी प्रकार का प्रचालन प्रारंभ करने से पहले पायलटों को अद्यतन मौसम विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च की गयी धनराशि

*559. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन महानिदेशालय को देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गयी ;

(ख) उनमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ;

(ग) क्या महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रत्येक हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या उपाय किए गए हैं और कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना अलग बजट के साथ एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में 1 अप्रैल, 1987 को की गई । वर्ष 1987-88 में इसे 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और यही राशि वर्ष 1988-89 के लिए भी दी गई थी । यह राशि हवाई अड्डों पर नियुक्त सुरक्षा कार्मिकों की व्यावसायिक और विशेष सेवाओं पर खर्च की जानी थी । इस राशि का उपयोग राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के आधार पर, हवाई अड्डों पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों के खर्चे को पूरा करने के लिए किया जाता है । वर्ष 1988-89 के दौरान कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी क्योंकि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को कोई बिल प्राप्त नहीं हुए थे । इसलिए वर्ष 1988-89 की राशि का उपयोग नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य खर्चों के लिए किया गया ।

(घ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्धारित न्यूनतम सुरक्षा मानदंडों के आधार पर अपहरण-विरोधी कार्य-कलापों और परिसीमा सुरक्षा के लिए प्रत्येक हवाई अड्डे पर सुरक्षा कार्मिक तैनात किए जाते हैं जिनकी संख्या एक हवाई अड्डे में भिन्न होती है ।

चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, हवाई अड्डे के चारों ओर सुरक्षा पर किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । जहां तक अन्य हवाई अड्डों का सम्बन्ध है, सूचना राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है क्योंकि वे खर्च करते हैं और प्रतिपूर्ति के लिए इसे केन्द्रीय सरकार को भेजते हैं ।

विवरण

चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परिसीमा सुरक्षा पर व्यय

हवाई अड्डा	1982-83 रुपये	1983-84 रुपये	1984-85 रुपये	1985-86 रुपये	1986-87 रुपये	1987-88 रुपये	1988-89 रुपये
बम्बई	26,78,101.64	57,80,980.74	72,42,880.13	57,95,903.46	63,29,521.65	72,04,723.00	75,00,000.00
दिल्ली	16,59,424.90	19,26,305.55	23,67,147.88	28,50,028.80	43,47,825.85	56,24,084.00	75,00,000.00
कलकत्ता	4,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00	5,00.000.00	5,00,000.00	10,00,000.00
मद्रास	8,28,325.68	9,01,370.72	9,90,889.55	14,61,883.70	26,46,079.40	15,04,601.80	40,00,000.00
	55,65,852.22	91,08,657.01	1,11,00,917.56	1,06,07,815.99	1,41,23,426.90	1,48,33,408.80	2,00,00,000.00

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

*561. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कर्मचारियों की कुल संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा भर लिया गया है ; यदि नहीं, तो इसमें कमी के क्या कारण हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कितने पद प्रति वर्ष अनारक्षित घोषित किए गए ;

(ङ) पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने से पहले इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए ; और

(च) प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए आरक्षित कोटे के बकाया चले आ रहे रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए अथवा किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख)

समूह	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या		
		अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल
क	313	33	7	40
ख	347	37	24	71
ग	3258	594	89	683
घ	1946	802	92	894

(ग) समूह "ग" और "घ" पदों पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का कोटा पूरा कर दिया गया है। सुयोग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जनजाति की सभी श्रेणियों में और अनुसूचित जाति के मामले में समूह "क" और "ख" के पदों पर आरक्षण में गिरावट आई है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) रोजगार कार्यालयों को आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मान्यताप्राप्त संगठनों को प्रतियां देते हुए समाचारपत्रों में विज्ञापन देने जैसे सभी कदम उठाए जाते हैं जिससे उपयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए आकर्षित किया जा सके। इन्हें केवल तभी अनारक्षित किया जाता है जब स्तर में छूट देने के साथ-साथ, सभी प्रयत्नों के बावजूद उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो सकें। आरक्षित कोटे की पुरानी रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आकर्षित करने की दृष्टि से समाचार-पत्रों में बार-बार रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन महीनों में, वर्षवार प्रतीक देशों में अनारक्षित पदों की कुल सख्या

वर्गीकरण	1986		1987		1988	
	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अनु०जाति	अनु०जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
समूह "क"	—	—	—	—	5	5
समूह "ख"	—	—	—	—	1	3
समूह "ग"	3	13	1	6	1	4
कुल :	3	13	1	6	7	12

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

[हिन्दी]

563. श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से आठवीं योजना तैयार करने से पहले इस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कराने का विचार है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों से निवासियों द्वारा बड़ी संख्या में अन्यत्र जाकर बसने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय किए जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों की जनता की आय बढ़ाने के लिए आठवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत विभिन्न उपाय, आय तथा रोजगार के अवसरों, स्वरोजगार स्कीमों, तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि में वृद्धि करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर बल देते हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं हुई है। अतः इन क्षेत्रों में खर्च की जाने-वाली राशि ज्ञात नहीं है।

तिरुपति में तिरूमल पहाड़ी के लिए रज्जु पथ

[अनुवाद]

*566. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरूपति में तिरूमल पहाड़ी के लिए रज्जुपथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए तिरूमल में रज्जु पथ सुविधायें प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों को उन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है जो इस विभाग की अनुमोदित प्लान स्कीमों के अन्तर्गत आती हों। विभाग की अनुमोदित किसी भी प्लान स्कीम में रज्जु पथ सुविधा की व्यवस्था करना शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय प्रमस्तिष्क अंगघात संस्थान

*569. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बम्बई में एक राष्ट्रीय प्रमस्तिष्क अंगघात संस्थान स्थापित करने की योजना है जिसके क्षेत्रीय केन्द्र अन्य महानगरों में भी स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार, प्रमस्तिष्क अंगघात का उपचार करने की सुविधाओं के विकास की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करती है। फिर भी, यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि आठवीं योजना में किन योजनाओं को शामिल किया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियां

*570. डा० वी० वेंकटेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम चयन बोर्ड तथा सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के कुछ रिक्त स्थानों को भरने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) यह तथ्य है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर के पदों के चयन तथा नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार सतत प्रयास करती रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा जनवरी से मार्च, 1989 तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के 46 मामलों के लिए सिफारिशें की गई हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 37 मामलों के लिए सिफारिश की गई थी। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड स्तर के पदों की अनेक नियुक्तियां अनुमोदित कर दी गई हैं और शेष पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में पुलिस थाने/चौकियां

*572. श्री मोती लाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने पुलिस थाने/चौकियां हैं ;

(ख) उन पुलिस थानों/चौकियों के नाम क्या हैं जिनके प्रभारी अधिकारी इस समय अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति हैं ; और

(ग) दिल्ली में कितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं और किस-किस डिस्ट्रिक्ट में प्रभारी अधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पुलिस स्टेशन – 105

पुलिस चौकियां – 45

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली में 9 पुलिस जिले हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, अनुसूचित जाति के दो अधिकारियों ने पुलिस जिलों के प्रधान के रूप में कार्य किया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 3 अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्य किया है। अनुसूचित जाति का एक अधिकारी इस समय दक्षिणी जिले में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्य कर रहा है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों की सूची

क्रम सं०	पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकी का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी के नेतृत्व में
1.	पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी	अनुसूचित जाति
2	पुलिस स्टेशन किंगसवे कैम्प	—यथोपरि—
3.	पुलिस स्टेशन अशोक विहार	—यथोपरि—
4.	पुलिस स्टेशन शालीमार बाग	—यथोपरि—
5.	पुलिस स्टेशन सुलतान पुरी	—यथोपरि—
6.	पुलिस स्टेशन नबी करीम	—यथोपरि—
7.	पुलिस स्टेशन प्रसाद नगर	—यथोपरि-
8.	पुलिस स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	—यथोपरि—
9.	पुलिस स्टेशन पालम, एयरपोर्ट	—यथोपरि—
10.	पुलिस स्टेशन में महिपालपुर	—यथोपरि—
11.	पुलिस स्टेशन आर० के० पुरम	—यथोपरि—
12.	पुलिस स्टेशन मालवीय नगर	अनुसूचित जनजाति
13.	पुलिस पोस्ट मयूर विहार	—यथोपरि—
14.	पुलिस पोस्ट जयप्रकाश नारायण अस्पताल	—यथोपरि—
15.	पुलिस पोस्ट संगतराशन	अनुसूचित जाति
16.	पुलिस पोस्ट सरकारी क्वाटर देवनगर	—यथोपरि—
17.	पुलिस पोस्ट, सैक्टर 8, आर० के० पुरम	—यथोपरि—

लक्षद्वीप हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य हेतु ठेका प्रदान करना

5405. प्रो० मधु दण्डवते : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में हवाई-पट्टी के निर्माण का ठेका न्यूनतम निविदा दरों पर न देकर उनसे अधिक दरों पर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह किस कम्पनी को दिया गया और ऐसा करने के कारण क्या थे ;

(ग) क्या इस कम्पनी को बाद में भी अतिरिक्त भुगतान किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो यह राशि कितनी थी और अतिरिक्त कार्य कराए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें मूल निविदा में ही शामिल न किए जाने का औचित्य क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स एन० बी० सी० सी० को यह निर्माण कार्य दिया गया था । कोटेशनों का मूल्यांकन करने के बाद एन० बी० सी० सी० को जिसका बंबई में अपना बेड़ा और अन्य किस्म के उपस्कर हैं और जिन्हें कार्य में तुरंत लगाया जा सकता है तथा लक्ष्य की तारीख तक पूरा किया जा सकता है, यह निर्माण कार्य दिया गया था।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मैसर्स एन० बी० सी० सी० को 4.89 करोड़ रुपए की संविदा मूल्य के अतिरिक्त 78 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि इस प्रकार दी थी ।

	(करोड़ रुपए)
(1) किए गए निर्माण कार्य के लिए किया गया अतिरिक्त निर्माण कार्य	0.29
(2) करार/कानूनी वचनबद्धता के अनुसार अतिरिक्त	
(क) संविदा शर्तों के अनुसार लागत सामग्री और श्रमिक में वृद्धि के० लो० नि० वि०/आर० बी० आई के सूचकांक	0.23
(ख) सामग्री के परिवहन के लिए अधिक जलयानों के लगाने हेतु दिया गया पंच फैसला	0.26
	0.78

(1) स्थान पर निर्माण कार्य के निष्पादन के अनुसार निर्माण कार्य की वास्तविक मात्रा होती है । मात्रा में परिवर्तन के लिए टेण्डर में विनिर्दिष्ट दरों पर भुगतान किया गया । ये वे भुगतान हैं जिनकी परिकल्पना नहीं की जा सकती और जिनका वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाता है ।

(2) मूल्यों में वृद्धि के लिये भुगतान करार के अनुसार किया गया है ।

(3) मुख्य द्वीप समूह को सामग्री के परिवहन के लिए अधिक जलयानों को लगाए जाने के कारण, एन०बी०सी०सी० ने अतिरिक्त लागत का दावा किया । चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके लिए सहमत नहीं हुआ इस लिए यह मामला मध्यस्थता समिति को भेजा गया जिसने

यह निर्णय किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लागत के 40% का वहन स्वयं करना चाहिए था और एन० बी० सी० सी० को इसकी पूर्ति करनी चाहिए थी जबकि शेष 60% का वहन एन० बी० सी० सी० द्वारा किया जाना चाहिए था। तदनुसार 0.26 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

भारत-पाक सीमा सुरक्षा बेल्ट

5406. श्री मोहनभाई पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाक सीमा पर तस्करी रोकने तथा दोनों देश में अवैध प्रवेश को रोकने हेतु एक सुरक्षा बेल्ट बनाने के प्रस्ताव के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : संविधान के अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत 13 अगस्त, 1986 को राज्य सभा द्वारा पारित किए गए एक संकल्प के अनुसरण में इस संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था ताकि संसद इसमें दिए गए मामलों के संबंध मे कानून बना सके। तब से इस संबंध में कई उतार चढ़ाव हुए हैं और पहले उल्लिखित संकल्प 12 अगस्त, 1987 को निष्प्रभावी हो गया।

धार्मिक संगठनों द्वारा हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना

5407. श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कुछ संगठन धर्म, जाति आदि के नाम पर शारीरिक और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने में संलग्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इन संगठनों को इस प्रकार के प्रशिक्षण चलाने हेतु विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है ; और

(घ) क्या सरकार देश में इस प्रकार के प्रशिक्षण और इन संगठनों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाले किसी धार्मिक संगठन का सरकार को पता नहीं है। तथापि, इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, शिवशक्ति दल, आदम सेना और शाहीन फोर्स जैसे कुछ संगठनों का पता चला है।

(ग) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए ऐसे संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(घ) ऐसे संगठनों अथवा ऐसे प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार सरकार के समक्ष नहीं है। जब कभी ऐसा कोई संगठन इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में ग्रस्त पाया जाता है

तो कानून के संबद्ध उपबन्धों का उल्लंघन करने पर संबंधित राज्य/संघ शासित प्राधिकरणों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है ।

ताशकंद, सोवियत संघ को एयर इंडिया सेवा

5408. श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने ताशकंद सोवियत संघ के लिए सप्ताह में एक बार विमान सेवा आरंभ की है ;

(ख) यदि हां, तो इस विमान सेवा को चलाने हेतु एयर इंडिया द्वारा "एरोफ्लोट" के साथ किए गए समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) उन नए मार्गों का ब्यौरा क्या है जिनमें 1989 के दौरान एयर इंडिया विमान सेवा आरंभ करेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने एयरोफ्लोट से वेट लीज पर लिए गए आई० एल०-62 विमान के साथ दिल्ली और ताशकंद के बीच सप्ताह में एक बार की सेवा आरंभ कर दी है । वेट लीज करार की शर्तों के अनुसार एयर इंडिया को प्रति घंटा 3000 रुबल लीज दर से भुगतान करना होगा ।

(ग) इस समय बगदाद (इराक) के लिए अपनी सेवाएं पुनः शुरू करने के सिवाय, एयर इंडिया की 1989 में नए मार्गों पर परिचालन करने की कोई योजना नहीं है ।

हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण में विलंब

5409. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

चौ० खुर्शीद अहमद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विमान यातायात की सुविधा हेतु कुछ इलेक्ट्रानिक उपकरणों का आयात करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए अपेक्षित अधिकांश अत्याधुनिक उपस्करों का निर्माण देश में नहीं किया जा रहा है और परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना आवश्यक है । अतः राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का परियोजना को प्रतिष्ठित और अनुभवी विदेशी फर्म द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है ।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र से मदों की खरीद

5410. श्री एच० बी० रामुलु : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकारी क्षेत्र के निर्माण एककों से समान खरीदता है और यदि हां, तो कितना ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक संगठन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को अपना सामान बेचने हेतु सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जहां तक संभव हो सके सरकारी क्षेत्र के एकक से ही सामान खरीदे ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां, व्यवहारिक सीमा तक ।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) उपकरण एवं सामग्री खरीदते समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से खरीद के संबंध में सरकारी अनुदेशों का शिपयार्ड द्वारा अनुपालन किया जाता है ।

आठवी योजना में जनजातीय लोगों के लिए कार्यक्रम

5411. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जनजातीय लोगों के उत्थान और उनके हितों की रक्षा तथा उनकी विशिष्ट संस्कृति और परम्पराओं को बनाए रखने के लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तैयार किया जाना है । तथापि, सांविधिक प्रावधानों और सरकार की घोषित नीति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल

5412. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों के विरुद्ध इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मद्रास द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है, उनका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : इस समय, मद्रास शाखा द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी मामले की जांच नहीं की जा रही है।

दानापुर छावनी द्वारा स्वीकृत संकल्प

5413. **श्री रेणुपद दास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा जनवरी, 1988 से 10 फरवरी, 1989 तक स्वीकृत संकल्पों की संख्या और ब्यौरा क्या है और उनमें से अब तक कार्यान्वित संकल्पों की संख्या और ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन संकल्पों को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मालाबार के विशेष पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

5414. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालाबार विशेष पुलिस बल के कितने व्यक्ति इस समय स्वतंत्रता सेनानी केन्द्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी के लिए मालाबार विशेष पुलिस बल के सदस्यों से प्राप्त कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) सरकार इन आवेदन-पत्रों पर अपनी कार्यवाही कब तक पूरी करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल को सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के उद्देश्य से मान्यता नहीं दी गई है।

अमरीका द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी देने पर प्रतिबंध

5415. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी देने अमरीकी

सरकार की उच्च प्रतिबंधात्मक नीति के मसले को अमरीकी सरकार के साथ किसी स्तर पर उठाया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अमरीकी सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में सूचना की उपलब्धता पर कोई प्रतिबन्ध लगाए हैं।

(ख) (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए योजनाएं

[हिन्दी]

5416. श्री आर० पी० सुमन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ; वर्षवार कितनी धनराशि जारी की गई और आवंटित राशि से कम राशि जारी किये जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के लिए किए गए आवंटन की तुलना में वर्ष-वार कितनी अनप्रयुक्त राशि वापस की गई तथा इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) प्रत्येक प्लान योजना के सम्बन्ध में आवंटन और व्यय सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1986-87 और 1987-88 में कोई राशि वापिस नहीं की गई थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टलों और गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों (केवल लड़कियों) को प्रोत्साहन हेतु बनाई जाने वाली नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटित एक करोड़ रुपए की राशि 1988-89 के दौरान वापिस की जानी अपेक्षित थी क्योंकि इन योजनाओं को राज्यों के साथ अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका और क्योंकि इसमें वित्तीय कठिनाइयां थीं।

विवरण

1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित और स्वीकृत राशि

क्रम सं०	योजना का नाम	1986-87		1987-88		1988-89	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	11.00	11.50	26.73	29.11	42.00	42,50
2.	अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	1·82	0.13	2.00	0.72	1.00	0.53
3.	मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ रहे अनु०जाति/अनु०जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	0.50	0.47	0.55	0.41	0.55	0 48
4.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	3.15	3.15	3.50	3.50	3.50	3.82
5.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	1.40	1.47	1·50	1.47	2.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	अनु० जाति/अनु० जनजाति उम्मीदवारों के लिए कोचिंग और सहायक योजना	0.46	0.35	0.52	0.51	0.70	0.68
7.	अनु०जातियों के लिए स्वयंसेवी संगठन को सहायता	0.90	0.80	1.00	0.95	0.20	1.06
8.	अनु०जनजातियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	0.69	0.80	0.80	0.88	1.00	1.00
9.	अनु०जातियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.15	0.13	0.15	0.16	0.30	0.30
10.	अनुसूचित जातियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.61	0.48	0.75	0.58	0.75	0.75
11.	अनुसूचित विकास निगम लिए	12.75	14.58	13.00	13.00	10.00	10.06
12.	नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम/सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	8.57	8.57	9.50	950	11.00	11.00
13.	अनु० जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बाल होस्टल					0.50	शून्य
14.	अनुसूचित जाति अनु० जनजाति की निर्धन लड़कियों को प्रोत्साहन					0.50	शून्य
		42.00	92.33	60.00	60.91	70.00	84.12
15.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता	175.00	175.00	175.00	175.00	180.00	180.00
16.	आदिवासी उप योजना	155.00	165.00	166.50	166.50	180.00	180.00

मझगांव डॉक लिमिटेड को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित वस्तुओं की सप्लाई

[अनुवाद]

5417. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निर्माण एककों से किन-किन वस्तुओं की खरीद की जाती है ;

(ख) क्या उपरोक्त कम्पनियां भविष्य के लिए सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सप्लायर के रूप में पंजीकृत करने अथवा सूचीबद्ध करने को बढ़ावा नहीं दे रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): (क) मझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य उपक्रमों से इन श्रेणियों के उपस्करों को खरीदते हैं—टारबाइन्स, एलेन ऑक्जलरीज, डीजल जेनेरेट सैट, "ए" और "बी" (ब्रेकेट्स, कैपस्टेन्स, विचेज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेडार, सोनार, पैकेज संचार प्रणाली (सी०सी०एस० और पी०सी०एस०), इंटरफेज यूनिट, ट्रांसपोण्डर्स, वी०/यू०एच०एफ० ट्रांसरिसीवर सैट्स, स्टीयरिंग गियर नियंत्रण प्रणाली, एच०एफ० ट्रांसरिसीवर, जाइरो स्टेबीलाइज्ड होरीजेण्टल रोल बार प्रणाली, निक्कल केडमियम बैटरीज, लाइफबोट रेडियो सैट्स, साउंड पावर टेलीफोंस, ऑटो टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन उपकरण, टेलीमोटर्स, जाइरो और पी०आर०एफ० संस्थापन यूनिटें, मुख्य स्विच बोर्ड रेडियो प्रणाली, तेल और ग्रीस, स्टील, हार्डकोक, कोयला, गैस सिलिण्डर, वस्त्र, फाइबर रिइनफोर्सड प्लास्टिक पोर्ट, आयातित सामान की निकासी के लिए सेवाएं, कम्प्यूटर, कैबल्स, टायर, टेस्ट सेपरेटर्स, बेटरीज और चार्जर, सौर ऊर्जा प्रणाली इत्यादि ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । मझगांव डॉक लिमिटेड में, केन्द्रीय और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता से छूट दी जाती है जैसाकि अन्य विक्रेता बनाते हैं । गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स विक्रेताओं के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पंजीकरण को बढ़ावा देती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों को पट्टे पर लेना

5418. डा० बी० एल० शैलेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा विदेशी एयर लाइनों से विमानों को कितनी अवधि के पट्टे पर लिया गया है ; और

(ख) ऐसे पट्टों का इन दो राष्ट्रीय एयरलाइनों के वित्तीय और संचालन पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें दोनों एयरलाइनों द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों, और उनके वित्तीय एवं प्रचालनात्मक प्रभाव के ब्यौरे दिखाए गए हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	विमान की किस्त (लीज पर लिए गए/लीज पर लिए जाने वाले)	लीज पर विमान के सप्लाईकर्ता का नाम	विमान की संख्या (लीज पर लिए गए/लीज पर लिए जाने वाले	प्रति विमान लीज की दर	विदेशी मुद्रा का अंश	पट्टे की अवधि	प्रचालन स्वरूप
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) इंडियन एलरलाइंस							
1.	एयरबस ए-300 बी० 2	मैसर्स एयरबस इण्डस्ट्री, फ्रांस	2-लीज पर (दुर्घटना में एक नष्ट)	250,000 अमरीकी डालर प्रति महीने	250,000 अमरीकी डालर प्रति विमान प्रति महीने	जुलाई 1986 से 35 महीनों की अवधि के लिए पट्टे पर 1 जून, 1989 से आगे एक और वर्ष के लिए पट्टे की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है।	आवश्यकता के आधार पर इसे इण्डियन एयर-लाइन्स के नेट-वर्क पर परि-चालन के लिए लगाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बोइंग-737	—वही—	5 लीज पर 1-लीज पर लेने का प्रस्ताव है।	185,000 अमरीकी डालर प्रति महीने	185,000 अमरीकी डालर प्रति विमान प्रति महीने	मई, 1986 में पट्टे पर लिए गए एक और दिसम्बर, 1986 में पट्टे पर लिए गए 1 विमान 31-3-90 तक इण्डियन एयर-लाइंस के पास रहेंगे। नवम्बर, 1988 में पट्टे पर लिए गए अगले तीन विमान 31-3-1990 तक रहेंगे। 31-3-1990 तक के लिए एक और विमान अप्रैल, 1989 में डिलीवर होने की आशा है।	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बी०ए०ई०-146-100	मैसर्स ड्रुक एयर भूटान	1-लीज पर	एच०एस० 35,000 प्रति उड़ान घण्टा (सभी सम्मिलित)	रुपए में भुगतान	5-1-1989 से जून, 1989 तक	दिल्ली-बंगलूर-दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में दो और दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में तीन सेवाओं को परिचालन।
4.	टी०यू०-154	मैसर्स ऐरिना	1-लीज पर	9% की अन्तर-लाइन कमीशन के समायोजन के बाद इण्डियन एयरलाइंस सप्लाईकर्ता से 7% राजस्व प्राप्त करेगा।	विदेशी मुद्रा का खर्च शामिल नहीं है। इंडियन एयरलाइंस विदेशी मुद्रा में कमीशन प्राप्त करेगा।	5-1-1989 से जून, 1989 तक	दिल्ली-काबूल-दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में दो सेवाओं का परिचालन।
5.	आई०एल०-62	मैसर्स एरोफ्लोट यू०एस०एस०आर०	1-लीज पर लिए जा ने का प्रस्ताव है।	70.000 रु० प्रति उड़ान घंटा की बेट लीज पर (सभी सम्मिलित)	रु० में भुगतान	एक वर्ष की पट्टे की अवधि के लिए विमान प्राप्त किया जाना है।	यरोफ्लोट के साथ परामर्श करके वे मार्ग अभी निर्धारित किए जाने हैं जिन पर इन्हें लगाया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	टी०यू०-154	मैसर्स एरोफ्लोट यू०एस०एस०आर०	1-लीज पर लिए जाने का प्रस्ताव है।	80.000 रुपए प्रति उड़ान घंटा की वेट लीज पर (सभी सम्मिलित)	रुपए में भुगतान	—वही—	—वहीं—
			जोड़ : 9-लीज पर (दुर्घटना में नष्ट हुए एक एयरबस सहित) 2-लीज पर लिए जाने का प्रस्ताव है।				
ख-एयर इंडिया							
1.	बोइंग-747-2 200 (माल वाहक)	मैसर्स एयरग्रीन इण्टरनेशनल एयरलाइन्स यू० एस० ए०	1	5444 अमरीकी डालर प्रति घंटा	5444 अमरीकी डालर प्रति घंटा	नवम्बर, 1988 से 2 वर्षों की अवधि के लिए	भारत/अमरीका मार्ग पर प्रचालन कर रहा है।
2.	आई० एल०—62 एन०	मैसर्स ऐरोफ्लोट यू०एस०एस०आर०	1	3000 रुबल प्रति घंटा	रुपए में भुगतान	नवम्बर, 1987 से एक वर्ष के लिए और नवम्बर, 1988 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया।	भारत/सोवियत मार्ग पर प्रचालन करता है।
3.	आई० एल०-76 (कार्गो)	मैसर्स ऐरोफ्लोट यू०एस०एस०आर०	1	परिचालित मार्ग पर निर्भर करते हुए 2.94 लाख रुपये से 3.60 लाख रु० प्रति उड़ान	रुपये में भुगतान	जून, 1988 से 11 महीनों के लिए, परस्पर सहमत आधारवाही पर एक वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है।	भारत/यूरिख और सैक्टर पर मालसेवा के रूप में प्रचालन करता है।

कुप्पुस्वामी

उटकमंट के लिए हैलीकाप्टर सेवा

5419. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर से उटकमंड (ऊटी) तक हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पवनहंस लिमिटेड के पास इस समय उपलब्ध डाफिन और वैस्टलैंड हेलीकाप्टरों के विमान बेड़े के साथ ऊटकमंड (ऊटी) के लिए हेलीकाप्टर सेवा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाई गई है ।

तमिलनाडु में पर्यटक स्थलों का विकास

5420. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पर्यटक महत्व के विभिन्न स्थानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने तमिलनाडु में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इनमें पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, विदेशी तथा स्वदेशी मार्किटों में प्रचार एवं संवर्धन, आदि शामिल हैं ।

नियोग्य व्यक्तियों को पेंशन

5421. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्य नियोग्य व्यक्तियों को पेंशन दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन राज्यों में इन्हें किस दर से पेंशन दी जा रही है ;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्राजय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास में नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल

5422. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में बने नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई टर्मिनल ने इस बीच कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो नये टर्मिनल की क्षमता क्या है और घरेलू टर्मिनल समेत इसकी कुल क्षमता क्या है ;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) टर्मिनल के मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मद्रास हवाई अड्डे पर नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है । तथापि, नए टर्मिगल को परिचालनों के लिए अभी चालू किया जाना है ।

(ख) नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल में प्रति वर्ष 10 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता होगी । नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल और अन्तर्देशीय टर्मिनल दोनों की संयुक्त क्षमता प्रति वर्ष 22 लाख यात्रियों को हैंडल करने की होगी ।

(ग) नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल को पूरा होने की अनुमानित लागत 17.49 करोड़ रुपए है ।

(घ) नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल डेढ़ लेवल टर्मिनल का होगा जिसमें लगभग 15,700 वर्ग-मीटर का स्थान होगा और जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी जिनमें हवाई पुल, सामान वाहक, एस्केलटर और सी०सी०टी०वी० इत्यादि भी होंगे ।

हैदराबाद विमानपत्तन से विमान उड़ानों में वृद्धि

5423. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद विमानपत्तन को भारत के अन्य विमान पत्तनों से जोड़ने के लिए यहां से विमानों की उड़ानों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) हैदराबाद के लिए और वहां से इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करना तभी सम्भव होगा जब पर्याप्त विमान क्षमता उपलब्ध हो और यातायात की पर्याप्त सम्भावना हो।

एयर इंडिया द्वारा नई विमान सेवा शुरू करना

5424. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की सातवीं योजना की शेष अवधि में बीजिंग सहित किसी भी देश की राजधानी को दिल्ली के साथ सीधी विमान सेवा से जोड़ने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन विमान सेवाओं का शुरू करने हेतु क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एयर इंडिया की बगदाद (ईराक) के लिए सेवाएं पुनः आरम्भ करने की योजना है। सातवीं योजना की शेष अवधि में, किसी भी अतिरिक्त परिचालन की योजना नहीं है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक सेवा के लिए भर्ती नियमों में संशोधन

5425. **श्री राम समुझावन :** क्या रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक सेवा के लिए भर्ती नियमों के बारे में दिनांक 27 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न सं० 760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नियमों में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और किए गए संशोधनों का ब्योरा क्या है तथा इन्हें कब से लागू किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : रक्षा मंत्रालय ने 1987 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव, विद्यमान सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1970 का संशोधन करने के लिए नहीं था बल्कि इसे नियमों के नए सेट द्वारा प्रतिस्थापित करना था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरम्भ में रक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया कि वे केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन की प्रतीक्षा करें। इसके पश्चात् अपने पत्र में उन्होंने सलाह दी कि रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से अलग करने पर विचार करें। चूंकि सशस्त्र सेना मुख्यालय

आशुलिपिक सेवा बिल्कुल केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की ही तरह है इसलिए सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से अलग करना उचित नहीं समझा गया। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का पुनर्गठन कब तक होगा।

शिशु सदन खोलने के बारे में वसंत विहार कल्याण एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन

5426. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को वसंत विहार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कम्प्लेक्स क्षेत्र नई दिल्ली के क्षेत्रीय कल्याण एसोसिएशनों के उस क्षेत्र में शिशु सदन खोलने के बारे में वर्ष 1987 और 1988 के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। आवासीय कल्याण एसोसिएशन, सरकारी आवास कम्प्लेक्स वसंत विहार, नई दिल्ली से 1988 में केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। संबंधित एसोसिएशन को इस विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। अत: कोई भी कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई थी।

अगात्ती हवाई पट्टी के निर्माण में अनियमितताएं

5427. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

चौधरी खुर्शीद अहमद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में अगात्ती हवाई-पट्टी के निर्माण का ठेका प्रदान करने के मामले में अनियमितताएं हुई हैं जिसके फलस्वरूप व्यय में भारी बढ़ोत्तरी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन जोकि भारत सरकार का एक उपक्रम है, के माध्यम से 6.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में, 6.61 करोड़ रुपए की समग्र लागत पर यह परियोजना निष्पादित की गई थी।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आनन्दराम समिति

5428. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद गठित आनन्द राम समिति/आयोग की शर्तें क्या हैं और इसका गठन कब किया गया था ;

(ख) क्या इन शर्तों के बाद में संशोधन किया गया था, यदि हां, तो इनमें क्या संशोधन किए गए ;

(ग) इसे अपने निष्कर्षों को कब तक प्रस्तुत करने को कहा गया था और इसकी कार्यावधि को कितनी बार बढ़ाया गया :

(घ) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और

(ङ) इसने किन विशिष्ट मुद्दे की जांच की है और इसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से संबंधित मामले और इससे संबंधित अन्य अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए सरकार ने 15-11-1984 को श्री एस० आनन्दराम की अध्यक्षता में एक विशेष दल गठित गया था।

(ख) विशेष जांच दल को दिया गया कार्य पूरे कार्यकाल के दौरान वही रहा।

(ग) विशेष जांच दल द्वारा जांच पड़ताल करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। विशेष जांच दल का प्रारम्भ में 28-2-1985 तक किया गया था। बाद में इसका कार्यकाल 6 बार बढ़ाया गया। दल का वर्तमान कार्यकाल 31-5-1989 को समाप्त होना है।

(घ) इस पर 31-3-1989 तक 153 लाख रुपए व्यय किया गया है।

(ङ) दल ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री की हत्या से संबंधित मामले की जांच की और इस बड़े षडयंत्र की और जांच भी पूरी कर ली है।

अखिल बोडो छात्र संघ की गतिविधियों में सेना अधिकारियों का शामिल पाया जाना

[हिन्दी]

5429. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के कुछ जवानों और अधिकारियों को असम में अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन की हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों के कारण कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या ये व्यक्ति लम्बी छुट्टी पर थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या लम्बी छुट्टी पर गए और अनेक जवान इस आन्दोलन से प्रभावित क्षेत्र में ठहरे हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का उनकी छुट्टियां रद्द करके उन्हें शीघ्र वापस बुलाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) तीन जवान, जो वार्षिक अवकाश पर थे, सिविल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। सैन्य आसूचना द्वारा उनसे की गई पूछ-ताछ से अब तक पता चला है कि ये जवान बोड़ो आन्दोलनों में शामिल नहीं थे। लम्बी छुट्टी पर गए थल सेना के उन जवानों को वापिस बुलाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं जो प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हों।

श्रीलंका में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

[अनुवाद]

5430. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में तैनात भारतीय सुरक्षा सेनाओं के किन्हीं अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को तस्करी के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है अथवा तस्करी करने में वे शामिल पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) उन्होंने तस्करी के लिए कौन-सा तरीका अपनाया है तथा तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) कितने मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है तथा यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) श्रीलंका में तैनात किए गए थल सेना और वायु सेना के 21 अफसरों को इलैक्ट्रॉनिक के कतिपय सामान की तस्करी में शामिल पाया गया। सभी मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और उनमें से 15 को दण्ड दिया गया है। बाकी मामलों को विभिन्न चरणों में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्रीलंका में तैनात सभी कार्मिकों को अनुदेश दिए गए हैं कि कर-योग्य मदों को देश में लाते समय वे उनकी घोषणा कर दें। सैन्य पुलिस को ताम्बरम हवाई अड्डे और मद्रास पत्तन में तैनात किया गया है ताकि श्रीलंका से वापिस आने वाले सभी सेना कार्मिकों की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच करके उन्हें आने की अनुमति दी जा सके। भारतीय शांति सेना के कार्मिकों की श्रीलंका में आरोहण केन्द्रों (इम्बारकेशन स्टेशन) में भी जांच की जाती है।

सामरिक लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए फ्रांस से प्रौद्योगिकी

5431. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस ने भारत को सामारिक लड़ाकू विमानों के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 1989 के अन्तिम सप्ताह में फ्रांस के एक दल ने इस संबंध में बातचीत के लिए भारत की यात्रा की थी ;

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या इस पर कोई अन्तिम समझौता हुआ है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं। फ्रांस ने भारत द्वारा हल्के लड़ाकू विमान के विकास के लिए अपनी प्रौद्योगिकियां देने की पेशकश की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) कोई समझौता नहीं हुआ है। (घ)

बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

5432. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग अथवा योजना आयोग ने "बेरोजगारी", "अल्प-रोजगारी" और "अति अल्परोजगारी" की कोई परिभाषा निर्धारित की है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1985, 1986, 1987 और 1988 को बेरोजगार श्रमिकों (पुरुष तथा महिला) की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) इसी अवधि में विभिन्न आयु वर्ग के कितने प्रतिशत श्रमिकों को लाभप्रद रोजगार दिलाया गया और इस अवधि के दौरान उनमें से कितने बेरोजगार, अर्ध-बेरोजगार और पूर्णतः बेरोजगार श्रेणियों में शामिल थे ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा "रोजगार तथा बेरोजगारी" पर पंचवार्षिक सर्वेक्षणों की वर्तमान अंकमाला में, रोजगार प्राप्त, "बेरोजगार" तथा "अल्परोजगार" प्राप्त व्यक्तियों के लिए अपनाई गई परिभाषायें

संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं। तथापि, "अति अल्परोजगार" के लिए कोई परिभाषा नहीं बनाई गई है :

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 1985 तथा 1989 वर्षों के लिए "रोजगार तथा बेरोजगारी" पर कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया। जुलाई, 1987 से जून, 1988 अवधि के दौरान आयोजित किए गए सर्वेक्षण से एकत्र किए गए आंकड़ों का अभी तक संसाधन नहीं किया गया है। तथापि, 1983 के दौरान आयोजित किए गए सर्वेक्षण से अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित, मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-2 से 4 में दी गई है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1985 से सम्बन्धित संगत सूचना, जैसाकि योजना आयोग के सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिया गया है, संलग्न विवरण-5 तथा 6 में पुनः प्रस्तुत की गई है।

विवरण-1

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के "रोजगार और बेरोजगारी" सम्बन्धी सर्वेक्षण की चालू पंचवर्षीय अंकमाला में "रोजगार प्राप्त", "बेरोजगार" और "अल्प-रोजगार" प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनाई गई परिभाषाएं

रोजगार प्राप्त और बेरोजगार : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित "रोजगार और बेरोजगारी" सम्बन्धी सर्वेक्षण में उस व्यक्ति को "रोजगार प्राप्त" व्यक्ति के रूप रूप में वर्गीकृत किया गया है जो किसी लाभप्रद कार्य में लगा हुआ है/लगी हुई है; "बेरोजगार" व्यक्ति उसे माना गया है जो किसी लाभप्रद कार्यकलाप में नहीं लगा हुआ है/लगी हुई है परन्तु काम खोज रहा है/खोज रही है अथवा काम के लिए उपलब्ध है, तथा "श्रमिक बल से बाहर" उसे माना गया है जो पहली दो श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं।

व्यक्ति का उपयुक्त स्तर, जांच की अवधि से पूर्व, अधिक से अधिक एक वर्ष तथा कम से कम एक सप्ताह की दो वैकल्पिक अवधियों के सन्दर्भ में निश्चित किया जाता है। एक वर्ष की सन्दर्भ अवधि से सम्बद्ध कार्यकलाप स्तर को "सामान्य स्तर" के रूप में पारिभाषित किया गया है, जबकि एक सप्ताह की संदर्भ अवधि से सम्बद्ध कार्यकलाप को "चालू साप्ताहिक स्तर" के रूप में जाना जाता है।

सामान्य स्तर : इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत किसी व्यक्ति का उपयुक्त स्तर तीन निम्नलिखित मुख्य, श्रेणियों में से एक है यथा : "रोजगार प्राप्त", "बेरोजगार" तथा "श्रमिक बल से बाहर", जिसकी सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व 365 दिन की अवधि के मुख्य भाग के लिए गणना की गई है।

चालू साप्ताहिक स्तर : इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत उस व्यक्ति को काम पर लगा हुआ माना जाता है जो सर्वेक्षण की अवधि से पूर्व 7 दिनों के दौरान एक दिन में कम से कम एक घण्टे के लिए किसी लाभप्रद कार्य में लगा हुआ हो/लगी हुई हो। यदि कोई पुरुष/महिला 7 दिनों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान लाभप्रद कार्य करता है/करती है परन्तु उसने किसी भी दिन कम से कक एक घण्टे के लिए कार्य खोजा अथवा वह कार्य के लिए उपलब्ध रहा/रही तो उसे बेरोजगार समझा गया है। यदि किसी व्यक्ति को सन्दर्भावधि के दौरान किसी भी दिन एक घण्टे के लिए न तो लाभप्रद कार्य प्राप्त हुआ था और न ही उसने कार्य खोजा, और न ही वह कार्य के लिए उपलब्ध रहा, तो ऐसे व्यक्ति को 'श्रमिक बल से बाहर' समझा गया है।

बेरोजगार : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के "रोजगार" तथा "बेरोजगारी" पर सर्वेक्षणों के परिणामों से बेरोजगारी की दो दरें प्राप्त की जा सकती हैं, एक सामान्य स्तर के अनुसार काम पर लगे व्यक्तियों से सम्बन्धित है तथा दूसरी चालू साप्ताहिक स्तर के अनुसार काम पर लगे व्यक्तियों से सम्बन्धित है जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है :

सामान्य तौर पर काम पर लगे व्यक्तियों का अल्प रोजगार : सामान्य स्तर में काम पर लगे हुए, व्यक्तियों के अतिरिक्त कार्य की उपलब्धता पर पूछे गए सीधे प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर के आधार पर, उनमें से अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का अनुमान संकलित किया जाता है।

चालू साप्ताहिक स्तर के अनुसार काम पर लगे व्यक्तियों का अल्परोजगार : सभी व्यक्ति, जो चालू साप्ताहिक स्तर के अनुसार काम पर लगे हुए हैं, सन्दर्भ सप्ताह के सभी सातों दिन "काम पर लगे हुए न हों"। दिवसों की संख्या के आधार पर, जो व्यक्ति सन्दर्भ विधि के दौरान "बेरोजगार" हैं, उनमें से अल्परोजगार का अनुमान भी संकलित किया जाता है।

विवरण-2

1 जुलाई, 1983 को स्थिति के अनुसार आयु वर्ग तथा लिंग के अनुसार रोजगार तथा बेरोजगार व्यक्तियों के ब्यौरों सहित श्रमिक बल (सामान्य स्तर) में व्यक्तियों (5 वर्ष तथा इससे अधिक) की अनुमानित संख्या समस्के भारत

आयु वर्ग (वर्षों में)	पुरुष				महिला			
	व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (100 में)			श्रमिक बल के संबंध में काम पर लगे व्यक्तियों की प्रतिशतता	महिलाओं की अनुमानित संख्या (100 में)			श्रमिक बल के संबंध में काम पर लगी हुई महिलाओं की प्रतिशतता
	श्रमिक बल	बेरोजगार	काम पर लगे हुए		श्रमिक बल	बेरोजगार	काम पर लगी हुई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रामीण								
5—9	807	4	803	99.50	668	7	661	98.95
10—14	8309	246	8063	97.04	5546	68	5478	9..77
15—29	56315	2629	53689	95.34	25228	706	24522	97.20
30—44	44755	231	44522	99.48	20635	112	20523	99.46
45—59	28692	66	28626	99.77	12071	44	11027	99.64
60 तथा इससे अधिक	11890	28	11862	99.76	2837	18	2819	99.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 तथा इससे अधिक	150768	3201	147567	97.88	66985	955	66030	99.59
15 तथा इससे अधिक	141652	2951	138701	97.92	60771	880	59891	98.55
				शहरी				
5— 9	64	3	61	95.31	51	—	51	100.00
10—14	1211	133	1078	89.02	554	14	540	97.47
15—29	19862	2432	17430	87.76	4082	634	3448	84.47
30—44	16603	229	16374	98.62	3344	69	3275	97.94
45—59	9005	63	8942	99.30	1936	13	1923	99.33
60 तथा इससे अधिक	2342	15	2327	99.36	597	1	596	99.83
5 तथा इससे अधिक	49087	2875	46212	94.14	10564	731	9833	93.10
15 तथा इससे अधिक	47812	2739	45073	94.27	9959	717	9242	92.80

टिप्पणी : ये अनुमान रा० पा० सर्व० 38वें दौर (1983) के रोजगार तथा बेरोजगार सम्बन्धी सर्वेक्षण के परिणामों तथा जनसंख्या प्रक्षेपण पर महापंजीयक के कार्यालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रक्षेपित जनसंख्या पर आधारित हैं।

विवरण-3

1 जुलाई, 1983 की स्थिति के अनुसार आयु वर्ग तथा लिंग के अनुसार रोजगार व्यक्तियों के ब्यौरों सहित श्रमिक बल (चालू साप्ताहिक स्तर) में व्यक्तियों (5 वर्ष तथा इससे अधिक) की अनुमानित संख्या—समस्त भारत

आयु वर्ग (वर्षों में)	पुरुष: व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (000 में)				महिला: महिलाओं की अनुमानित संख्या (000 में)			
	श्रमिक बल	बेरोजगार	काम पर लगे हुए	श्रमिक बल के संबंध में काम पर लगे व्यक्तियों की प्रतिशतता	श्रमिक बल	बेरोजगार	कम पर लगी हुई	श्रमिक बल के संबंध में काम पर लगी हुई महिलाओं की प्रतिशतत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ग्रामीण				
5-9	860	8	852	99.07	679	7	672	98.97
10-14	8468	318	8150	96.24	5413	132	5281	98.56
15-29	55784	3440	52444	94.01	23056	1385	21671	93.99
30-44	43925	1053	33872	97.60	19885	709	19176	96.43
45-59	27861	564	27297	97.98	11389	264	11025	96.80
60 तथा अधिक	11388	220	11168	98.07	2656	93	2563	96.50
5 तथा इससे अधिक	148286	5502	142783	96.29	63078	2690	60388	95.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				शहरी				
5-9	64	2	62	96.88	62	4	58	93.55
10.14	1367	131	1136	89.66	563	20	543	96.45
15-29	19865	2574	17291	87.04	3969	587	3382	85.21
30-44	16452	354	16098	97.85	3356	106	3250	96.84
45-59	8888	159	8729	98.21	1902	56	1846	97.06
60 तथा इससे अधिक	2287	47	2240	97.94	573	5	568	99.13
5 तथा अधिक	48823	3267	45556	93.31	10425	778	9647	92.54

टिप्पणी : ये अनुमान रा०प्र० सर्वे 38वें दौर (1983) के रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण के परिणामों तथा जनसंख्या प्रक्षेपण पर महापंजीयक के कार्यालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रक्षेपित जनसंख्या पर आधारित हैं।

विवरण-4

1 जुलाई, 1983 की स्थिति के अनुसार अल्परोजगार प्राप्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या—समस्त भारत

1000 में)

आयु वर्ग	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
(क) सामान्य स्तर में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के श्रमिकों का आयु वर्ग और लिंग के अनुसार ब्यौरा				
15—24	9280	3379	2204	443
25—29	4969	1788	1239	213
30—59	13317	5672	2272	661
60 और इससे अधिक	1006	301	144	42
15 और इससे अधिक	28572	11140	5859	1359
(ख) चालू साप्ताहिक स्तर में 5 वर्ष और इससे अधिक आयु के कामगार				
5 और इससे अधिक	13531	5907	3476	826

टिप्पणी : 1. अल्परोजगार की परिभाषा प्रश्न के भाग (क) के अनुबन्ध 1 में दी गई है।

2. चालू साप्ताहिक स्तर के अनुसार अल्परोजगार प्राप्त व्यक्तियों के आयु-वर्ग के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

3. अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 38 वां दौर (1983) के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के परिणामों और महापंजीयक के कार्यालय की जनसंख्या प्रक्षेपण संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रक्षेपित जनसंख्या पर आधारित हैं।

विवरण-5

श्रमिक बल (सामान्य स्तर) के मार्च, 1985 के अनुमान—समस्त भारत

(मिलियन में)

श्रेणी	आयु-वर्ग		
	5+	15+	15-59
1	2	3	4
ग्रामीण और शहरी (दोनों लिंगों) का संयुक्त क्षेत्र	305.40	287.82	269.91

टिप्पणी : श्रमिक बल की सहभागिता दरों पर आधारित रा० प्र० सर्वेक्षण का 32 वां दौर (1977-78)

स्त्रोत : सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90, खंड II, पृष्ठ 13

विवरण-6

बेरोजगारी (सामान्य स्तर) के मार्च, 1985 के अनुमान

(मिलियन में)

श्रेणी	रा० प्र० सर्वे० के आधार पर					
	32वां दौर (1977-78)			38वां दौर (1983)×		
	आयु वर्ग (वर्ष में)					
	5+	15+	15-19	5+	15+	15-59
1	2	3	4	5	6	7
ग्रामीण पुरुष	3.74	3.56	3.52	3.76	3.54	3.49
ग्रामीण महिलाएं	4.06	3.77	3.71	1.21	1.13	1.10
शहरी पुरुष	3.65	3.55	3.52	3.25	3.14	3.10
शहरी महिलाएं	2.44	2.36	2.35	0.98	0.96	0.96
योग	13.89	13.25	13.10	9.20	8.77	8.67

*रा० प्र० सर्वे० 38वें दौर के प्रथम दो उपदौरों पर आधारित है।

स्त्रोत : सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90, खंड II, पृष्ठ 113

विमानों के निर्माण में सहयोग

5433. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय विमान निर्माता कम्पनियों से स्वदेशी और विदेशी विमान कम्पनियों के प्रयोग के लिए विमानों के निर्माण हेतु सहयोग देने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार इन प्रस्तावों को स्वीकार करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान निर्माता कम्पनियों के सहयोग से स्वदेशी और विदेशी विमान कम्पनियों के प्रयोग के लिए विमानों के निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

महिलाओं के लिए रोजगार में आरक्षण

[हिन्दी]

5434. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में महिलाओं के लिए रोजगार में आरक्षण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत आरक्षण करने का विचार है ; और

(ग) इसके बाद महिलाओं सहित सभी श्रेणियों को कुल आरक्षण कितने प्रतिशत हो जायेगा ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार में महिलाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

गहरे समुद्र तल के पत्तन का पर्यावरणीय संतुलन पर प्रभाव

[अनुवाद]

5435. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

श्री शांतिलाल पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र तल में खनन कार्य किए जाने के कारण समुद्र की परिस्थिति की स्थिति के नष्ट होने तथा समुद्रों के पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में पश्चिम जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । गहरे समुद्री संस्तर में खनन कार्य पर्यावरण सम्बन्धी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।

(ख) और (ग) सरकार ने गहरे समुद्री संस्तर में खनन के स्थिलिज प्रभावों के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त विचारों को नोट कर लिया है। खनन कार्यों के कारण समुद्री पर्यावरण में दीर्घकालिक तथा बड़े पैमाने पर परिवर्तनों का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है।

"न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

5436. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अंतर्गत केरल को चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) यह धनराशि किन-किन योजनाओं के लिए आवंटित की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने योजनाओं को पूर्ण रूप में लागू किया है ;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवराव सोलंकी) : (क) वर्ष 1988-89 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत केरल को 7817.39 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई।

(ख) जिन स्कीमों के लिए धनराशि दी गई, उनके नाम हैं—बुनियादी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण आवास, शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार ग्रामीण सड़कें, उन्नत चूल्हा, ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण स्कीम, पोषाहार और लोक वितरण प्रणाली।

(ग) वर्ष अभी समाप्त ही हुआ है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन चलाई गई विभिन्न स्कीमों का कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिल्ली द्वारा निपटाए गए मामले

5437. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिल्ली द्वारा वर्ष 1987 और 1988 में पृथक-पृथक कितने मामले निपटाये गये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : दिल्ली स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने विविध

याचिकाओं के अलावा वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान क्रमशः 1510 तथा 1183 मामले निपटाए हैं।

पूंजी बाजार संबंधी कार्यदल

5438. **श्री जी० एस० बासवराजु :**

श्री शान्तिलाल पटेल :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी बाजार संबंधी कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार ने मंजूर की हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पूंजी बाजार के विकास संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट में प्रमुख रूप से निवेशक मार्गदर्शन तथा संरक्षण, वित्तीय मध्यस्थों तथा उपस्करों की भूमिका के मुद्दों तथा पूंजी बाजार, उद्यमी पूंजी वित्त पोषण के व्यापक आधार के रूप में वित्तीय नीति तथा पूंजी बाजार में ब्याज दर संरचना की चर्चा की गई है। सिफारिशों की जांच की जा रही है।

सोवियत विमानों का चलाना

5439. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान-चालकों ने सोवियत संघ से पट्टे पर लिए जाने वाले विमानों का सोवियत संघ के विमान चालकों द्वारा चलाए जाने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयर लाइंस द्वारा सोवियत संघ से पट्टे पर लिए गए विमान का परिचालन सोवियत कर्मीदल द्वारा किया जाएगा। इंडियन एयर लाइंस के विमान-चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन वाणिज्यिक विमान-चालक संघ ने विदेशी विमान-चालकों द्वारा सोवियत विमानों को इंडियन एयर लाइंस के मार्गों पर परिचालन के लिए सम्मिलत किये जाने का विरोध इस कारण से किया कि विदेशी विमान चालकों के साथ सोवियत विमानों को सम्मिलित कर दिए जाने से उनका कार्यभार कम हो जायेगा और इससे देश की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। तथापि, सोवियत कर्मीदल एयर इंडिया द्वारा मैसर्स एरोफलोट से वेट लीज पर लिए गए विमान का परिचालन पहले से ही कर रहा है। अतः इंडियन एयर-लाइंस द्वारा लीज पर लिए गए विमान में सोवियत पायलेट का उपयोग किए जाने में कोई नयी बात नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर हुई नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायत

5440. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर की गई नियुक्तियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियां सार्वजनिक उद्यम बोर्ड द्वारा नहीं की जाती हैं क्योंकि यह निकाय केवल सिफारिश करता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

आटो बंब-चेक फोर प्लेन्स

5441. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1989 के "दक्कण हेरल्ड" में "आटो बंब चेक फोर प्लेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि विमान के अंदर विस्फोटकों का स्वतः निरीक्षण करने की एक प्रणाली विकसित की गई है ताकि विमानपत्तन पर सुरक्षा व्यवस्था में कमी होने पर विमान विस्फोटकों सहित उड़ान नहीं भर सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अपने विमानों में इसके प्रयोग की संभावना का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) आगे और ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में सेना तैयार करना

5442. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटाने के लिए सेना में तैनात करने के बारे में 27 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना को कितनी बार तैनात किया गया और इनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसी तैनाती की अवधि के कुल दिनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना को गोली भी चलानी पड़ी और यदि हां, तो मारे गए व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इन तैनातियों के दौरान सेना का कोई जवान मारा गया था अथवा घायल हुआ था और यदि हां, तो उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ)

विवरण

क्र० सं०	राज्य	राज्यों को वर्षवार जितनी बार सैनिक सहायता दी गई 1985	1986	1987	1988	दिनों की कुल संख्या	कितनी बार गोली चलाई गई	सेना द्वारा की गई गोली-बारी में मारे गए लोगों की संख्या	सशस्त्र सेना के मारे गए कार्मिकों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. जम्मू व कश्मीर	2	1	—	5	22	2	—	—	
	2. पंजाब	1	9	4	1	580	—	—	—	
	3. हरियाणा	—	1	5	—	7	—	—	—	
	4. उत्तर प्रदेश	—	2	4	2	38	2	1	1	
	5. गुजरात	3	1	1	1	235	32	28	—	
	6. पश्चिमी बंगाल	—	1	4	1	21	—	—	—	
	7. मेघालय	—	—	4	—	18	—	—	—	
	8. त्रिपुरा	1	1	1	—	10	—	—	—	
	9. दिल्ली	1	2	7	1	39	—	—	—	
	10. अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	1	—	—	—	
	11. अण्डमान व निकोबार	—	1	—	—	1	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	नागालैंड	—	2	1	1	34	—	—	—	
13.	असम	—	1	1	1	8	—	—	—	
14.	आंध्र प्रदेश	1	1	1	2	5	—	—	—	
15.	गोवा	—	1	—	—	3	—	—	—	
16.	तमिलनाडु	—	—	3	—	17	—	—	—	
17.	मध्य प्रदेश	—	—	—	1	5	—	—	—	
18.	मिजोरम	—	—	1	—	20	—	—	—	
19.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	—	5	—	—	—	
20.	बिहार	—	—	1	—	2	—	—	—	
	जोड़ :	10	24	39	16	1071	36	29	1	

ट्रैवल एजेंटों को कमीशन

5443. डा० दिग्विजय सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत में यात्रा करने वाले विदेशियों को किराया विदेशी मुद्रा में देना होता है ;

(ख) क्या ऐसे विदेशियों की बुकिंग करने वाले ट्रैवल एजेंटों और टूर आपरेटरों को इन सेवाओं के लिए कमीशन प्राप्त होता है ;

(ग) क्या यह कमीशन उन्हें विदेशी मुद्रा में दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विदेशों में डालर में टिकट बेचने वाले यात्री एजेंटों को उनका कमीशन विदेशी मुद्रा में दिया जाता है। यात्री एजेंटों के पास आर०बी०आई० द्वारा जारी किया गया चेंजर्स लाइसेंस होता है जिससे वे विदेशी नागरिकों से विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन विदेशी मुद्रा के परिवर्तन के बाद उन्हें उनका कमीशन केवल भारतीय रुपए में प्राप्त होता है। ये एजेंट अपना कमीशन अपने पास रखते हैं और विमान कम्पनी को शेष का भुगतान रुपयों में किया जाता है और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा उनके क्रेडिट में जमा होता है। देश के भीतर अन्य एजेंट चाहे वे टिकटों को डालर में बेचते हों या नकदी में टिकटों को बेचते हों, भारतीय रुपए में कमीशन के हकदार होते हैं।

पान के पत्तों की ढुलाई के लिए बुकिंग करना

5444. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से देश के अन्य शहरों का पान के पत्तों की विमान द्वारा ढुलाई के लिए बुकिंग में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता से उत्तर पूर्व क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य शहर को पान के पत्तों की बुकिंग के लिए इंडियन एयरलाइन्स से किसी भी पार्टी ने सम्पर्क नहीं किया है। वायुदूत ने पान के पत्तों के वहन के लिए अलग से कोई कार्गो क्षमता निर्दिष्ट नहीं की है। पान के पत्तों की खेप को वायुदूत की उड़ानों में साथ ले जाए गए सामान के रूप में स्वीकार किया गया है। पान के पत्तों के वहन के लिए अनुरोध किये जाने पर बुकिंग के आधार पर, चार्टर का भी परिचालन किया जाता है।

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के लिए कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण

5445. श्री गोपाल के० टन्डेल : क्या प्रधान मंत्री दमन और दीव के लिए कर्मचारियों की भर्ती के बारे में 2 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के लिए कर्मचारियों की संख्या का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है जिसके लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के लिए कर्मचारियों की संख्या के बारे में अन्तिम रूप से निर्धारण करने के बारे में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कर्मचारियों के अन्तिम आबंटन को निर्धारित करने तथा अन्य संबंधित विषयों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 60 के अधीन एक राज्य सलाहकार समिति की स्थापना की गई है। गोवा सरकार से राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाने तथा प्रभावित कर्मचारियों से प्राप्त वरीयताओं सहित सभी संगत विवरणों को उसके समक्ष रखने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों से वरीयताएं आमंत्रित कर ली हैं और जल्द ही सलाहकार समिति की एक बैठक बुलवाएगी। उसकी सिफारिशें प्राप्त होने पर, अन्तिम आबंटन के आदेश जारी किए जाएंगे।

आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि

5446. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समस्या को समाप्त करने के लिए कौन-सा प्रभावी तंत्र बनाया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि के लिए कोई विशिष्ट कारण बताना सम्भव नहीं है। आत्महत्याओं के लिए, अन्य कारणों के अलावा, अनेक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि होती है ।

(ग) आत्महत्या की प्रवृत्ति का, विस्तृत चिकित्सा/मनोविकृति-संबंधी परीक्षणों के माध्यम को छोड़कर, आमतौर पर पता लगाना सम्भव नहीं है। तथापि ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों पर, जिनमें ऐसे कृत्य हो सकते हैं, तब ध्यान दिया जाता है जब ये मामले पुलिस के ध्यान में लाए जाते हैं और प्रत्येक मामले में लागू कानून के सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार निवारणात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है ।

आंध्र प्रदेश विकलांग निगम के प्रस्ताव

5447. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में विकलांग निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1988-89 में आन्ध्र प्रदेश विकलांगता सहकारी निगम ने, 1985-86 से 1988-89 के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत, निगम को 57.59 लाख रुपये देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय ने निगम को 28.50 लाख रुपए दिए हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	दी गई राशि (रुपये लाखों में)	टिप्पणी
1985-86	8.00	
1986-87	—	
1987-88	× 10.00	× 1988-89 के दौरान दी गई।
1988-89	10.50	

2. इसके अतिरिक्त निगम ने आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मानसिक विकलांग बच्चों के लिए श्रीमती मरला रोमामा विशेष संस्थान को अनुदान देने के लिए, फरवरी, 1989 में एक प्रस्ताव भेजा था। 1988-89 में इस अनुदान पर विचार नहीं किया जा सका चूंकि मंत्रालय ने पहले चल रहे मामले के सम्बन्ध में बचनबद्धता को पूरा करना था।

इलैक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का विकास

5448. श्री विजय एन० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रॉनिक्स द्वारा मनोरंजन और सूचना के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) सूचना आदान-प्रदान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए "हाई डेन्सिटी टी० वी० डायरेक्ट ब्राडकास्ट सेकेलाइट" और "लिक्विड क्रिस्टल फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन" का विकास करने में भारत कितना सफल रहा है ;

(ग) क्या पूरे विश्व के टेलीविजन प्रसारणों को पकड़ने वाले एंटीना का विकास करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) देश मे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध करने और रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. रेडियो, टेपरिकार्ड/टु-इन-वन, श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेटों का विनिर्माण देश में ही किया जा रहा है। देश में वी०सी०आर०/वी०सी०पी० का विनिर्माण करने के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

2. इस समय अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में जो प्रवृत्तियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने, भारत मे वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने और अन्तराल वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग की प्रौद्योगिकी विकास योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी पर एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

3. बड़ी संख्या में उपग्रह पोषित कम शक्ति वाले और बहुत ही कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को विकसित करके उन्हें स्थापित कर दिया गया है।

4. कई दूरदर्शन केन्द्रों में श्याम तथा श्वेत उपस्करों को हटाकर आधुनिक रंगीन उपस्कर लगा दिए गए हैं जिसमें वीडियो टेप रिकार्डरों तथा टेली प्राम्पटरों के आधुनिक संस्करण शामिल हैं।

5. दूरदर्शन ने एक केन्द्रीय कार्यक्रम प्रस्तुति केन्द्र स्थापित किया है जिसे उच्च क्वालिटी के कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिल्ली में अद्यतन तकनीकी जानकारी के उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ।

6. प्रौद्योगिकीय प्रवृत्ति तथा दूरदर्शन/आकाशवाणी में उनकी संगतता और अनुप्रयोग का विश्लेषण करने के लिए और साथ ही इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रौद्योगिकी विकास की अल्पकालीन आवश्यकताओं तथा हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की आवश्यकताओं की जांच करने के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सलाह देने के उद्देश्य से एक दूरदर्शन दल का गठन किया गया है ।

(ख) 1. अधिक स्पष्टता वाले दूरदर्शन का इस समय कुछ देशों में विकास किया जा रहा है । है । इसके अतिरिक्त, अधिक स्पष्टता वाले दूरदर्शन को प्रचलित करने में जो पूंजीनिवेश होगा वह बहुत अधिक है और अभी तक उत्पादन का कोई विश्वस्तरीय मानक नहीं निर्धारित किया गया है । अतः भारत में निकट भविष्य में अधिक स्पष्टता वाले दूरदर्शन सम्प्रेषण को लागू करने की कोई योजना नहीं है ।

2. बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष अधिग्राही सामुदायिक दूरदर्शन सेटों (एस-बैंड) का विनिर्माण स्वदेश मे ही कर लिया गया है और देश में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है ।

3. तरल क्रिस्टल प्रदर्श (सपाट पर्दे) के दूरदर्शन सेटों की कीमत विश्व बाजार में अभी भी बहुत अधिक है । अतः ऐसे दूरदर्शन सेट देश में प्रचलित करने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) डिश एन्टीना सहित दूरदर्शन अभिग्रहण मात्र टर्मिनलों का विनिर्माण स्वदेश में ही किया जा रहा है जो उपग्रह से एस और सी-बैंड में संकेत प्राप्त करने के लिए सक्षम है । दूरदर्शन अभिग्रहण मात्र टर्मिनल एस और सी-बैंड में ऐसे सभी उपग्रहों से संकेत प्राप्त करने में सक्षम हैं जिनके पद चिह्न भारत में उपलब्ध हैं ।

बिहार में पर्यटक की संभावनाएं

5449. श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पर्यटन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार का सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि सर्वेक्षण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसे पूरा करने में और कितना समय लगेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च ने सर्वेक्षण किया था और इन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(1) बिहारों की भूमि-बिहार वास्तव मे भारतीय सभ्यता का पोषण केन्द्र है, अहिंसा और सार्वभौम दयालुता का संदेश देने वाले विश्व के दो महान धर्मों का जन्म-स्थल है। बिहार न केवल साम्राज्य शासन-काल का घर था बल्कि विश्व कर प्रथम गणतंत्र शासन भी था ।

(2) बौद्ध परिपथ में उच्च आय और काफी खर्चीले पर्यटक यातायात को आकर्षित करने एवं स्थान देने के लिए अकुशल तथा अपर्याप्त आधार-संरचना है ।

(3) चूंकि संसाधनों पर प्रतिबंध है, इसलिए बौद्ध परिपथ के बिभिन्न केन्द्रों पर रचनात्मक विकास शुरू किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक परिणाम मिल सकें ।

(4) राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने वाले विभिन्न संस्थानों के कार्यकलापों और प्रयासों में समन्वय होना चाहिए ।

(5) पर्यटन विभाग और पर्यटक अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से विपणन करना चाहिए :

(6) तीर्थ यात्रियों/आगुन्तक यात्रियों के लिए स्वच्छ एवं आरामदायक आवास की पेशकश की जानी चाहिए जहां धार्मिक परिवेश भी हो । 5-स्टार लग्जरी से ह्रासमान लाभ मिलने की सम्भावना होती है ।

(7) गया का निरंजन-फालगू नदियों के साथ विकास किया जाना चाहिए । बिहार सरकार को गया बौद्ध-ब्याज मुक्ति स्थाई ऋण-जारी करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि बौद्ध के क्रेताओं के पूर्वजों के प्रति समर्पण प्रदर्शित हो ।

(8) छोटा नागपुर पठार में प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, विशिष्ट जातीय संस्कृति, उष्ण जंगल और आकर्षण जीव-जन्तु तथा वनस्पतियां हैं । इन स्थानों पर अपेक्षित आधार-संरचना का विकास किया जाना है ।

(ग) सरकार ने बिहार में बौद्ध परिपथ पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं । रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को जांच करने और राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए आगे की कार्रवाई करने हेतु भिजवाई भी गई है ।

(घ) (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

5450. श्री कम्मोदीलाल जाटव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और विकसित किए जाने वाले पर्याप्त स्थलों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से चम्बल डिवीजन के काम और शाहीदेव मंदिर को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए 222.11 लाख रु० स्वीकृत किए हैं । यह राशि निम्नलिखित केन्द्रों के लिए स्वीकृत की गई है ।

1. सांची	2. केस्कल
3. खुजराहो	4. बियोरी
5. जगदलपुर	6. ग्वालियर
7. बांधवगढ़	8. शिवपुरी
9. कान्हा	10. कुतुमसर
11. बियोरा	12. दंतवाड़ा
13. क्वार्धा	14. चित्रकूट
15. ईसानगर	16. भोरमदेव
17. करेरा	18. दतिया

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यातायात सहायकों (ट्रैफिक असिस्टेंट्स) के रिक्त पद

[अनुवाद]

5451. प्रो० के० वी० थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के उत्तरी क्षेत्र में यातायात सहायकों के कई पद रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) सरकार का इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

समतेल इंडिया और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के बीच "समझौता ज्ञापन"

5452. श्री शरद दिघे : क्या रक्षा मंत्री भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का समतेल इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम के बारे में 3 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और समतेल इंडिया और अमरीकी कार्निंग ग्लास वर्क्स के बीच हुए "समझौता ज्ञापन" की जांच का काम पूरा हो गया है, जिसके अन्तर्गत इन कंपनियों की भागीदारी से महाराष्ट्र मे तलोजा परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप चलाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ।

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तलोजा परियोजना का गैर सरकारीकरण न किए जाने का अनुरोध किया है जैसाकि वहां के कर्मचारियों की मांग है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, सामतेल इंडिया और अमरीका के कार्निंग ग्लास वर्क्स के बीच प्रस्तावित संयुक्त उद्यम को जारी न रखा जाए ।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने तलोजा यूनिट के कामगारों से एक अभ्यावेदन भेजा था और अनुरोध किया था कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए । भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की तलोजा यूनिट के निजीकरण के लिए, भारत सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

कुष्ठरोगियों का पुनर्वास

5453. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघराज क्षेत्र-वार कितने कुष्ठ रोगी उपचार के बाद पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं ;

(ख) क्या तीर्थ स्थानों में ऐसे व्यक्ति भीख मांग कर अपनी आजीविका चला रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार उपचार के बाद अब कितने कुष्ठ रोगी भीख मांग रहे हैं ;

(घ) उनके समुचित पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) अगस्त, 1988 की स्थितिनुसार, 31,07,644 कुष्टरोग से मुक्त व्यक्तियों में से लगभग 5% को व्यावसायिक पुनर्वास की आवश्यकता है। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इस मन्त्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) कुष्टरोगियों के शारीरिक/चिकित्सा और व्यावसायिक पुनर्वास में मुख्यतः कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अन्तर्ग्रस्त है। अब तक 42,787 व्यक्तियों को चिकित्सा/शारीरिक पुनर्वास और 22,195 व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास प्रदान किया गया है। 1988-89 में कल्याण मंत्रालय ने कुष्ट रोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यरत निम्नलिखित स्वयसेवी संगठनों को अनुदान दिये गये हैं :—

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठन का नाम	अनुदान की राशि (रुपये में)
1.	जर्मन कुष्टरोग राहत संघ पुनर्वास संघ, 4, गजापाथी स्ट्रीट, शिनाय नगर, मद्रास,-60003	47,106/- रु०
2.	संबल पहाड़ियां, सेवा मंडल वैधनाथ, देवघर (बिहार)	2,85,242/- रु०
3.	हिन्द कुष्ट निवारण संघ, पश्चिम बंगिया शाखा, 94, चितरंजन एवेन्यु, कलकत्ता	2,21,189/- रु०
4.	शिवान्दा पुनर्वास गृह, कुकायपाली, हैदराबाद, 872	1,53,000/- रु०

विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा डिस्चार्ज किए गए कुष्ठ रोग मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अगस्त 1988 तक डिस्चार्ज किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	813651
2.	अरुणाचल प्रदेश	628
3.	असम	9762

1	2	3
4.	बिहार	204949
5.	गोवा	1889
6.	गुजरात	77582
7,	हरियाणा	264
8.	हिमाचल प्रदेश	2164
9.	जम्मू और काश्मीर	1344
10.	कर्नाटक	114115
11.	केरल	54137
12.	मध्य प्रदेश	100881
13.	महाराष्ट्र	452272
14.	मणिपुर	3456
15.	मेघालय	1059
16.	मिजोरम	280
17.	नागालैंड	568
18.	उड़ीसा	181188
19.	पंजाब	2881
20.	राजस्थान	4535
21.	सिक्किम	100
22.	तमिलनाडु	736417
23.	त्रिपुरा	1381
24.	उत्तर प्रदेश	237373
25.	पश्चिम बंगाल	294243
26.	अण्डमान निकोबार	1095
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादर नगर हवेली	—
29.	दिल्ली	197
30.	लक्षद्वीप	283
31.	दमन, दीव	603
32.	पांडिचेरी	6027
	कुल :	3107644

5454

विमान चालकों के बीमार होने के कारण उड़ानों में विलम्ब

9454. श्री ए० चार्ल्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के विमान चालकों के कथित रूप से अचानक बीमार हो जाने के कारण इसकी कुछ उड़ानों में विलम्ब हुआ था/रद्द कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान इस कारण विशेष की वजह से कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ था/रद्द की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) और (ख) जी, हां । जनवरी, फरवरी और मार्च, 1989 के महीनों में, विमान चालकों की बीमारी की वजह से रद्द की गई/ विलम्बित उड़ानों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	रद्द की गई	विलम्बित
जनवरी, 1989	2	8
फरवरी, 1989	3	14
मार्च, 1989	शून्य	शून्य

प्रौद्योगिक मिशन के संबंध में गैर-सरकारी संगठन का प्रस्ताव

5455. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित समूह और योजना आयोग को एक गैर-सरकारी संगठन से जनसंख्या नियंत्रण, नेत्रहीनता और कीटनाशक औषधियों के सुरक्षित विकल्पों के संबंध में प्रौद्योगिक मिशन आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ गैर-सरकारी संगठनों का प्रौद्योगिकी मिशन को तैयार करने, उसका कार्यान्वयन, मूल्यांकन और उस पर निगरानी रखे जाने के कार्य में सहयोग प्राप्त किया जाएगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

5456. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने सातवीं योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु क्या उपाय किए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं ।

अनुसूचितजातियों के उत्थान व कल्याण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक व्यापक नीति तैयार की गई और कार्यान्वित की गई। इसके तीन अंग है ;

(i) राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजना (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता । (iii) अनुसचित जाति-विकास निगम । यह नीति सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखी जा रही है। अनुसूचित जातियों के उत्थान की विशेष सघटक योजना के अन्तर्गत, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6303.32 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का अनुमान है। विशेष संघटक योजना की पूरक राशि के रूप में 930 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान विशेष संघटन योजना पर वस्तुतः खर्च हुई राशि लगभग 3441.20 करोड़ रुपए थी ।

प्रारम्भ से ही आदिवासियों के विकास की नीति प्रमुखतः दृष्टिकोणों पर आधारित है अर्थात(i) शोषण उन्मूलन के रक्षात्मक उपाय विशेकर भूमि अंतरण साहूकारों से लेने देने, बुधुआ मजदूरी तथा मद्य-बिक्री के क्षेत्र में तथा (ii) आदिवासियों का जीवन-स्तर उठाने के लिए सत्वर सामाजिक-आर्थिक विकास/पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत आदिवासी उपयोजना की धारणा तथा सातवीं योजनावधि की आदिवासी क्षेत्रों की धारणा उनके उत्थान का मुख्य अवयव बनी हुई है। आदिवासी उपयोजना 17 राज्यों तथा दो केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही है। 19 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की, 1985-86 से 1988-89 की आदिवासी उपयोजना राशि लगभग 5270. करोड़ रुपए है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उपयोजनार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 75, करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कल्याण मंत्रालय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजिक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :—

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ;

2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों हेतु मैट्रिक पूर्व (छठी से दसवीं कक्षा) छात्रवृत्तियां;

3. मैडिकल/इंजीनयरी कॉलेजों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु पुस्तक-बैंक ;

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल भवन ;

5. शिक्षण व संबंद्ध योजनाएं (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)

6. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)

7. पी० सी० आर अधिनियम का कार्यान्वित/स्केवेंजर्स की मुक्ति ; तथा

8. अनुसंधान व प्रशिक्षण (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)

विशेष संघटन योजना तथा आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, आवास के तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्गों के अंतर्गत, सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

	सातवीं पंचवर्षीय योजना	वास्तविक व्यय			1988-89 अनुमानित व्यय
		1985-86	1986-87	1987-88	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1239.33	213.76	252.35	279.21	349.28
केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम	281.22	36.41	43.62	60.80	166.91
जोड़ :	1520.55	250.17	295.97	340.01	516.19

केन्द्रीय परियोजनाएं

[हिन्दी]

5457. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन कुल कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन थी ;

(ख) निश्चित निर्धारित समयावधि के अनुसार इस वर्ष कितनी परियोजनाएं पूरी होनी हैं ;

(ग) कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी होने वाली नहीं हैं ; और

(घ) निर्धारित समय के अन्तर्गत उनके पूरा न होने के कारण उनकी लागत में कितनी वृद्धि हो जाएगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) दिसम्बर, 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली के अधीन प्रत्येक 20 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की संख्या 297 है।

(ख) वर्ष के प्रारम्भ में तैयार किए गए खाके के अनुसार, वर्ष 1988-89 में 79 परियोजनाओं को चालू किया जाना था।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार, 20 परियोजनाओं की मार्च, 1989 के आगे बढ़ने की संभावना है।

(घ) दिसम्बर, 1988 के अंत में 20 परियोजनाओं की प्रत्याशित लागत 6148.5 करोड़ रुपए थी जबकि वर्ष 1988-89 के शुरूआत में प्रत्याशित लागत 5804.8 करोड़ रुपए बताई गई।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा अपने अधिकारियों के नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए भेजा जाना

[अनुवाद]

5458. श्री सी० सम्बु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश द्वारा अपने कितने अधिकारियों के नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए भेजे गए ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश द्वारा इस प्रयोजनार्थ भेजे गए कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की नियुक्तियां राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति द्वारा तथा गैर-राज्य सिविल सेवाओं से चयन द्वारा की जाती हैं। इसी प्रकार, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया जाता है। वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां की गई थीं :—

भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा
1987—14 (इसमें गैर राज्य सिविल सेवा के 3 अधिकारी भी शामिल हैं।)	1987—4
1988—12	1988—5

(ख) राज्य सरकार का कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

धनबाद के लिए वायुदूत सेवा

[हिन्दी]

5459. श्री सरफराज अहमद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद बिहार के लिए वायुदूत सेवा थी ;

(ख) क्या अब उक्त सेवा को समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त सेवा को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह सेवा कब तक पुनः आरम्भ की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) विमान क्षमता की कमी के कारण कलकत्ता-धनबाद-पटना-गया और वापसी मार्ग पर अस्थाई रूप से वायुदूत सेवा बन्द कर दी गयी थी। यह सेवा अब पुनः आरंभ कर दी गयी है और अब यह सप्ताह में 3 दिन परिचालित की जाती है।

प्रशासन में उत्तरदायित्व निर्धारित करना

[अनुवाद]

5460. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम के बीसवें सूत्र अर्थात् "उत्तरदायी प्रशासन" को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ख) अधिकारों का विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजन तथा प्रशासन में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के सूत्र 20 के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना, जो संलग्न विवरण 1 में दी गई है, केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में परिचालित की गई थी। तदनुसार मंत्रालयों/विभागों ने अपने-अपने क्रियाकलापों और आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी-अपनी व्यापक कार्य योजना बनाई है। शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं प्रत्यायोजन के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण 2 में दी गई है।

जवाबदेही लागू करने के लिए किए गए उपायों में निम्न उपाय शामिल हैं :—

—कार्य योजनाएं तैयार करना और इनके कार्यान्वयन को मासिक/तिमाही आधार पर मानीटर करना ;

—विभिन्न श्रेणियों के मामले के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के स्तर निर्धारित करना और उन्हें प्रस्तुत करने के चैनल निर्धारित करना ; तथा

—जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जानी है, उसके कार्य के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में संशोधन करना।

विवरण-1

बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के सूत्र 20 के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना

संवेदनशील प्रशासन

- क्रियाविधियों का सरलीकरण
- शक्तियों का प्रत्यायोजन
- जवाबदेही लागू करना
- ब्लाक से राष्ट्रीय स्तर तक मानीटर करने की व्यवस्था तैयार करना
- जनता की शिकायतों पर शीघ्र और सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करना

(1) सभी मंत्रालय योजनाएं तैयार करते समय ही इस सूत्र के सभी अवयवों को योजना में शामिल करेंगे ताकि प्रशासनिक संगठन कार्यान्वयन के कार्य को कुशलता, एवं संवेदनशीलता के साथ निभा सके।

(2) प्रत्येक मंत्रालय कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गई प्रत्येक योजना के बारे में एक विस्तृत प्रचालन नियम-पुस्तिका तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ योजना के ब्यौरे, उसके कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र, जिम्मेदारी के स्तर, मानीटर करने की प्रणाली आदि शामिल होंगे।

(3) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग हर तिमाही में विभिन्न योजनाओं के कार्य के सम्बन्ध में जो प्रक्रियाएं (फार्मों सहित) अभी तक निर्धारित थी, उनकी समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति का गठन करेगा और जहां कहीं आवश्यक होगा वहां सरलीकरण करेगा।

(4) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग हर साल अप्रैल के महीने में मामलों के निपटान के स्तरों से सम्बन्ध आदेशों की समीक्षा करेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी परिवर्तन करेगा। समीक्षा का प्रयास यह होगा कि यथासम्भव अधिकाधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे की ओर किया जाए। इसी तरह की कार्रवाई अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में भी की जाएगी।

(5) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपनी कार्य योजना में उन कार्यों के विस्तृत ब्यौरे दर्शाएगा जो कि वर्ष के दौरान नियम पुस्तिकाओं, स्थायी आदेशों की पुस्तिकाओं आदि की समीक्षा के लिए किए ये जाएंगे। कोशिश यह होगी कि एक ऐसी समय सीमा निर्धारित की जाए जिसके भीतर ऐसे प्रत्येक महत्वपूर्ण संकलन की समीक्षा कर ली जाएगी।

(6) विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में कार्रवाई करने के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर लगने वाले समय के बारे में मापदण्ड प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से तय किए जायेंगे। जिन मामलों पर उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर कार्रवाई न की गई हो, उनके बारे में समानान्तर रूप से आवधिक मूल्यांकन किया जाएगा और काम को एकाक रूप देने के लिए, जहां कहीं आवश्यक होगा

कारंवाई की जाएगी। विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निरीक्षणों में भी इस पहलू का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। निरीक्षणों का रोस्टर स्पष्टतः निर्धारित किया जाएगा।

(7) नाडल मंत्रालय/विभाग और अधिक युक्तियुक्तकरण/शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों में समय-समय पर सुझाव आमंत्रित करेंगे और तब उनके बारे में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेंगे। इस प्रकार की कारंवाई एक वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी।

(8) नीति के ऐसे क्षेत्र में जो कि अन्य मंत्रालयों के लिए संगत है सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय समय-समय पर उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा जिससे कि अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रत्येक अवसर पर एक-एक करके मामले भेजने की जरूरत न रहे।

(9) विभागीय कार्यवाहियों की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।

(10) लोक शिकायतों पर कारंवाई करने वाले तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा और इसकी कुशलता को समय-समय पर आंका जाएगा। मंत्रालय उन क्षेत्रों के बारे में, जिनमें शिकायतों की सम्भावना अधिक रहती है, कारंवाई करने और जहां कहीं आवश्यक हो पद्धति विषयक सुधार लाने की ओर विशेष ध्यान देंगे।

(11) उपर्युक्त 1 से 10 से सम्बन्धित विषयों के लिए आगे की कारंवाई के लक्ष्य प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से निर्धारित किए जाएंगे।

(12) उपयुक्त विषयों में हुई प्रगति तथा संगठन तथा पद्धति के अन्य संगत क्षेत्रों में हुई प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करके समीक्षा की जाएगी जिसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के प्रतिनिधि को भी बुलाया जाएगा। ऐसी बैठकों में एकत्रित की गई सूचना के आधार पर, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग समीक्षा तैयार करेगा तथा उसे समय-समय पर सचिवों की समिति को प्रस्तुत करेगा।

(13) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए प्रयासों की सीमा को गहराई से समझने के उद्देश्य से उनके उच्चाधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना जारी रखेगा।

(14) प्रशासनिक सुधारों की पहल मूलतः प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की ओर से होनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकता है तथा किसी विशेष मुद्दे पर अध्ययन आयोजित करके अथवा परामर्श देकर मदद कर सकता है।

(15) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग उन सीमाओं को तय करेगा जिनके संदर्भ में उसकी कार्य कुशलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आंकड़े/सूचना रखी जाएगी जिससे कि कुछ समय के भीतर संगठनों के कार्य-निष्पादन की तुलना की जा सके।

(16) कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के प्रावधानों पर विशेषतया निम्नलिखित के सन्दर्भ में कड़ी निगाह रखी जाएगी :—

(1) अभिलेख प्रबन्ध

(2) विलम्ब पर रोक

(3) निरीक्षण

(4) आदेशों/अनुदेशों/नियमों का समेकन

(5) रिपोर्टों तथा विवरणियों की समीक्षा

विवरण-2

शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं प्रत्यायोजन के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किए गए उपायों को दर्शाने वाली सूची

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

महानिदेशक, आकाशवाणी तथा महानिदेश, दूरदर्शन को 4 करोड़ रुपए, तक की योजनाएं तथा 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्य मंजूर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

कम्पनी कार्य विभाग

कम्पनी अधिनियम की धारा 211, 212, 213 के अन्तर्गत कम्पनी कानून बोर्ड की शक्तियां बोर्ड के क्षेत्रीय सदस्यों को सौंप दी गई हैं। इसी प्रकार कम्पनी कानून बोर्ड की बढ़ाई गई शक्तियों को कम्पनी कानून बोर्ड से क्षेत्रीय निदेशकों तक तथा क्षेत्रीय निदेशकों से कम्पनी के रजिस्ट्रारों तक सौंप दिया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय

आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के अधीन क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण को लघु उद्योग इकाइयों के लिए 5 लाख रुपए मूल्य तक के तथा बड़ी इकाइयों के लिए 50 लाख रुपए मूल्य तक के पूरक लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई में क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंस समितियां गठित की गई हैं तथा इन समितियों को निश्चित सीमाओं तक अग्रिम लाइसेंस देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण को पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।

डाक विभाग

डाक विभाग द्वारा उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना मृत जमाकर्ताओं के मामले में निपटान की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है।

श्रम मंत्रालय

भारत के सातों उत्प्रवासी कार्यालयों के उत्प्रवासी संरक्षकों को किसी व्यक्ति अथवा पंजीकृत भर्ती एजेन्ट द्वारा उत्प्रवास अनापत्ति के लिए दिए गए आवेदन पत्र को स्वीकार अथवा रद्द करने की शक्ति प्राप्त है।

खान विभाग

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रबन्धक बोर्ड को, निधियों के विनियोजन और पदों के सृजन को छोड़कर, मंत्रालय की सभी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

ग्रामीण विकास विभाग

(1) विभाग ने, कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय को व्यापक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। उन्होंने भी, प्रादेशिक स्तर पर अपने निम्न कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर, उनकी ओर से मामलों का निपटान करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(2) इस विभाग के गरीबी उन्मूलन और ग्राम विकास कार्यक्रम, मुख्यतः ब्लाक स्तर प्रशासन और पंचायत राज संस्थाओं के सहयोग से राज्य सरकारों और जिला ग्राम विकास एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इन संगठनों को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की गई है।

(3) राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान और लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (सी० ए० पी० ए० आर० टी०) को, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अपने-अपने क्षेत्रों में तथा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए निधियों की छानबीन तथा मंजूरी देने में अधिकतम स्वायतता प्राप्त है।

महिला और बाल विकास विभाग

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करने और उन्हें उपलब्ध कराने की कार्यविधि का और अधिक विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग

समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में, अनुसंधान परिषदों का गठन किया गया है और उन्हें (1) एस० एण्ड टी० स्टाफ के लिए विशेषज्ञों के एक अनुमोदित पैनल से चयन आदि के लिए चयन समितियों/निर्धारण समितियों/पीयर ग्रुपों का गठन करने ; (2) अनुसंधान कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना नेताओं को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के लिए सिफारिशें करने के अधिकार दिए गए हैं ; और (3) 'एफ' वैज्ञानिकों (5100-6900 रु०) के पद जिन्हें केन्द्रीय रूप से नियंत्रित किया जाता था सोसाइटी के निर्णय के अनुसार उनका अब विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(1) इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि मुख्य इंजीनियर, अधीक्षक इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर और सहायक इंजीनियर, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली और सामान्य वित्तीय नियमावली आदि के अधीन कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस सीमा तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे जिस तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तदनरूपी ग्रेडों के अधिकारी इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं।

(2) गंगा परियोजना जैसी विशिष्ट समय-बद्ध परियोजनाओं के बारे में, परिचालक स्तर पर वित्तीय प्रत्यायोजन करके संगठनात्मक संरचनाएं तैयार कर ली गई हैं।

दूरसंचार विभाग

अधिक राशि के बिलों से सम्बन्धित शिकायतों पर स्थानीय काल प्रभारों में छूट देने के बारे में सर्कल/जिला अध्यक्षों की शक्तियों में शत-प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।

गृह मंत्रालय

(1) उत्तर-पूर्वी परिषद को 5 करोड़ रुपए की लागत तक की "प्लान" योजनाओं के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय की मंजूरी जारी करने के लिए, सचिव, उत्तर-पूर्वी परिषद, शिलांग को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है। उत्तर-पूर्वी परिषद के सेक्टर सलाहकारों को भी उत्तर-पूर्वी परिषद्की 5 करोड़ रुपये की लागत तक की "प्लान" योजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, उत्तर-पूर्वी परिषद की 90% प्लान योजनाएं, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग को भेजे बिना ही उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा स्थानीय रूप से अनुमोदित की जाती है।

(2) असम डिवीजन में, उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और एक तकनीकी समिति गठित की गई है और इनको पूरी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। तकनीकी समिति को, जिसके संयोजक महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग हैं, कार्यपालक एजेंसियों द्वारा एक करोड़ रुपए की लागत तक के प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की तकनीकी समीक्षा करने के लिए पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। एक करोड़ से अधिक व्यय वाले प्रस्तावों के लिए उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

विद्युत विभाग

ताप स्टेशनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों को वितरण करने और मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान करने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को और शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

वृद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में गोल-मेज सम्मेलन

5461. डा० ए० के० पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर मंत्रालय समिति वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित समस्याओं तथा इस संबंध में गोलमेज सम्मेलन के सुझावों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस समिति ने अब तक क्या कार्यक्रम और नीति निर्धारित की है ;

(ख) गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इसमें क्या सुझाव दिये गए और ये सुविधायें ब्रिटेन, अमरीका इत्यादि देशों में वृद्ध व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाओं की तुलना में कैसी हैं ; और

(ग) इस समिति ने अब तक कितनी बैठकें आयोजित की हैं और इसने अब तक क्या विशेष कार्य किया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1989 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(ख) दिसम्बर, 1986 में एक गोल-मेज परिचर्चा आयोजित की गई थी। यह परिचर्चा न तो कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित ही की गई थी और न ही प्रायोजित की गई थी तथा इसलिए इस मंत्रालय द्वारा इसमें भाग लेने वालों का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है। सुझाव वृद्धों के कल्याण के विभिन्न कल्याणकारी पहलुओं से संबंधित थे। यू० के०, अमरिका इत्यादि में उपलब्ध सुविधाओं से कोई तुलना नहीं की गई है।

(ग) वृद्धों के कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए अन्तर-मन्त्रालयी समिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा

5462 श्री गंगा राम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वर्ष 1988 के दौरान कितनी विभागीय पदोन्नति समितियां और चयन बोर्डों का गठन किया गया था ;

(ख) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कर्मचारियों की पदोन्नति/भर्ती करने हेतु गठित की गई उक्त विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी विभागीय पदोन्नति समितियों/बोर्डों की संख्या कितनी है तथा उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी गम्भीर त्रुटी के लिए किसी की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों को किस प्रकार और किस सीमा तक रक्षा की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"पाली-सिलिकान" का निर्माण

5463. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में "पाली सिलिकान" का निर्माण करने की स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 2001 तक मांगों को पूरा करने के लिए पाली सिलिकान और सिलिकान वेफर्स का निर्माण करने हेतु भविष्य में उत्पादन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सिलिकन टेट्राक्लोराइड (एस०टी०सी०) प्रक्रिया का प्रयोग करके स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, जो पॉलीसिलिकन की स्थानीय आवश्यकता को भारी मात्रा में पूरा कर सकेगा।

(ग) भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, देश के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना तथा विशेषज्ञता का उपयोग करके प्रौद्योगिकी में अंतराल को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में भी पहल कर रही है ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पालीसिलिकन और वेफरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से इसके लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने की योजना है।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड में घाटा

5464. डा० दत्ता सामंत : क्या प्रधान मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेअर अर्थ्स मिमिटेड में पिछले कई वर्षों से हो रहे घाटे के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार का इस घाटे को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड में केवल गत तीन वर्षों अर्थात् 1986-87, 1987-88 और 1988-89 से घाटा हो रहा है। ये घाटे उड़ीसा में स्थापित किए गए नए संयंत्र नामतः उड़ीसा रेत उद्योग समूह के कारण हुए हैं। उड़ीसा रेत उद्योग समूह संयंत्र में केवल अक्तूबर, 1986 से ही व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ था। नए संयंत्र को शुरू में चलाने के दौरान सामने आई कठिनाइयों और कुछ अपरिहार्य तकनीकी समस्याओं के कारण यह संयंत्र अपेक्षित उत्पादन क्षमता हासिल करने में सफल नहीं हो सका। उत्पादन के अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपकरणों में कुछ सुधार किए जा रहे हैं तथा अतिरिक्त यंत्र लगाए जा रहे हैं। तथापि, इस कम्पनी के दूसरे यूनिटों में लाभ हो रहा है।

वैकल्पिक जन-शक्ति आयोजना संरचना के बारे में विचार गोष्ठी

5465. श्री मुरलीधर माने : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च द्वारा जनवरी, 1989 में दिल्ली में वैकल्पिक जनशक्ति आयोजना संरचना के संबंध में दो दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विचार गोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अनेक सुझावों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (घ) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई०ए०एम०आर०) में दिनांक 6 और 7 जनवरी, 1989

को वैकल्पिक जनशक्ति आयोजना संरचना से संबंधित एक सेमिनार किया गया था। आई०ए०एम० आर० के अनुसार सेमिनार का उद्देश्य वैकल्पिक आयोजन प्रणाली को एक स्वरूप देना है जिससे अन्य बातों में से जनशक्ति आयोजना पर मुख्य बल द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। सेमिनार की कारंवाई प्राप्त नहीं हुई है।

सलाल झील (जम्मू और कश्मीर) में पानी में खेले जाने वाले खेलों को प्रोत्साहन

5466. श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल झील में पानी में खेले जाने वाले खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रेषित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को मंजूरी दे दी गई है ;

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य कब से आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जबलपुर स्थित गन कैरेज फैक्टरी की क्षमता

5467. श्री अजय मुशरान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से 1993 तक अगले पांच वर्षों के दौरान गन कैरेज फैक्टरी की लाइट फील्ड गनों का उत्पादन करने की वार्षिक क्षमता क्या हो जाएगी ;

(ख) अगले पांच वर्षों में कितनी लाइट फील्ड गनों के वार्षिक उत्पादन का आदेश मिला है ;

(ग) क्या वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो गन कैरेज फैक्टरी की पूर्ण क्षमता का उपयोग सरकार किस प्रकार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) गन कैरेज फैक्टरी जबलपुर में लाइट फील्ड गनों के उत्पादन की क्षमता और इन गनों के लिए थलसेना द्वारा दिए गए आर्डर की संख्या बताना लोक हित में नहीं होगा। इस गन का एक "हल्का रूप" विकसित किया जा रहा है और थलसेना ने 'हल्केरूप' के लिए अपनी प्राथमिकता जाहिर की है।

"हल्के रूप" के विकास में होने तक, थलसेना ने तोप के "वर्तमान रूप" के लिए आदेश दिए हैं ताकि उत्पादन में निरन्तर सुनिश्चितता बनी रहे और तोपों के उत्पादन तथा अन्य आयुध निर्माणियों

को संघटकों और उप-जुड़नारों (सब एसेम्बलीज) की सप्लाई करके गन कैरेज फैक्टरी मे उपलब्ध क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता रहे ।

सागर को वायुदूत सेवा से जोड़ने में विलम्ब

[हिन्दी]

5468. श्री नन्दलाल चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर (थाना) शहर को वायुदूत सेवा से जोड़ने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) सागर से किन-किन शहरों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) वायुदूत सेवा कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) यद्यपि सागर उन स्टेशनों में नहीं हैं जिन्हें वायुदूत द्वारा विमान सेवा के लिए चुना गया है, तब भी विमान क्षमता उपलब्ध होने और राज्य सरकार हवाई अड्डे को पूर्ण रूप से परिचालनात्मक बनाये जाने की शर्त पर के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के प्रयास जारी है ।

सफाई कर्मियों को मुक्ति

[अनुवाद]

5469. श्री कमल चौधरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने सफाई कर्मियों को परम्परागत ढंग से काम करने से मुक्ति दिलाने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस प्रयोजन के लिए धनराशि आबंटित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कुराली तथा शाहकोट नगर के कस्बों में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 1987-88 के दौरान, पंजाब सरकार को 34.32 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी । 1988-89 के दौरान, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

दिल्ली में अवैध शस्त्र निर्माण एकक

5470. श्री एच० ए० डोरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने 15 मार्च, 1989 को नई सीमापुरी, पूर्वोत्तर दिल्ली में देशी शस्त्र निर्माण करने वाले एक एकक का पता लगाया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां, श्रीमान ।

(ख) 14-3-1989 को थाना सीमापुरी के स्टाफ द्वारा बी-221, नई सीमापुरी, दिल्ली के निवासी विजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देशी पिस्तौल और दो चालू कारतूस बरामद किए गए। थाना सीमापुरी में शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के अन्तर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 66 दर्ज की गई। उसके बताये जाने पर उसके घर पर छापा मारा गया और अनेक अवैध वस्तुएं बरामद की गई। तद्नुसार उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)/54/59 के तहत एक और प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 67 दर्ज की गई।

सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड में 'सेमी-कण्डक्टर' उपकरणों का निर्माण

5471. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ स्थित सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड के वहां हुए अग्निकांड होने के बाद वाणिज्यिक पैमाने पर सेमी-कण्डक्टर उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं अथवा करने का विचार है ;

(ख) सेमी-कन्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड का पुनः निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यह काम्प्लेक्स कब दुबारा उत्पादन शुरू कर देगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड से सेमीकण्डक्टर युक्तियों की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखने का सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत प्रयोगकर्ताओं की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः तैयार सेमीकण्डक्टर युक्तियों का आयात करने और उसके बाद विसरित वेफरों को प्राप्त करने की व्यवस्था करना तथा भारत में उनका पैकेजिंग और परीक्षण करना शामिल है। सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड उन सुविधाओं के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे रहा है जो आग से नष्ट हो गए हैं।

(ग) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड के पुनर्निर्माण की परियोजना आरम्भ हो जाने के बाद सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा अपने ही संगठन में विसरण कार्य किया जाएगा और उसके जरिए लगभग 3 वर्षों में सेमीकण्डक्टर युक्तियों का विनिर्माण आरम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है।

कलकत्ता कलकत्ता से त्रिवेन्द्रम तक सीधी उड़ान

5472. डा० फूलरेणु गुहा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता से त्रिवेन्द्रम तक सीधी उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब शुरू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमानक्षमता की कठिनाई और पर्याप्त यातायात की सम्भावना न होने के कारण, इंडियन एयरलाइन्स को कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

सेन्तला रक्षा उत्पादन एकक में स्थानीय लोगों को रोजगार

5473. डा० कृपासिन्धु भोई :

श्री राधाकांत डिगाल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सैन्तला स्थित रक्षा उत्पादन एकक में वर्ष 1989 में कितने पद रिक्त होने की सम्भावना है ;

(ख) इस वर्ष इस एकक में कितने कुशल और कितने अकुशल लोगों को रोजगार दिया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रक्षा उत्पादन एकक में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का है ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) 1989 के दौरान परियोजना के लिए अपेक्षित जनशक्ति के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) पदों पर नियुक्तियां नई भर्ती द्वारा सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार की

आएंगी जिसके अन्तर्गत समूह "ग" और "घ" स्तर पर सीधी भर्ती पात्रता और योग्यता के आधार पर स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

5474. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में निर्धारित की गई नीति दोषयुक्त थी और इसी कारण से उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था ; और

(ग) इस प्रशिक्षण के लिए कितने व्यक्ति चुने गये थे और कितने व्यक्ति प्रशिक्षण लेने आए थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अनिवार्य हैं :—

(1) सीधी भर्ती के अनुभाग अधिकारियों के लिए आधारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ; और

(2) पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ख) और (ग) अनुभाग अधिकारियों के लिए राज्य कार्यकारी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। इस प्रशिक्षण के लिए 1986-87 के दौरान 18 और 1987-88 के दौरान 17 अधिकारियों का चयन किया गया था। जिन अधिकारियों ने वास्तव में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था उनसे संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

"जनजाति' उप-योजना क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता

5475. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन का क्या मानदंड है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश राज्य के लिए कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता का निर्धारण किया गया है और राज्य में योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई निर्माण कार्यों हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई और शेष वर्ष के लिए कितनी सहायता दी जाएगी ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता, जो

राज्य आदिवासी उपयोजना के अतिरिक्त दी जाती है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, आदिवासियों द्वारा बसे भौगोलिक क्षेत्र और राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, आवंटित की जाती है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, आदिवासी उपयोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य को लगभग 204 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था की गई। सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार को 175.88 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 1989-90 के दौरान राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में लगभग 52 करोड़ रुपये की और धनराशि प्राप्त होने की सभावना है।

राज्यों को क्षेत्रवार विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूरी करने वाली अपेक्षित कमियों को देखते हुए सबंधित राज्यों द्वारा क्षेत्रीय आवंटन किया जाता है। सातवीं योजना अवधि में लघु सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश म विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रावधान और व्यय निम्न प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
1985-86	227.00	142.43
1986-87	300.00	300.00
1987-88	475.00	475.22
1988-89	475.00	475.00 (अनुमानित)
1989-90	478.75 (प्रस्तावित)	

सिक्किम में "हिल स्टेशनों" पर पर्यटन को बढ़ावा देना

5476. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने भारत के "हिल स्टेशनों" पर पर्यटन को बढ़ावा देने का अभियान चलाया था ;

(ख) क्या इस अभियान से सिक्किम हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का आगमन आकर्षित हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सिक्किम के "हिल स्टेशनों" पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। भारत के पर्वतीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मीडिया में "हिल्लीडे" अभियान चलाया गया है।

(ख) ऐसी सम्भावना है कि "हिल्लीडे" अभियान से सिक्किम के पर्वतीय स्थानों के साथ-साथ सभी पर्वतीय स्थानों पर पर्यटन में वृद्धि होगी।

(ग) सिक्किम के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने से तथा मीडिया अभियानों (हिल्लीडे), सिक्किम पर एक श्रृव्य-दृश्य और पर्यटक प्रचार साहित्य जैसे जोरदार संवंनात्मक उपायों से एक आकर्षक पर्यटक गंतव्य के रूप सिक्किम की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

5477. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में देश में कुछ विमानपत्तनों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और भारत राष्ट्रीत विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए किन-किन तथा कितने विमानपत्तनों को चुना गया है ;

(ग) क्या उनमें भुवनेश्वर विमानपत्तन भी शामिल है ;

(घ) यदि हां, तो भुवनेश्वर विमानपत्तन का विस्तार और आधुनिकीकरण करने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अन्य विमानपत्तनों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान धावनपथ को एयरबस 309 विमान के परिचालन के लिए मजबूत बनाया गया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर 1591 फुट तक धावनपथ के विस्तार का काम शुरू किया गया है। भूमि की प्राप्ति और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिए जाने के बाद धावनपथ को 1559 फुट तक बढ़ाने की योजनाएं हैं।

(ङ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध संसाधन इतनी मात्रा में नहीं है कि एक ही समय पर सभी विमान क्षेत्रों के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया जा सके। पहले उपाय के रूप में, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 294 करोड़ रुपए की कुल लागत पर बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का कार्य आरम्भ किया है।

विवरण

हवाई अड्डों के नाम और उनके उन्नयन के लिए आबंटित की गई राशि

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	कार्य का नाम	1989-90 में आबंटित राशि (लाख रुपये)
1	2	3	3
1.	पूणे	टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार, एप्रन का विस्तार और प्रस्थान होल्डिंग क्षेत्र का वातानुकूलन	70.00
2.	दीमापुर	मूल पट्टी का विकास	50.00
3.	मोहनबाड़ी (डिब्रूगढ़)	आगमन हाल का निर्माण और कार-पार्क में परिवर्तन	15.00
4.	ग्वालियर	नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण और एप्रन और टैक्सी पथ का निर्माण	96.00
5.	पांडिचेरी	नए विमान क्षेत्र का निर्माण	111.25
6.	भोपाल	(1) धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	150.00
		(2) नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	50.00
7.	डबोलिम	नए अन्तर्राष्ट्रीय ब्लाक एवं अन्तर्देशीय प्रस्थान और आगमन और सहायक कार-पार्क का निर्माण	100.00
8.	नागपुर	(1) टर्मिनल भवन, कार-पार्क का विस्तार और सुधार, और प्रस्थान होल्डिंग क्षेत्र का वातानुकूलन	100.00
		(2) धावनपथ और सहायक पेवनमेंटों का सुदृढ़ीकरण	125.00

1	2	3	4
9.	पोरबन्दर	नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	30.00
10.	पालमपुर (दीसा)	वायुदूत प्रचालनों के लिए विमान क्षेत्र का विकास	14.41
11.	डीमापुर	नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	20.00
12.	पासीघाट	धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का निर्माण	5.00
13.	आगरा	टर्मिनल भवन का विस्तार और एप्रन का विस्तार	1.00
14.	जोधपुर	टर्मिनल भवन कार पार्क इत्यादि का विस्तार और सुधार	50.00
15.	लखनऊ	नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	26.00
16.	वाराणसी	धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	195.00
17.	पोर्ट-ब्लेयर	एबी-300 परिचालनों के लिए हवाई पट्टी का विस्तार	5.00
18.	कोयम्बटूर	नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	80.00
19.	हैदराबाद	नए अन्तर्राष्ट्रीय ब्लॉक का निर्माण	10.00
20.	मदुरै	नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	2.00
21.	मंगलौर	(1) एयरबस परिचालनों के लिए उपयुक्त एक नए धावनपथ का निर्माण	20.00
		(2) नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	1.00
22.	त्रिची	(1) धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का सुदृढ़ीकरण	160.00
		(2) टर्मिनल ब्लाक, कार पार्क इत्यादि परिवर्तन और परिवर्धन	20.00
23.	भुवनेश्वर	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध भूमि पर 1591 फुट तक धावन-पथ का विस्तार	100.00

1	2	3	4
		नए टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	20.00
24.	अहमदाबाद	एबी-300 परिचालनों के लिए धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का सुदृढीकरण	370.00
		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए नए टर्मिनल ब्लॉक का निर्माण	100.00
		जोड़ :	2101.66

केरल में इलेक्ट्रोनिक उद्योग

5478. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत केरल के पिछड़े जिले इडुक्की में कुछ इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस जिले में इन इकाइयों को स्थापित करने के लिए यदि कोई केन्द्रीय सहायता दी गई तो कितनी ; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भविष्य में इस जिले में स्थापित की जाने वाली इलैक्ट्रोनिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) रिले, कुन्जी पटल, पुश बटन, थर्मिस्टरों तथा वैरिस्टरों का विनिर्माण करने के लिए इडुक्की में संगठित क्षेत्र में एक इकाई को पंजीकृत किया गया है। इस इकाई ने सूचित किया है कि उनके यहां उत्पादन शुरू हो गया है। इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय द्वारा केरल राज्य के उद्यमकर्त्ताओं को 12 अनुमोदन जारी किए गए हैं। केन्द्रीय पूंजीनिवेश आर्थिक इमदाद योजना के अन्तर्गत केरल राज्य को 22.74 करोड़ रु० की राशि की प्रतिपूर्ति की गई। केन्द्रीय आर्थिक इमदाद की प्रतिपूर्ति के बारे में जिलावार/उद्योगवार जानकारी उपलब्ध नहीं है। इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा तैयार की गई सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग स्थापित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं तैयार की गई है, जिसमें केरल राज्य भी शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार में लाना

5479. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार में लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस आशय की कोई अधिसूचना जारी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय राज्य में मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) यद्यपि, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 (2) के अधीन भारत सरकार के स्वामित्व तथा नियन्त्रण वाले सभी निगमों/समितियों और स्थानीय तथा अन्य प्राधिकरणों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाने की व्यवस्था है परन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित ऐसे सभी निगमों/समितियों को शामिल करने वाली ऐसी कोई सामान्य अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है क्योंकि फिलहाल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्यभार को सम्भालने की स्थिति में नहीं है ।

केरल को जन जाति उप-योजना के लिए धनराशि का आवंटन

5480. श्री के० कुन्जबु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान जनजाति उप-योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या केरल में जनजातियों के लोगों में बेरोजगारी है ; और

(घ) यदि हां, तो उनमें बेरोजगारी दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मंगवाई गई है । जैसे ही यह प्राप्त हो जायेगी, इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

निश्चित तारीख के पश्चात प्राप्त हुए स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन पत्र

5481. श्री के० एस० राव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 अर्थात् आवेदन देने की अन्तिम तारीख के बाद स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) ऐसे कितने मामलों में विलम्ब को क्षमा कर दिया गया है और पेंशन स्वीकृत कर दी गई है ;

(ग) कितने मामले अभी तक लम्बित हैं या विचाराधीन हैं ;

(घ) क्या विलम्ब से प्राप्त आवेदनों के मामले में आवेदक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रस्तुत किये गए ऐसे प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया जा रहा है जिनमें सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उनके द्वारा झेली गई कठिनाइयों की पुष्टि की है ; और

(ङ) यदि नहीं तो ऐसे मामले मे क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं क्योंकि उनसे सम्बन्धित मूल रिकार्ड जिला कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त हुए 25,156 आवेदनों मे से 1584 मामलों में विलम्ब माफ कर दिया गया है और पेंशन मन्जूर कर दी गई है । 16,113 आवेदन लम्बित पड़े हैं ।

(घ) और (ङ) विलम्ब से प्राप्त हुए केवल उन मामलों पर विलम्ब माफी के लिए विचार किया जाता है, जिनके साथ सरकारी रिकार्डों पर आधारित दस्तावेजी साक्ष्य लगे होते हैं। कोई अन्य मानदण्ड नहीं अपनाया जा रहा है ।

क्षेत्रीय विज्ञान और इन्जीनियरी परिषदें

5482. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय विज्ञान और इन्जीनियरी परिषदों का एकीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ;

(ग) यह कार्यवाही किस उद्देश्य से की जा रही है ;

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ङ) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्र क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में सहायता देने तथा देश में वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद की स्थापना की है । अन्तर-एजेन्सी भागीदारी के जरिए इस गतिविधि के संवर्धन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाता है । विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद कार्यक्रम के फलस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई अनुसंधान संस्थाओं और अनुसंधान दलों/एककों का सृजन हुआ है ।

सैनिक स्कूल के लड़कों से लिया जाने वाला शुल्क

5483. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों के लिए लड़कों के चयन का मानदण्ड क्या है ;

(ख) देश में राज्यवार कितने सैनिक स्कूल हैं और इन स्कूलों के वित्तपोषण में राज्यों का हिस्सा कितना है ;

(ग) चयन के पश्चात लड़कों को क्या-क्या सुविधाएं और वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(घ) क्या सरकार उन लड़कों के माता-पिता को शुल्क में कोई छूट देती है जिनके माता-पिता सरकारी सेवानिवृत कर्मचारी होते हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे माता-पिता को शुल्क से छूट देने का है क्योंकि सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) सामान्यतः 10-11, वर्ष (कुछ राज्यों में 11-12 वर्ष) की आयु के बच्चों को सैनिक स्कूलों की छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश हर वर्ष ली जाने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में उनके कौशल पर आधारित उनके योग्यता क्रम के आधार पर किया जाता है, बशर्ते वे चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हों।

(ख) देश में 18 सैनिक स्कूल हैं, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। भूमि, भवनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं तथा छात्रवृत्तियों के आवर्ती व्यय के बड़े भाग पर होने वाला सारा पूंजीगत व्यय उस सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रीय शासित प्रदेश प्रशासन को वहन करना होता है, जहां स्कूल स्थित होता है।

(ग) सैनिक स्कूल, आवासीय सरकारी स्कूल होने के कारण, बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चों को सशस्त्र सेनाओं के अफसर सवंर्ग में भर्ती के लिए तैयार किया जा सके जिसके लिए इनकी मुख्यतः स्थापना की जाती है।

अभिभावकों की आय के आधार पर राज्य सरकार/केन्द्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार राज्य सरकार/केन्द्रीय शासित प्रदेश प्रशासन से अनेक बच्चों को पूरी या आंशिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा रक्षा मन्त्रालय, रक्षा-कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को बहुत सीमित संख्या में छात्रवृत्ति देता है।

(घ) और (ङ) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शुल्क की ऐसी कोई छूट नहीं है और ऐसी छूट देने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। लेकिन छात्रवृत्ति की योजनाओं के अनुसार पात्र विद्यार्थियों के लिए पूर्ण या आंशिक शुल्क हेतु छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं।

विवरण

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	राज्य
1	2	3
1.	अमरावती नगर	तमिलनाडु
2.	बालचढी	गुजरात
3.	बीजापुर	कर्नाटक
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
6.	गोलपाड़ा	असम

1	2	3
7.	घोड़ाखाल	उत्तर प्रदेश
8.	इम्फाल	मणिपुर
9.	कपूरथला	पंजाब
10.	कझाकूट्टम	केरल
11.	कोरुकोंडा	आन्ध्र प्रदेश
12.	कुंजपुर	हरियाणा
13.	नागरोटा	जम्मू और कश्मीर
14.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
15.	रीवा	मध्य प्रदेश
16.	सतारा	महाराष्ट्र
17.	सुजानपुर तिहारा	हिमाचल प्रदेश
18.	तिलैया	बिहार

मद्रास हवाई अड्डे पर कुली सेवा

5484. श्री एन० डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास हवाई अड्डे पर कुलियों की सप्लाई करने का ठेका नीलाम किया गया है ; और

(ख) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों पर पृथक-पृथक कुल कितने कुलियों को सेवा में रखने की अनुमति है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण वृद्ध, शारीरिक रूप से विकलांग, अकेले यात्रा कर रही महिलाओं इत्यादि जैसे यात्रियों की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशुल्क कुली सेवा प्रदान करती है। मद्रास हवाई अड्डे पर, मैसर्स एक्स-सर्विसमैन एयरलिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को कुली सेवा उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) मद्रास हवाई अड्डे के अंतर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर प्रत्येक पर 6 कुलियों को लगाया गया है। छुट्टी पर जाने वाले के स्थान पर भी लीव रिजर्व की व्यवस्था है।

हेलीकाप्टर का प्रयोग

5485. श्री एन० डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पास, अलग-अलग, कितने हेलीकाप्टर हैं और ये किस कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं ; और

(ख) क्या ऐसे हेलीकाप्टर को रखने की आवश्यकता के बारे में जांच की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा तमिलनाडु में विश्रामगृहों का निर्माण

5486. श्री एन० डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम तमिलनाडु में किन-किन स्थानों में विश्रामग्रहों का निर्माण करेगा ; और

(ख) क्या ऐसे गृहों को चलाने में निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम का तमिलनाडु में विश्राम-गृहों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

योजना आयोग द्वारा राज्य का दौरा

5487. श्री एन० डेनिस : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग योजना संबधी परियोजनाओं पर बातचीत के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों का दौरा कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई० एन० एस० वेंदुरुथी के फालतू घोषित किए गए अग्निशमन कर्मचारी

5488. श्री रेणुपद दास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एन० एस० वेंदुरुथी के अग्निशमन कर्मचारी फालतू घोषित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों को अन्यत्र रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) अग्नि शामक इंजन के "किफायती मरम्मत से परे" घोषित होने के पश्चात् 1-3-1989 से भारतीय नौसेना पोत वेंदुरूथी में एक अग्निशामक इंजन के कर्मीदल के 16 अग्निशामक कार्मिक फालतू हो गए। इन फालतू कार्मिकों को उनकी अपनी-अपनी हैसियत के रूप में अन्य नौसेना यूनिटों में विद्यमान रिक्तियों पर खपा लिया गया है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड का नागपुर एकक

5489. श्री रेणुपद दास : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नागपुर एकक को बंद करने का है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस एकक में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति महाराष्ट्र के निवासी हैं और उनका स्थानांतरण कलकत्ता होने से उनके परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस एकक को नागपुर में ही चलने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने नागपुर स्थित अपनी यूनिट को बन्द करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इस यूनिट के उत्पाद को परिवर्तित करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) और (ग) नागपुर यूनिट के कर्मचारियों से कहा गया कि वे कलकत्ता/रांची स्थित कम्पनी की अन्य यूनिटों में स्थानांतरण हेतु अपना विकल्प दें। कर्मचारियों की एक भारी संख्या ने इन यूनिटों में स्थानांतरण के लिए अपना विकल्प दिया है।

आजाद हिन्द सेना के भूतपूर्व कार्मिकों से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों का लम्बित पड़े रहना

5490. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द सेना के कितने भूतपूर्व कार्मिक इस समय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु आजाद हिन्द सेना के कितने भूतपूर्व कार्मिकों के आवेदन पत्र मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं ; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 31-3-1989 को भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के 20131 कार्मिक केन्द्रीय राजस्व से स्वतंत्रता सैनिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जुलाई-अगस्त, 1986 में एक विशेष अभियान चलाया गया था और सभी मामले निपटा दिए गये थे। अपीलें प्राप्त होने के बाद भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रख्यात कार्मिकों की एक समिति उन मामलों में से कुछ ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए गठित की गई है जिन्हें पहले स्वीकार नहीं किया गया था। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम की आय

5491. श्री मु लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम ने कुल कितना व्यवसाय किया और उसे कुल कितनी लाभ/हानि हुई ;

(ख) क्या केरल में भारतीय पर्यटन विकास निगम के नये होटल खोले जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	कारोबार	लाभ (कर से पूर्व)
1987-88	9433.02	864.07
1988-89	10582.75	971.60

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम के केरल में कोवलम अशोक बीच रिसार्ट का 72 कमरों और 500 व्यक्तियों के लिए एक समागम परिसर का निर्माण करके विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

कम्प्यूटर केन्द्र

5492. श्री चिंतामणि जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए कम्प्यूटर केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में भी ऐसा ही एक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का विचार है तथा इसे कब स्थापित करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है ; और

(घ) इस प्रस्ताव पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा चंडीगढ़ तथा कलकत्ता में क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया गया है और योजना आयोग के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा 'निकनेट' नेटवर्क के अन्तर्गत दिल्ली, पुणे, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) चूंकि सरकार द्वारा भुवनेश्वर में पहले ही एक बड़ा कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर दिया है, अतः अब सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारियों के अभ्यावेदनों तथा शिकायतों का निपटान

5493. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के अभ्यावेदनों और शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को कोई अनुदेश/मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के अभ्यावेदनों और शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं हो रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी हां। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई है कि वे सेवा मामलों के बारे में कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं करें। इन मार्गनिर्देशनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था है :—

(1) मंत्रालय/विभाग तथा कार्यालयों और इसके नियंत्रणाधीन संगठनों में निदेशक (कर्मचारी शिकायत)/कर्मचारी शिकायत अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को पदनामित करना ;

(2) निदेशक (कर्मचारी शिकायत)/कर्मचारी शिकायत अधिकारी द्वारा सप्ताह में एक बार कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए दिन तथा समय निर्धारित करना। इसी प्रकार, विभाग का सचिव/अध्यक्ष कर्मचारियों की कठिनाइयों को सुनने के लिए महीने में एक बार स्वयं उपलब्ध होगा ;

(3) शिकायतों को दर्ज करने, पावती भेजने तथा समयबद्ध निपटान के लिए प्रबंध करना ; तथा

(4) जिन सेवा मामलों से प्रायः शिकायतें उत्पन्न होती हैं, उनसे संबंधित विद्यमान व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करना और उनके निपटान के लिए मानदण्ड तथा समय सीमाएं निर्धारित करना।

कानपुर छावनी को पानी की सप्लाई के बारे में परियोजना रिपोर्ट

5494. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, कानपुर को उत्तर प्रदेश जल निगम से पानी की सप्लाई और पानी पर आधारित सीवर व्यवस्था के बारे में विस्तृत प्राक्कलन/निर्माण कार्य नक्शे/काम के नक्शे और परियोजना रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या यह कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम को 1986 में सौंपा गया था और उससे तीन महीने के निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश जल निगम के पास 12 लाख से अधिक रुपए जमा कराए गए थे ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस मामले में छावनी बोर्ड, कानपुर ने क्या प्रयास किए जिससे जल निगम इस कार्य को शीघ्र पूरा करे ; और

(ङ) इस मामले में तत्काल अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) पानी की सप्लाई की योजना के ब्यौरे प्राप्त हो चुके हैं लेकिन सीवर योजना के बारे मे ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) इस कार्य को उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपा गया था। इस संबंध में 3 महीने के भीतर रिपोर्ट नहीं मांगी गई थीं।

(ग) से (ङ) निगम के पास केवल 12 लाख रुपए जमा किए गए थे। परियोजना की संशोधित रिपोर्ट दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुई थी और इसे अब छावनी बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है ताकि मुख्यालय मध्य कमान इसके लिए अपनी औपचारिक मंजूरी देने हेतु आगे की कार्रवाई कर सके।

सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

[हिन्दी]

5495. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे गये थे ;

(ख) कुल कितनी चल और अचल सम्पत्ति का पता लगा ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष अभियान के अधीन 1987 और 1988 में सरकारी कर्मचारियों के क्रमशः 108 और 122 परिसरों पर छापे मारे।

(ख) निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पत्तियों का पता लगा :—

चल परिसम्पत्तियां	—	441.05 लाख
अचल परिसम्पत्तियां	—	338.63 लाख

इसके अलावा, बहुत से अभिशंसी दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए।

(ग) 166 मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली में डकैतियां

[अनुवाद]

5496. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में डकैतियों की घटनायें बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली में कितनी डकैतियां पड़ी और इन डकैतियों में कितने व्यक्ति मारे गए ;

(ग) अब तक कितने मामलों में सुराग मिला है ; और

(घ) दिल्ली में डकैतियों की घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान। डकैती के मामलों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) **वर्ष**	**सूचित किए गए डकैती के मामलों की संख्या**	**मारे गए की व्यक्तियों की संख्या**
1987	197	2
1988	203	4

(ग) **वर्ष**	**निपटाए गए मामले**
1987	139
1988	117

(घ) डकैती, लूटपाट आदि जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए जाच-पड़ताल के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों अर्थात् डोग स्कवाड/अपराध दल की सेवाएं, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की विशिष्ट ऐजेन्सियों तथा अपराध रिकार्ड कार्यालय, दस्तावेजी जांच, लाई डिटेक्टर, बम निष्प्रभावी दल आदि से सहायता ली जाती है। संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियां तैनात की गई हैं। क्षेत्र में मोटर साइकिल पर गश्त को भी पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों के साथ समन्वय करके और अधिक कारगर बनाया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन

5497. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा संबंधी उन उपकरणों का ब्यौरा क्या है जिनका उत्पादन देश के गैर-सरकारी औद्योगिक एककों द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार रक्षा उपकरणों के उत्पादन के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उपकरणों के उत्पादन पर सरकार द्वारा कोई निगरानी रखी जाती है ताकि उनके उत्पाद खुले बाजार में अथवा अवांछित तत्वों के हाथों में न पहुंचे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में निजी क्षेत्र की औद्योगिक यूनिटें कई मदों का निर्माण कर रही हैं। इनमें ये मदें शामिल हैं—कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जे और संघटक, जुड़नार (एसेम्बलीज), उप-जुड़नार, उपस्कर, वस्त्र तथा अन्य सामान्य भण्डार। ऐसी मदों की सूची बहुत बड़ी है।

सरकार की यह नीति है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक आधारभूत संरचनाओं का भरपूर प्रयोग किया जाए। इस नीति के अनुरूप सरकार का प्रयास निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में उपलब्ध स्रोतों को व्यावहारिक सीमा तक उपयोग करना है।

चूंकि रक्षा के लिए निजी क्षेत्र में उत्पादित मदें अघातक और असंवेदनशील होती हैं इसलिए अवांछित तत्वों द्वारा इनके दुरुपयोग की संभावना नहीं है।

सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्वीकृत पैनल

5498. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987 के मध्य में सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्वीकृत पैनलों दूसरे नामों को विभिन्न सरकारी उपक्रमों में निदेशक के पदों के लिए तब तक न भेजने का निर्णय लिया था जब तक ऐसे प्रत्येक पैनल का पहला नाम मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग के सदस्यों की कार्यावधि

5499. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के सदस्यों की कार्यावधि का काल एक समान बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के विक्षिप्त होने वाले कार्मिकों को सेवा निवृत्त करना

5500. **श्री एस बी० सिदनाल :**
श्री एच० जी० रामुलु :
श्री सरफराज अहमद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में सेवाकाल के दौरान विक्षिप्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां तो 1976 से 80 के दौरान विक्षिप्तता के आधार पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से 10 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि वाले कितने सेना कार्मिकों को सेवा-मुक्त किया गया और सेवा-निवृत्त/सेवा मुक्ति के बाद उनको क्या लाभ दिए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्तियों को समाज की दया पर छोड़ दिया जाता है ;

(घ) यदि हां, उनके तथा उनके परिवारों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार का ऐसे परिवारों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष सहायता देने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) 1976 से 1980 के वर्षों के दौरान भा० तिब्बत सीमा पुलिस के 10 वर्षों से अधिक सेवा के 9 सदस्यों को पागलपन के आधार पर बोर्ड द्वारा सेवा मुक्त किया गया । उन सभी को पेंशन के अलावा संबंधित नियमों के अंतर्गत ग्राह्य मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ भी दिया गया । उनमें से तीन व्यक्तियों को असाधारण पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी दिया गया । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किए गए बल का प्रत्येक सदस्य रिस्क

प्रीमियम फंड से जिसे बल के सदस्य द्वारा अंशदान करके पोषित किया जाता है, 20,000 रु० से 25,000 रु० तक के एकमुश्त भुगतान (अशक्तता की प्रकृति पर आधारित) का हकदार भी है। अतः यह कहना सही नहीं है कि पागलपन से पीड़ित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिकों को समाज की दया पर छोड़ दिया जाता है।

(घ) और (ङ) सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि भा० ति० सीमा पुलिस के भूतपूर्व कार्मिकों को वही सुविधाएं दी जाए जो भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती हैं। कुछ राज्यों ने इस प्रकार की सुविधाएं देनी शुरू कर दी। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों के लिए हैं।

समुद्र की लहरों से विद्युत पैदा करने की परियोजना का कार्यकरण

5501. श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :

श्री विनेश गोस्वामी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र की लहरों से बिजली पैदा करने की परियोजना में अप्रैल, 1989 से उत्पादन शुरू होना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना में बिजली का उत्पादन अब तक शुरू हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस विद्युत उत्पादन की मात्रा और लागत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है ; और

(ङ) सरकार की निकट भविष्य में देश में ऐसी परियोजना स्थापित करने के संबंध में क्या योजना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) प्रोटो टाइप समुद्र परीक्षण संयंत्र जुलाई, 1989 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) विद्युत उत्पादन की मात्रा तथा लागत का सही अनुमान प्रोटो टाइप संयंत्र चालू किए जाने के बाद, और उसका 6 से 12 महीनों की अवधि तक परीक्षण कर लेने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ङ) देश में तट-रेखा के साथ ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना उपर्युक्त परीक्षणों से प्राप्त परिणामों पर निर्भर होगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

5502. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है जो उनको आधुनिक उपकरण प्राप्त कराने और रोजगारोन्मुख शिक्षा दिलाने में सहायता प्रदान करेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह मिशन कब तक स्थापित किया जाएगा ; और

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेशों में विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने संबंधी आंध्र प्रदेश की परियोजना के लिए भी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है जिस से कि उनके लिए कार्यक्रम तैयार किए जा सकें ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमिति उरांव) : (क) और (ख) विकलांगों के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पर मिशन मोड में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना की पहले ही स्थापना की जा चुकी है और कार्य करना शुरू कर दिया है। परियोजना का उद्देश्य भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का विकास करना है ताकि सचलता, रोजगार, सरल जीवन में वृद्धि की जा सके और समाज में विकलांग व्यक्तियों का एकीकरण किया जा सके।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर पर्यटक गृहों का निर्माण

5504. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों में पर्यटक गृहों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटक विभाग ने ऋषिकोंडा और पुलिकाट झील पर पर्यटन कुटीरों का निर्माण करने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

जम्मू और कश्मीर, बरास्ता राजौरी के बीच सड़क सम्पर्क

5505. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क विकास बोर्ड ने जम्मू तथा श्रीनगर बरास्ता राजौरी और शोपीयां के बीच एक सड़क का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) इस सड़क की लम्बाई कितनी होगी तथा इसके निर्माण पर कितनी लागत आएगी ;

(ग) इसका निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा तथा यह कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) क्या यह सड़क छोटी तथा सीधी है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्राही) : (क) जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुरोध पर सीमा सड़क विकास बोर्ड इस सड़क का निर्माण करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गया है।

(ख) 349 किलोमीटर की सड़क मे से बाफलियाज और शोपियां के बीच 89 किलोमीटर सड़क का विस्तार/निर्माण करने की आवश्यकता होगी। सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने के पश्चात् ही इस कार्य पर खर्च होने वाली लागत का पता लग सकेगा।

(ग) सड़क का व्यापक सर्वेक्षण होने तक इस सड़क के आरम्भ होने या पूरा होने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

(घ) यह सड़क वर्तमान जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग-1 क) से लगभग 65 किलोमीटर लम्बी है।

रजक समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

5506. श्री बी० बी० रमैया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रजक (धोबी) समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का इस सत्र के दौरान इस आशय का कोई संवैधानिक संशोधन लाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमित उरांव) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342 (2) को ध्यान रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता। जनहित में इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

आंतरिक सुरक्षा अकादमी का स्थानान्तरण

5507. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतरिक सुरक्षा अकादमी के माऊंट आबू (राजस्थान) से बंगलौर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उपरोक्त कार्य के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थानान्तरित किया जाएगा ; और

(घ) उपरोक्त अकादमी को बंगलौर स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं और इसके क्या लाभ होंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) के०रि०पु०ब० का प्रस्ताव है कि अकादमी को माउंट आबू से बदलकर बंगलौर ले जाया जाए क्योंकि इसे दिन प्रतिदिन के कार्यों में अनेक कठिनाइयां हो रही हैं। पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ गई है, जिसके लिए उपलब्ध भवन पर्याप्त नहीं है। अतिथि वक्ता संचार सुविधाओं की कमी के कारण माऊंट आबू का दौरा करने से कतराते हैं जबकि बंगलौर के लिए हवाई जहाज, रेल व सड़क की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अकादमी के लिए अपेक्षित अतिथि सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बेहतरीन क्षमता वाला एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र है। के० रि० पु० ब० के पास यहां पर्याप्त भूमि है। इसके अतिरिक्त बंगलौर में माऊंट आबू की तुलना में वर्षपर्यन्त मौसम सामान्य रहता है। माऊंट आबू में मानसून के दौरान लगातार वर्षा होने के कारण बहिरंग प्रशिक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और अकादमी को स्थानांतरित करने अथवा अन्यथा पर गुणावगुणों के आधार पर उपयुक्त निर्णय यथासमय लिया जाएगा।

गोपनीय रिपोर्ट लिखा जाना

5508. श्री वी० एस० कृष्ण० अय्यर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट लिखे जाने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मिसाइल निर्माण कार्यक्रम के लिए फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी

5509. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिसाइल के स्वदेश में निर्माण कार्यक्रम में भारत की सहायता के लिए फ्रांसीसी फर्म "मात्रा' ने मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फ्रांसीसी फर्म हवा से हवा में, भूमि से हवा में, जहाज से जहाज पर मार करने वाले तथा अन्य मिसाइलों की प्रौद्योगिकी सीधे बेचने अथवा प्रौद्योगिकी अंतरित करने के लिए राजी है ;

(ग) क्या सरकार कई अन्य देशों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) हवा से हवा में मार करने वाले लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्त्रों के संयुक्त विकास के लिए "मात्रा" के साथ आरम्भिक विचार-विमर्श किया गया है ।

(ख) विचार-विमर्श अन्वेषणात्मक और प्रारम्भिक किस्म का था । भूमि से हवा और जहाज से जहाज पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र तक पहुंचने वाला मार्ग

5510 **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विद्युत निगम ने हास्पेट से कैगा तक की सड़क का स्थल निरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो हास्पेट-हुबली-येल्लापुरम केरवार-मल्लापुपूर-केगा मार्ग के परियोजना तक आवश्यक भारी उपकरणों को पहुंचाने के लिए ठीक मार्ग है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या परमाणु विद्युत निगम ने उपरोक्त सड़क की मरम्मत का काम आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कर्नाटक सरकार को इस मार्ग की मरम्मत के लिए धन प्रदान करने का है जिससे कि कैगा परियोजना की स्थापना में सुविधा हो सके ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारी और बड़े आकार के उपस्करों का परिवहन करने के लिए हास्पेट-हुबली-येल्लापुर-करवार-मल्लापुर-कैगा मार्ग में सुधार करने की आवश्यकता है ।

(ग) और (घ) होस्पेट और करवार मार्ग के बीच सड़क का सुधार करने के बारे में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन और कर्नाटक सरकार के लोक निर्माण विभाग के बीच बातचीत चल रही है । जहां तक करवार और कैगा स्थल के बीच सड़क का सुधार करने का संबंध है, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने काम पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को दो लाख रुपये दिये हैं ।

पदोन्नति के लिए अनुभव में छूट

5511. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली में वर्ष 1984 से 1988 तक पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव और मानदण्डों में किन-किन श्रेणियों के पदों पर छूट दी गई हैं ;

(ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कितने और किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को ऐसी छूट दी गई हैं ;

(ग) क्या ऐसी छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भी दी गई थी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या ऐसे चयन/पदोन्नति आदेशों को रद्द करने का विचार है जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को छूट नहीं दी गई हैं परन्तु सान्य श्रेणियों के कर्मचारियों को छूट दी गई हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1984 से 1988 तक की अवधि में समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के विभिन्न पदों में पदोन्नति के 94 मामलों में अनुभव और अन्य मानकों में छूट प्रदान कर दी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को छूट प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है, अतः चयन/पदोन्नति आदेशों को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तवाघाट-जिप्ती सड़क के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

5512. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तवाघाट-जिप्ती सड़क के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कब तक पूरा किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) 18 किलोमीटर सड़क का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ।

(ख) इस क्षेत्र में कार्य के लिए उपलब्ध समय सीमित होने के कारण, शेष 16 किलोमीटर लम्बी सड़क का सर्वेक्षण अप्रैल, 1989 से शुरू किया जा रहा है और उसके जुलाई, 1989 तक पूरा होने की सम्भावना है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

5513. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण कराये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, 1985 में एक उत्तर प्रदेश पर्वतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड की स्थापना की है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के 7 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिकी परिसर बनाने की योजना बनाई है, जिसमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, भीमताल, रामनगर, मुनी की रेती, कोटद्वार तथा देहरादून शामिल हैं। मुनी की रेती तथा भीमताल में इलेक्ट्रॉनिकी परिसर के निर्माण का कार्य पहले ही प्रगति पर है। अन्य स्थानों पर निर्माण-कार्य उचित समय पर किया जाएगा। टिहरी बांध के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए नई टिहरी में एक दूरदर्शन फैक्टरी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश की थारु, भोटिया और बोक्सा जनजातियों के लिए योजना

5514. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों मे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष योजनाएं तैयार करके विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को लागू करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली थारू, भोटिया और बोक्सा जनजातियों के विकास के लिए कोई उपयोजना तैयार की गई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई उपयोजना भेजी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत एक जनजातीय उपयोजना भी तैयार की जाती है। जनजातीय उपयोजना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को खुद ही संबोधित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, पोषाहार तथा मां और बच्चे की देखभाल आदि जैसी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा गरीबी और बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी तथा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर बढ़ाने पर मुख्य बल दिया गया है। वर्ष 1989-90 के लिए उपयोजना प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

रानीखेत में दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए भूमि

[अनुवाद]

5515. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री दूरदर्शन टावर के लिए रानीखेत छावनी की भूमि के बारे में 31 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4558 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए रानीखेत छावनी में अपेक्षित भूमि अन्तरित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक अन्तरित की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) रक्षा भूमि को अन्तरित करने के लिए सरकार की मंजूरी 21-3-1989 को जारी की गई। भूमि को वास्तविक रूप से तभी अन्तरित किया जाएगा जब भूमि के लिए अपेक्षित भुगतान बरेली के रक्षा सम्पदा अधिकारी को किया जाएगा।

विभिन्न मंत्रालयों में कार्य के घंटे

[हिन्दी]

5516. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न भागों में कार्य के घंटों का ब्यौरा क्या है तथा उन विभागों के नाम क्या हैं जिनमें शनिवार और रविवार को कार्यावकाश होता है ;

(ख) क्या इससे एक ओर कार्यालयों में कार्यक्षमता में कमी आई है तो दूसरी ओर डीजल तथा पेट्रोल पर व्यय के साथ-साथ लोगों की असुविधा में भी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से इस बारे में सर्वेक्षण कराया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों, आपरेटिव तथा औद्योगिक संस्थापनों आदि जैसे विभिन्न कार्यालयों में कार्य के घंटों की कोई एक समान पद्धति नहीं है। केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह 3 जून, 1985 से लागू किया गया था। ये कार्यालय शनिवार तथा रविवार को बन्द रहते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रशासनिक सुधार विभाग ने केवल दिल्ली स्थित चुनिंदा सरकारी कार्यालयों का एक सरसरा अध्ययन फरवरी, 1987 में किया था तथा इसके बाद नवम्बर, 1988 में एक अन्य अध्ययन किया था। यह पता चला था कि 5 दिन की सप्ताह पद्धति लागू किए जाने के बाद कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। इससे सभी जगह ईंधन तथा बिजली की खपत में बचत हुई थी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संचालन की कार्यकुशलता में भी सुधार हुआ था।

कालीकट, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, मद्रास के बीच विमान सेवाएं

[अनुवाद]

5517. श्री टी० बशीर :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट से त्रिवेन्द्रम, कोचीन और मद्रास के लिए विमान सेवायें शुरू करने के लिए कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) कालीकट से कितनी विमान सेवायें चलायी जा रही हैं और ये किन-किन स्थानों को जाती हैं ;

(घ) कालीकट हवाई अड्डे का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ङ) क्या कालीकट को खाड़ी के देशों से सीधी विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) केरल सरकार से एक सदर्भ अगस्त, 1988 में प्राप्त हुआ था । इसके अलावा कालीकट से त्रिवेन्द्रम, कोचीन, मद्रास और खाड़ी देश के स्टेशनों के लिए नई उड़ानों को शुरू करने के लिए वर्ष 1 88 में लोगों से और मालाबार चैम्बर ऑफ कामर्स तथा कालीकट हवाई अड्डा समिति आदि से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय इण्डियन एयरलाइन्स बम्बई और कालीकट के बीच सप्ताह में चार दिन की बी-737 सेवा परिचालित करती है । त्रिवेन्द्रम, कोचीन, मद्रास आदि को कालीकट के साथ सम्पर्क स्थापित करने की इंडियन एयरलाइन्स की योजना है जो पर्याप्त अतिरिक्त एयरबस ए-320 विमानक्षमता को शामिल करने और समुचित यातायात की संभावना पर निर्भर करेगा । मद्रास, बंगलूर, कालीकट, त्रिवेन्द्रम और वापसी मार्गों पर निकट भविष्य में परिचालन करने की वायुदूत की भी योजना है ।

(ङ) और (च) कालीकट हवाई अड्डा एयरबस परिचालों के लिए उपयुक्त नहीं है । कालीकट और खाड़ी देशों के स्टेशनों के बीच एयर इंडिया परिचालन करने की स्थिति में नहीं है ।

अखिल असम चाय क्षेत्र और गैर-चाय क्षेत्र के आदिवासी छात्रों की मांगें

5518. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल असम चाय क्षेत्र और गैर-चाय क्षेत्र के आदिवासी छात्रों ने केन्द्रीय सरकार को अपनी मांगों का एक बीस सूची पत्र पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर कोई निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) इस मंत्रालय में इस प्रकार का कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

असम में पर्यटक केन्द्रों का आधुनिकीकरण

5519. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में पर्यटन केन्द्रों, विशेषकर काजीरंगा और मनास पर्यटन केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए जिसमें पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं हों, कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या काजीरंगा में आदर्श गांव स्थापित किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सरकार को असम में पर्यटक केन्द्रों के आधुनिकीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है न ही काजीरंगा में आदर्श गांव स्थापित करने के बारे में भी कोई प्रस्ताव मिला है ।

मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा द्वारा दिए गए ठेके

5520. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा द्वारा 10 लाख रुपये से अधिक राशि के कितने ठेके दिए गए ;

(ख) कितने मामलों में विवाद पैदा नहीं हुए ;

(ग) कितने विवादग्रस्त मामलों में ठेकेदारों ने मध्यस्थ निर्णय की मांग की ; और

(घ) इनमें से कितने मामलों में सरकार जीती और कितनों में हारी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) 2545 ।

(ख) 2506 ।

(ग) 39 ।

(घ) सरकार 13 मामलों में हारी है और 8 मामलों में जीती है। 18 मामले निर्णयाधीन हैं।

राज्यों में अपराध दर

5521. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान अब तक भारत के किस राज्य मे अपराध दर सबसे अधिक है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : वर्ष 1987 और 1988 के दौरान भारतीय दंड संहिता के अधीन दर्ज किए गए अपराधों की संख्या का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय दंड संहिता के अधीन दर्ज किए गए कुल अपराध

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1987	1988
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	76,729	82,390
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,348	1,764
3.	असम	37,704	27,204 (सितम्बर, 88 तक)
4.	बिहार	1,14,181	1,22,039
5.	गोवा	4,550	3,967
6.	गुजरात	85,444	80,568 (नव०, 88 तक)
7.	हरियाणा	23,226	13,166 (अक्तू०, 88 तक)
8.	हिमाचल प्रदेश	6,479	6,521
9.	जम्मू और कश्मीर	19,158	19,868
10.	कर्नाटक	84,192	89,050
11.	केरल	55,410	62,899
12.	मध्य प्रदेश	1,71,033	94,504 (जून, 88 तक)
13.	महाराष्ट्र	1,74,018	1,71,05
14.	मणिपुर	2,325	2,353

1	2	3	4
15.	मेघालय	2,436	1,747
16.	मिजोरम	1,140	1,267
17.	नागालैंड	1,642	1,351
18.	उड़ीसा	42,357	42,075
19.	पंजाब	14,872	14,276
20.	राजस्थान	79,851	88,146
21.	सिक्किम	350	333
22.	तमिलनाडु	96,907	98,199
23.	त्रिपुरा	4,633	5,520
24.	उत्तर प्रदेश	1,64,751	1,65,493
25.	पश्चिम बंगाल	94 655	69,175
26.	अण्डमान व निकोबार	686	759 (नव०, 88 तक)
27.	चंडीगढ़	1,621	1,734
28.	दादर व नगर हवेली	518	433 (नव०, 88 तक)
29.	दिल्ली	25,846	28,011
30.	दमन व दीव@	53	120
31.	लक्षद्वीप	31	27 (अक्तू०, 88 तक)
32.	पांडिचेरी	2,466	1,631

टिप्पणी : 1. वर्ष 1987 के लिए आंकड़े त्रैमासिक अपराध पुनरीक्षा पर आधारित हैं तथा वर्ष 1988 के लिए "मासिक अपराध आंकड़े" पर आधारित हैं। इसलिए मामलों को अस्थाई समझा जाए।

2. @ गोवा को मई, 1987 में राज्य का दर्जा मिला तथा संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव से अलग किया गया।

महात्मा गांधी पार्क, कानपुर छावनी में शैडों का अनधिकृत निर्माण

5522. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी बोर्ड कानपुर ने कुछ किराएदारों को महात्मा गांधी पार्क में और उसके इर्द-गिर्द अस्थायी शैडों का अनधिकृत निर्माण करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे सभी अनधिकृत निर्माणों को तुरन्त गिराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी बोर्ड, कानपुर ने किसी अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी है। छावनी बोर्ड, कानपुर ने छावनी के भवन को रेस्टोरेंट के रूप में उपयोग किए जाने के लिए लाइसेंस दिया है और भवन की छत को बदलने के लिए भी लाइसेंस को मंजूर किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मच्छरों के कारण विलम्ब

5523. श्री सोमनाथ रथ : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से डिब्रूगढ़ जाने वाला विमान मच्छरों के कारण विलम्ब से उड़ा था, जैसाकि नई दिल्ली से प्रकाशित 15 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", में समाचार प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो यह विमान कितने घंटे देर से उड़ा ; और

(ग) विमान में इतने ज्यादा मच्छर कैसे घुस गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 13 मार्च, 1989 की इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई-सी-201 कलकत्ता हवाई अड्डे पर 1 घंटा और 50 मिनट इसलिए विलम्ब हो गई थी क्योंकि केबिन में मच्छर पायें गये थे।

(ग) यद्यपि कलकत्ता में रात्रि में ठहरने के समय निरीक्षण के दौरान विमान में धुआं दिया गया था लेकिन जब विमान के दरवाजों को सुबह यात्रियों को चढ़ाने और सामान लादने के लिए खोला गया तो काफी मच्छर केबिन में घुस गए।

कानपुर छावनी में अवैध कब्जे

5524. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर छावनी क्षेत्र के भीतर सेना की भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अवैध कब्जे करने वालों को हटाने और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) 2453 अवैध कब्जों की रिपोर्ट मिली है। कानून के अन्तर्गत इन्हें हटाने की कारंवाइयों के अतिरिक्त राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अवैध कब्जेदारों को वैकल्पिक स्थानों पर बसाने के लिए कारंवाई करें।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान पट्टे पर लेने की शर्तें

5525. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा विभिन्न विमान कम्पनियों से उनके विमान पट्टे पर लेने की शर्तों में भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पट्टे पर लिए गए विमानों के रखरखाव और संचालन के संबंध में एक समान प्रक्रिया न अपनाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसका दोनों विमान कम्पनियों की जनशक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) वर्तमान शिक्षित कार्मिकों की किसी प्रकार की छंटनी की स्थिति न आने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) किसी भी विमान की वास्तविक पट्टे की दरें विमान के प्रकार, उसके आकार, राजस्व अर्जित करने की संभावना, परिचालन लागत, पट्टे की करार में निहित लागत इत्यादि जैसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है । ये तत्व एक विमान से दूसरे विमान और एक पट्टाकर्ता से दूसरे पट्टाकर्ता के मामले में अलग-अलग होते हैं। अत: पट्टे की व्यवस्था के बारे में कड़े और एक जैसे तरीके अपनाना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) जबकि वेटलीज और पट्टे पर विमान लेने से विमान क्षमता की भारी जरूरत पूरी हो गई है लेकिन पट्टे पर विमान लेने से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की जनशक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वेटलीज पर लिए गए विमान थोड़े ही हैं । प्रशिक्षित कार्मिकों की छंटनी की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

कुलियों की भर्ती

5526. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन अधिकारियों द्वारा हवाई अड्डों पर कुलियों की भर्ती के लिए क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या इन मानदण्डों का उन कुलियों की भर्ती करने में पालन किया गया था जो हाल ही में कलकत्ता हवाई अड्डे पर सामान की चोरी करने वाले पकड़े गए गिरोह में शामिल थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) लोडरों के पदों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती द्वारा की जाती है । इसके लिए अनुरोध स्थानीय रोजगार कार्यालयों को भेजे जाते हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों आदि को भी सूचित किया जाता है । नियुक्ति करने से पहले चुने गए उम्मीदवारों से यह आपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्राधिकारियों से साक्षांकन फार्म, चरित्र प्रमाण-पत्र और अन्य फार्म प्रस्तुत करें । उन्हें सेवा में स्थायी करने से पहले निर्धारित प्राधिकारियों से उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में भी पुष्टि की जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा पर्सनल कम्प्यूटर का निर्माण

5527. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम का पर्सनल कम्प्यूटर का निर्माण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में स्वीकृति हेतु सरकार को कोई योजना भेजी गई है ;

(घ) कितने कम्प्यूटरों का निर्माण किए जाने की संभावना है और इन पर अनुमानतः कितना खर्चा होगा ; और

(ङ) यह व्यापारियों और अन्य लोगों के लिए कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वैयक्तिक कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । ई०टी० एण्डटी० का कम लागत के वैयक्तिक कम्प्यूटरों को उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का प्रस्ताव है ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

रक्षा अनुसंधान प्रौद्योगिकी केन्द्र

5528. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा अनुसंधान प्रौद्योगिकी केन्द्र खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य प्रयोजनों के लिए ये केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी, नहीं । रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के पास प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की योजनाएं हैं । ये योजनाएं रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन किए गए और विकसित किए गए तथा रक्षा के लिए आवश्यक संघटकों तथा उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए हैं ।

पश्चिम जर्मनी में कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मेला

5529. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पश्चिम जर्मनी में हेनोवर में 8 मार्च, 1989 से आयोजित सबसे बड़े कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मेलेमें भाग लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन देशों ने भाग लिया है और इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :(क) जी, हां।

(ख) कम्प्यूटर सापटवेयर, हार्डवेयर, कार्यालय स्वास्थ्य तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हनोवर में 8 मार्च से 15 मार्च, 1989 की अवधि में से-बिट 89 (कार्यालय, सूचना तथा दरसंचार प्रौद्योगिकी का विश्व केन्द्र) आयोजित की गई थी।

इसमें भारतीय सहभागिता नीचे दिए अनुसार रही :—

सॉफ्टवेयर खण्ड में 30 कम्पनियां

हार्डवेयर खण्ड तथा दूरसंचार खण्ड में 26 कम्पनियां

6 सेवा तथा संवर्धनात्मक संगठन

उनके द्वारा किए गए प्रदर्शनों के अतिरिक्त, 'भारत के साथ व्यापार' विषय के वित्तीय, वाणिज्यिक तथा तकनीकी पहलुओं पर एक 5 दिवसीय कार्यशाला का कार्यक्रम भी चलाया गया।

से-बिट 89 में भारतीय उद्योग की सहभागिता का मुख्य उद्देश्य था कम्प्यूटर तथा संचार के क्षेत्रों में इनके उत्पादों तथा सेवाओं को प्रस्तुत करना ताकि उनके भागीदारों का पता लगाया जा सके ; उनकी क्षमताओं को उजागर किया जा सके ; और साथ ही यूरोप के बाजार की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करके अध्ययन किया जा सके। इसके अतिरिक्त उसमें उनकी स्वयं की भूमिका क्या होगी इसका पत लगाकर लाभकारी रूप से भाग लेना भी एक उद्देश्य है। इसमें भाग लेने के उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया है।

विमानों की खरीद पर सीमा-शुल्क

5530. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नये एयरबस की खरीद पर अनुमानतः कितना सीमा-शुल्क का भुगतान किया जाएगा ;

(ख) विमान पर सीमा-शुल्क में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का सीमा-शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि को किस प्रकार से रद्द करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) आदेश पर 19 एयरबस ए-320 विमानों के आयात के लिए मूल सीमा-शुल्क के रूप में 36 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किए जाने का अनुमान है। सीमा-शुल्क की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

मातृभाषाओं/बोलियों का वर्गीकरण

5531. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना प्राधिकारियों द्वारा मातृभाषाओं/बोलियों के वर्गीकरण में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अवैज्ञानिक और अनिश्चित है जो भाषायी मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है और प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाओं के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अगली जनगणना (वर्ष 1991) में इस प्रवृत्ति और प्रथा के विरुद्ध कोई सुरक्षा उपाय करने का विचार है और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर मातृभाषाओं/बोलियों से संबंधित जनगणना विवरण का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और दक्कन कालेज जैसे राष्ट्रीय संस्थानों से चुने गए भाषाविदों का पैनल नियुक्त करेगी ; और

(ग) इस पैनल का गठन कब तक किया जायेगा जिसमें विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व इस प्रकार से दिया जाए कि सभी मुख्य बोलियों के वर्गों/क्षेत्रों को प्रत्येक राज्य के लिए इस क्षेत्रीय विशेषज्ञ पैनल में प्रतिनिधित्व दिया जाये ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जनगणना भाषा सारणियों में संबद्ध भाषाओं/मातृभाषाओं के अधीन कुछ मामलों में उनके भिन्न-भिन्न समूह बनाए गए हैं। ऐसा तत्काल उपलब्ध भाषाई सूचना के आधार पर अथवा किए गए अध्ययनों को ध्यान में रखकर किया गया है। यह अवैज्ञानिक और अनिश्चित नहीं है।

(ख) और (ग) भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिलने तक पूरा वेतन दिया जाना

5532. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन ने भूत पूर्व सैनिकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए उन्हें उपयुक्त रोजगार मिलने तक अथवा 58 वर्ष की आयु होने तक पूरा वेतन देने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है तथा इस निर्णय का स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो ऐसा निर्णय कब किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) सरकार ने प्रेस में छपी इन रिपोर्टों को देखा है जिसमें "अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी संघ" ने यह मांग की है कि प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को तब तक पूरा वेतन दिया जाना चाहिए जब तक कि उसे पुनः रोजगार प्रदान किया जाता है या उसकी आयु 58 वर्ष की होती है, इनमें से जो भी पहले हो।

(ख) और (ग) सरकार ने इस मांग को स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं समझा।

ऊना और हमीरपुर में सेना स्टेशन

5533. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और ऊना सेना स्टेशन स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया और निर्णय लेने की तिथि क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में किस तिथि तक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ताकि प्रत्येक जिले में इस प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के संबंध में गांवों की जनता में व्याप्त संशय दूर हो सकें और निर्णय लेने मे विलम्ब होने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चितामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) हमीरपुर में अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने अभी तक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी नहीं किया है। ऊना के संबंध में मामले की थलसेना मुख्यालय में और जांच की जा रही है। हमीरपुर और ऊना में सैन्य स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय किस तिथि तक लिया जाएगा, यह बताना व्यवहार्य नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामले

5534. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और पता क्या हैं जिन्हें वर्ष 1988-89 के वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान पेंशन स्वीकृत की गई है और 31 मार्च, 1989 को स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य के ऐसे कितने मामले अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : अप्रैल, 1986 से मार्च, 1989 तक हिमाचल प्रदेश के 70 स्वतंत्रता सेनानियों/स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं/आश्रितों को पेंशन मंजूर की जा चुकी है। इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और पते संलग्न विवरण-1 में दिए गये हैं। अब 932 मामले लम्बित हैं। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-2 में दर्शायी गई है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और पतों का विवरण, जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है।

(एक) अप्रैल, 1986 से मार्च, 1987

1. श्रीमती राम प्यारी पत्नी स्वर्गीय बलवन्त सिंह,
ग्राम एवं पोस्ट-छरी, तहसील एवं जिला कांगड़ा।

2. श्रीमती चन्द्रावती पत्नी स्वर्गीय हरी सिंह,
ग्राम-रामहेरा, पोस्ट-भोम्बला, तहसील-सरकाघाट,
जिला मंडी।

3. श्रीमती कल्याण देवी पत्नी स्वर्गीय अक्खर सिंह,
ग्राम चुलम, पोस्ट-कुटेहरा, तहसील घुमेरिन
जिला-बिलासपुर ।

4. श्रीमती कृष्णा नन्दा पत्नी राम कृष्ण नन्द,
वार्ड नं० 4 म्यूनिसिपल कमेटी, जिला हमीरपुर ।

5. श्रीमती सोमा दास पत्नी दिना नाथ
ग्राम-भारजा, परगनामस्त गढ़
तहसील-राम बहशर, जिला मस्तगढ़ ।

6. श्रीमती बन्टी देवी पत्नी स्वर्गीय हुकमा,
ग्राम-बूघर, पोस्ट मण्डली, तहसील-बनगना, जिला ऊना ।

7. श्रीमती रिखी देवी पत्नी स्वर्गीय घुंगर राम,
ग्राम कोहिली (दरायाता) पोस्ट भिरा,
जिला हमीरपुर ।

8. श्रीमती जानकी देवी पत्नी सोहन सिंह
ग्राम रोपरी, पोस्ट-भारेरी, तहसील-हमीरपुर,
जिला हमीरपुर ।

9. श्री भगत राम सुपुत्र गंदा राम,
ग्राम भलन पोस्ट सरकाघाट,
तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी ।

10. श्री रूप चन्द सुपुत्र हेमचन्द,
ग्राम-दूल, इलाका भांगल,
(वाया) जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी ।

11. श्री हीरा सिंह सुपुत्र मोहन सिंह,
ग्राम तवान, पोस्ट भनग्रोटू, तहसील-सदर, जिला मण्डी ।

12. श्री दयाल सिंह सुपुत्र नेत्रर सिंह,
ग्राम गेबेरा इलाका पंछित, जिला मण्डी ।

13. श्री जय सिंह सुपुत्र वैकुण्ठो,
ग्राम एवं पोस्ट मोहाली, तहसील-नूरपुर, जिला कांगड़ा ।

14. श्रीमती मालका देवी पत्नी स्वर्गीय तुलसी राम,
ग्राम एवं पोस्ट साहू बेबी, तहसील अम्ब, जिला ऊना ।

15. श्री भगत राम सुपुत्र पंजाब सिंह,
ग्राम अम्बेहर, पोस्ट सनकाली, तहसील अम्ब, जिला ऊना ।

16. श्री पूर्णानन्द सुपुत्र हरजू राम,
मकान नं० 110/1, जवाहर नगर, मण्डी टाऊन, मण्डी ।

17. श्री शम्भु सुपुत्र बंगा,
ग्राम-अन्साला, पोस्ट ज्योती लाम्बे, जिला हमीरपुर ।

18. श्री कश्मीर सिंह सुपुत्र सुदामा राम,
ग्राम एवं पोस्ट छलेत, तहसील अम्ब, जिला ऊना ।

19. श्री कहन सिंह, सुपुत्र दीत्ता, ग्राम एव पोस्ट खान्नी,
तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ।

20. श्री हिमल सिंह सुपुत्र केशव सिंह,
ग्राम सगेनेशवर, पोस्ट छवेनतरा, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी।

21. श्री देवी रूप सुपुत्र शंकर, ग्राम नवानगरोन,
पोस्ट छैल चोक, जिला मण्डो ।

22. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्वर्गीय रघबीर सिंह,
गहेरा इलागा बल्ह, पोस्ट भनग्रोटू, जिला मण्डी ।

23. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्याम सिंह,
ग्राम बगला, पोस्ट बरसू, तहसील सदर, जिला मण्डी ।

24. श्री भूप सिंह सुपुत्र जंगी,
ग्राम अर्थी, पोस्ट भगनसैनल,
तहसील सदर, जिला मण्डी ।

25. श्रीमती शमकली देवी पत्नी स्वर्गीय मेहर चन्द,
ग्राम एवं पोस्ट भनग्रोटी, तहसील सदर, जिला मण्डी ।

26. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी पूनू राम,
ग्राम सलह, पोस्ट जोह, पुलिस स्टेशन अम्ब, जिला ऊना ।

27. श्रीमती सेना देवी पत्नी स्वर्गीय रसील सिंह,
ग्राम बहल भूरी, पोस्ट बैरघाट,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

28. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्वर्गीय भूरी सिंह,
ग्राम धर पोस्ट बरीयाल (वाया नग्रोटा सूर्यान)
तहसील डेरा, जिला कांगड़ा ।

29. श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय भगत राम,
ग्राम जीग्गर, चौवर, पोस्ट जिब्बर,
तहसील अम्ब, जिला ऊना ।

20. श्रीमती कलम देवी पत्नी जय किशन,
निवासी ग्राम बहर पोस्ट ठूरल
तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा ।

31. श्रीमती कृष्णी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कश्मीर सिंह,
ग्राम रसमणी, पोस्ट सुन्दर नगर, नं० .,
जिला मण्डी ।

32. श्रीमती बूरगी देवी पत्नी स्वर्गीय भट्टू राम
ग्राम एवं पोस्ट भलाड़ (वाया गंबाट) तहसील-नूरपुर,
जिला कांगड़ा ।

33. श्रीमती सुख देवी पत्नी स्वर्गीय राम,
ग्राम एवं पोस्ट सलोह, जिला ऊना ।

34. श्रीमती राम प्यारी पत्नी स्वर्गीय देवी सिंह,
ग्राम ठकेवद्वारा पोस्ट इन्दौर,
तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा ।

35. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्वर्गीय भण्डारी राम,
ग्राम सिकोटी, पोस्ट खुन्डियान,
तहसील डेरा, जिला, कांगड़ा ।

36. श्रीमती केशरी देवी पत्नी स्वर्गीय सुखदेव सिंह,
निवासी राम नगर, पोस्ट तेतहुल तेलाब,
पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

37. श्रीमती हरदी देवी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मन सिंह,
ग्राम चरण पोस्ट भगवाड़ा तहसील भोरंज,
जिला हमीरपुर ।

38. श्रीमती राजो देवी पत्नी स्वर्गीय मुन्शी राम,
ग्राम एवं पोस्ट छलवाड़ा, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा ।

39. श्रीमती महाराजू देवी पत्नी स्वर्गीय कान्सी राम,
ग्राम तरोटा, पोस्ट कक्कड़, जिला हमीरपुर ।

40. श्रीमती जय देवी पत्नी स्वर्गीय तुलसी राम,
ग्राम एवं पोस्ट खारी तहसील एवं जिला हमीरपुर ।

41. श्रीमती शितुल देवी पत्नी स्वर्गीय गयानो उर्फ बनो,
ग्राम कुलेरा पोस्ट डे, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ।

42. श्री बिदी सिंह सुपुत्र गमफा,
ग्राम छूरठा, पोस्ट निरतो जिला कांगड़ा ।

43. श्री रिखी राम सुपुत्र स्वामी राम,
ग्राम सुयाल पोस्ट जलाग, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा ।

44. श्री मला सिंह सुपुत्र टेक सिंह,
ग्राम एवं पोस्ट चन्दपुर, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा ।

(दो) अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 तक

1. श्रीमती सुजागो देवी पत्नी स्वर्गीय निकू राम,
गांव सौरार, पो० ओल सप्पार, तहसील नोडोन,
जिला हमीरपुर ।

2. श्रीमती नारायण देवी पत्नी स्वर्गीय लालमान,
गांव गागलहरी, प्रो० भगवाडा, तह० भोरज, जिला हमीरपुर ।

3. श्रीमती भाग देवी पत्नी स्वर्गीय माथरा राम,
गांव छाट (बेमकोल) प्रो० छाट, जिला बिलासपुर ।

4. श्रीमती गैनी देवी पत्नी नाना सिंह,
गांव तटोरा, पो० जलग तह० पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

5. श्रीमती हुर देवी पत्नी स्व० इन्द्र सिंह,
गांव सुलपुर, पो० भापला, तहसील बारकाघाट, जिला मण्डी ।

6. श्री अनन्त राम पुत्र निहाल राम,
गाव-पो० डेहरा (हटवार), तहसील घुमरवीन, जिला बिलासपुर ।

7. श्रीमती माधो देवी पत्नी स्वर्गीय दूनी चन्द,
गांव-पनेरा, पो०, धुलेरा तह० पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

8. श्रीमती पारो देवी पत्नी स्वर्गीय राम दित्ता,
गांव भानाला, पो० शेहोपुर, जिला कांगड़ा ।

9. श्रीमती बालम देवी पत्नी स्वर्गीय संगीता राम,
गांव कोफीना, पो० पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

10. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्वर्गीय धुम्मी लाल आचार्य,
गांव नागन, पो० बरानल (बाबा) पापरोला, तह० बैजनाथ, जिला कांगड़ा ।

11. कुमारी मधुबाला पुत्री स्वर्गीय गोविंदराम,
गांव तथा पो० गुलेर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा ।

12. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्वर्गीय ज्ञानचन्द
गांव-आसीन, पो० काश्मीर तह० नादौन, जिला हमीरपुर ।

13. श्रीमती चमेली देवी पत्नी स्वर्गीय रोशन लाल सूद,
खनयारा रोड, धर्मशाला, तह० और जिला कांगड़ा ।

14. श्रीमती पहूटो देवी पत्नी तुलाराम,
गांव बावा, पो० पालरा तह० बरोह, जिला कांगड़ा ।

15. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय हुकम सिंह,
गांव भागरेह, पो० जिज्जर, तह० अम्ब, जिला ऊना ।

16. श्रीमती सुनहरो देवी पत्नी स्वर्गीय हर सुखराम,
गांव नहूलाबी पो० ओ० आधार, जिला हमीरपुर ।

17. श्रीमती दिप्फी देवी पत्नी टेक सिंह,
गांव ओच, पो० लाहर, तह० पालमपुर, जिला कांगड़ा ।

18. श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्वर्गीय सन्तराम,
गांव झानीकर, पो० बराड़ा, जिला हमीरपुर ।

(तीन) अप्रैल, 88 से मार्च, 89 तक

1. श्री खजान सिंह पुत्र शोभा सिंह,
गांव-बैलू, तह० जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी ।

2. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्वर्गीय हरीसिंह मुसाफिर,
गांव बुहाड़ा, पो० तिहाड़ा, तह० सारकघाट, जिला मण्डी ।

3. श्रीमती करतारी देवी पत्नी स्वर्गीय हरबन्स सिंह,
गांव मक्सर, प्रो० मान्डली, तह० बांधुआ, जिला ऊना ।

4. श्रीमती कृष्णो देवी पत्नी स्वर्गीय अबाईराम,
गांव छीक, पो० झौड़बरी, तह० बडसर, जिला हमीरपुर ।

5. श्रीमती बैद कौर पत्नी स्वर्गीय सोहन सिंह,
गांव बल्लू खरयाल, पो० भागड़,
तह० घुमेरविन, जिला बिलासपुर ।

6. श्रीमती सोमा देवी पत्नी स्वर्गीय होशियार सिंह,
गांव लास्ट, पो० लांबागांव, तह० जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा।

7. श्री मान चन्द, पुत्र श्री दिलीप सिंह,
गांव रोपड़ी, कोटीधार, पो० ओ० डंबागांव,
तह० पालमपुर, जिला कांगड़ा।

8. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी स्व० चंकूराम,
गांव देहरी, पो० ओ० हुरसार,
तह० नूरपुर, जिला कांगड़ा।

9. श्री सत्य देव भुजारी, पुत्र निकाराम भुजारी,
जिला कान्सा कोट, तह० रोहूर, जिला शिमला।

विवरण-2

केन्द्र सरकार के पास लम्बित मामलों की संख्या का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	निलम्बित मामले
1	2
आंध्र प्रदेश	36
असम	—
बिहार	328
गुजरात	4
गोवा	—
हरियाणा	87
अरुणाचल प्रदेश	—
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	18
केरल	1
महाराष्ट्र	28
मणिपुर	—
मध्य प्रदेश	21

1	2
मेघालय	—
मिजोरम	—
नागालैण्ड	—
उड़ीसा	—
पंजाब	318
राजस्थान	15
तमिलनाडु	—
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	39
पश्चिम बंगाल	1
आइ० एन०ए० कार्मिक	—
संघ शासित क्षेत्र	
अण्डमान निकोबार	—
चंडीगढ़	—
दिल्ली	32
पांडिचेरी	—
जोड़ :	932

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का विस्तार

5535. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का विस्तार करने का विचार है ताकि हमारी विमान कम्पनियों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बोइंग 737 और 747 जैसे विमानों का निर्माण किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) ऐसे विमान के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का विस्तार करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ;

कोल्हापुर हवाई अड्डे पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा

5536. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है ;

(ख) क्या कोल्हापुर हवाई अड्डे पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिरडी में विमानपत्तन

5537. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरडी में एक विमानपत्तन का निर्माण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक लिया जाएगा तथा विमानपत्तन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ; और

(ग) क्या इस प्रस्तावित विमानपत्तन पर रात को विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) शिरडी के महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा निर्मित किए जाने वाला प्रस्तावित हवाई अड्डा ओझर विमान-क्षेत्र के नजदीक है जोकि रक्षा मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान

एरोनाटिक्स लिमिटेड का है। अतः राज्य सरकार रक्षा प्राधिकारियों से अनुमति लेने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श कर रही है।

गुजरात में अवैध शराब पीने से मौतें

5538. डा० दिग्विजय सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ोदा में 5 मार्च, 1989 को अवैध शराब पीने से 87 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बाद गुजरात ऐसा राज्य हो गया है जहां अवैध शराब पीने से सबसे अधिक मौतें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण यह है कि देश में केवल गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां मद्य निषेध पूर्णतः लागू है ;

(ग) क्या वित्त आयोग ने भी नशाबन्दी कानूनों को रद्द करने की सिफारिश की है ; और

(घ) क्या अब केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देने का विचार है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अनुसार जिन्हें राज्य सरकारें लागू करती हैं, अवैध शराब का उत्पादन और वितरण करना एक अपराध है। जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौतों के आंकड़े केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि 1978 में भारत सरकार ने नशाबन्दी नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हुए आबकारी राजस्व के नुकसान की राज्य सरकारों के क्षति पूर्ण करने का निर्णय लिया था।

विमान अपहरण विरोधी समिति

5539. श्री वी० एस० बासवराजू :

श्री शान्तिलाल पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक विमान अपहरण विरोधी समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है ; और

(ग) समिति द्वारा अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सरकार ने विमान अपहरण-विरोधी कोई समिति नियुक्त नहीं की है। लेकिन विमान अपहरण संबंधी घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप केवल संकट के समय ही मिलता है।

'माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक' के क्षेत्र में भारत अमरीका संयुक्त विज्ञान परिषद की सिफारिशें

5540. श्री बी० एस० बासवराजू :

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1995 तक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश के लिए भारत अमरीका संयुक्त विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य प्रस्तावों की सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इस संबंध में अमरीका कितनी सहायता देने पर सहमत हो गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी विषय पर गठित भारत-अमेरिका संयुक्त समिति की रिपोर्ट की जांच कर रही है ।

(ग) सरकार को इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

दमन और दीव से स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता

5541. श्री गोपाल के० टंडेल : क्या गृह मंत्री दमन और दीव के लिए कर्मचारियों की भर्ती के बारे में 2 दिसम्बर, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव से गोवा राज्य के लिए तथा गोवा राज्य से दमन और दीव के लिए स्थानान्तरण चाहने वाले कितने कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) आज तक गोवा राज्य तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए कर्मचारियों के आवंटन हेतु कितने-कितने कर्मचारियों को चुना गया है ; और

(ग) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण चाहने वाले कितने कर्मचारियों को प्राथमिकता पर अभी निर्णय लिया जाना है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एयर इंडिया के कर्मचारियों का तस्करी की गतिविधियों में लिप्त होना

5542. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कुछ कर्मचारी तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और उनसे जब्त वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार ऐसी तस्करी को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा तस्करी गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त पाए जाने के कुछ मामले हुए हैं।

(ख) 198 से आगे तस्करी के कार्य में लगे हुए एयर इंडिया, अधिकारियों के नाम तथा पदनाम और वसूल की गई वस्तुओं/उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के विवरण संलग्न हैं।

(ग) भारत से बाहर निषिद्ध माल की तस्करी की रोकथाम के लिए एयर इंडिया सुरक्षा दल द्वारा विमान के भीतर और बाहर तथा हवाई अड्डों और एक्स-रे मशीनों पर कार्य कर रहे स्टाफ पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है/जांच-पड़ताल की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1986 से आगे तस्करी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गए एयर इंडिया अधिकारियों के नाम और पदनाम

क्रम संख्या	दिनांक	वसूल की गई वस्तुएं	नाम और पदनाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	23-2-86	19 लाख रु० मूल्य की अवैध 43 कि० ग्रा० हिरोइन।	श्री एम० एफ० इस्माइल एफ० पी०/आई० एफ० एस०, बम्बई।	सेवा से निकाल दिया गया।
2.	10-3-86	61,43,155 रु० मूल्य के सोने के बिस्कुट/सिक्कों घड़ियों के बक्से को बम्बई ले जाते समय पकड़ा गया।	श्री एस० टी० करासू कार्गो पर्यवेक्षक, सिंगापुर।	सेवा से निकाल दिया गया।
3.	22-2-86	आबू धाबी से एक यात्री द्वारा लाये गए 7.5 लाख रु० के सोने के बिस्कुट/सिक्के/घड़ियों की तस्करी में लिप्त पाया गया।	श्री एम० एस० प्रभु, वरिष्ठ यातायात सहायक, त्रिवेन्द्रम।	सेवा से निलंबित कर दिया गया।

1	2	3	4	5
4.	30-5-86	29 लाख रु० के मूल्य के 120 सोने की छड़ों की तस्करी ।	1. श्री के० एस० भट्ट, खानपान अधिकारी, बम्बई । 2. श्री पीटर डेविड, सफाई-वाला, आई०एफ०एस०, बम्बई ।	दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया ।
5.	12-11-86	1 लाख रु० मूल्य की नशे की गोलियों की तस्करी में अन्तर्ग्रस्त ।	श्री सी० एफ० शिन्दे, यातायात सहायक, वाणिज्यिक, बम्बई ।	निलम्बित ।
6.	18-11-87	उसके साथ के सामान में से 2,04,628/- रु० मूल्य की 74 सोने की छड़ें बरामद की गई हैं ।	कुमारी मधुमिता बक्शी, अप्रमुख विमान परिचारिका, आई० एफ० एस०, बम्बई ।	सेवा से निकाल दिया गया ।
7.	10-3-87	उसके पास से 1000 अमरीकी डालर बरामद किये गए ।	श्री एस०सी० भास्कर, स्टोर कीपर, दिल्ली ।	चार्ट शीट दिया गया ।
8.	22-7-87	2 सूट केस ले जाते समय पकड़ लिए गए जिसमें सोना/घड़ियां/वस्तुओं के पुर्जे थे जिनकी उनकी कीमत 50,70,629 रु० थी ।	1. श्री एम० आर० पी० राजू, जूनियर आपरेटर, जी० एस०डी०, बम्बई । 2. श्री एस० जी० मोहिते, लोडिंग सुपरवाइजर, जी० एस०डी०, बम्बई ।	दोनों को निलम्बित किया गया ।

1	2	3	4	5
9.	4-2-88	गैरकानूनी तरीके से 45 सोने की छड़ें रखी हुई थी जिसकी कीमत 17, 62, 992 रुपए है।	श्री एल० वी० डीसूजा, जूनियर खान-पान अधिकारी, शोफेयर, बम्बई।	निलम्बित
10.	14-2-88	गैरकानूनी तरीके से सोने की 50 छड़ें पाई गई जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है।	श्री एस० सी० खेरवाल, वरिष्ठ विमानन तकनीशियन इन्जीनियरिंग, बम्बई।	निलम्बित
11.	18-3-88	गैरकानूनी तरीके से 23 सोने की छड़ें रखी गई थी जिसकी कीमत 8·5 लाख रुपए है।	कुमारी, ए० आर० बेन जांच विमान परिचारिका, आई० एफ० एस०, बम्बई।	निलम्बित
12.	18-3-88	फेरा के उल्लंघन में 95,000 रु० और गैरकानूनी रूप में 33,000 रुपए के मूल्य के सोने की तस्करी में लिप्त।	श्री एस० बी० अय्यर, ए० एफ० पी०/आई० एफ० एस०, बम्बई।	निलम्बित
13.	22-3-88	1,65,000 रु० के मूल्य की नशे की गोलियां पाई गई।	श्री एम० जी० अहीर, वरिष्ठ भारक, वाणिज्यिक, बम्बई।	निलम्बित
14.	27-6-88	गैरकानूनी तरीके से 2 सोने की छड़ें पाई गई, जिनकी कीमत 45,000 रुपए है।	श्री ए०जी० खान, सहायक यातायात पर्यवेक्षक जी० एस० डी०, बम्बई।	निलम्बित

1	2	3	4	5
15.	7-6-88	यात्री के सामान से 30 लाख रु० की भारतीय मुद्रा और 18.25 लाख रु० विदेशी मुद्रा के निर्यात के मामले में अन्तर्ग्रस्त ।	1. श्री मुरली राव, यातायात सहायक 4. श्री सी० के० सुब्रमनिया, भारक 2. श्री एस० आर० जाधव, भारक 4. श्री ए० के० चन्द्रशेखर, भारक	एन० सी० बी० से दस्तावेज प्राप्त होने पर कार्रवाई आरंभ की जायेगी।
16.	14-7-88	6 लाख रु० की भारतीय मुद्रा गैर-कानूनी तरीके से छिपाई हुई थी ।	श्री एल० पी० कोलाको, यातायात सहायक वाणिज्यिक, बम्बई।	निलम्बित
17.	5-10-88	एक व्यक्ति के पास से 20 सोने की छड़ें और विमान के शौचालय से 50 सोने की छड़ें पाई गई जिनकी दोनों की कीमत 32,01,427 रुपए है।	श्री के०के० सोलकी, सफाई-वाला जो०एस०डी०, बम्बई।	निलम्बित
18.	21-10-88	गैर-कानूनी तरीके से 52 सोने की छड़े पाई गईं जिनकी कीमत 16 लाख रुपए है।	श्री डी० डी० पसताकिया, आई०एफ०एस०, बम्बई ।	निलम्बित

1	2	3	4	5
19.	11-12-88	गैर-कानूनी तरीके से 3 सोने की छड़ें पाई गई जिनकी कीमत 2,93,832 रुपए है।	श्री० एस० एस० धन्डे, यातायात पर्यवेक्षक, बम्बई।	निलम्बित
20.	25-1-89	200 ग्राम हेरोइन पाई गई जिनकी कीमत 2500 यू० के० एल० आंकी गई है।	श्री एन० वी० चव्हाण, वरिष्ठ टेलीफोन आपरेटर, संचार, बम्बई।	निलम्बित

दिल्ली में अश्लील इश्तहार लगाना

5543. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में अश्लील इश्तहार लगाने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया ; और

(ख) सरकार का ऐसे इश्तहारों को छापने वालों तथा इन्हें लगाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 15 ।

(ख) उपरोक्त में से 10 व्यक्तियों पर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चला रहा है । दिल्ली के प्रख्यात नागरिकों को लेकर एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है, जिसकी सलाह पर अश्लील पोस्टर लगाने के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जाती है । सीमा-शुल्क प्राधिकारियों तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ दिल्ली पुलिस सम्पर्क बनाये हुए हैं, जिससे अश्लील प्रचार सामग्री के आयात पर रोक लगाई जा सके ।

विमानों की खरीद के लिए बजट में किया गया आवंटन

5544. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक संख्या में एयरबसें, बोइंग विमान तथा अन्य विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स को 1989-90 में 19 एयरबस ए-320 विमान प्राप्त होंगे । इंडियन एयरलाइंस की 1990-91 में 12 एयरबस ए-320 विमान प्राप्त करने की भी योजना है ।

एयर इंडिया ने 1990 में 2 एयरबस ए-310-300 विमान प्राप्त करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा क्रमशः 12 एयरबस ए-320 विमानों और दो एयरबस ए-310-300 को प्राप्त करने के लिए परियोजना लागत की पूर्ति निगम द्वारा ऋण जुटाकर की जाएगी जिसकी वापसी वह अपने आंतरिक संसाधनों से करेगा ।

बम्बई हवाई अड्डे के धावनपथ को दुबारा पक्का बनाना

5545. **श्री शरद दिघे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हवाई अड्डे का मुख्य धावनपथ पुनः पक्का बनाने हेतु फरवरी, 1989 से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान सभी एयरलाइन्स सहायक रनवे का प्रयोग करेंगी जिस पर आवश्यक उपकरण अवतरण पद्धति उपलब्ध नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अल्प दृश्यता के समय उतरने वाले विमानों की सुरक्षा के लिए जोखिम बना रहता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। फरवरी, 1989 से पुनः कार्पेट बिछाने के कार्य के कारण, दिन के समय सीमित अवधि के लिए मुख्य धावनपथ को बन्द कर दिया गया है।

(ख) यह कार्य अक्तूबर, 1989 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) दोनों धावनपथों के बीचों बीच पड़ने वाले कार्यों को छोड़कर, गौण धावनपथ विमान परिचालनों के लिए उस समय उपलब्ध रहता है जबकि मुख्य धावनपथ को बन्द कर दिया जाता है। यद्यपि गौण धावनपथ पर उपस्कर अवतरण प्रणाली उपलब्ध नहीं होती, लेकिन इस धावनपथ पर इन्स्ट्रूमेंट एप्रोच/लेट डाउन उपलब्ध होते हैं। आपातकालीन स्थिति में अथवा कम दृश्यता के मामले में, कार्य को आस्थगित रखकर मुख्य धावनपथ को परिचालन के लिए तैयार रखा जाएगा। इस प्रकार विमान अवतरण के समय खतरे का जोखिम नहीं उठाया जाएगा।

इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां

5546. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इलेक्ट्रानिकी के सामान का मूल्य कम करना और विश्व में हो रही प्रौद्योगिकीय प्रगति से अपने को अवगत रखना भी है ;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में यह लक्ष्य अब तक कितना प्राप्त हुआ है और अपेक्षित परिणाम प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इन्हें प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन की लागत को कम करना था लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तेजी से परिवर्तित होने वाले इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कई बाहरी कारणों जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक व्यवस्था, अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी आदि के फलस्वरूप स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। किन्तु कई वित्तीय एवं कर

सम्बन्धी तथा नीतिगत उपाय किए गए हैं, जिनका ऊपर उल्लिखित बाध्यताओं के बावजूद इलेक्ट्रानिकी उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना

5547. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की निरन्तर मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाए जाने का समर्थन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) 1985 में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक यातायात सर्वेक्षण से यह पता चला था कि त्रिवेन्द्रम में साप्ताहिक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 7000 है । इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से सीमित अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों की अनुमति पहले ही दे दी गई है कि वह यातायात आवश्यकताओं को पूरा करें । चूंकि वर्तमान चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के लिए और भारत से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के वर्तमान स्तर को हैंडल करने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं, अतः त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में समुद्रतट पर्यटन स्थल

5548. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता से केरल में कौन-कौन से समुद्र तट पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :(क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 95 लाख रु० और 67.24 लाख रु० की अनुमानित लागत पर केरल में क्रमशः वर्कला तथा कप्पड में समुद्रतट विहार-स्थलों का निर्माण करने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की हैं । निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और ऐसी सम्भावना है कि ये परियोजनाएं तीन वर्ष में पूरी हो जाएंगी ।

एयरबसों का उपयोग

5549. **श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) **क्या एयरबस ए-320 विमान का उपयोग करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और**

(ख) **यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?**

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फास्ट-ब्रीडर संयंत्र में फ्रांसीसी सहायता

5550. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या 6 फरवरी, 1989 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की फास्ट ब्रीडर योजना हेतु सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व सोवियत संघ से भी ऐसी तकनीकी सहायता मांगी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस तकनीक का देश में ही विकास करने के पूर्व दावे बेकार साबित हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो भारत की इस तकनीक की प्रगति के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के निर्माण में सहयोग देने के लिए भारत और फ्रांस ने वर्ष 1969 और 1972 में करारों पर हस्ताक्षर किए थे। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का निर्माण करने के लिए भारत के अभियंताओं और वैज्ञानिकों ने "रहामसोडी" नामक फ्रांसीसी रिएक्टर के डिजाइन का प्रयोग किया था । हालांकि, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के निर्माण के लिए कुछ संघटक और सामग्री फ्रांस से मंगवाए गए थे, फिर भी अधिकांश उपस्कर और संघटक भारत में ही तैयार किए गए । विशेषरूप से मिश्रित यूरेनियम-प्लूटोनियम कारबाइड, जो पूर्ण रूप से भारत के अभियंताओं और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई थी, का इस्तेमाल फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किया गया ।

(ग) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों के क्षेत्र में सामान्य सहायता देने के एक भाग के रूप में, भारत और सोवियत संघ भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त अनुभव का आदान-प्रदान करने की आशा रखते हैं ।

(घ) और (ङ) भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार करने को बहुत महत्व देता है। फास्ट

ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के निर्माण से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय अभियंता और वैज्ञानिक बिना किसी बाह्य सहायता के 500 मेगावाट क्षमता वाला एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। भारत विश्व के उन पांच या छः देशों में से एक है जो फास्ट रिएक्टर के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तथापि, उन्नत देश भी इस क्षेत्र में प्राप्त अनुभव का अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से अन्य देशों के साथ सहयोग करने को लाभकारी पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में फ्रांस और सोवियत संघ दोनों देशों ने भारत के साथ सहयोग कायम रखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण

[हिन्दी]

5551. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण की मांग को सिद्धांत रूप में मान लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए समितियां गठित की हैं ;

(ग) यदि हां, तो ये समितियां कब गठित की गई तथा क्या सरकार को इन समितियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं और अब तक कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) केन्द्रीय सरकार में समूह 'ग' और 'घ' पदों, और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में समान पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% रिक्तियां आरक्षित की गई हैं—नेत्रहीन, बधिर और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए 1%।

(ख) से (घ) श्री बहरूल इस्लाम संसद सदस्य की अध्यक्षता में, 1987 के दौरान विकलांगों के लिए विधान हेतु सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1988 में प्रस्तुत की थी जिसकी संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार प्रदान किए गए विकलांगों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	रोजगार प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
1986	5322
1987	5403
1988 (जनवरी से जून)	3008

1987 के दौरान, केन्द्रीय मंत्रालयों/उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" में नेत्रहीनों और बधिरों के लिए अग्रनीत रिक्तियों को पूरा करने के लिए, विशेष भर्ती का आयोजन किया गया जिसके फलस्वरूप, समूह "ग" में 139 और समूह "घ" में 130 नेत्रहीनों, समूह "ग" में 27 और समूह "घ" में 14 बधिरों को, दिल्ली और दिल्ली के आस-पास केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई। दिल्ली और दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नेत्रहीनों के लिए रिक्तियों को भरने मे कमी को पूरा करने के लिए समान कार्यवाही की जा रही है।

चिराला समुद्रतट (वाडारेवु) को पर्यटक केन्द्र में बदलने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

5552. श्री सी० सम्बु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले मे चिराला समुद्रतट (वाडारेवु) को पर्यटक केन्द्र में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग को 57.50 लाख रु० को अनुमानित लागत पर वाडारेवु में समुद्रतट विहार-स्थल का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में आवास, कैटरिंग तथा अन्य अनुषंगी सुविधाओं की परिकल्पना की गई है।

आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता

5553. श्री सी० सम्बु : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 मे आन्ध्र प्रदेश के कितने भूतपूर्व सैनिकों ने सहायता के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान उनमे से कितने भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता दी गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान आन्ध्र प्रदेश से भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड/रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता के लिए क्रमश: 105 और 91 आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान 16 भूतपूर्व सैनिकों/8 आश्रितों को रक्षा मंत्रालय की कल्याण निधि से क्रमशः 14,700/- रुपये और 2,630/- रु० की राशि की वित्तीय सहायता दी गई।

केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब होना

5554. डा० ए० के० पटेल : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलतः 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक के पूंजी निवेश वाली कौन-कौन-सी केन्द्रीय परियोजनाएं हैं ; जो हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विलम्बित हो गई हैं ;

(ख) प्रत्येक परियोजना का समय और लागत कितनी अधिक हो गई और अब उनके कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है तथा उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ;

(ग) रुपये का अवमूल्यन होने के कारण प्रत्येक परियोजना के मामले में कितनी विदेशी मुद्रा अधिक लगेगी ; और

(घ) सभी के मामले में विलम्ब के विभिन्न सामान्य कारण क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार मंत्रालय, की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में विलम्बित केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) विदेशी मुद्रा सममूल्य दरों में उतार-चढ़ाव, निवेश लागत में वृद्धि, सरकार आदि द्वारा लगाए गए अतिरिक्त करों, जैसे विभिन्न कारणों से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है । परियोजना लागत पर इन कारणों का प्रभाव अलग-अलग समय में भिन्न-भिन्न होता है । इसलिए, रुपए की सममूल्य कीमत के समान विदेशी मुद्रा में लागत वृद्धि बता पाना सम्भव नहीं है ।

(घ) परियोजना में देरी अनेक कारणों से होती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

—अपर्याप्त परियोजना तैयारी ।

—भूमि अधिग्रहण की समस्या ।

—पर्यावरण/वन सफाई में देरी ।

—ब्यौरेवार इंजीनियरिंग को अन्तिम रूप देने में देरी ।

—उपकरणों की आपूर्ति में देरी ।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	चालू करने की तारीख		लागत (करोड़ रु०)	
		मूल	अब प्रत्याशित	मूल	अद्यतन प्रत्याशित
1	2	3	4	5	6
परमाणु ऊर्जा					
1.	हैवी वाटर परियोजना, मनुगुरू	880 ·	9005	421.6	661.6
2.	नरोरा परमाणु ऊर्जा	8203	9005	209.9	532.8

1	2	3	4	5	6
कोयला					
3.	भलगोरा यू० जी०	8503	9203	46.2	46.2
4.	दामोदर ओ० सी०	8803	9103	57.0	57.0
5.	झरिया खण्ड-2 ओ० सी०	8703	9203	112.0	182.4
6.	कटरास यू० जी०	8303	9010	26.0	87.9
7.	मुनिदीह यू० जी०	7203	8903	15.5	182.1
8.	उत्तरी अमलाबाद यू० जी०	8503	9303	26.2	55.8
9.	पुतकी बलिहारी यू० जी०	9403	9512	199.9	199.9
10.	कैप्टीव पावर संयंत्र	9003	9103	49.2	49.2
11.	मधुबन्ध वाशरी	8903	9105	71.9	93.5
12.	डी० और एफ० रोपवेज	9001	9103	16.1	21.3
13.	पुतकी वाशरी	9203	9303	92.2	92.2
14.	अमलो (धोरी वेस्ट) ओ०सी०	9003	9103	33.3	66.8
15.	नई कल्यानी/एस० इ० एल० दोहरी ओ०सी०	8903	9003	24.4	46.1
16.	करकट्टा ओ०सी०	8503	9103	29.6	54.1
17.	राजरप्पा ओ०सी०	8403	9003	41.9	133.6
18.	केडला वाशरी	8303	9203	32.3	94.5
19.	राजरप्पा वाशरी	8202	9003	25.8	76.1
20.	केप्टीव पावर संयंत्र	9003	9103	49.2	90.0
21.	एल०टी०सी० कोल गैस वनकुनी	8409	8904	49.3	135.4
22.	अमृत नगर यू० जी०	8503	9402	10.9	65.5
23.	चिनाकुरी यू० जी०	8203	9003	8.4	45.5
24.	धीमोमीन यू० जी०	8303	9303	21.0	73.8
25.	राजमहल ओ०सी०	8703	9503	87.4	562.7
26.	सतग्राम यू० जी०	8903	9403	26.4	73.4
27.	सोनपुर बाजारी "ए" ओ०सी०	9103	9603	193.0	193.0

1	2	3	4	5	6
28.	कालीदास पुर यू० जी०	9203	9303	48.0	48.0
29.	केप्टीव पावर संयंत्र	9003	9203	49.2	50.0
30.	मरपी पुनर्गठन	9403	9503	49.2	46.2
31.	अमलोहरी ओ०सी०	9003	9203	323.3	484.8
32.	बीना ओ०सी०	8603	9009	56.9	179.3
33.	जयंत विस्तार ओ०सी०	8903	9003	313.6	375.0
34.	ककरी ओ०सी०	8703	9103	50.5	137.8
35.	केंद्रीय कार्यशाला सिंगरौली	860	9103	30.4	65.8
36.	निघाई ओ०सी०	9411	9503	462.4	488.9
37.	झिगुर्दे यू०जी०	8203	9003	24.9	63.1
38.	अमलई ओ०सी०	8903	9303	30.8	42.8
39.	बुंगवार यू० जी०	9003	9303	25.1	38.2
40.	वसलगी यू० जी०	8903	9103	28.0	38 2
41.	बेलपहर ओ० सी०	8903	6103	57.4	90.4
42.	भरतपुर ओ० सी०	8903	9103	61.8	94.9
43.	चुरचून पं० यू० जी०	8903	9103	32.6	40.2
44.	घानपुरी ओ० सी०	8503	9103	24.1	57.1
45.	दिपका ओ० सी०	8903	9203	56.0	85.9
46.	साओनर यू० जी०	9203	9303	47.0	47.0
47.	सस्ती ओ० सी०	8803	9103	25.1	64.9
48.	दुर्गापुर ओ० सी०	8503	8903	34.6	73.8
49.	सिलवारा विस्तार-2 यू० जी०	8203	9103	11.9	45.0
50.	टेन्डसी यू० जी०	9403	9503	51.6	70.0
51.	केंद्रीय कार्यशाला चन्द्रपुर	8903	9003	23.9	32.6
52.	द्वितीय थर्मल पावर स्टेशन-2	8906	9302	639.0	1271.2
53.	गोदावरी खानी 10ए आई०एन०सी०	9103	9303	27.3	45.0
54.	गोदावरी खानी 11ए आई०एन०सी०	8903	9203	54.5	54.5

1	2	3	4	5	5
55.	जवाहर खानी 5 इनकलाईन	8703	9003	23.6	48.5
56.	मानुगुरू-2 ओ० सी०	9003	9103	132.0	158.0
57.	रामागुंडम-2 ओ० सी०	9203	9403	147.2	249.4
58.	रविन्द्रा खानी 1-ए आई०एन०सी०	9103	9203	29.8	46.0
उर्वरक					
59.	कपरोलैकटम अमो० सल्फेट	8807	8907	147.9	315.0
60.	केप्टिव पावर बरौनी परियोजना	8508	8903	29.7	47.4
61.	हल्दिया उर्वरक	7610	9204	88.0	624.0
62.	केप्टिव पावर परियोजना भटिंडा	8804	8901	69.3	109.7
63.	केप्टिव पावर परियोजना पानीपत	8804	8901	69.3	110.4
64.	इलैक्ट्रोसिस संयंत्र बदलना	8809	8905	28.6	52.4
65.	पराद्वीप उर्वरक-2	8611	8910	183.6	423.4
खान					
66.	गंधमर्दन बाक्साइड खान	8504	8902	31.2	62.7
67.	इंटेग्रेटिड लोड जिंक काम्पलेक्स	8808	8804	21.0	21.0
68.	उड़ीसा अल्यूमिनियम परिसर	8710	8809	1242.4	2476.9
इस्पात और लोह, अयस्क					
69.	विजाग इस्पात संयंत्र	8712	9010	2256.0	6849.7
70.	भिलाई 4 एम०टी०वाई० विस्तार	7612	8910	937.7	2288.6
71.	बोकारो 4 एम०टी०वाई० विस्तार	7703	8905	947.2	2198.4
72.	बोकारो-केप्टिव पावर संयंत्र	8312	8902	75.9	154.1
73.	इस्को चासनाला वाशरी	8706	8906	16.9	25.8
74.	राउरकेला सिलिकन इस्पात	8103	8803	109.7	186.4
75.	बी०एस०पी०-6 बोइलर पी० और बी० स्टेशन	8911	9003	32.1	31.3
रसायन और पेट्रो-रसायन					
76.	अतिरिक्त ऐक्सीलीन उत्पादन	8806	8906	59.4	70.7

1	2	3	4	5	6
77.	ड्राइस्पन एक्रेलिक फाइबर	8703	8909	85.0	99.5
78.	केप्टिव पावर सी० सी० परियोजना	8801	8903	72.5	76.0
79.	नाइलोन-6 फिलामेंट यार्न	9003	9004	74.4	113.0
80.	स्पैन्डेक्स यार्न	8910	9106	34.9	45.1
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस				
81.	केप्टिव पावर संयंत्र	8805	8902	43.6	57.3
82.	एल० पी० जी० विपणन सुविधा-3	8803	8812	147.7	239.0
83.	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर संयंत्र	8112	8803	54.0	192.6
84.	ऐरोमेटिक्स उत्पादन	8708	8902	59.4	75.8
85.	कप्टिव पावर संयंत्र	8804	8903	45.7	45.7
86.	एल०पी०जी० मार्किटिंग सुविधा-3	8803	8912	140.1	236.5
87.	एल०पी०जी० मार्किटिंग सुविधा-3	8803	8903	241.5	373.2
88.	बिरम गांव चाक्सू करनाल पाइप लाईन	8909	9210	198.1	283.9
89.	विकसित ड्रिलिंग रिग लेना	8803	8903	90.8	55.2
90.	क्षेत्रीय कम्प्यूटरों की स्थापना	8703	8812	31.4	32.3
91.	जैक अपन रिग सागर किरण और सागर उदय	8505	9001	99.2	99.0
92.	त्वरित उत्पादन कार्यक्रम	8503	8901	2960.4	3011.9
93.	गैस मधुकर संयंत्र-1	8702	8812	264.6	264.6
94.	गैस मधुकर संयंत्र-2	8811	8906	204.6	204.6
95.	कैम्बो बेसिन विकास परियोजना	9003	9009	700.9	456.0
96.	साऊथ बेसिन विकास-2	8809	8905	246.5	246.5
97.	हीरा चरण-2	9003	9005	682.0	682.0
	विद्युत				
98.	शार्ट टेस्टिंग स्टेशन	8408	9203	22.3	90.6
99.	बोकारो बी-2 टी०पी०पी०	8510	9003	186.9	310.1

1	2	3	4	5	6
100.	मेथान, गैस टरबाईन	8706	8902	44.6	53.2
101.	पचेट छिल-2 एच०ई०पी०	8301	8903	16.0	47.0
102.	दोयांग एच०इ०पी०	9206	9306	96.3	166.6
103.	कोपिली एच०इ०पी०	8212	8803	56.8	233.1
104.	कथलगुरी जी०बी० सी०सी० पी० पी०	9123	9212	203.2	203.2
105.	रंगानदी एच०इ०पी०	9408	9503	312.8	312.8
106.	दोयांग संचरण लाइन लाइन	8903	9007	40.9	40.9
107.	कथलगुरी जी०पी०पी० संचरण	9203	9212	301.4	301.4
108.	चमेरा एच०इ०पी०	9004	9105	809.3	827.0
109.	दुलहस्ता एच०इ०पी०	9011	9212	183.5	673.0
110.	कोहल कारी एच०इ०पी०	8812	9403	439.9	1043.8
111.	टनकपुर एच०इ०पी०	8808	9003	178.8	311.4
112.	जयपोर-तलचर संचरण लाइन	8703	8906	84.5	139.5
113.	फरक्का एस०टी०पी०पी० स्तर-1	8603	8708	290.6	683.9
114.	फरक्का एस०टी०पी०पी० स्तर-2	9203	9206	868.5	1190.3
115.	कहल गांव एस०टी०पी०पी० स्तर-1	9207	9301	884.1	1292.5
116.	कोरबा एस०टी०पी०पी० स्तर-2	8903	8908	458.0	793.8
117.	रामागुंडम एस०टी०पी०पी० स्तर-1	8412	8806	459.1	937.8
118.	रामागुंडम एस०टी०पी०पी० स्तर-2	9003	9007	501.9	736.4
119.	रिहंद एस०टी०पी०पी० स्तर-1	8806	8906	1033.0	1563.5

1	2	3	4	5	6
120.	विंध्याचल एस०टी०पी०पी० स्तर-1	8912	9006	911.6	1321.3
121.	कवास जी०पी०पी०	9104	9207	374.0	498.4
122.	केंद्रीय संचरण लाइन	8903	9203	354.9	368.0
123.	कहुल गांव संचरण लाइन-1	9003	9101	174.5	188.1
124.	कोरबा संचरण लाइन-2	8803	8912	47.7	166.6
125.	रामागुंडम संचरण लाइन-1	8710	8903	116.1	246.2
126.	रामागुंडम संचरण लाइन-2	8810	8903	48.1	[illegible]1.1
127.	रिहंद संचरण लाइन	8812	9006	581.7	1023.0
128.	विंध्याचल संचरण लाइन-1	8902	9006	198.9	288.3
129.	ओरैय्या जी० पी० पी० संचरण लाइन	8908	8912	100.6	110.7
	पेपर, सीमेंट और आटोमोबाइल				
130.	सुदूर तटीय परियोजना	8712	9003	8.4	30.5
131.	नयागांव विस्तार (सी० सी० आई०)	8604	9004	89.4	189.0
132.	येरा गुंटला विस्तार (सी० सी० आई०)	8609	9010	75.7	191.2
133.	दामोदर सीमेंट (सी० सी० एस० एल०)	8410	8903	22.0	35.0
134.	आप्टीकल फाइबर परियोजना	8810	9312	2 [illegible].7	46.9
135.	कचार पेपर परियोजना	8112	9008	114.0	385.0
136.	नेपा मिल विस्तार	8707	8907	35.4	60.8
137.	टायर निगम का आधुनिकीकरण	9103	9111	66.7	6[illegible].7
	रेलवे				
138.	इटारसी-अमला-नागपुर चरण-1 सी० आर०	8803	8812	19.0	42.1
139.	इटारसी-अमला-नागपुर चरण-2 सी० आर०	8806	8903	20.9	32.1

1	2	3	4	5	6
140.	रोहतक-भाखाल-1, सी० आर०	8903	9003	14.4	37.4
141.	तंदूर मालखण्ड रोड सी० आर०	8903	9103	23.0	36.0
142.	कलकत्ता भूतल रेल		9109	140.3	863.4
143.	परिक्रमा रेल	8811	8912	35.0	35.0
144.	कोरापुट-रायगढ़ एस० ई० आर०	8703	9112	112.1	322.0
145.	झांसी-बीना-इटारसी	8812	8903	63.2	145.0
146.	विजयवाड़ा-काजीपेट-बलहारशाह	8603	8902	76.8	150.9
147.	वारधा-बलहारशाह	8803	8906	21.5	48.0
148.	टुण्डला आगरा बयाना	8903	8912	23.0	23.0
149.	विजाग रेल सुविधा एस० सी० आर०	8812	9003	31.4	54.0
150.	विजाग पेरीफैरल यार्ड बी० एस० पी० एस० ई० आर०	8812	9003	27.2	40.8
151.	गोदावरी पर नया पुल, एस० सी० आर०		9206	26.4	64.1
152.	दिल्ली एरिया कोचिंग टर्मिनल सुविधा टर्म, एन० आर०	9103	9206	26.6	32.7
153.	नई कोच कार्यशाला, सी० आर०	8803	9003	30.2	64.9
	भूतल परिवहन				
154.	कलकत्ता ड्राफ्ट सुधार	8703	9003	42.0	48.0
155.	कलकत्ता कन्टेनर हैंडलिंग सुविधा	8903	9003	10.4	24.4
156.	हल्दिया-2 ओ० आई० एल०	8902	9102	35.7	58.9
157.	तुतीकोरिन बर्थ और ए० एन० सी० सुविधा	7306	8901	21.8	50.5
158.	मद्रास शिपनिंग भारतीय डाक	8511	8810	30.0	25.6

1	2	3	4	5	6
159.	मद्रास एक्सटेंशन आफ कन्टेनर टर्मिनल	9008	9011	54.7	54.7
160.	कोचीन-डोजर बदलना-एल० डब्ल्यु	8903	8911	21.3	22.4
161.	न्वाहा-सेवा पत्तन परियोजना	8712	8905	581.0	870.5
162.	कांडला जनरल कारगो बर्थ	8207	8810	17.5	20.9
163.	अहमदाबाद-बड़ोदरा विस्तार वे, सी० पी० डब्ल्यु० डी०	9112	9202	128.4	137.2
164.	न्वाहा-शेवा	9005	9006	30.7	30.7
165.	द्वितीय हुगली पुल, सी० आई० टी०	8312	9012	57.0	250.0
166.	3 एल० आर०-2 टैंकर लेना, एस० सी० आई०	9101	9105	11.3	127.0
167.	4 बड़े माल वाहक लेना, एस० सी० आई०	9003	9009	89.0	93.1
168.	3 बड़े माल वाहक लेना, एस० सी० आई०	8503	8907	54.0	66.2
169.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड आधुनिकीकरण और विकास चरण-2	8512	8901	55.0	81.9
	दूर-संचार				
170.	इन्सेट-आई० सी० बढ़ाना	8803	8812	25.8	25.8
171.	डिजिटल ट्रंक आटो एक्सचेंज	8809	9008	16.0	67.6
172.	टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट परियोजना	8911	9203	18.3	21.9

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को धमकी

5555. **श्री गंगा राम :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कलकत्ता स्थित हवाई अड्डे पर नियुक्त कितने तथा किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को कलकत्ता हवाई अड्डे पर कुछ दुकानदारों द्वारा धमकी दिए जाने के पश्चात इस प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय वापस भेज दिया गया, यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कर्मचारियों की जानमाल की रक्षा के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर इस प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रबंधकों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है ; और

(घ) कर्मचारियों की दिल्ली में नियुक्ति करने सहित उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) कलकत्ता हवाई अड्डे पर तैनात भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दो कर्मचारियों श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक और श्री के०के० बंधु, सहायक अग्नि शमन अधिकारी, ने दिल्ली हवाई अड्डे के लिए इस आशय से स्थानांतरण की मांग की कि उनकी जान को खतरा है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले की जांच की और इसे बे-बुनियाद पाया। तथापि कलकत्ता हवाई अड्डे के संबंधित प्राधिकारियों को कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने की सलाह दी गई है।

गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को यंत्रावयवों का दिया जाना

5556. श्री अजय मुशरान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध वाहन फैक्टरी जबलपुर द्वारा गन कैरेज फैक्टरी जबलपुर से लिए जाने वाले पुर्जों और यंत्रावयवों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन पुर्जों/यंत्रावयवों में से कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गन कैरेज फैक्टरी जबलपुर की इस अतिरिक्त क्षमता का किस प्रकार से उपयोग करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर ने वाहनों का उत्पादन करने के लिए वाहन निर्माणी जबलपुर को इस्पात निर्माण और मशीनी जुड़नारों तथा संघटकों की 44 किस्में सप्लाई की हैं। गन कैरेज फैक्टरी में उपलब्ध पूरी क्षमता तक इन मदों का उत्पादन किया जा रहा है। अभी तक गन कैरेज फैक्टरी में इन मदों में से किसी भी मद का उत्पादन बंद नहीं किया गया है। यद्यपि दूसरी जगह भेजे जाने वाली उन 15 मदों का पता लगा लिया गया है जिनकी क्षमता गन कैरेज फैक्टरी में उपलब्ध होनी चाहिए और जिसकी आवश्यकता अधिक उच्च प्रौद्योगिकी की मदों के उत्पादन के लिए आवश्यक है।

पंजाब में केन्द्रीय परियोजनाएं

5557. श्री कमल चौधरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में ऐसी विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनके लिए छठी योजना के दौरान धनराशि का आबंटन किया गया था ;

(ख) क्या पूरी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या निर्माणाधीन केन्द्रीय परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने के बारे में कोई आकलन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना पर आधारित हाल ही में किए गए मूल्यांकन से पता चलता है कि पंजाब में दिसम्बर, 1988 के अंत की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रु० और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है ; अर्थात् :

	करोड़ रु० में	
	मूल	प्रत्याशित
उर्वरक		
(1) कैप्टिव पावर परियोजना भटींडा (एन० एफ० एल)	69.32	109.66
(2) इलैक्ट्रोलाइसिस प्लांट रिप्लेसमेंट, नंगल (एन०एफ०एल०)	28.65	52.40
रेलवे		
(3) रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला	180.00	310.99
(4) डीजल कम्पोनेंट वर्क्स, पटियाला	133.84	160.50
भूतल परिवहन		
(5) सिरहिन्द-जालंधर खंड को चौड़ा करना— रा० रा० मार्ग-I	66.00	67.58

दिसम्बर, 1988 के अंत की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं की कुल प्रत्याशित लागत 701.13 करोड़ रु० थी जबकि इनकी मूल अनुमोदित लागत 477.81 करोड़ रु० थी ।

दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सामान उठाने और चोरी के मामले

5558. **श्री कमल चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर सामान उठाने और चोरी के स्टेशनवार कितने मामलों का पता चला ;

(ख) क्या ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितने मामलों को निपटाया गया और कितने मामले अभी निपटाये जाने बाकी हैं ; और

(घ) इन मामलों को निपटाने और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1988 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर चोरी तथा सामान उठाने के सूचित किये गये मामले नीचे दिए गए हैं :—

स्टेशनों के नाम	चोरी के मामले	सामान उठाने के मामले
दिल्ली (मेन)	41	60
नई दिल्ली	63	162
हजरत निजामुद्दीन	4	6

(ख) जी हां, श्रीमान । यह वृद्धि मुख्य रूप से रेलवे यातायात में वृद्धि के कारण है।

(ग) .988 के दौरान, चोरी के 21 मामलों को निपटा दिया गया जबकि 97 मामले शेष रह गए। जहां तक सामान उठाने का सबंध है, 48 मामले निपटाए गये और 177 शेष रह गए। सूचित किए गए तीन मामलों को दर्ज नहीं किया गया।

(घ) ऐसे अपराधों को निपटाने और रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) जांच पड़ताल का पर्यवेक्षण वरिष्ठ स्तर पर किया जाता है।

(2) विभिन्न स्टेशनों पर जाल फैलाए जाते हैं।

(3) चोरी के माल को खरीदने वालों पर नजर रखी जाती है।

(4) संदिग्ध व्यक्तियों को रोक कर पूछताछ की जाती है।

(5) गश्त कड़ी कर दी गई है।

राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के अधिकारी

5559. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के अधिकारियों को नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति का सख्ती से पालन किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो संसदीय राजभाषा समिति में अपनी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) संसदीय राजभाषा समिति में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की नीति संवर्ग बाह्य पदों पर लागू होती है, जिसमें ग्रुप—"ख" तथा "ग" के सभी पद तथा ग्रुप "क" के अवर सचिव तथा उसके समकक्ष पद शामिल हैं। ग्रुप "क" में उप सचिव तथा सचिव के पदों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय सेवाओं की स्टाफिंग स्कीम के अधीन भरा जाता है। ग्रुप "घ" के पदों को रोजगार कार्यालय द्वारा सीधी भर्ती से भरा जाता है।

(ख) संवर्ग-बाह्य पदों के बारे में इस नीति का सख्ती से पालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उन अधिकारियों के नाम पदनाम तथा तिथि, जब से वे समिति में पांच वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद	तिथि जब से वे काम कर रहे हैं
1	2	3	4
ग्रुप —"क"			
1.	श्री के० के० ग्रोवर	उपसचिव	9-7-76 से 8-2-84 तक अवर सचिव (9-7-76 से 29-6-81 तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ड्यूटी पद पर, तथा 30-6-81 से 8-2-84 तक संवर्ग-बाह्य पद पर) 9-2-84 से अब तक केन्द्रीय सेवा की स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत उपसचिव के पद पर।
ग्रुप—"घ"			
1.	श्री उमराव सिंह	कनिष्ट गेस्टेटनर आपरेटर	25-3-77
2.	श्री सुभाष चन्द्र	दफ्तरी	28-3-77
3.	श्री धर्मवीर	चौकीदार	28-4-77
4.	श्री किशन दयाल	चपरासी	1-9-77
5.	श्री धनपत सिंह	दफ्तरी	1-9-77
6.	श्री प्रेम सिंह	फराश-कम सफाईवाला	1-9-77

1	2	3	4
7.	श्री गोखपाल सिंह	स्टाफ कार ड्राईवर	28-11-77
8.	श्री हीरा बल्लभ	चपरासी	27-3-78
9.	श्री हर्ष सिंह रावत	चपरासी	1-4-78
10.	श्री राज कुमार	चपरासी	4-10-78
11.	श्री यमुना प्रसाद	चपरासी	2-12-79
12.	श्री नागेश्वर पासवान	चपरासी	8-7-83
1 .	श्री प्रेम राम	चौकीदार	7-12-83

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों की पुनरीक्षा करने सम्बन्धी समिति

[हिन्दी]

5560. **श्री राम प्यारे सुमन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति की पुनरीक्षा करके इनका उत्थान करने, इन पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने और इनके लिए जारी किए गए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी उपायों का सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियां गठित की हैं ;

(ख) इन समितियों की उक्त संबंध में हुई बैठकों तथा इनमें निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त समितियों की बैठक निर्धारित कार्यसूची के अनुसार नियमित रूप से होती है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) मुख्य मंत्रियों/उपराज्यपालों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों के साथ 10 अगस्त, 1988 को प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के अनुसरण में 3 समितियों, प्रत्येक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 20 सदस्य शामिल हैं, का गठन किया गया है जिसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है :—

(1) आरक्षण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी नीति और कार्यान्वयन के सभी पहलू ।

(2) अत्याचार

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने और कम करने के उपाय तथा उन पर अत्याचारों की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अनुवर्ती कार्यवाही।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

उनकी समस्याएं और उनका समाधान

(ख) प्रत्येक समिति ने अपनी-अपनी बैठकें आयोजित की और उनको भेजे गए मामलों के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

(ग) इन समितियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है अतः कोई और बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

मेधावी बच्चों की छात्रवृत्तियां

5561. श्री राम प्यारे सुमन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपने कल्याण कोष में से अपने कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं, यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंड क्या है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को इस संबंध में अंकों में ढील दी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को कम से कम 10% की ढील दी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस मन्त्रालय ने कोई ऐसी योजना तैयार नहीं की है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा बोर्ड की स्थापना

[अनुवाद]

5562. डा० बी० एल० शैलेश :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित भारतीय विमान यात्री एसोसिएशन ने एक अलग मंत्रालय के अधीन एक सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने की मांग की है जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत देश की विमान कम्पनियों के समस्त कार्यकलाप आते हों ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार को एक अलग सुरक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है । 10-9-1987 को पास किए गए एक अलग संकल्प द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन पहले ही एक राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करके यह कार्य पूरा कर दिया गया है ।

समाज कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

5563. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पार्टियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों/आदेशों की प्राप्ति

5564. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 के अन्तर्गत पुनरीक्षा याचिकायें निर्णय/आदेश होने के 30 दिन के अन्दर ही प्रस्तुत की जा सकती है ;

(ख) क्या यह सच है कि पार्टियों को पुनरीक्षा याचिकायें प्रस्तुत करने के लिए निर्णय/आदेश 30 दिन की निर्धारित अवधि से केवल 7-8 दिन पहले ही प्राप्त होते हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि पार्टियों को निर्णय/आदेश सही समय पर प्राप्त हों ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रिया-विधि) नियमावली, 1987 के नियम 17 (1) के अनुसार, पुनरीक्षा के लिए किसी भी ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा जिसे उस आदेश, जिसकी पुनरीक्षा का अनुरोध किया गया है, की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो । तथापि, तीस दिन की अवधि संबंधित पार्टियों द्वारा निर्णय/आदेश प्राप्त होने की तारीख से गिनी जाती है ।

(ख) और (ग) अधिकांश मामलों में अधिकरण द्वारा किए गए निर्णय/आदेश की प्रतियां, उसे पारित किए जाने के तत्काल बाद ही, पार्टियों को उपलब्ध करा दी जाती हैं । तथापि, ऊपर उल्लिखित स्थिति को देखते हुए यदि पार्टियां निर्णय/आदेश के घोषित किए जाने के तत्काल बाद ही उसकी प्रतियां प्राप्त नहीं भी करती हैं तो भी उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता ।

सिक्किम की पर्यटन योजनाएं

5565. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पर्यटन संबंधी योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान सिक्किम को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को सिक्किम सरकार से 1989-90 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम
1.	यूर्कोंगरी में याक सफारी
2.	गंगतोक से रूमटेक तक केबल कार
3.	मार्तेम और पूर्व सिक्किम में मनोरंजन केन्द्र
4.	तीसता में रिवर रैफ्टिंग
5.	रूमटेक में पर्यटक विहार-स्थल
6.	9 स्थानों पर कियास्क और टायलेट सुविधाएं
7.	3 स्थानों पर यात्रिकाओं का निर्माण

(ग) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, विभाग ने 118.96 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं जिनमें से 36.52 लाख रु० 1988-89 के दौरान स्वीकृत किए गए।

विभाग निधियों का आबंटन न तो राज्य-वार और न ही स्थान-वार करता है बल्कि स्कीम-वार करता है।

"नाम सूररास समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना"

5566. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आने वाले दण्ड-कारण्य परियोजना क्षेत्र में रह रहे नाम सूररास समुदाय के लोग अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में पड़ने वाले [illegible] क्षेत्र में रह रहे इसी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या किन्हीं समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के मामले में समरूप नीति अपनाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुमति उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में नाम शूद्र समुदाय शामिल नहीं है ।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में किसी समुदाय को, उसकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रख कर ही शामिल किया जाता है ।

एन० सी० सी० को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम

5567. डा० कृपासिंधु भोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एन० सी० सी० को सुदृढ़ बनाने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) क्या इसके लिए कुछ नए उपाय करने का विचार है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ शिक्षा संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सफदरजंग हवाई अड्डे पर विमानों का सुरक्षित उतरना

5568. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट एक ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें सवार व्यक्ति मारा गया था ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच के आदेश दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और ; यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस हवाई अड्डे पर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और विमानों के सुरक्षित उतरने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां । 29-3-1989 को सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट एक ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके परिणामस्वरूप उसका चालक मारा गया ।

(ख) से (घ) दुर्घटना की जांच की जा रही है । जांच के पूर्ण हो जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

केरल स्वतंत्रता सेनानी संघ की मांगें

5569. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के स्वतंत्रता सेनानी संघ की गत फरवरी में त्रिवेन्द्रम में एक बैठक हुई थी और उसने सरकार के समक्ष कतिपय मांगें प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकार को इस प्रकार बैठक की कोई सूचना नहीं है । सरकार को केरल राज्य स्वतंत्रता सैनानी एसोसिएशन से कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

5570. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को इस समय सुलभ सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उन्हें उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने की मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) केन्द्रीय स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों को 500/- रु० प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 750/- रु० प्रतिमास किया जा रहा है, यही राशि मृत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को दी जा रही है। केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है । यही सुविधाएं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों/औषधालयों में भी उपलब्ध की जा रही हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को अण्डमान और निकोबार का दौरा करने की भी सुविधा दी जा रही है । अखिल भारतीय प्रतिष्ठा वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके निवास स्थान अथवा मूल निवास स्थान पर उचित चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा नहीं हैं, इस मंत्रालय की सिफारिश पर सम्पदा

निदेशालय द्वारा सरकारी आवास भी आवंटित किया जाता है। जिन वृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी गृह बनाए गए हैं।

(ख) से (घ) मुफ्त रेल यात्रा सुविधा जो, 18-11-1988 को समाप्त हो चुकी है, को बढ़ाने, पेंशन में वृद्धि करने, आदि जैसी विभिन्न मांगे समय-समय पर प्राप्त हो रही हैं। मुफ्त रेल यात्रा सुविधा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 500/- रु० से बढ़ाकर 750/- रु० प्रतिमास करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस बारे में आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। तथापि, सी०जी०एच०एस० औषधालयों से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। केन्द्रीय योजना के अलावा, अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त भूमि/प्लाट देने, उनके बच्चों/पोत्रों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए शिक्षा संस्थानों तथा नौकरियों में आरक्षण देने जैसी सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ अपनी पेंशन योजनाएं भी बनाई हैं। यदि ऐसी मांग इस मंत्रालय में प्राप्त होती हैं तो उसे विचारार्थ राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को वित्तीय आवंटन

5571. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केरल को कितनी धनराशि आवंटित की गयी ;

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई और यदि किसी मामले में पूरी राशि खर्च नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में किया गया कार्य संतोषजनक रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०), और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) मुख्य गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम हैं। वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए केरल को आवंटित धनराशि और प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार खर्च की गई राशि निम्न प्रकार से है :—

(लाख रु०)

कार्यक्रम का नाम	1987-88 कुल आवंटन	1987-88 उपयोगिता	1988-89 कुल आवंटन	1988-89 उपयोगिता (अनंतिम)
1	2	3	4	5
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1635.46	1927.44	1805.79	1328.39 (दिस० 88 तक)

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम*	3541,95	3825.01	3370.87	3050.02 (फर० 89 तक)
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम*	2502.85	2386.59	2252.08	173[illegible].79 (फर० 89 तक)

*रियायती दरों पर खाद्यान्न की कीमत सहित परिव्यय और उपयोगी आंकड़े।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह अनुमति दी गई है कि वर्ष दर वर्ष कुल आवंटन में से 25 प्रतिशत तक अग्रनीत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत 75 प्रतिशत संसाधनों की उपयोगिता संतोषजनक पाई गई है।

(ग) मुख्य गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल वास्तविक निष्पादन भी संतोषजनक पाया गया है, जैसाकि नीचे दी गई सारणी से प्रतीत होता है।

कार्यक्रम का नाम	इकाई	1987-88		1988-89	
		लक्ष्य	उपलब्धी	लक्ष्य	उपलब्धी (अनंतिम)
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	(सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या)	1154.19	110684	84054	64954 (दिस० 88 तक)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	(लाख श्रम दिवस)	114.97	98.75	115.40	112.88 (फर० 89 तक)
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	(लाख श्रम दिवस)	81.44	85.[illegible]2	86.00	61.16 (फर० 89 तक)

(घ) वर्ष 198 -90 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कुल आवंटन 1871.122 लाख रु० है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राशियों के आवंटनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

5572. श्री के० कुन्हम्बु : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1989 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों का पंचायत स्तर पर कोई सम्मेलन दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन मे किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई थी और उन पर क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

"पंचायती राज तथा अनुसूचित जातियों" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 27 फरवरी, 1989 को आयोजित किया गया और "पंचायती राज तथा अनुसूचित जनजातियों" पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 6 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधियों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे उनका सम्बन्ध निम्नलिखित से था ।

(1) पंचायती राज निकायों का समय-समय पर चुनाव ;

(2) चुनावों की विधि ;

(3) पंचायती राज निकायों में सभी स्तरों पर, निर्वाचन क्षेत्रों की उचित सीमा निर्धारण करते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों/निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण ;

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण ;

(5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण ;

(6) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज के ढांचे के सभी स्तरों पर उपयुक्त दायित्वों सहित अधिकारों का उचित हस्तांतरण ;

(7) पंचायती राज निकायों को सभी विकासात्मक कार्य सौंपना ;

(8) संसाधनों में वृद्धि करने के अधिकारों सहित पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था ;

(9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की अध्यक्षता में महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्थाई समितियों सहित महिलाओं तथा बच्चों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने हेतु संरचनात्मक व्यवस्था ;

(10) जहां कहीं आदिवासी परिषदें/पंचायतें विद्यमान हों उन्हें सुदृढ़ बनाना ;

(11) इस बात की व्यवस्था करते हुए कि राज्यपाल भी और अधिक सक्रिय बनायी भूमिका निभाएं स्वायत आदिवासी सलाहकार परिषदों के कार्यों को सक्रिय बनाना ;

(12) आदिवासी कल्याण हेतु पृथक मंत्री की नियुक्ति ;

(13) वन नीति को इस प्रकार अनुकूल बनाना जिससे कि आदिवासियों के हित सुरक्षित हो सके और वनों की रक्षा की जा सके।

(14) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेष प्रबन्ध करना ; और

(15) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों के लिए पर्याप्त मानदेय इत्यादि की सुविधा।

इन सम्मेलनों में व्यक्त किए गए विचारों द्वारा पंचायतों के संबंध में नीति बनाने में आवश्यक निदेश प्रदान किया गया है।

विदेशों को इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा

5574. श्री प्रताप राव बी० भोसले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवायें किन्हीं अन्य देशों तक चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और कितनी विमान सेवायें किन-किन देशों को आरम्भ की जाएंगी और इनके कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इससे इंडियन एयरलाइन्स के स्थानीय यात्रियों को असुविधा होने की आशंका है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सेवाएं विदेशों के लिए चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

5575. श्रीमती डी० के भंडारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सिक्किम में कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाएगा ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सिक्किम में भूतपूर्व सैनिकों की कुल कितनी विधवाओं को बसाया गया ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सिक्किम में कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया ;

(घ) 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार सिक्किम के भूतपूर्व सैनिकों की कुल कितनी विधवाओं का पुनर्वास किया गया ; और

(ङ) सरकार का 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की रहने वाली विधवाओं के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवा

5576. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस लिमिटेड ने अप्रैल, 1988 में पूर्वोत्तर परिषद के साथ वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कुछ अपेक्षाकृत अधिक दुर्गम क्षेत्रों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ने के लिए बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का ब्यौरा क्या है और उक्त सेवा से किन-किन स्थानों को जोड़ा जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों में कतिपय दुर्गम क्षेत्रों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हेलीकाप्टर सेवा को उपयोग में लाया जा रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों में हेलीकाप्टर पर आधारित यात्री सेवाएं एकीकृत तरीके से प्रदान करने की संभाव्यता पर विचार-विमर्श किया गया था । प्रस्तावित स्थान वे हैं जहां या तो यातायात के वैकल्पिक साधन दुर्गम हैं या ये साधन बिल्कुल नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां । अन्य बातों के साथ-साथ हेलीकाप्टरों का प्रयोग पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए भी किया जा रहा है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्टार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पर व्यय

5577. **श्री सनत कुमार मंडल** :

डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्कटिका में "दक्षिण गंगोत्री" नामक स्थायी स्टेशन की स्थापना पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की गई तथा वर्ष 1988-89 के दौरान इसके प्रचालन पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) अंटार्कटिका को भेजे गए विभिन्न अभियानों पर अलग-अलग रूप से अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई है ;

(ग) अंटार्कटिका अनुसंधान खोज से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इनका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) निकट भविष्य में कार्यान्वयन के लिए अन्य क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दक्षिण गंगोत्री मे वर्ष 1983-84 मे प्रथम केन्द्र स्थापित करने की लागत लगभग 155 लाख रुपये थी जिसमें जेनेरेटरों तथा संचार उपस्कर की लागत भी शामिल थी ।

(ख) अंटार्कटिक के लिए आठ अभियानों को भेजने के लिए हुआ व्यय निम्न प्रकार है :

पहला	1.90 करोड़ रुपये	पांचवां	5.74 करोड़ रुपये
दूसरा	1.95 करोड़ रुपये	छठवां	5.12 करोड़ रुपये
तीसरा	5.70 करोड़ रुपये	सातवां	6.50 करोड़ रुपये
चौथा	6 2 करोड़ रुपये	आठवां	11.50 करोड़ रुपये

(ग) अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक कार्यक्रम को, उसमें भाग लेने वाले संगठनों तथा उनके वैज्ञानिकों द्वारा, अंटार्कटिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों विशेषतः भूविज्ञान, भूभौतिकी, मौसम-विज्ञान, जीव-विज्ञान, समुद्र-विज्ञान, भूचुम्बकत्व और वायुमंडलीय भौतिकी के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है । अंटार्कटिक में आधार-भूत संरचना के अभिकल्प तथा विकास, आवास और कार्य सम्बन्धी सुविधाओं के संबंध में प्रचूर मात्रा में उपयोगी सूचना प्राप्त कर ली गई है और अंटार्कटिक के कठोर पर्यावरण में प्रयोग के लिए नवीन प्रद्योगिकी के रूपान्तरण संबंधी अनुभव से सम्पन्न जनशक्ति तैयार कर ली गई है ।

(घ) भावी कार्यक्रम में अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र शामिल होंगे और भू-विज्ञानों, वायुमंडलीय विज्ञानों, समुद्र विज्ञानों, जीव विज्ञानों, इत्यादि के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेंगे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम

5578. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कोई योजनाए तैयार की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक योजना में कितनी पूंजी परिव्यय का प्रावधान है ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति विकास निगमों के कार्यकरण का हाल में यह

मूल्यांकन किया गया है कि इनसे अनुसूचित जातियों के लोगों की दशा सुधारने में कितनी मदद मिली है और यदि हां, तो इसके नियमों के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को विशेष कम्पोनेट योजनाओं के अतिरिक्त, अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल 1 करोड़ रुपए के परिव्यय से, "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन परिवारों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सुविधाएं प्रदान करना" तथा "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल", नामक दो योजनाओं की व्यवस्था की गई है। विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, उनकी मुख्य विशेषताएं तथा प्रत्येक योजना के लिए चालू वर्ष का आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति विकास निगमों के कार्यकरण की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि वित्त परामर्शदाता लि० (अनुसूचित जाति सैल) द्वारा प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य भी किया जा रहा है। सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा लगभग 33 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों से इस बात के विस्तृत संकेत मिले हैं कि परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वियन के लिए व्यवहारिक तथा प्रभावी योजनाएं बनाकर व्यावसायिक तथा तकनीकी अनुस्थापन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। परियोजना निर्माण, क्रियान्वयन इत्यादि में अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	प्रमुख विशेषताएं	1989-90 का आबंटन
1	2	3	4
1.	अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं के वास्ते विशेष केन्द्रीय सहायता	यह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की विशेष संघटक योजना के वृद्धि रूप में है तथा सर्वांशतः भारत सरकार का अनुदान है।	180.00
2.	हरिजनों/आदिवासियों के मैट्रिकोत्तर वजीफे	यह स्कीम चालू योजना की वचनबद्धता की सीमा तक केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है।	55.00

1	2	3	4
	3. हरिजनों/आदिवासियों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	केन्द्रीय सरकार द्वार वित्त पोषित	3.20
	4. मैट्रिक पूर्व वजीफे	योजना का वित्त पोषण राज्यों के समतुल्य अंशदान के आधार पर किया जाता है।	1.00
	5. हरिजन/आदिवासियों हेतु पुस्तक बैंक	—तदैव—	0.55
	6. हरिजन/आदिवासी कन्या होस्टल	—तदैव—	5.50
	7. शिक्षण तथा संबद्ध योजना	—तदैव—	0.70
	8. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन	—तदैव—	1.00
	9. स्केवेंजर्स की मुक्ति	—तदैव—	10.00
	10 हरिजन विकास निगम की वित्तीय सहायता	—तदैव—	10.00
	11. हरिजन/आदिवासी अनुसंधान व प्रशिक्षण	विश्वविद्यालयों/संगठनों/समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को हरिजन विकास संबंधी कार्यमूलक अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।	1.05
	12. (क) गरीब हरिजन/आदिवासी लोगों को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन) 12. (ख) हरिजन/आदिवासी छात्रावास)	ये नयी योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों के बराबर के अंशदान से वित्त पोषित की जानी हैं।	1.00

सी०जी०ओ० कम्पलेक्स में आग की घटनाएं

5579. डा० बी० एल० शैलेश : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई सी०जी०ओ० कम्पलेक्स, नई दिल्ली (लोधी रोड के निकट) आग लगने की अनेक घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भवनों और अभिलेख को कितनी क्षति पहुंची और क्षतिग्रस्त हुए अभिलेख को पुनः तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या इस दिशा में कोई निवारक उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जनवरी से मार्च, 1989 के दौरान सी०जी०ओ० काम्पलेक्स में आग लगने की दो घटनाएं हुई। उनमें से एक घटना गम्भीर थी ।

(ख) पर्यावरण भवन में लगी आग की गंभीर घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना सम्भव नहीं हुआ। आग लगने की मामूली घटना इलेक्ट्रिक शॉट सर्किट के कारण हुई।

(ग) पर्यावरण भवन में केन्टीन, डाईनिंग रूम मनोरंजन कक्ष, लेखन सामग्री और विविध स्टोरों द्वारा अधिकृत तल में लगी आग से 6.32 लाख रु० की क्षति होने का अनुमान है महानिदेशक पुलिस बेतार संगठन के कार्यालय में लगी आग की मामूली घटना के कारण लगभग 200/- रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की मामूली घटना में रिकार्ड को हुए नुकसान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

बिजली से नियंत्रित "निओन" संकेत

5580. डा० बी० एल० शैलेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली से नियंत्रित निओन संकेतों का जो हिलते रहते हैं और विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, अब उपयोग बढ़ता जा रहा है और दिल्ली ट्रेफिक पुलिस के अनुसार यातायात के लिए खतरनाक हैं ; और

(ख) इन निओन संकेतों को दर्शाने पर कोई नियंत्रण है और क्या निजी मकानों की छतों पर ऐसे निओन संकेत लगाने के मामलों को छोड़कर इन विज्ञापकों पर कोई कर या प्रभार लगाया जाता है और विज्ञापकों से ऐसी स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा पंजीकृत विज्ञापकों को स्वीकृत विज्ञापन स्थलों की निलामी की जाती है इसके लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा स्थल-किराया और विज्ञापन-कर वसूल किया जाता है। विज्ञापक इन स्थलों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से बिजली कनैक्शन लेकर प्रकाशित कर सकते हैं। जहां तक निजी भवनों पर निओन-संकेतों का संबंध है, इन्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

विभिन्न जेलों में पंजाब के बंदी

5581. डा० श्री० विजय रामाराव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की प्रत्येक जेल में पंजाब के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने बंदी हैं ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे बंदियों के कुल कितने मानव दिवस नष्ट हुए ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खर्च

5582. प्रो० मधु दंडवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89 में प्रधान मंत्री की सुरक्षा प्रबंधों और देश में तथा देश के बाहर उनके दौरों पर कितना खर्च किया गया ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई धनराशि से ये खर्च अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का कार्य अनेक एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। दिल्ली में और दिल्ली से बाहर उनकी समीपस्थ सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उत्तरदायी है। राज्य-संघ शासित क्षेत्र प्राधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में प्रधानमंत्री के दौरों के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं और दिल्ली में होने वाले समारोहों में सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है। वर्ष 1988-89 के लिए एस०पी०जी० के लिए बजट अनुदान 7,58,76,000 रुपये था, जिसमें, आवर्ती व्यय के अलावा पूंजीगत कार्यों और उपकरणों, इत्यादि की खरीद पर होने वाला व्यय भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) एस०पी०जी० द्वारा किया गया व्यय इस उद्देश्य के लिए आवंटित अनुदान से अधिक नहीं है।

प्रतिबंधित और जब्त किए गए प्रकाशन

5583. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिबंधित और जब्त की गई पुस्तकों और प्रकाशनों के नाम आदि का ब्यौरा क्या है और उनके लेखकों तथा प्रकाशकों के नाम क्या हैं और इन प्रकाशनों को प्रतिबंधित या जब्त करने के लिए आदेश किन-किन तारीखों से दिये गए ;

(ख) क्या इनमें से किसी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी गई और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या ऐसे मामलों में दिल्ली प्रशासन के आदेश सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिए गए हैं और क्या प्रतिबंधित प्रकाशन का मूल रूप में अथवा अनुदित रूप में पुनः मुद्रण किया गया है ; और

(घ) क्या प्रतिबंधित और जब्त किए गए प्रकाशन को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः छापे जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार ऐसे कोई मामले उनके ध्यान में नहीं आए हैं । प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रतियां सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित की जाती हैं ।

विवरण

क्रम सं०	पुस्तक/प्रकाशन का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	आदेश की तारीख
1	2	3	4	5
1.	हिन्दी पुस्तक "इस्लाम में क्या है"	श्रीमती पंडिता राकेश रानी	श्रीमती पंडिता राकेश रानी 1597, हर ध्यान सिंह मार्ग, करोलबाग, दिल्ली।	06-12-1983
2,	हिन्दी मासिक "जनज्ञान" (अंक सं० 6 खंड सं० 16) 15-9-1983 से 15-10-1983 तक)	श्रीमती पंडिता राकेश रानी	श्रीमती पंडिता राकेश रानी	24-12-1983
3.	हिन्दी मासिक "जनज्ञान" (अंक सं० 6 खंड सं० 16) (15-10-1983 से 15-11-1983 तक)	श्रीमती पंडिता राकेश रानी	श्रीमती पंडिता राकेश रानी	24-12-1983
4.	हिन्दी मासिक "जनज्ञान" (अंक सं० 8 खंड सं० 16) (15-12-1983 से 15-1-1984 तक)	श्रीमती पंडिता राकेश रानी	श्रीमती पंडिता राकेश रानी	?2-2-1984

1	2	3	4	5
5.	हिन्दी मासिक "जनज्ञान" (15-2-1984 से 15-3-1984) (अंक सं० 10 खंड सं० 16)	श्री ब्रज किशोर ("अश्क")	श्रीमती पंडिता राकेश रानी 1597, हरध्यान सिंह मार्ग, करोलबाग, दिल्ली।	15-3-1984
6.	हिन्दी मासिक "जनज्ञान" (मई, 1984, अंक सं० 1, खंड सं० 17)	श्री राम बाबू मिश्रा	श्रीमती पंडिता राकेश रानी " "	6-8-1984
7.	हिन्दी पुस्तक "राष्ट्र के नाम मान क्या संदेश"	श्रीमती पंडिता राकेश रानी		11-12-1984
8.	उर्दू साप्ताहिक—नई दुनिया (6-9-1983 से 12-9-1983 तक) (अंक सं० 11, खंड सं० 12)	श्री शाहिद सिद्दिकी	श्री शाहिद सिद्दिकी फ्लैट नं० 2, प्रथम तल, पश्चिमी निजामुद्दीन, नई दिल्ली।	28-12-1983
9.	अंग्रेजी पुस्तक "दि कुरान एण्ड काफिर"	श्री ए० घोष	श्री ए० घोष होस्टन (यू० एस० ए०)	26-3-1984
10.	अंग्रेजी मासिक "सूर्या इंडिया" (नवम्बर, 1984, खंड सं० 9 अंक सं० 2)	श्री सतीश के० बजाज	डा० जे०के० जैन०, कुचनजंगा, बिल्डिंग 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।	12-11-1984
11.	हिन्दी पुस्तक "काश गांधी जी ने कुरान पढ़ी होती तो"	श्री विश्व स्वरूप गोयल	वैचारिक विकल्प, बैंक स्ट्रीट, करोलबाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।	22-12-1984

1	2	3	4	5
12.	अंग्रेजी पुस्तक "दि इनवेजन आफ दि गोल्डन टेम्पल"	डा० सुखवीर सिंह कपूर	कसलाक हूमेल ब्रिटेन द्वारा यू० के० में प्रकाशित ।	22-12-1984
13.	अंग्रेजी पुस्तक "रिपोर्ट टू दि नेशन: आपरेशन इन पंजाब"	सर्वश्री अरबिंद घोष, सुनील भट्टाचार्य, तेजंदर सिंह आहूजा, एन० डी० पंचोली और श्रीमती अमीया राव	सिटिजन फार डिमोक्रेसी 223, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2 द्वारा प्रकाशित ।	10-9-1985
14.	अंग्रेजी पुस्तक "दि डेड हैंड आफ इसलाम"	श्री कोलिन मेन	श्री सीताराम गोयल मैसर्स वाइस आफ इण्डिया, 2/18, अन्सारी रोड, नई दिल्ली ।	4-2-1986
15.	अंग्रेजी पुस्तक "दि संटनिक वर्सेज"	श्री सलमान रुशदी	मैसर्स वाइकिंग पैनगुइन ग्रुप लंदन ।	19.10-1988
16.	अंग्रेजी पुस्तक "मोहम्मद एण्ड हिज पार्वंस"	श्री पी० डे० लेसी जॉन स्टोन	मैसर्स डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, 8/81, गीता कालोनी दिल्ली-31, और मैसर्स गोयल आफसेट प्रेस दिल्ली-35 द्वारा भारत में 1984 में पुनः मुद्रित।	21-3-1989

कानपुर छावनी में अवैध कब्जा

5584. डा० वी० वेंकटेश : क्या रक्षा मंत्री कानपुर छावनी क्षेत्र में अवैध कब्जे के बारे में 3 दिसम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4603 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कराई गई तत्कालीन जांच के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकारी अधिकारियों ने कानपुर में हारडिंगे रोड पर त्रिवेणी नगर में भूमि खरीदी है ;

(ग) क्या कानपुर छावनी बोर्ड ने उन्हें पानी के कनैक्शन दे दिए हैं ;

(घ) क्या बोर्ड ने सरकारी भूमि की गुप्त रूप से बिक्री करने वाले कालोनाइजर से भूमि की कीमत मांगी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(च) उक्त मामले में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जांच से पता चला है कि प्राइवेट भवन-निर्माताओं से अवैध कब्जे वाली भूमि की खरीद में कोई सरकारी अफसर शामिल नहीं था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बोर्ड ने पानी के दो कनेक्शन दिए हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

जोधपुर के कैदियों को सहायता

5585. श्री शरद दिघे :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही रिहा किए गए जोधपुर के कैदियों को रोजगार या कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि उद्योग, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही राज्य सरकार की विद्यमान भिन्न-भिन्न योजनाओं के अधीन पुनर्वास के लिए, मुख्य रूप से स्वरोजगार की व्यवस्था करने के लिए, ऐसे

व्यक्तियों से प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए एक विशेष सैल स्थापित किया गया है।

जोधपुर में नजरबन्द व्यक्तियों की रिहाई

[हिन्दी]

5586. श्री दिनेश गोस्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1984 में स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर से गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में रखे गए कुछ व्यक्तियों को हाल ही में रिहा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन नजरबन्द व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से अभी तक कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है ;

(ग) इस समय जेल में कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं ; और

(घ) क्या रिहा किए गए व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालयों में मामले दर्ज किए गए थे ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार ने जोधपुर के सभी विचारणाधीन कैदियों के विरुद्ध दर्ज युद्ध छेड़ने के मामलों को वापस ले लिया है। युद्ध छेड़ने के मामले के अधीन गिरफ्तार 188 कैदियों का अन्तिम बैच 6 मार्च, 1989 को रिहा किया गया। जोधपुर के 188 भूतपूर्व विचारणाधीन कैदियों में से 84 पर युद्ध छेड़ने के मामले को छोड़कर अन्य अपराधिक मामले भी चल रहे हैं। इसलिए उन्हें संबंधित जेलों में भेज दिया गया। पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इन सभी 84 कैदियों के मामलों की पुनरीक्षा की गई और इस पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप उनमें से अब तक 42 को छोड़ दिया गया है।

सूर्य लंका हवाई ठिकाना

[अनुवाद]

5587. श्री सी० सम्बु : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में गुन्टूर जिले के बापातला नामक स्थान में सूर्य लंका हवाई ठिकाने का विकास करने का विचार है ;

(ख) सरकार द्वारा प्राईवेट पार्टियों से कितनी भूमि प्राप्त की गई है और क्या इन प्राइवेट पार्टियों को अपनी जमीन देने पर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) फिलहाल सरकार की सूर्य लंका में हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है। इस प्रकार इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने न तो किसी निजी भूमि को प्राप्त किया है और न किसी भूमि का अधिग्रहण कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु के स्वतंत्रता सैनानियों के पेंशन के लम्बित मामले

5588. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु से स्वतंत्रता सैनानियों के पेंशन संबंधी कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) यह मामले कितने समय से लम्बित पड़े हुए हैं ; और

(ग) इन मामलों को कब निपटाये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए आवेदनों से संबंधित कोई मामला निष्पादन के लिए लम्बित नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पशुओं की खालों की तस्करी

5589. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सदर बाजार पुलिस ने पशुओं की खालों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है ;

(ख) यदि हां, तो जब्त खालों की संख्या और मूल्य सहित ऐसे मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पशुओं की खालें किन-किन स्थानों से प्राप्त की गई, ये खालें किस माध्यम से और किन किन स्थानों को भेजी जा रही थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) दिनांक 7-3-1989 को पुलिस ने दो व्यक्तियों के पास से विभिन्न जंगली जानवरों की 600 खालें बरामद की । वन्य जीवन (पी०) अधिनियम, 1972 की धारा (50) (1)(ग) के अंतर्गत इन खालों को कब्जे में लिया गया तथा दिल्ली प्रशासन के वन्य जीवन विभाग के सुपर्द कर दिया गया था ।

इन खालों का अनुमानित मूल्य 2 लाख रुपए है ।

(ग) ये खालें मध्य भारत तथा हिमालय गिरीपीठ से प्राप्त की गई थीं । इन खालों की समान्यतः जम्मू-व-कश्मीर के रास्ते से विदेशों को तस्करी की जाती है ।

देश में निराश्रित बच्चों की संख्या

5590. श्री समत कुमार मंडल : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निराश्रित बच्चों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे निराश्रित बच्चों का अनुमानित प्रतिशत कितना है ;

(ग) निराश्रित बच्चों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) इस बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है जो यह सूचित करे कि निराश्रित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(घ) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण जिसमें अनाथ तथा निराश्रित सम्मलित है, के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है । यह योजना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है । ऐसे बच्चों को संस्थागत सुविधाएं प्रदान करनी है जिसमें भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा उनके पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को राज्य सरकारों के माध्यम से अनुदान प्रदान किए जाते हैं जो कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 90 प्रतिशत की सीमा तक समान रूप से वहन किए जाते हैं तथा स्वयंसेवी केवल 10% व्यय वहन करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में 95% अनुदान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाते हैं तथा स्वयंसेवी संगठन केवल 5 प्रतिशत व्यय वहन करते हैं । इस योजना के अन्तर्गत 890 स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से 40,000 से अधिक बच्चों को लाभ दिया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त, उपेक्षित किशोरों को जो किशोर न्याय अधिनियम 1986 के उपबन्धों द्वारा शामिल किए गए हैं प्रेक्षण गृहों तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किए गए किशोरों गृहों में संस्थागत देखभाल अधिनियम की सुविधाएं प्रदान की जाती है ।

12.00 मध्यान्ह

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मंत्रालय की मांगों के समय इस मामले को उठा सकते हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, भारतीय जनता पार्टी तथा शिव सेना का गठजोड़ राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है । (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, एक संसद सदस्य, श्री जेठमलानी के मकान पर हमला किया गया है । मैं चाहता हूं कि हम इसकी निन्दा करें ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए ; यह कानून और व्यवस्था का मामला है । मेरा विचार यह है कि लोकतन्त्र की उत्तम परम्पराओं के अनुसरण में हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिएं चाहे इसे करने वाला कोई भी दल हो । मैंने कुछ बातों के संबंध में सुना है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनका घेराव किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

'धरना दिया जाएगा

[अनुवाद]

···या इस्तीफा दे दो ।" ऐसी बातें मैंने कल परसों सुनी हैं । कानून की सख्ती से काम लेना चाहिए । उन्हें दोषी को दंड देना चाहिए और कहीं पर भी किसी दल द्वारा उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए ।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : असम-नागालैण्ड सीमा पर एक गम्भीर स्थिति पैदा हुई है जहां सीमा पार से आने वाले लोगों द्वारा 20 व्यक्ति मारे गए हैं···(व्यवधान) ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए, मैं पता करूंगा ।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक एक करके देख लूंगा ।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैंने कुदाल आयोग की रिपोर्ट पर एक नोटिस दिया है जो "पैट्रियट" मे प्रकाशित हुआ था ···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने एडमिट कर रखा है ।

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति ही इस पर चर्चा के लिए समय दे सकती है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता दल के नेताओं द्वारा हाल ही में दिए गए भाषणों पर केन्द्रीय सरकार ध्यान दे···

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की समस्या है । वहां की सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब तो खुले आम शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबन्धन है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब अटल जी और आडवानी जी भाषण दे रहे हैं । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार भाषणों के भाव की ओर ध्यान दे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी से नहीं पूछूंगा । मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : बम्बई में उन्होंने खुले तौर पर कहा है "बाबरी मसजिद हिन्दुओं को दे दो। वे" अब हिन्दुत्व भावनाओं को भड़का रहे हैं। वास्तव में यह मामला न्यायालय में है।

अध्यक्ष महोदय : कानून इसकी ओर ध्यान देगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे स्थिति को क्यों बिगाड़ रहे हैं ? वे स्थिति को बिगाड़ कर इस मामले को साम्प्रदायिक रंग देना चाहते हैं। हेडगेवार शताब्दी समारोहों का इस स्थिति को साम्प्रदायिक रंग देने के लिए उपयोग किया गया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब तो सब ठीक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आपने श्री वाजपेयी का भाषण पढ़ा है ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें गृह मंत्री को काम करने दीजिए, मुझे नहीं ··यह कानून और व्यवस्था की समस्या है और वहां की सरकार इसकी ओर ध्यान देगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कांग्रेस एक अत्यन्त विशाल दल है जो समाजवाद तथा धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं···(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप जिद मत कीजिए।

[अनुवाद]

इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। आपकी बात कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

श्री ध्यानिन्दर सिंह (फरीदकोट) : सर, यह जो नई चार्जशीट नहीं दी गई है···सर यह एक टेलीग्राम है (व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

12.02 1/2 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7712/89]

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : मैं, श्री के॰ आर॰ नारायणन् की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7713/89]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7714/89]

आयुध (संशोधन) नियम, 1989 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1989, जो 24 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 52(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7715/89]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1989, जो 30 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 399 (अ), में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, जो 30 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ 1989, का॰ नि॰ 400॰(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7716/89]

कृषि मंत्रालय की वर्ष 1989-90 को अनुदानों की विस्तृत मांगें

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं कृषि मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7717/89]

12.08 1/2 म० प०

लोक लेखा समिति

146वां और 147वां प्रतिवेदन

श्री आर० एल० भाटिया (जालन्धर) : मैं लोक सभा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) कलकत्ता में ट्रंक स्वचल केन्द्र के संबंध में एक सौ छियालिसवां प्रतिवेदन।

(2) स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोग (1986-87) और स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय तथा प्रभारित विनियोग (1985-86) के बारे में समिति के एक सौ छठे प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित 147वां प्रतिवेदन।

12.04 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में सुधार किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में विद्युत कार्य-प्रणाली की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार बिजली पर ज्यादा से ज्यादा पैसा भी खर्च कर रही है पर इस पैसे का खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। अधिकतर ग्रामों में जब बिजली ट्रांसफार्मर लाइनें आदि फुक जाती हैं, तो अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बावजूद भी महीनों-महीनों उसी हालत में पड़े रहते हैं। इससे गरीब किसानों का बहुत नुकसान होता है क्योंकि बिजली किसानों की खेती का एक हिस्सा है। इसकी खास मिसाल उ० प्र० में मेरा संसदीय क्षेत्र कैराना भी है जहां बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है और गरीब किसान अत्यन्त परेशान हैं। अपने दौरे के समय ग्रामों में ऐसी स्थिति पाकर मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कभी करवाया है परन्तु, कार्यवाही करवा रहा हूं के आश्वासन भरे पत्रों के आने के अलावा कुछ भी नहीं होता।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह केवल मेरे क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पिछड़े क्षेत्रों की बिजली की इस गिरती हुई दशा को शीघ्र से शीघ्र ठीक करें।

(दो) आयकर अधिकारियों द्वारा बम्बई में हीरे के व्यापारियों का कथित उत्पीड़न रोके जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान बम्बई में हीरे के व्यापारियों को आयकर अधिकारियों द्वारा तंग किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान हीरे के व्यापार ने नियमित और भारी निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करके काफी योगदान दिया है। इस वर्ष हीरों का निर्यात पिछले वर्ष के रिकार्ड व्यवसाय को पार कर जायेगा जिससे भुगतान शेष की स्थिति सहज हो जाएगी। लगभग पिछले एक महीने से बम्बई के हीरे के व्यापारियों के ठिकानों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं।

बम्बई में सम्बन्धित अधिकारियों से किए गए निवेदनों के बावजूद भी हीरे के व्यापारियों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि आयकर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न नहीं रोका गया तो शायद उन्हें अपना व्यापार बन्द करने पर बाध्य होना पड़ें।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें ताकि हीरे का निर्यात व्यापार प्रभावित न हो।

(व्यवधान)

[इस समय श्री शमिन्दर सिंह और श्री चरनजीत सिंह अठवाल सभा भवन से बाहर चले गए।]

(तीन) मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के चम्बल क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक डाकघर खोले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के चम्बल सम्भाग का मुरैना जिला पहाड़ी जिला है। यहां पर डाक वितरण की भारी परेशानी है क्योंकि डाक वितरण कर्मचारी को 10 या 15 किलोमीटर तक आना जाना पड़ता है। कभी-कभी कर्मचारी डाक ग्राम के किसी आदमी को दे देता है। इस कारण देरी होती रहती है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पंचायतें काफी दूरी पर होती हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि चम्बल सम्भाग की हर एक पंचायत में डाकघर खोलने की व्यवस्था करे, ताकि डाक-वितरण में सुविधा मिल सके।

(चार) उत्तर बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु केसरिया होते हुए हाजीपुर और नरकटियागंज के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : पिछले आठ साल से मैं यह मांग करती आ रही हूं कि हाजीपुर से लालगंज, वैशाली, साहेबगंज तथा आगे केसरिया होते हुए नरकटियागंज तक विशेषतौर

पर वैशाली और साधारणतया उत्तर बिहार के विकास के लिए एक रेल लाइन बिछाई जाए। इससे उत्तर बिहार के आर्थिक विकास के लिए रास्ता खुल जायेगा और राज्य के मुख्यालय और राष्ट्रीय राजधानी से भी आगे तक सीधी पहुंच हो जायेगी। सभा इस बात से भिज्ञ हैं कि वैशाली प्रजातंत्र सरकार की जन्मस्थली है और आज तक भी भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों के लिए निकट तथा दूर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षमता भी काफी है क्योंकि इसमें बांस, कृषि, अपशिष्ट गन्ने, शीरे, खोई, विभिन्न प्रकार की लकड़ी इत्यादि जैसा कच्चा माल उपलब्ध है। गत लोक सभा में जब मैंने यह मुद्दा उठाया था तो रेल मंत्री जी ने कहा था कि गंगा के ऊपर पुल बन जाने के बाद इस क्षेत्र के लिए सड़क यातायात शुरू हो जाएगा। परन्तु यह उम्मीद सही साबित नहीं हुई और वैशाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग से भी वंचित रह गई है। इसलिए मैं रेल मंत्री से एक बार फिर निवेदन करती हूं कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें और रेल लाइन को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अधिक संख्या में केन्द्रीय साक्षरता परियोजनाओं, शिक्षण निलयम, वाहनों और टेलिफोनों को मंजूरी दिये जाने की मांग

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979 से लागू किया जा रहा है। 1 81 की जनगणना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य की जनसंख्या 535 लाख है। साक्षरता की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है और साक्षारता दर केवल 29.94 प्रतिशत है। यहां के 23 जिलों में से 18 जिलों में साक्षाता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 36.23 प्रतिशत से भी कम है। भारत सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश को स्वीकृत ग्रामीण क्रियाशील साक्षरता परियोजनाओं की संख्या केवल 26 है जबकि राजस्थान तथा कर्नाटक जैसे छोटे राज्यों में जिनकी जनसंख्या क्रमशः 342 लाख और 371 लाख है, इनकी स्वीकृत संख्या क्रमशः 32 और 25 है। मध्य प्रदेश जिसकी जनसंख्या 521 लाख है, में इनकी संख्या 52 है।

1971 में जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था उस समय अनुमानित लक्ष्य समूह 110 लाख था। इसमें से 1987-88 तक 24.20 लाख लोग ही साक्षर बन सके। वर्ष 1994-95 के अंत तक इस लक्ष्य समूह में असाक्षर लोगों की संख्या 85-80 लाख होने का अनुमान है। वर्ष 1988-89 से 1994-95 तक एक राज्य कार्यवाही योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार के 1994-95 के अन्त तक 85.80 लाख लोगों साक्षर बनाने के लिए प्रतिवर्ष 24 परियोजनाओं (12 केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन तथा 15 राज्य क्षेत्र के अधीन) के हिसाब से 224 अतिरिक्त परियोजनाओं की आवश्यकता है। 12 केन्द्रीय परियोजनायें स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार के आदेश प्राप्त नहीं हुये हैं। वर्ष 1988-89 के लिए 1560 जनशिक्षा निलयमों की जरूरत है। इस वर्ष इनमें से भारत सरकार ने केवल 370 जन शिक्षा निलयमों को स्वीकृति दी है। इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में 910 जनशिक्षा निलयमों को स्वीकृति देने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम की प्रभावी देख-रेख के लिए राज्य में 23 प्रौढ़ शिक्षा उप-निदेशकों को वाहनों तथा टेलीफोनों की मंजूरी देना आवश्यक है।

12.13 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(छः) कर्नाटक में मीटर गेज ट्रंक रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की मांग

श्री एस०एम० मुरडी (बीजापुर) : कर्नाटक की आधारभूत आवश्यकता इसके ट्रंक रेल लाइन के लिए एक समान गेज प्रणाली की आवश्यकता है। फिलहाल राज्य में यातायात भिन्न-भिन्न गेजों की रेल लाइन द्वारा हो रहा है। यह एक अवरोधक तथ्य है। भिन्न गेज होने के कारण मुख्य रूप से यातायात सड़क द्वारा होता है।

दक्षिण के अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में किलोमीटर में ब्रॉडगेज लाइन की लम्बाई कम है।

इसलिए राज्य सरकार अपने ट्रंक रेल लाइन को शीघ्र बदलने के लिए दबाव डाल रही है।

बड़ी लाइन के अभाव में व्यापारियों तथा उद्योगपतियों में हिचकिचाहट है। बड़ी लाइन द्वारा उनके कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं का अबाध रूप से आवागमन हो सकेगा।

मैसूर-बंगलौर ट्रंक लाइन के अतिरिक्त राज्य सरकार राज्य की अन्य ट्रंक लाइनों अर्थात हास्पेट-हुबली, मिटाज-बंगलौर इत्यादि को बड़ी लाइन में बदलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए, यह निवेदन है कि भारत सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

(सात) संघलोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा कर 28 वर्ष किये जाने तथा ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए एक अनुशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने की मांग

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा को 1987 में हुई परीक्षाओं से 28 वर्ष से घटा कर 26 वर्ष कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है जहां वे 24-25 वर्ष की आयु में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए शहरी अभ्यर्थियों, जिन्हें बेहतर तैयारी पाठ्यक्रम का लाभ प्राप्त होता है, की तुलना में परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को आयु सीमा के कारण मुश्किल से एक अवसर मिल पाता है।

जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बहुत से मेधावी विद्यार्थी बिना किसी दोष के सिविल सेवाओं में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

इसलिए, न्याय और ईमानदारी के नाम पर भारत सरकार को यथापूर्व स्थिति कायम रखनी चाहिए और केन्द्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 28 वर्ष कर देनी चाहिए।

सरकार को प्रत्येक खण्ड मुख्यालय, जो मुख्यरूप से ग्रामीण हो, में कम से कम एक शिक्षण संस्थान खोलना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के अभ्यार्थी केन्द्रीय सेवा परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी कर सकें।

(आठ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किये जाने की मांग

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : केरल के लोगों की एक स्थाई और न्यायोचित मांग यह रही है कि त्रिवेन्द्रम के नागरिक हवाई अड्डे को अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया जाना चाहिए।

फिलहाल प्रति सप्ताह 20 से भी अधिक उड़ानें यहां से संचालित की जा रही हैं। रिकार्ड के अनुसार यह देखा गया है कि प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पांच लाख से भी अधिक यात्री इस हवाई अड्डे का प्रयोग कर रहे हैं।

यदि त्रिवेन्द्रम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया जाता हैं तो कुछ और चुनिन्दा एअरलाइनों के लिए त्रिवेन्द्रम से उड़ान भरना सम्भव हो सकता है जिसका यह तात्पर्य होगा कि खाड़ी देशों तथा अन्य जगहों पर जाने वाले यात्रियों को उदार किराया योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इससे राज्य के आर्थिक विकास में भी बहुत सहायता मिल सकती है।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं भारत से सरकार निवेदन करता हूं कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए कदम उठाये।

———

12.18 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1989-90—[जारी]

ऊर्जा मंत्रालय—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ऊर्जा मंत्रालय के नियन्त्रण में आने वाली अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी करते हैं। श्री वसंत साठे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : उपाध्यक्ष महोदय, कल ही मैं वकरेश्वर परियोजना के बारे में पश्चिमी बंगाल के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और सी० आई० एल० द्वारा कुछ अवैध खनन के मामले को निपटा रहा था। बी० एल० एफ० के विरुद्ध एक गलत वक्तव्य देने के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री महोदय के विरुद्ध भी कुछ आरोप लगाए हैं। जहां तक अवैध खनन के आरोप का सम्बंध है, इस बारे में मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के साथ ही एन्ड्रयू यूल के अंतर्गत आने वाली कुछ कम्पनियां भी स्वतः ही सरकार के स्वामित्व में आ गई थीं। हम उन अधिकारों के अनुसार ही खनन कार्य कर रहे हैं। परन्तु सरकार ने फरवरी 1989 में एक अधिसूचना जारी करके

जमींदारी के सभी अधिकार छीनकर उन्हें राज्य सरकार में निहित कर दिया । उन्होंने यह कहा कि ई० सी० एल० का अधिकार उस भूमि पर नहीं है अपितु पूर्व कम्पनी को केवल खनन अधिकार प्राप्त था, और इसीलिए उन्होंने खनन कार्य को रोक देने के लिए कहा है । हमने तभी से उस क्षेत्र में खनन कार्य रोक दिया है । जिन खानों से दुर्गापुर प्रोजैक्ट लि० को कोयला भेजा जा रहा था, उन्हें बन्द कर दिया गया है । अतः वहां कोई अवैध खनन कार्य नहीं हो रहा है । वर्ष 1973 के बाद वहां कोई भी गैर-कानूनी खनन कार्य नहीं किया गया है ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अवैध खनन का अभिप्राय स्थल का उचित प्रकार से अधिग्रहण किए बिना खनन कार्य करना है ।

श्री वसंत साठे : श्री आचार्य आप अभी-अभी आए हैं । मैंने पहले जो कुछ कहा है उसे आपने नहीं सुना है ।

मैं पहले ही उनके बारे में उल्लेख कर चुका हूं । श्री बसुदेव आचार्य आपके फायदे के लिए मैं उन बातों को दोहराऊंगा । यह सच है कि राष्ट्रीयकरण के कारण ही ये खानें हमारे स्वामित्व के अंतर्गत आई हैं । अतः हमें खनन अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, भूमि अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं । आपने वर्ष 1989 में जमींदारी अधिकार लिए हैं । आपने यह कहा है कि हमें भूमि अधिकार प्राप्त नहीं हैं इसलिए हमें खनन कार्य नहीं करना चाहिए । हमने वहां खनन कार्य बन्द कर दिया है । इसमें किसी भी स्तर पर कोई अवैधता सम्मिलित नहीं है । फिर आपने यह उल्लेख किया था कि हम भूमि धसाव के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं । यह सर्वविदित है कि रानीगंज और झारिया क्षेत्रों में खनन कार्य 100 वर्षों से भी अधिक समय से जारी है । खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद हमने पहला कार्य यह किया कि अधाधुंध और बेतरतीब खनन कार्य नहीं होने दिया । अतः हमने खान और सुरक्षा के निदेशक से यह कहा है कि वह हमें यह बताएं कि किन-किन क्षेत्रों में खनन कार्य किया जा सकता है और ऐसे खतरनाक क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें जमीन के धंसने की समस्या है । अतः उन्होंने रानीगंज क्षेत्र में ऐसे 40 क्षेत्रों का पता लगाया है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल रिस्ट्रिकशन आफ कंनस्ट्रक्शन अनसेफ एरिया एक्ट, 1979 बनाया है । अब इस अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिसूचना देनी पड़ती है कि असुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं और तत्पश्चात उन क्षेत्रों में धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार, धारा 5 के अंतर्गत उन क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता । अभी तक पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यदि डी० जी० एम० एस० द्वारा उन क्षेत्रों के बारे में ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जाता है तो पश्चिमी बंगाल सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है ?

श्री वसंत साठे : इसके बारे में ठीक-ठीक पता लगाया गया है ।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, आपके पास कोई भूमि रिकार्ड भी नहीं है ।

श्री वसंत साठे : मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता । मैं आपकी अपनी अधिसूचना को पढ़कर सुनाऊंगा । इसमें निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है :

'विनियमात्मक कार्यवाही के एक अंग के रूप में, खान-सुरक्षा महानिदेशक ने 40 क्षेत्रों को भूमि धंसाव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने विधान बनाकर इन क्षेत्रों में निर्माण-कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। तथापि, इस विधान को प्रभावशाली ढंग से लागू करना सभंव नहीं हुआ है जिसका परिणाम यह है कि वहां बस्तियों में वृद्धि को नियन्त्रित नहीं किया गया है और यह निरन्तर जारी है।"

यदि अधिनियम के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से विनियमात्मक कार्यवाही को लागू किया जाता है तो श्री आचार्य को यह पता लगेगा कि वे बहुत सी गड़बड़ी को रोकने में सफल होंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सच नहीं है। जब तक किसी क्षेत्र विशेष के बारे में ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जाता तब तक वे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं किया गया है।

श्री वसंत साठे : ऐसा किया गया है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपको इसकी जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आपको इसकी जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपको डी० जी० एम० एस० से पता लगाना चाहिए।

श्री वसंत साठे : जब तक आपको यह जानकारी नहीं है कि खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा 46 क्षेत्रों के बारे में विचार किया गया है और उन्हें भूमि धंसाव-ग्रस्त क्षेत्र होने की घोषणा की गई है तब तक आप कैसे यह घोषणा कर सकते हैं? जब तक 46 क्षेत्रों का पता न हो वह 46 क्षेत्रों की घोषणा कैसे कर सकते हैं। ठीक-ठीक पता लगाने से आपका क्या अभिप्राय है? इस प्रकार बहस करने का प्रयास मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक गम्भीर खतरा है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : हमें इस बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री वसंत साठे : इसे रोकना मेरा काम नहीं है, इसे रोकना राज्य सरकार का काम है और उन्होंने इस बारे में एक अधिनिममन भी बनाया है। यदि वे अपना कार्य नहीं करते हैं तो मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं? मैं कोई कानून लागू करने वाली एजेन्सी नहीं हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : गांवों में आपका निर्माण कार्य हो चुका है। उसके लिए तो आपका उत्तरदयित्व है।

श्री वसंत साठे : ये निर्माण कार्य वहां हुए हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए और पश्चिमी बंगाल सरकार इस जनसंख्या को वहां से हटाने के लिए अपने अधिनियमन के अंतर्गत कोई योजना तैयार करने की बजाय...

श्री बसुदेव आचार्य : उसे कौन तैयार करेगा ? यह आपका दायित्व है, पश्चिमी बंगाल सरकार का दायित्व नहीं है। आप उस क्षेत्र से कोयला निकाल रहे हैं।

श्री वसंत साठे : यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। हम राज्य सरकार की सहायता करने जा रहे हैं। परन्तु राज्य सरकार एक ओर...

श्री बसुदेव आचार्य : यह आपका उत्तरदायित्व है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा करना आपका कार्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को जारी रखिए। मैं श्री बसुदेव आचार्य को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : यह रस्साकशी जारी नहीं रहेगी। मैं कहता हूं कि श्री बसुदेव आचार्य को यह दिखाऊंगा कि उनकी प्रत्येक बात गलत है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं नहीं, आपकी बात गलत है।

श्री वसंत साठे : फिर महोदय उन्होंने एक बहुत ही गम्भीर आरोप यह लगाया है कि प्रधान मंत्री महोदय ने सयंत्र कार्यभार क्षमता के बारे में कुछ कहा है और उन्होंने 'इकनामिक सर्वे, के पृष्ठ 32 से कुछ भाग को उद्धृत किया है। परन्तु इसे विधि शब्दावली में असत्य का सुझाव, सत्य का गोपन कहा जाता है।

महोदय, कृपया यह देखिए कि इसी पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों ने 50 प्रतिशत से अधिक कार्यभार क्षमता प्राप्त कर ली है परन्तु इसे साथ वाली तालिका के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इस तालिका में सब संख्या में उल्लेख किया गया है "पश्चिमी बंगाल विद्युत विकास निगम की संयंत्र कार्यभार क्षमता 50% से अधिक है।" श्री बसुदेव आचार्य और पश्चिमी बंगाल के मेरे मित्र भली प्रकार यह जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल विद्युत विकास निगम, पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से अलग है और पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की संयत्र कार्यभार क्षमता 38 हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप उसी भाग को उद्धृत करते हैं जिसे मैंने उद्धृत किया है।

श्री वसंत साठे : अतः सदन को गुमराह करने और अनुभूति उत्पन्न करने के लिए दुर्भाग्यवश कुछ सदस्यों ने मसले को पूर्णतः न पढ़ने और विषय वस्तु के बाहर उद्धृत करने की आदत डाल ली है। कार्यकुशल सरकार के मार्ग-निर्देश में पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के उत्पादन और संयंत्र कार्यभार क्षमता में लगातार गिरावट आई है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बात सही नहीं है।

श्री वसंत साठे : कृपया इस बारे में ध्यान दीजिए। मैं आपको वहां की घटनाओं की सही जानकारी दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कार्यकुशलता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप वहां जाकर पता लगाइए।

श्री बसंत साठे : मुझे खुशी होगी। मैं अनुरोध कर रहा हूं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब दमन के नेता कार्यकुशलता के बारे में बात कर रहे हैं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : आप उत्पीड़न के नेता हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। आप स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं। आप स्वयं को प्रमाणपत्र देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात पर आइए।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : आंखों देखा हाल राज्य विधान सभा में सुनाया जा सकता है। उन्हें वहां इस समस्या का सामना करना चाहिए।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, हम ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति में ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। यही समस्या है। मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं है।

श्री बसंत साठे : उन्हें इसमें सुधार दिखाना चाहिए, मुझे इसकी बहुत खुशी होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप स्वयं को प्रमाणपत्र देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अकार्यकुशल है और आप कार्यकुशल हैं।

श्री बसंत साठे : महोदय, विद्युत सप्लाई निगम की संयंत्र कार्यभार क्षमता 52.7 है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। पश्चिमी बंगाल विकास निगम की कार्यभार क्षमता 52 से घटकर 49.4 हो गई है। मैं कहता हूं कि उन्हें इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, जोकि पूर्णतः पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के अन्तर्गत है, की कार्यभार क्षमता बहुत कम 35.7 है। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें सुधार किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया नीचे वाली सारणी को देखें। कृपया कालीघाट को देखें।

श्री बसंत साठे : दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड की संयंत्र भार क्षमता 21.5 है। क्या राज्य सरकार के उपक्रमों को यही संयंत्र भार क्षमता प्राप्त करनी है?

फिर, उन्होंने कालीघाट के विषय में बातें की हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं क्यों इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को अधिक विद्युत मिलनी चाहिए? यदि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड कोलाघाट परियोजना में—प्रथम चरण 3×210 मेगावाट, द्वितीय चरण पुनः 3×210 मेगावाट, 11 वर्षों का समय लेता है, महोदय, क्या आप जानते हैं कि दो इकाईयों में प्रथम-चरण पर 11 वर्ष लगे···(व्यवधान) यह और कुछ नहीं सिर्फ अकार्यकुशलता है···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों? हमें इसका कारण बताइए ए० बी० एल० 18 महीनों तक क्यों बन्द रहा?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त हो जाइए ।

श्री वसंत साठे : कृपया क्रोधित न हों···(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : महोदय, इसकी चर्चा पश्चिम बंगाल विधान सभा करेगी । माननीय मंत्री को इस प्रकार की टिप्पणियां करने से मना किया जाए···(व्यवधान) । क्या आप हमारे बजट की चर्चा कर रहे हैं ? आप उसकी चर्चा कीजिए···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैं उसकी चर्चा करूंगा···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस कारण आप पश्चिम बंगाल को बकरेश्वर नहीं दे रहे हैं । इसका यही कारण है । कृपया हमें कारण बतायें···(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : महोदय, हम मांगों के सम्बन्ध में उनके विचार जानना चाहते हैं ···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां क्या हम उनकी दया पर हैं ?···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । श्री कल्पनाथ राय ने अभी एक बात कही···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कब ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अभी ! यह कार्यवाही वृत्तान्त में दर्ज है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तान्त में दर्ज नहीं किया जा रहा है । व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कोल इण्डिया के अध्यक्ष से आबंटित करने का अनुरोध किया है···(व्यवधान) हमें सारे कागजात मिल चुके हैं···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उत्तेजित नहीं होना चाहिए । हमें विषय वस्तु पर युक्तिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए । मैं बकरेश्वर की चर्चा करने जा रहा हूं । मैं एक दिन पहले की इसकी चर्चा कर रहा था···(व्यवधान) मुझे बहुत ही स्पष्टतापूर्वक और ईमानदारी से इसे कहना चाहिए। जहां तक बकरेश्वर का सम्बन्ध है, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अथवा पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों के साथ वाद-विवाद में बाजी मारने के लिए नहीं कह रहा हूं । हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे और अभी भी हम इसके लिए बहुत उत्सुक हैं कि जितना जल्द सम्भव हो सके बकरेश्वर परियोजना पूरी होनी चाहिए । लेकिन कृपया देखें, एक दिन पहले भी मैं पूछ रहा था कि रुकावट कहां उत्पन्न हुई ? 630 मेगावाट की परियोजना थी, यह पूर्णतया राज्य की परियोजना थी और देश के अन्य राज्यों की तरह राज्य सरकार 630 मेगावाट योजना के लिए भी संसाधन नहीं जुटा पायी और इस कारण ही रुकावट उत्पन्न हुई । अतः हमने राज्यों की तरह उनसे भी कहा···(व्यवधान) भारत में अन्य सभी राज्य बहुदेशीय ऋण जैसे विश्व बैंक, ओ० ई० सी० एफ०, एशियन विकास बैंक, द्वारा

अपनी परियोजनायें पूरी कर रहे हैं और इन सबों का उपयोग किया गया है और हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। यहां उपस्थित माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि इसमें अन्तर यह है कि जब आप वाणिज्यिक ऋण लेते हैं तो ऋण लेने वाला ऋण भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। लेकिन जब एक देश द्वारा दूसरे देश से ऋण लेने की बात आती है तो सारी जिम्मेवारी भारत सरकार की हो जाती है। यही कारण है कि हम लोगों ने अन्तर रखा है (व्यवधान) आचार्य जी, यदि आप इसे समझने की चेष्ठा करें तो आप इसे समझ जायेंगे; लेकिन यदि आप क्रोधित होने लगेंगे तो आप इसे नहीं समझ पायेंगे। अतः मैं आपको बताऊं उत्तरी करनपुरा यह विश्वबैंक परियोजना है। इस तरह की आप दूसरी भी बना सकते हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल की तीस्ता नहर परियोजना को हम लोगों ने ओ० ई० सी० एफ० के अधीन कर दिया है। हम इसे कर रहे हैं। हमने इसका विरोध नहीं किया है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके द्वारा बाधा उत्पन्न करने के बावजूद हम इसे करेंगे ···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

हम लोगों ने क्या किया? भारत सरकार का कथन है, "ठीक है देश के समस्त लोगों के संसाधन यहां है। इसके बाद किसी भी बड़े परियोजना के लिए हम उन्हें राज्यों को तभी दे सकते हैं जब हम पूरे देश के संसाधनों को इस प्रकार इकट्ठा कर लें ताकि वे पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकें।" यही कारण है कि हमने यह परियोजना बनाने का निर्णय लिया है और बकरेश्वर परियोजना के लिए यू० एस० एस० आर० से द्विपक्षीय ऋण लेने का निर्णय किया। जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने मुझसे यह कहा कि वे 400 करोड़ रुपए से अधिक नहीं जुटा सकते हैं तो मैंने स्वयं उस फार्मूले में सुधार की सलाह दी। केन्द्रीय परियोजनाओं का वर्तमान फार्मूला गाडगिल फार्मूला है उसी के अनुसार उस क्षेत्र के राज्यों के बीच उत्पादित विद्युत का बंटवारा किया जाता है। लेकिन यहां मैं कहता हूं, "ठीक है हम लोग इस फार्मूले के सुधरे हुए रूप को लागू करेंगे। जिस राज्य में परियोजना कार्यान्वित की गयी है उसे अपनी क्षमता भर अपनी सहायता करने दी जाये और वर्तमान फार्मूले के अन्तर्गत उस राज्य का जो हिस्सा होता है उसके अतिरिक्त हम उस राज्य को उतना देंगे जितना की वह सहायता करता है।" इस फार्मूले के कारण उन्हें 60 प्रतिशत से भी अधिक विद्युत प्राप्त होगी। इस फार्मूले को हमने सिर्फ पश्चिम बंगाल के समक्ष ही नहीं रखा बल्कि यमुना नगर परियोजना के लिए हरियाणा के, मैंगलोर परियोजना के लिए कर्नाटक के कायनकुलम परियोजना के लिए केरल के, उड़ीसा के और अन्य राज्यों के समक्ष भी रखा। वास्तव में कर्नाटक, हरियाणा और केरल ये तीनों राज्य गैर-कांग्रेस (इ) राज्य हैं और इन सभी के मुख्य मन्त्रियों ने इसे तुरन्त स्वीकार कर लिया और कहा कि इन फार्मूले से उन्हें इन बड़ी सुपर ताप विद्युत परियोजनायें लगाने में सहायता मिलेगी···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार शुरू हो जाएंगे तो मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि कोई विदेशी देश सहायता या ऋण देने के लिए सहमत हो गया है तो उस सरकार से क्यों पूछा?

श्री वसन्त साठे : हमने कभी नहीं पूछा ?

श्री बसुदेव आचार्य : यह कार्यवाही वृत्तान्त में दर्ज है ।

श्री वसन्त साठे : यह सत्य नहीं है । सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्वयं अपने भरोसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सी से वाणिज्यक ऋण प्राप्त करने की चेष्टा की । उन्होंने दो पक्षों से बात की एक तो कुदांजयान नामक जापानी सहायता प्राप्त बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कम्पनी थी और दूसरी, रूस की कम्पनी थी, जो वाणिज्य सहायता मे बिरला के साथ भागीदार है । इन दोनों प्रस्तावों का उन्होंने हमें सुझाव दिया था । वित्त मन्त्रालय द्वारा उनकी जांच की गयी और उन्हें अव्यवहारिक पाया गया । पश्चिम बंगाल सरकार को इससे अवगत करा दिया गया था ।

जब भी मैं कलकत्ता गया और जब भी वहां के मुख्यमन्त्री यहां आये, उनके साथ मुलाकात करने मैं ही गया । मैं इस बात के लिए बहुत इच्छुक था कि उन्हें बकरेश्वर परियोजना मिलनी चाहिए । उनके पास संसाधन नहीं थे । मैंने संसाधन प्राप्त करने की कोशिश की ताकि उन्हें अधिक विद्युत प्राप्त हो सके । उन्हें अधिक विद्युत प्राप्त कराने के उद्देश्य से हमने क्या किया ? हमने इस परियोजना की क्षमता 630 मेगावाट से बढ़ाकर 830 मेगावाट कर दी । हम विश्वास के साथ यह कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी परियोजनाओं को पांच-छः महीने पहले ही पूरा कर दक्षतापूर्वक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत संयंत्र भार क्षमता स्थापित कर देश में एक रिकार्ड कायम किया है । यही कारण है कि मैंने सोचा कि 8:0 मेगावाट क्षमता के साथ यदि नये फार्मूले के अन्तर्गत इस परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना के रूप में चलाने के पश्चिम बंगाल सरकार को मान लिया जाए और यदि सामान्य संयंत्र भार क्षमता 60 भी मान कर चला जाए तो उन्हें न्यूनतम 650 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी । किन्तु यदि वे 630 मेगावाट की अपनी परियोजना बनाने पर जोर देते हैं तो इसकी लागत करीब 1000 करोड़ रुपए बैठेगी । मैंने उनके कार्यकरण, उनकी संयंत्र भार के घटक के रिकार्ड का जिक्र क्यों किया है ? मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि यदि इस 1000 करोड़ रुपए से उन्हें संयंत्र भार क्षमता का 50 प्रतिशत भी मिलता है, उन्हें वास्तव में कितनी बिजली मिलेगी ? 300 मेगावाट बिजली भी नहीं मिलेगी । इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल की जनता को बताया—मैंने स्वयं कलकत्ता जाकर उनके समक्ष प्रस्ताव रखा था—कि यदि वे चाहें तो मैं मुख्य मन्त्री के साथ अथवा अपने मित्र श्री एन० सी० चटर्जी के साथ सार्वजनिक रूप से बातचीत करने का इच्छुक हूं । मेरे पास पहले ही एक···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री एन० सी० चटर्जी की मृत्यु हो चुकी है ।

श्री वसन्त साठे : मैं क्षमा चाहता हूं मेरा अभिप्राय श्री सोमनाथ चटर्जी से था । मुझे उनके पिता का नाम ध्यान में रहा । श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ भी मैंने एक बार बातचीत की थी और मैं उनके साथ दुबारा बातचीत का इच्छुक हूं । किन्तु हमें पश्चिम बंगाल की जनता के हित के बारे में सोचना है । वर्तमान स्थिति देखिए । वे संयंत्र भार घटक को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । यदि वे इसमें 10 प्रतिशत वृद्धि भी करें, केवल उसी से··· (व्यवधान) उनकी संयंत्र भार क्षमता 38% है और राष्ट्रीय प्रतिशत 55% से अधिक है । यदि वे इस क्षमता को 50% तक भी लाएं···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : ये आकड़े ठीक नहीं हैं···(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : महोदय, इनका क्या करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन बातों को भूल जाइए । आप उत्तर दीजिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप वहीं से उद्धृत कीजिए जहां से मैंने उद्धृत किया है ।

श्री वसन्त साठे : मैं आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 32, सारणी 3, 5 से उद्धृत कर रहा हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप वहीं से उद्धृत कीजिए जहां से मैंने उद्धृत किया है ।

श्री वसन्त साठे : मैं वहीं उद्धृत कर रहा हूं···(व्यवधान) अतः इस सभा के माध्यम से मैं माननीय सदस्यों और पश्चिम बंगाल की जनता से यह निवेदन करता हूं कि तमाशा मत बनाइए । बकरेश्वर···(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । वह केवल उत्तर दे रहे हैं । किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है । अतः व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता । आप हर बात के लिए यही कहना चाहते हैं, आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, क्या आप उनके समक्ष झुक रहे है ?

श्री वसन्त साठे : जी नहीं, महोदय । मैं श्री चौधरी के समक्ष कभी नहीं झुका ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं । मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : महोदय, वह कुछ सुझाव देना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । चूंकि आपने कहा, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने कहा इस बारे में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर सब कुछ कहने का प्रयत्न मत कीजिए । यदि कोई सुझाव है और मन्त्री महोदय मानने को तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, वह बहुत ही कृपालु मन्त्री हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आप मेरे साथ कृपालु नहीं हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार बकरेश्वर परियोजना पर स्वयं कार्य कर रही है । रूस से उन्हें जितना धन मिला है, क्या वे पश्चिम बंगाल की जनता तथा पूरे देश के लाभ के लिए एक अन्य संयंत्र स्थापित करेंगे ? तमाशे की बात मत कीजिए : हम स्वयं कर रहे हैं, आप भी स्वयं कीजिए ।

श्री वसंत साठे : ठीक है···(व्यवधान) रुकिए, रुकिए । आप इस तरह नहीं बच सकते । जैसाकि मैंने उस दिन कहा था, पहली बात यह है कि बकरेश्वर को वे 'बलि का बकरा' बना रहे हैं ···(व्यवधान) आपको बलि के बकरे की जरूरत है ।

[हिन्दी]

आप स्केप-नोट बना रहे हैं और उसको काट रहे हैं।

[अनुवाद]

वे सब खून के प्यासे हैं।

[हिन्दी]

बकरे का ब्लड निकालेंगे और लोगों को कहेंगे कि तुम्हारा भी ब्लड बीचेंगे।

[अनुवाद]

वे तमाशा दिखाकर पश्चिमी बंगाल की जनता का खून चूसना चाहते हैं··· मैं (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम वैसा नहीं कर रहे हैं। जनता योगदान दे रही है। महोदय, लेकिन वह उनको अच्छा नहीं लगता (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आप नहीं जानते कि खून का क्या करना है। अतः उस खून का प्लाजमा बनाने के लिए आप बाहर से उपकरणों का आयात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हथकंडों से भी आपको पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाएंगे। महोदय, चलो, पश्चिमी बंगाल की जनता का नाम लेकर भी उनकी सरकार को अक्ल आ जाए तो अच्छी बात है हम बकरेश्वर के लिए सहायता देने के इच्छुक हैं। मैंने दो विकल्प रखे हैं। मैं चाहता हूं कि इसका निर्माण या तो एन० टी० पी० सी० परियोजना के रूप में किया जाए अथवा संयुक्त क्षेत्र की परियोजना के रूप में जिसमें हम रूस से प्राप्त सहायता राशि इस्तेमाल कर सकते हैं जैसाकि हमने नाथपा-झाकड़ी या टेहरी में किया है। यह प्रस्ताव सरकार ने खुले तौर पर भी रखा है और मैं आज पुनः इसे दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारे लिए पश्चिमी बंगाल की जनता का हित सर्वोपरि है। (व्यवधान) महोदय, यह परियोजना पांच वर्ष से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल की जनता को उनकी जरूरत से भी अधिक बिजली मिलेगी। किन्तु महोदय, यदि वे जिद पर अड़े हुए हैं, यदि वे बकरेश्वर परियोजना को चुनाव तथा अन्य उद्देश्यों के लिए एक राजनैतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ईश्वर उनका भला करे, वे जो चाहें कर सकते हैं। जहां तक रूस से प्राप्त 800 करोड़ रुपए की सहायता राशि का संबंध है, यदि हम पश्चिम बंगाल में ऐसी परियोजना का पता लगा पाए जहां हमें कोयला मिल सकता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। महोदय, न स्वयं कुछ करना और न करने देने की नीति जो उन्होंने अपनाई है उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वे कहते हैं कि हम कोयला खनन के लिए आपको जमीन नहीं देंगे। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहा था, वह सोनपुर बजरिया का कोयला नहीं दे रहे है। सोनपुर बजरिया के कोयले का संबंध वकरेश्वर परियोजना से है। उसे वह नहीं दे रहे हैं। फिर कल वे कहेंगें कि "कोयला नहीं है, भारत सरकार हमें कोयला नहीं दे रही है।" ···(व्यवधान) यह बिल्कुल वैसा ही है जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी कि जानते हैं कि ··" चोर को कहो की चोरी करो और शाह को कहो। कि होशियार रहो (व्यवधान)

महोदय, मैंने उस दिन भी इस बात को बताया था कि यदि आप लाभप्रद खनन चाहते हैं तो प्रत्येक भूभाग का इस्तेमाल संभव नहीं है। पुनर्वास की हम पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं। पूर्ण हानि को पूरा करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम सौ रुपए अधिक देंगे। हम यह भी करेंगे। लेकिन इस तरह की

आत्मघाती भूमिका जो एक लोकप्रिय तरीका है ठीक नहीं है। पश्चिमी बंगाल के तथाकथित प्रगतिशील लोग इस तरह की नीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं तथा यह आत्मघाती और पश्चिम बंगाल में कोयला और ऊर्जा उद्योग को जल्द ही खत्म करने वाली होगी। यह जो वह सारा पैसा लोगों के खून से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे उसका उपयोग पश्चिमी बंगाल में रुग्ण उद्योगों को शुरू करने में क्यों नहीं करते ? पश्चिम बंगाल में आज एक लाख से ज्यादा लोग बेकार हैं क्योंकि रुग्ण ईकाईयां बंद पड़ी हैं। वे उस धन का उपयोग वहाँ क्यों नहीं करते हैं ? जैसाकि मैंने कहा, एक हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। एक हजार करोड़ रुपए के लिए वह उनका लहू ले रहे हैं। मेरा सुझाव है कि बकरेश्वर परियोजना के लिए आपको 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और आप उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर शेष 600 करोड़ रुपए का उपयोग रुग्ण उद्योग को शुरू करने में कीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वह इसका राजनैतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो महोदय, यह बकरेश्वर की स्थिति है। मुझे आशा है कि इससे बकरेश्वर के बारे में उठे सवालों को रोकने में सहायता मिलेगी और पश्चिमी बंगाल के मेरे मित्र एक समाप्त हो चुके मामलों को पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

अब हम राज्यों में ऊर्जा की स्थिति पर आते हैं। (व्यवधान) महोदय, बकरेश्वर के मामले में उनकी आपत्तियों को रद्द करने के पश्चात् अब मुझे आशा है कि मेरे मित्र अन्य राज्यों के मामलों से निबटने की अनुमति देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपके अपने मामले का क्या हुआ ?

श्री वसंत साठे : महोदय, विश्वबैंक परियोजनाओं के बारे में जिनकी हमने राष्ट्र भर में पहचान कर ली है और ओ० ई० सी० एफ० तथा एशियाई विकास बैंक — मैं इनमें से कुछ परियोजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा, विशेषकर जो परियोजनाएं दक्षिण में हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन महोदय, मैं यह कहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 7545 मेगावाट की कुल क्षमता का पता लगाया है और 1813 मेगावाट का राज्य क्षेत्र में पता लगाया है और इसका कुल योग 9,358 मेगावाट है। जहां तक पन-बिजली परियोजनाओं का संबंध है, उनकी क्षमता लगभग 1828 मेगावाट है और कुल योग 11,186 मेगावाट है।

जहां तक सातवीं योजना की परियोजनाओं का संबंध है, केन्द्रीय क्षेत्र में पनबिजली और ताप-विद्युत दोनों का योग 9320 मेगावाट होगी और राज्य क्षेत्र का 12925.25 मेगावाट है। राज्य क्षेत्र का अंश केन्द्रीय क्षेत्र से कहीं अधिक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम 22245.25 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता को शामिल कर पायेंगे।

जहां तक आठवीं योजना का संबंध है आठवीं योजना के लाभों में केन्द्रीय क्षेत्र में हमारा 8505 मेगावाट का प्रस्ताव है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० के० ए०) द्वारा स्वीकृत योजना, जिसके लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं, 8730 मेगावाट है। जिन नई योजनाओं का हमने पता लगाया है उनमें से ज्यादातर गैस पर आधारित हैं···1300 मेगावाट के करीब है इसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 18535 मेगवाट की क्षमता आ जाती है।

महोदय, राज्य क्षेत्र में चालू योजनाओं के लिए 16906.86 मेगावाट तक की मंजूरी दी गई है, सी० ई० ए० ने 2456.40 मेगावाट की मंजूरी दी है। नई योजनाएं जिनका हमने पता लगाया

है, 248 मेगावाट तक की हैं। इस प्रकार, राज्य क्षेत्र में 19611.86 मेगावाट है तथा केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में इसका कुल योग 38146.26 मेगावाट है।

महोदय, कुछ दिन पूर्व कुछ माननीय सदस्य इस बात से बहुत चिंतित थे कि हम दक्षिण क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं।

श्री तम्पन थामस : वहां क्षेत्रीय असमानता है जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान दिलाया था।

श्री बसंत साठे : आपने ऐसा करने की कोशिश की थी।

महोदय, दक्षिण क्षेत्र में चार राज्य हैं। जैसाकि मैंने बताया था, हम क्षेत्र अनुसार चलते हैं, परियोजनाएं स्थापित हैं और हम परियोजनाओं पर क्षेत्रीय परप्रेक्ष्य में विचार करते हैं। महोदय, साधारणतया हमारे चार क्षेत्र हैं।

जहां तक कुल क्षेत्रों का संबंध है, पांच क्षेत्र हैं, मैं यहां आठवीं योजना में क्षेत्रवार स्थिति बताना चाहूंगा :

उत्तर क्षेत्र	—	11,602.0 मेगावाट
पश्चिम क्षेत्र	—	8,078.4 मेगावाट
दक्षिणी क्षेत्र	—	7,252.4 मेगावाट
पूर्वी क्षेत्र	—	3,738.5 मेगावाट
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	—	1,474.5 मेगावाट

इसका कुल योग 38,146 मेगावाट आता है।

मैं उन माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं जिन्होंने कहा था कि अनुमानतः अधिकतम 20 प्रतिशत कमी दक्षिणी क्षेत्र में जारी रहेगी। केरल में यह और भी अधिक है। इस कमी को पूरा करने के लिए आज हमारा अनुमान है कि जहां तक दक्षिण क्षेत्र का सम्बन्ध है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 22,000 मेगावाट मे से 5,466.8 मेगावाट सातवीं योजना में स्थापित की जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा 8628.4 मेगावाट को और जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जैसाकि मैंने पहले कहा था, हम आण्विक परियोजनाओं के बारे में सोच रहे हैं जिसके लाभ नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त होंगे। लेकिन इसका कार्य आठवीं योजना में ही शुरू हो जाएगा। तमिलनाडू में कुडान्कुलम परियोजना 2 × 1000 मेगावाट की है। कर्नाटक में कामगांव में यह 2 × 235 अर्थात् 470 मेगावाट है। आपको यह लाभ नौवीं पंचवर्षीय योजना में मिलेगा। लेकिन यह 2000 मेगावाट की सुपर तापीय विद्युत परियोजना होने जा रही है और यह काम आठवीं योजना से शुरू होकर नौवीं योजना तक चलेगा। यह कामनकुलम पर भी लागू होता है। यह परियोजना भी सुपर तापीय विद्युत परियोजना बनेगी। हम इन परियोजनाओं के कोयले का इन्तजाम समुद्र-तटीय क्षेत्रों से कर रहे हैं जो उड़ीसा की ईब घाटी इत्यादि से आएगा। हमें इस बात का आभास है कि दक्षिण क्षेत्र में ऊर्जा के वितरण को ज्यादा ताप विद्युत पैदा करके और नाभिकीय ऊर्जा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है क्योंकि जल; विद्युत की क्षमता सीमित है। जैसाकि मैंने कहा यदि इस राष्ट्र में आप वास्तव में ऊर्जा सन्तुलन चाहते हैं तो आपको जलविद्युत और ताप-विद्युत के मिश्रण को इस्तेमाल करना होगा। उत्तर-पूर्वी

क्षेत्रों में जबरदस्त क्षमता है। अब तक पहचान की गई क्षमता 34,000 मेगावाट से ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र पर एक परियोजना से ही 20,000 मेगावाट की क्षमता मिलेगी । इनका पता लगा लिया गया है। लेकिन इस सारी ऊर्जा का उपभोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता ; उसे मैदानों तक लाना होगा, उसे असम, उड़ीसा, बिहार तक लाना होगा। इस तरह, पारेषण की प्रणाली महत्वपूर्ण है और यही राष्ट्रीय ग्रिड का सवाल आता है। यही बात जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर भी लागू होती है। हमने 15,000 मेगावाट की क्षमता का पता लगा लिया है। और हम 4500 मेगावाट की परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं। धुलहस्ती और उरी के अलावा परियोजनाओं का हम पता लगा रहे हैं ...

प्रो० सैफुद्दीन सोज : काम बहुत धीमा है, बहुत ही ज्यादा धीमा ।

[हिन्दी]

कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक । आप कहते है कि होगा लेकिन कब ...

श्री वसंत साठे : नहीं, नहीं । आप जीएंगे साहब ।

1.00 म० प०

आप मेरी जुल्फों की तरफ क्यों देखते हैं, सोमनाथ चटर्जी की तरफ देखिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, सियालकोट परियोजना, बकरेश्वर परियोजना, छेमारा विस्तार तथा नाथपाझाकरी परियोजना की इस क्षमता का पहले ही पता लगा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1600 मेगावाट क्षमता की थापना की जा रही है। अगले सप्ताह ही इन परियोजनाओं को स्थापित कर दिया जाएगा ।

उस दिन मेरे मित्रों ने मुझसे पंजाब में परियोजनाओं की स्वीकृति के बारे में पूछा था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस बारे में जहां तक मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हमने रोपड़ तथा भटिंडा को स्वीकृति दे दी है। पंजाब सरकार अब इन पर आगे कार्य प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार, बिहार के मामले मे उत्तरी करनपुरा को पहले ही शामिल किया जा चुका है ।

श्री तम्पन थामस : कायमकुलम परियोजना का क्या हुआ ?

श्री वसन्त साठे : जहां तक कायमकुलम का सम्बन्ध है, भूमि के अधिग्रहण और सौंपे जाने में बहुत दिन लगेंगे। कृपया मुझसे इस बारे में पुनः चर्चा करें ।

श्री तम्पन थामस : क्या मैं यह समझूं कि असन्तुलन को दूर करने के लिए आप दक्षिण को 2,000 मेगावाट विद्युत और दे रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : हम और अधिक लाभ दे रहे हैं ।

श्री तम्पन थामस : क्या इसमें कायमकुलम भी है ?

श्री वसन्त साठे : हां ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : क्या राजस्थान राज्य को नाथापाझाकारी पनबिजली परियोजना में अपना हिस्सा मिलेगा ?

श्री वसन्त साठे : नाथपाझाकरी एक क्षेत्रीय परियोजना है । राज्य को उसका हिस्सा मिलेगा । (व्यवधान) 38,000 मेगावाट के लिए एक लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी । सभा को इस पर विचार करना चाहिए । यदि नौवीं योजना में हम लगभग 66,000 मेगावाट और जोड़ेंगे तो आप इतने अधिक संसाधन कहां से जुटाएंगे ? शताब्दी के अन्त तक इसकी स्थापना और संचारण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस समस्या की गंभीरता और विशालता पर विचार करें । फिर भी, यदि आप विद्यमान क्षमता में एक लाख और जोड़ दें तब भी शताब्दी के अन्त तक प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता लगभग 500 किलोवाट प्रति घंटे ही होगी और इस देश की जनसंख्या तब 100 करोड़ होगी । आप यह मानेंगे कि इस 500 किलोवाट का भी जहां तक ग्रामीण वितरण का सम्बन्ध है, आज भी हमारी आबादी का 80% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उसके लिए वहां प्रति व्यक्ति उपलब्धता 20 किलोवाट प्रति घंटे से भी कम है । मान लीजिए कि यह बढ़कर 50 किलोवाट प्रति घंटा हो जाती है तो यह 50 किलोवाट प्रति घंटा उन लोगों के लिए होगी जो जनसख्या का 80% भाग हैं, भारत के ग्रामीण लोग हैं और इसी प्रकार 1,000 किलोवाट प्रति घंटा भारत के कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि सभी महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए होगी । इस स्थिति की गम्भीरता की कल्पना कीजिए । आप इतनी अधिक पूंजी-निवेश कहां से प्राप्त करेंगे ? हमारे मित्र कहते हैं, "उधार मत लीजिए । बाहर से सहायता मत लीजिए ।" एक अनुमान है कि इस देश में 50,000 से कम लोगों के हाथों में प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए की आय होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है । हमें इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । हमारे मित्र इस नीति से सहमत नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कौन ? कौन आपसे सहमत नहीं है ? (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : हम ऐसा चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह सहमत हैं । हम सहमत हैं । लेकिन उनकी सरकार सहमत नहीं है । वह अपनी सरकार से अलग हैं । श्री चव्हाण सहमत नहीं हैं···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह किसका कार्य है ? (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : महोदय, हम साठे जी का समर्थन करते हैं । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं समझता था कि माननीय सदस्य थोड़ा अधिक गंभीर होंगे । यह एक दल या दूसरे दल का मामला नहीं है । मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जब तक यह सभा गंभीर नहीं होगी है···(व्यवधान) महोदय, आज वे बनावटी मुद्दों में अधिक रुचि रख रहे हैं जो कि यहां मुद्दा ही नहीं है ।

श्री बसुदेव आचार्य : मुद्दा क्या नहीं है । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : वे इस देश का समय बर्बाद का प्रयास करने कर रहे हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या काला-धन कोई मामला नहीं बनता है ? (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, वे टांग खींचने, निन्दा करने, चरित्र हनन में रुचि लेते हैं परन्तु जहां तक वित्त संबंधी, बेहिसाब धन संबंधी गंभीर प्रश्नों की बात है वे न तो इसके संबंध में वाद-विवाद के इच्छुक हैं और न ही चर्चा करने के इच्छुक हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था यह एक बहुत गहरा प्रश्न है। यह बिजली या तापीय ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को शुरू करने की कोशिश का प्रश्न नहीं है। दो लाख करोड़ रुपये खर्च करके भी आप प्रत्येक से एक लाख मेगावाट पैदा नहीं कर पायेंगे। अतः मेरा विचार यह है और मैं यह खुलेआम कहता रहा हूं—हमने इसकी कोशिश की है और हमने इसे सिद्ध किया है कि बिजली की समस्या का वास्तविक हल सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के परम्परागत तथा प्राकृतिक स्रोत हैं। हमारे यहां इतनी अधिक हवा चलती है, इतनी अधिक सौर ऊर्जा है। हमारे पास सौर ऊर्जा है, बायो गैस बायो मास आदि हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप फैसला करें कि मध्याह्न भोजन होगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या मध्याह्न भोजन हो रहा है या नहीं। बात यह है कि यदि आप सब सहमत हों तो मन्त्री महोदय के उत्तर के पश्चात हम मध्याह्न भोजन के लिए कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं अपना उत्तर पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को अपना भाषण समाप्त करने दें। उसके बाद हम मध्यान्ह भोजन के लिए कार्यवाही स्थगित करेंगे और पुनः समवेत होंगे।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं ऊर्जा और विद्युत समस्या के वास्ताविक हल के बारे में कह रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मुख्य आवश्यकता क्या है ?

यह खाना बनाने का साधन है। हमने दिखाया है कि सुधरे चूल्हे, बायो गैस, बायो मास खाना बनाने के लिए न केवल ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं अपितु इससे प्राकृतिक खाद भी मिलती है। इस प्रक्रिया से लकड़ी की बचत होती है और लागत भी ठीक पड़ती है। इस राष्ट्र में इतनी अधिक सौर ऊर्जा है। हम तो इसे मान्यता दे ही चुके हैं यदि ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे ऋषियों ने भी इसे मान्यता दी हुई है। वे इस ऊर्जा के स्रोत की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र में कहा था :

"तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् "

अतः यदि हम वास्तव में इस ऊर्जा के स्रोत का उपयोग कर सकें, यदि हमारे वैज्ञानिक इस चुनौती को स्वीकार कर सकें और यदि हम अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में थोड़ा और निवेश कर सकें...

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब वे इस संबंध में कहते हैं तो प्रत्येक बात में यदि है, स्वतन्त्रता के 42 वर्षों के बाद भी प्रत्येक चीज में यदि लगा है।

श्री वसंत साठे : मुझे उस पक्ष से समर्थन की आवश्यकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपको समर्थन दे रहे हैं ।

श्री हन्नान मोल्लाह (ऊलूबेरिया) : हम तहेदिल से आपका समर्थन करते हैं । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : यदि एक बार आप मुझे समर्थन देना आरम्भ कर दें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी । कम से कम एक अच्छी बात तो की जायेगी ।

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : केवल पश्चिम बंगाल के सभी सदस्य हस्तक्षेप कर रहे हैं और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है । (व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, क्या गायत्री मंत्र का अनुसरण किया है ?

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि मेरे मित्र वास्तव में इसकी आवश्यकता की सराहना करें । महोदय, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, एक समय था जब मैं टेलिविजन के उपयोग के संबंध में तथा इसे गांवों तक पहुंचाने के बारे में और कम शक्ति वाले ट्रान्समीटरों की बात किया करता था और सब लोग इस पर हंसते थे । आज देश के 80 प्रतिशत भाग में यह पहुंच चुका है । मैं यहां कहना चाहूंगा कि यदि आज इस देश तथा इसके वैज्ञानिकों को, जिन पर हमें पूरा भरोसा है, सौर ऊर्जा के उपायों में सफलता मिल जाये तो मुझ पर विश्वास कीजिए हम इस देश की ऊर्जा समस्या को हल कर लेंगे और हम पहले ही दिखा चुके हैं कि राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में जहां हम 30 मेगावाट का संयंत्र लगा रहे हैं वहां आज भी सौर ऊर्जा वाणिज्यक रूप से व्यवहार्य है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 'सार्वभौम ऊर्जा' से उनके सिद्धांत के बारे में क्या किया गया है ?

श्री वसत साठे : श्री जयपाल रेड्डी जो उस सार्वभौम ऊर्जा के लिए आपको अपने अन्तर में झांकना पड़ेगा केवल तभी आप उसे प्राप्त कर पायेंगे आप बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं । (व्यवधान) अतः मैं यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि जहां तक विद्युत क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र का संबंध है, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कामगारों, हमारे अधिकारियों, हमारे प्रबन्धकों ने इन क्षेत्रों में यह सब प्राप्त करने के लिए अद्भुत कार्य किया है । इस सभा को इन सभी लोगों को बधाई देना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि आप भी इसमें शामिल होंगे । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे आपके बगैर भी काम कर रहे हैं । यही मुद्दा है । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : हमें मालूम है कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है । पश्चिम बंगाल के मामलों का भण्डा फूट चुका है । अतः मैं कहना चाहूंगा कि इस सभा के सहयोग और समर्थन से, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करते रहेंगे और इस देश में ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बहादुर साहू द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सं० 11 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को मतदान हेतु रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 मे ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 22 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1989-90 के लिए ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग

मांग सं०	मांग का नाम	17 मार्च, 1989 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
20.	कोयला विभाग	24,75,00,000	250,83,00,000	123,75,00,000	1254,17,00,000
21.	विद्युत विभाग	60,31,00,000	332,87,00,000	301,53,00,000	1580;32,00,000
22.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोता विभाग	18,74,00,000	55,00,000	93,69,00,000	2,76,00,000

1.13 म० प०

सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पुलिस आयुक्त, मद्रास का दिनांक 7 अप्रैल, 1989 का निम्नलिखित तार 8 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हुआ है :

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री ए० जयमोहन संसद सदस्य को तमिलनाडु विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के ग्रीनवेज रोड, मद्रास-28 स्थित निवास के निकट आज (7-4-1989) लगभग 08.00 बजे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत 89 के एक्स स्टेशन अपराध संख्या 308 में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह 6 अन्य व्यक्तियों के साथ माननीय अध्यक्ष के निवास का घेराव करने के लिए वहां एकत्र हुए। उन्हें वहां से सिटी पुलिस आफिस मद्रास-8 ले जाया गया।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.14 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म०प०
तक के लिए स्थगित हुई।

2.17 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.17 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ठक्कर आयोग के अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ठक्कर आयोग के अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार करेगी। सरदार बूटा सिंह जी···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सबसे पहले मंत्री जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने दें, तत्पश्चात् वे जो चाहे मुद्दे उठा सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री को प्रस्तुत करने दीजिए तत्पश्चात मैं आपकी बात सुनूंगा।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बारे में 27 मार्च, 1989 को सभा पटल पर रखे गये ठक्कर आयोग में अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदनों तथा उन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर विचार करती है।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं। अब यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि क्या यह पूरा प्रतिवेदन है या नहीं। अध्यक्ष महोदय पहले ही अपना विनिर्णय दे चुके हैं कि यह पूरा प्रतिवेदन है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था प्रश्न है। उन्होंने अभी कहा है कि 27 मार्च को सभा पटल पर रखे गए अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदन···(व्यवधान)··· सभा पटल पर रखा गया प्रतिवेदन पूरा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उध्यक्ष महोदय, अपना विनिर्णय पहले ही दे चुके हैं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं चिल्ला सकते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस जयपाल रेड्डी : यह एक संक्षिप्त प्रतिवेदन है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बहुत ही संक्षिप्त प्रतिवेदन है क्योंकि आकार की दृष्टि से यह प्रतिवेदन का केवल दसवां भाग है और गुणवत्ता के आधार पर इससे भी कम।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन। आप पहले नियम बताइए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा यह सुनिश्चित मत है कि संक्षिप्त होने के अलावा इस प्रतिवेदन में हेर-फेर भी किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं उनकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं 141क का हवाला दे रहा हूं। यह पृष्ठ संख्या बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। दोनों प्रतिवेदनों में ऐसा यही एक पृष्ठ है। (व्यवधान) महोदय, मेरा आवेदन यह है कि प्रतिवेदन में हेर-फेर किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो पृथक सूचना दीजिए। ऐसे किसी भी आरोप को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह कोई आरोप नहीं है। मैं पृष्ठ संख्या 141क का हवाला दे रहा हूं। मैं हवाला दे रहा हूं कि प्रतिवेदन में जिस तरह से पृष्ठ संख्या डाली गई है वह कितना दिलचस्प और आश्चर्यजनक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप चर्चा में भाग लें तब आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं पृष्ठ 141क का हवाला दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ब्यौरा नहीं चाहिए । जब आप वाद-विवाद में भाग लें तब आप मंत्री जी से अपने मुद्दों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रतिवेदन में बेअन्त सिंह के मारे जाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है । इसके अलावा हम चाहते हैं कि यदि दस्तावेजों को गोपनीय समझा जा रहा है तो उन्हें अध्यक्ष कक्ष में विपक्षी नेताओं को दिखा दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही कहा जा चुका है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तो सरकार को एस० आई० टी० रिपोर्ट सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । हम चाहते हैं कि एस० आई० टी० रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। यह अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय में नहीं आता ।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : जब आप वाद-विवाद में भाग लें, तब आप ये सभी बातें कह देना । अध्यक्ष महोदय विनिर्णय दे चुके हैं । अध्यक्ष महोदय कह चुके हैं कि यह अन्तिम प्रतिवेदन है। (व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने ठक्कर आयोग के अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों पर चर्चा किए जाने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया है । अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों में पूरा प्रतिवेदन अन्तर्विष्ट नहीं है। वस्तुत: उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के पश्चात के दोबारा ,इस विषय को नहीं ले सकता ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हम प्रधानमंत्री की हत्या से पीछे किए गए षड्यंत्र के बारे में चर्चा हेतु एकत्र हुए हैं । हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष के आचरण पर चर्चा करना नहीं है। श्रीमती गांधी के हत्यारों को मारने वाले से पूछताछ किए बिना, उस महत्वपूर्ण जानकारी के बिना, हम इस विषय पर कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं नियम 344 और 345 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । मैंने श्री बूटा सिंह के इस आशय के प्रस्ताव, कि अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती न देते हुए जो कुछ सभा पटल पर रखा गया है वही प्रतिवेदन है में संशोधन के लिए एक सूचना दी थी, कि ठक्कर आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज, जिनमें भाग 1क और अन्य खण्ड भी शामिल हैं, सभा पटल पर

रखे जाने चाहिए और यदि सरकार महसूस करती है कि कुछ बातें संवेदनशील हैं या उनसे अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या जिनसे सुरक्षा को खतरा है; उन्हें अध्यक्ष के निर्णयानुसार विपक्षी नेताओं को दिखाने के लिए अध्यक्ष कक्ष में रखा जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि मेरे संशोधन का क्या हुआ। मुझे यह नहीं बताया गया है कि मेरा संशोधन अस्वीकार किया जा चुका है। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मेरे संशोधन का क्या हुआ। मेरा निवेदन यह है कि मेरा संशोधन श्री बूटा सिंह के प्रस्ताव की सूचना के साथ रखा जाना चाहिए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मैंने भी इस विषय में लिखा है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : संशोधन प्रस्ताव के विपरीत है।

श्री दिनेश गोस्वामी : नहीं। ऐसा नहीं है···(व्यवधान)

मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। हम सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदन को ही अध्यक्ष के विनिर्णय के अनुसार प्रतिवेदन मान लेते हैं। परन्तु मेरा संशोधन यह है कि सरकार को भाग-एक क, सहित अन्य खण्डों को भी सभा पटल पर रखने के लिए कहा जाए, और यदि सरकार महसूस करती है कि प्रतिवेदन का कुछ भाग संवेदनशील है तो उस भाग को विपक्षी नेताओं को अध्यक्ष कक्ष में दिखाया जाना चाहिए। इस संशोधन को स्वीकार क्यों नहीं किया गया?

अध्यक्ष महोदय : इसे संशोधन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संशोधन केवल मूल प्रस्ताव पर ही दिया जा सकता है। यह मूल प्रस्ताव नहीं है। आप मूल प्रस्ताव दें तो कार्य मंत्रणा समिति ही उस पर विचार कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : इस सूचना को संशोधन न मानने का क्या कारण है?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय में पहले ही यह बताया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं उनके विनिर्णय को स्वीकार करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : संशोधन को प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 342 कहता है : "यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाए, सभा के मत के लिए नहीं रखा जाएगा, किन्तु सभा ऐसे विषय पर प्रस्तावक का भाषण समाप्त होने के बाद तुरंत वाद चर्चा करेगी और निश्चित समय पर वाद-विवाद की समाप्ति पर कोई अंतिम प्रश्न नहीं रखा जाएगा जब तक कि कोई सदस्य, अध्यक्ष

द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव न रखे और ऐसे प्रस्ताव पर सभा का मत लिया जाएगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं कोई प्रश्न पूछे जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे संशोधन में सभा के मत के लिए रखे जाने से लिए कुछ भी नहीं है ···(व्यवधान) आप मेरे संशोधन को अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी मूल प्रस्ताव पर ही संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर संशोधन दिए गए थे। मैं जानता हूं कि नियम 193 में अन्तर्गत श्री पद्दम थाबु पिल्ले के प्रस्ताव पर संशोधन को अनुमति दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रस्ताव नहीं है। इसलिए इस प्रस्ताव पर संशोधन नहीं दिया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल मूल प्रस्ताव पर ही संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : पहले नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। यह नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रस्ताव नहीं है। आप केवल मूल्य प्रस्ताव पर ही संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : पहले नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम 193 के अन्तर्गत नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : यदि यह नियम 184 के अन्तर्गत है तो और भी अच्छी बात है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव नियम 342 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया था न कि नियम 193 के अन्तर्गत।

श्री दिनेश गोस्वामी : नियम 344 के अन्तर्गत संशोधन, नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्तावों सहित किसी भी प्रस्ताव के लिए है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ दिया है उस पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : संशोधन पर मुख्य प्रस्ताव के साथ विचार किया जाना चाहिए। मैंने नियम 344 के अन्तर्गत एक संशोधन दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा पर भी संशोधनों की अनुमति दी गई है। मुख्य प्रस्ताव पर संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले अस्वीकार किया जा चुका है।

(व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम) : क्या आप मुझे श्री गोस्वामी के व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति देंगे ?···(व्यवधान)···मैं उत्तर देना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 344 के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है । हमारे सामने जो कार्य सूची है उसमें श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव है । मद संख्या 8 के अन्तर्गत श्री बूटा सिंह ने प्रस्ताव करना है 'कि यह सभा ठक्कर आयोग की अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टों पर विचार करती है···' मैंने पश्चात् कथित भाग पर अपना संशोधन दिया है कि यह ठक्कर आयोग की अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टों पर विचार करती है, और सरकार से अनुरोध करती है कि वह रिपोर्ट के भाग 1-क, खंड 2 और 3 सहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें । यदि सरकार यह अनुभव करती है उनके कुछ अंश संवेदनशील हैं और उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता तो···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 343 इसका स्पष्ट उत्तर देता है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह एक सकारात्मक प्रस्ताव है···(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं, उसके पश्चात् आप अपनी व्यवस्था दे सकते हैं ।

मैं श्री गोस्वामी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने संशोधन की व्याख्या की है । यह प्रस्ताव 342 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है । प्रस्ताव कहता है : कि गृह मन्त्री प्रस्ताव करते हैं कि यह सभा अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टों पर विचार करती है···" हमने सभा-पटल पर दो खण्ड रखे हैं और अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि पूरी रिपोर्ट है और हम इन दो खण्डों पर विचार करने के लिए सभा की अनुमति चाहते हैं । श्री गोस्वामी कह सकते हैं कि आप विचार नहीं करेंगे·· (व्यवधान) वह शायद कह सकते हैं कि 'कि आप विचार नहीं करेंगे' या 'विचारण स्थगित कर दिया जाए ।' कृपया इस प्रस्ताव को संशोधन के साथ पढ़ें । तब प्रस्ताव इस प्रकार होगा : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि कि यह सभा अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टों पर विचार करती है···और सरकार से आग्रह करती है ।" गृह मंत्रीजी सरकार से सभा पटल पर कुछ रखने को कहेंगे । यह इस प्रस्ताव का संशोधन किस प्रकार हो सकता है ? (व्यवधान)

मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है । मुझे अपनी बात पूरी करने दें । हो सकता है मेरी बात गलत हो, किन्तु कृपया मेरी बात सुनें ।

नियम 344(1) कहता है :

"संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्थापित किया जाए ।"

वह केवल वही संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं जो इस प्रस्ताव की व्याप्ति के भीतर आता है। फिर नियम 344(3) कहता है :

"किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किए गए पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।"

आप अब सरकार से आग्रह नहीं कर सकते चाहे यह मान भी लिया जाए कि आप इसकी अच्छी शब्द रचना कर सकते हैं। मेरे अनुसार शब्द रचना सही नहीं है··· (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : इस सभा का कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि यह सभा पटल पर नहीं रखे जाएंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया मेरी पूरी दलील सुनें। सबसे पहले बात तो यह है कि उनका संशोधन इस प्रस्ताव की व्याप्ति के भीतर नहीं है। जिस प्रकार से इसकी शब्द रचना की गई है यह प्रस्ताव की भाषा से मेल नहीं खाता। तीसरे, मान लो वह इसकी शब्द रचना दूसरे ढंग से कर देते हैं और मान लो कि इसे प्रस्ताव की भाषा के अनुकूल बना दिया जाता है, फिर भी वास्तव में आप हमें एक ऐसी चीज करने को कह रहे हैं जो अध्यक्ष के पूर्व निर्णय से मेल नहीं खाती ; पिछला निर्णय यह था कि पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है तथा और कुछ रखा जाना शेष नहीं है। आप इस प्रस्ताव में संशोधन कैसे कर सकते हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यही रिपोर्ट है। किन्तु सभा के पास यह अधिकार है कि वह सरकार से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज सभा पटल पर रखने को कहे और यह मुख्य रिपोर्ट से असंगत भी नहीं है और यह अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के विरुद्ध भी नहीं है। श्री चिदम्बरम ने गलत बात कही है। सदन का अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि अन्य दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखे जाएंगे। यदि सभा का ऐसा निर्णय हुआ होता कि अन्य दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखे जाएंगे तो मैं उठकर बाहर चला जाता, किन्तु ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, इसलिए मेरा संशोधन सही है। मुझे सदन के विचार के लिए यह संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है। यह सभा का काम है कि वह इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करे। मेरा निवेदन यह है कि संशोधन को सभा पटल पर रखे बिना और मुझे इस संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री गोस्वामी के प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसाकि सबसे पहली बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय ने कहा है, कि पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आप कुछ संबंधित दस्तावेजों के बारे में कह रहे हैं, यह सरकार पर निर्भर करता है, हम इस समय उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। आपका संशोधन अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार किया गया है। इसे अब नहीं उठाया जा सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : अब तक इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती, इसे अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चटर्जी को बोलने के लिए कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस बात के अलावा कि खण्डित रिपोर्ट फाईल की गई है···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप ऐसा नहीं कह सकते ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए (व्यवधान)

अब आप मुझे बीच में क्यों टोक रहे हैं ? महोदय, इन दो खंडों, जिसे वे पूरी रिपोर्ट कहते हैं, को सभा पटल पर रखते समय, माननीय मंत्री ने विशेष जांच दल की जांच रिपोर्ट बताया है। महोदय, अब मंत्री जी को नियम 368 के अन्तर्गत यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखनी है। उन्हें यह रिपोर्ट रखनी ही होगी क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने विशेष जांच दल की रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसमें अनुमानतः एक व्यक्ति को दोष मुक्त किया गया है। विशेष जांच दल की रिपोर्ट, जो ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी है, के बिना यह चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए पहले उन्हें इसे सभा पटल पर रखना चाहिए तभी इस पर चर्चा हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से विशेष जांच दल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर कोई विनिर्णय नहीं दिया गया है (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया मुझे श्री चटर्जी को जवाब देने दें। महोदय क्या मैं, श्री चटर्जी को जवाब दूं ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने के लिए कहा है। मैं श्री चटर्जी को जवाब देना चाहता हूं। श्री चटर्जी ने नियम 368 का हवाला दिया है, मै नियम 368 उद्धृत करता हूं।

यह कहता है :

> "यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषणपत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा।"

हमने किसी पत्र से उद्धृत नहीं किया है और श्री चटर्जी को जानकारी है (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं बोल रहा हूं। मुझे उपाध्यक्ष द्वारा बोलने के लिए कहा गया है

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय को बुलाया है और उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, अब वह मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते ?

श्री बसुदेव आचार्य : गलत व्याख्या न करें ।

श्री पी० चिदम्बरम : यह फैसला करना अध्यक्षपीठ का काम है, वह अभी अध्यक्ष नहीं बने हैं।

नियम 368 लागू नहीं होता क्योंकि किसी ने भी इसे 'डिस्पैच' या राज्य के अन्य दस्तावेज से इसे उद्धृत नहीं किया गया है। इसमें 'रेफर' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इसे 'कोट' के लिए भेजा गया है।

श्री वसुदेव आचार्य : आपका 'उद्धृत' शब्द से क्या तात्पर्य है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मेरे विचार से उन्हें कुछ समस्या है। मेरा दूसरा तर्क है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे बोलने का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे समाप्त करने के पश्चात्। श्री चटर्जी आप भलीभांति वाकिफ हैं कि एस०आई०टी० ने जिस षडयंत्र की जांच की थी उस रिपोर्ट को सक्षम दण्ड-न्यायालय में धारा 173(2) के अन्तर्गत पहले ही दर्ज किया जा चुका है। और आप सहर्ष न्यायालय में जाकर उस दस्तावेज की जांच कर सकते हैं। (व्यवधान

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आपने मंत्री जी को उत्तर देने की आज्ञा तो प्रदान की पर हमें अपना निवेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सैफुद्दीन चौधरी को बुलाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह हमें न्यायालय जाने को कैसे कह सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हमें न्यायालय क्यों जाना चाहिए ? महोदय, वह हमें न्यायालय में जाने को कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

हां, श्री चौधरी।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मन्त्री ने अपने वक्तव्य में जो उद्धृत किया है कि अगर किसी व्यक्ति या मन्त्री ने अपने पत्र से उद्धृत किया है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी तरह व्यवधान पैदा करते रहे तो आप उन्हें कैसे सुन सकते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मन्त्री द्वारा जो उद्धरण प्रस्तुत किया था वह ठक्कर कमीशन के सचिव द्वारा गृह सचिव को लिखा गया एक पत्र था जिसमें भाग I (अ) में यह कहा गया था कि इसकी अन्तिम रिपोर्ट गुप्त नहीं है। यह पत्र सभा पटल पर नहीं रखा गया है। यह पहली चीज है। दूसरी बात यह है कि अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं ? कैबिनेट मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने कहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के षडयंत्र की जानकारी श्री ज्योति बसु को थी। इस सम्बन्ध में वे क्या करने जा रहे हैं ? (व्यवधान) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ? यह एक गम्भीर मामला है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आरोप लगाने की स्वीकृति नहीं दे सकता। मैं स्वीकृति नहीं दे सकता। आप ध्यान दूसरी ओर ले जा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गृह मन्त्री को इस सम्बन्ध में खुलासा कहना होगा···**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : गृह मन्त्री को हमें जरूर बताना चाहिए···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। हां, श्री माधव रेड्डी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, श्री चिदम्बरम ने कहा है कि यह एक प्रस्ताव है जिसमे सभा की अनुमति मांगी गई है। इन नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रस्ताव में संशोधन के लिए सभा की अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अतः, मेरे विचार से श्री गोस्वामी द्वारा दिया गया संशोधन नोटिस ठीक है। अगर सभा इसे स्वीकार नहीं करती तो आप इसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले उस पर मत-विभाजन हो लेने दीजिए। अतः, संशोधन पूर्णरूप से उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 342 से देख सकते हैं कि इसमें कोई पात्रता नहीं है। वहां कोई संशोधन नहीं हो सकता। मै आपके व्यवस्था के प्रश्न को रद्द करता हूं···

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : सभा उस संशोधन को कैसे मान्यता दे सकती है जिसकी नियमों के अनुसार इजाजत नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था पहले ही दे चुका हूं कि यह किसी भी तरह स्वीकार नहीं हो सकती। हां, श्री थामस।

श्री तम्पन थामस : मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। प्रथम तो यह है कि रिपोर्ट से जो भी अभिप्राय था उसे सभा पटल पर रखने के बाद कुछ बातें 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुईं। ये सब यहां पटल पर नहीं रखी गयीं। दूसरी बात यह है कि एक मामला ऐसा है जिसे उन्होंने अब एस०आई०टी० के अन्तर्गत उठाया है। इस सभा की गरिमा को बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि सभी चीजें स्पष्ट होनी चाहिएं। सर्वप्रथम तो मैं यह जाना चाहता हूं कि इसके अलावा जो भी 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है यह सच है या नहीं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सभी चीजों को अभी नहीं उठा सकते। आपको बाद में चर्चा के दौरान इस बारे में पता लग सकता है। अभी नहीं। कृपया नहीं। इसमें ऐसी व्यवस्था की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : विस्तृत रूप से जाने बिना हम चर्चा मे कैसे भाग ले सकते हैं ? हमें जानना जरूरी है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मै सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हम इस समय उस बात की चर्चा कर रहे हैं जोकि सभा पटल पर पहले से ही रखी गई है। हम दूसरी चीज पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री तम्पन थामस : यह षडयंत्र का मामला है और बाद मे उन पर अभियोग लगाया··· **(व्यवधान)**। हम अपूर्ण रिपोर्ट पर कैसे चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्तर पर यह कहना कठिन है कि रिपोर्ट पूर्ण है या अपूर्ण। आप माननीय अध्यक्ष महोदय के उन कथन पर लांछन लगा रहे हैं जिसमें उन्होंने इसे पूर्ण रिपोर्ट कहा है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : हमें ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी है। जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है वह पूर्ण होनी चाहिए। मुझे इस रिपोर्ट को पूर्ण मानने दीजिए। मैं इसे पूर्ण रिपोर्ट मानता हूं। आयोग के द्वारा रेकार्ड किए गए सबूत पर ही यह रिपोर्ट आधारित है और इसी के आधार पर ही दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट पर लाभकारी चर्चा के लिए, या तो इसके समर्थन के लिए या इसे अस्वीकारने के लिए, सदस्य को उन आंकड़ों का लेखा-जोखा देना होगा जिन पर यह रिपोर्ट आधारित है। सभा में बिना आंकड़े पेश किए हुए और सदस्यों को बिना अवसर प्रदान किए हुए, हमसे रिपोर्ट पर चर्चा करने की आशा कैसे की जा सकती है? संबद्ध आंकड़े का लाभ समझे बिना, यह कैसे सम्भव है कि इस रिपोर्ट पर लाभदायक चर्चा हो?

उपाध्यक्ष महोदय : इन मुद्दों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह ठीक कहते हैं। हम इसके ऊपर लाभकारी चर्चा कैसे कर सकते हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। मैंने श्री नायक को स्वीकृति प्रदान की है। कृपया बैठ जाइये। हां, श्री नायक।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, हमने उन्हें शांतिपूर्वक सुना था और मैं यह चाहता हूं कि मेरी बात भी शांतिपूर्वक सुनी जाय। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री शांताराम नायक : कुछ ही समय पहले श्री जयपाल रेड्डी ने यह वक्तव्य दिया था कि रिपोर्ट में हेरफेर किया गया है और श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा है कि रिपोर्ट को विकृत किया गया है। ये सभी कथन रेकार्ड हो चुके हैं। अतः उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी बातों को यहां न लाएं। आप उन चीजों को यहां क्यों ला रहे हैं? आरोप रेकार्ड नहीं होगा।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, एक दूसरी रिपोर्ट के बारे में यह आरोप है कि एस०आई० टी० की रिपोर्ट ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को बदल दिया है और उसमें हेरफेर कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी चीजों को पुनः उद्धृत नहीं करना चाहता हूं जिसके बारे में यहां पहले चर्चा की जा चुकी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह।

"[इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्यगण, सभा से बाहर चले गए]"

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, ठक्कर जांच आयोग, जो स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की जांच के उद्देश्य से गठित किया गया था की रिपोर्ट 27 मार्च, 1989 को सभा पटल पर रखी गई थी। रिपोर्ट में एक अन्तरिम रिपोर्ट और एक अन्तिम रिपोर्ट शामिल हैं। सरकार की ओर से मैंने सभा में रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए निवेदन किया था। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि सभा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। जांच की विषय वस्तु बहुत अधिक लोकहित तथा महत्व की है। प्रधानमंत्री की हत्या किसी भी देश के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा आघात होता है—हमारे लिए यह आघात बहुत तीक्ष्ण था। कई कारण थे। स्वतन्त्र देश के रूप में भारत का उद्भव, भारतीय राष्ट्र के प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रजातन्त्र की जड़ों में मजबूती, सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था में परिपक्वता कई चुनौतियों—आन्तरिक तथा बाहरी—का सामना करके आई थी। देश ने जो सामाजिक-आर्थिक प्रगति की है उससे बहुत से लोगों को ईर्ष्या है। विगत में, देश के अन्दर तथा बाहर से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कार्यों से देश की स्थिरता के लिए पैदा हुए खतरों के बारे में मुझे विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखना ही काफी है कि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या ऐसे समय पर हुई जब ऐसी ताकतें काफी सक्रिय थीं।

राष्ट्र को असीम नुकसान हुआ और सदमा पहुंचा। जो चुनौती सामने आई वह इससे भी बड़ी थी। देश की एकता, सरकार की ताकत का प्रश्न, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में जारी प्रगति को बनाये रखने में देश की क्षमता का प्रश्न इस सदमे को न सह सकने, भारतीय राष्ट्र के मूल में जो शक्ति है, ओज है उसे अपने आपको तथा विश्व को प्रदान करने का प्रश्न, ऐसी सभी बातें उस समय थीं। अनुवर्ती वर्षों में देश विश्वास तथा हौसले के साथ बहुत कठिन समय से गुजरा है। इन वर्षों में दुःखद आघातों के बावजूद भी देश निस्सन्देह प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है।

इस भूमिका को दोहराने के पीछे मेरा उद्देश्य इस घटना तथा ठक्कर आयोग के कार्य को सामने रखना है जिसकी बहस की गर्मा-गर्मी में अनदेखी की जा सकती है। लोकहित, मुझे अनुरोध करने की अनुमति दी जाए, हमसे यह चाहता है और आशा करता है कि इस रिपोर्ट पर उचित परिप्रेक्ष्य में बहस की जाये।

अब मैं आपका ध्यान मामलों के व्यापक क्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। हत्या के तत्काल बाद सरकार ने एक साथ दो निर्णय लिए। एक तो जांच आयोग नियुक्त करना था और दूसरा हत्या के विषय में जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करना था।

15-11-1984 को पुलिस महानिदेशक के दर्जे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक महानिरीक्षक, तीन उप-महानिरीक्षकों तथा तीन पुलिस अधीक्षकों की सहायता से एक विशेष जांच दल

गठित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच सामान्य ढंग से शुरू की थी और विशेष जांच-दल के गठित होते ही यह दायित्व इसे सौंप दिया गया था। विशेष जांच दल को हत्या में अपराधिक जांच करने का दायित्व सौंप दिया गया जिसके अन्तर्गत वास्तविक अपराधी ही नहीं आते थे बल्कि इसके पीछे षडयन्त्र की जांच करना भी शामिल था।

सरकार ने 20-11-84 को ठक्कर आयोग नियुक्त किया था। आयोग के निदेश पदों की पुनरावृत्ति रिपोर्ट में ही की गई है। मुख्य रूप से पांच निदेश पद थे। संक्षेप में ये इस प्रकार हैं :—

(1) हत्या का कारण बनने वाली घटनाओं का क्रम और इससे सम्बन्धित तथ्य।

(2) क्या अपराध होने के समय सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति और प्रधानमन्त्री की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्तियों की ओर से इस बारे में त्रुटि की गई।

(3) सुरक्षा प्रणाली और व्यवस्था में कमियां।

(4) अपराध किए जाने के पश्चात् चिकित्सीय परिचर्या की व्यवस्था करने के बारे में प्रक्रिया और उपायों में कोई कमियां और क्या इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि या अवहेलना की गई।

(5) क्या इस हत्या का विचार बनाने, इसके लिए तैयारी करने और इसकी योजना बनाने के लिए एक या अधिक व्यक्ति या अभिकरण उत्तरदायी थे और क्या इस सम्बन्ध में कोई षडयन्त्र था।

ठक्कर आयोग ने उपरोक्त 2, 3 और 4 निदेश पदों के सम्बन्ध से रिपोर्ट 19-11-1985 को प्रस्तुत अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में दी थी। बाकी दो निदेश पदों पर ठक्कर आयोग की रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट में दी थी जो 27-2-1986 को प्रस्तुत की गई थी। ये दोनों रिपोर्ट सभा के समक्ष हैं। ठक्कर आयोग की अन्तिरिम तथा अन्तिम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन भी सभा के समक्ष रख दिया गया है।

इस बात को याद रखना होगा कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4)के अन्तर्गत रिपोर्ट 6 महीने के अन्दर सभा पटल पर रख दी जानी चाहिए। सभा इस बात की ओर ध्यान देगी कि न्यायमूर्ति ठक्कर ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में कहा था कि अन्तिम रिपोर्ट की विषय-वस्तु का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। अपनी इस सिफारिश के लिए कारण अन्तिम रिपोर्ट के पैरा 1.9 में दिया है। 1986 में जांच आयोग अधिनियम में एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया गया था जिसे बाद में दिनांक 20 अगस्त, 1986 को 1986 के अधिनियम संख्या 36 में परिवर्तित कर दिया गया था। 15 मई, 1986 को जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(5) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अनुपालन में एक अधिसूचना जारी की गई थी कि राष्ट्र की सुरक्षा तथा जनहित में 19 नवम्बर, 1985 तथा 27 फरवरी, 1986 को न्यायमूर्ति ठक्कर द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्टों को लोक सभा के पटल पर रखना उचित नहीं होगा और आगे यह कहा गया था कि उक्त रिपोर्ट लोक सभा के समक्ष नहीं रखी जायेंगी। 30 जुलाई, 1986 को लोक सभा ने इस अधिसूचना को एक संकल्प द्वारा स्वीकृति दे दी थी। सारांश में, सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि अन्तरिम तथा अन्तिम रिपोर्ट को वास्तव में अलग-अलग नहीं देखा जा सकता चूंकि वे एक ही घटना से सम्बन्धित हैं और अन्तिम रिपोर्ट को गुप्त रखकर अन्तरिम

रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का परिणाम भ्रमित करने वाला होगा और लोकहित में नहीं होगा।

मेरे लिए इस बात की पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं है कि किन परिस्थितियों में सरकार ने इस अवस्था म रिपोर्टों को सार्वजनिक करने का निर्णय किया। ये प्रधानमन्त्री द्वारा 17 मार्च को संसद में दिए गए वक्तव्य में दी गई हैं और 27 मार्च को 15 मई, 1986 की अधिसूचना को रद्द करने सम्बन्धी अधिसूचना की स्वीकृति हेतु संकल्प प्रस्तुत करते समय मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य मे दी गई हैं।

मैं सभा का ध्यान अन्तरिम रिपोर्ट तथा अन्तिम रिपोर्ट में विशिष्ट अन्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। अन्तरिम रिपोर्ट में व्यवस्था सम्बन्धी कमियों और व्यक्तिगत भूलों की ओर ध्यान दिया गया है। उचित मामलों में आयोग ने लोगों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये, उनसे जवाब प्राप्त किए और आयोग द्वारा आवश्यक समझी गई कार्यवाही के बाद निर्णय दिए हैं। अन्तरिम रिपोर्ट में जहां तक इसके द्वारा दी गई सिफारिशों का सम्बन्ध है वे आयोग के निष्कर्षों पर आधारित हैं। यह रिपोर्ट में दिया गया है। अन्तिम रिपोर्ट के विषय में आयोग ने बहुत स्पष्ट किया है कि इसको अन्वेषणात्मक रूप से प्रयोग में लाया गया था और इसमें एकत्र की गई सूचना तथा उसके विश्लेषण के पश्चात दी गई राय निहित हैं। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है, विशेषतौर पर हत्या के पीछे षडयन्त्र का उल्लेख करते हुए, कि अन्तिम निष्कर्ष अपराधिक जांच जो उस वक्त चल रही थी, द्वारा ही सामने आयेंगे।

विशेष जांच दल तथा आयोग ने घनिष्ठ समन्वय के साथ काम किया था और विशेष जांच दल ने आयोग की बहुत मदद की थी।

जैसाकि मैं सभा को 27 मार्च को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि विशेष जांच दल ने षड्यन्त्र के बारे में अपनी जांच जारी रखी थी और अब अपनी जांच पूरी कर ली है। अब विशेष जांच दल ने दिल्ली के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 7 अप्रैल, 1989 को सरकार की स्वीकृति के बाद जैसाकि कानून के अन्तर्गत आवश्यक है, एक आरोप पत्र दाखिल किया है। सदन इस बात पर सहमत होगा कि जांच कार्य पूरा होना और उन लोगों की पहचान करना, जिन पर हत्या का षडयन्त्र करने के लिए मुकदमा चलाया जाना है, इस जांच कार्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहउस विश्वास को भी प्रमाणित करता है कि इस घटना के पीछे बहुत बड़ा षडयन्त्र था। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि इस षडयन्त्र के मामले को सुलझाना संतोषजनक बात है और इसका श्रेय विशेष जांच दल में कार्य कर रहे उन वरिष्ठ अधिकारियों को जाता है जिन्होंने इस जटिल मामले में षडयन्त्र का उद्घाटन करने के लिए कठिन परिश्रम किया है। यदि मैं इस कठिन घड़ी में उनके प्रयासों की प्रशंसा नहीं करता हूं तो मैं उनके प्रति अन्याय करूंगा।

विशेष जांच दल ने श्री आर० के० धवन से संबंधित मामले की पूरी तरह जांच की है जिसके संदर्भ में आयोग ने इस षड्यन्त्र में श्री धवन की संदिग्ध सहभागिता के बारे में अपना मत बनाया था और वह इस निर्णय पर पहुंचा है कि इस सन्देह का अब कोई आधार नहीं है, अर्थात् जांच, कार्य पूरा होने के बाद और इस बात का भी कोई आधार नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि श्री धवन इस अपराध या इस अपराध के लिए किए गए षड्यन्त्र में किसी भी प्रकार से शामिल

थे। सरकार व्यक्तिगत रूप से और जांच मशीनरी के लिए इस विवाद को बनाए रखना अनुचित समझती है, जिसे कुछ लोगों द्वारा ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाया गया है जिन्हें किसी भी स्तर पर माननीय नहीं समझा जाएगा।

की गई कार्यवाई संबंधी ज्ञापन का अवलोकन करने पर माननीय सदस्य यह पाएंगे कि प्रधान मन्त्री की सुरक्षा पद्धति और आपातकालीन चिकित्सा कार्य-विधि की समीक्षा की गई है और उसमें सुधार किया गया है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं सदन से ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर पूरी चर्चा करने का अनुरोध करता हूं।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : महोदय, मैं आयोग की रिपोर्ट के दो पक्षों पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला पक्ष आयोग की श्री धवन के बारे में टिप्पणी है। इन टिप्पणियों को केवल अस्वीकार ही किया जा सकता है। उनकी सर्वोच्च निष्ठा ही मेरे लिए उनके निर्दोष होने का पर्याप्त प्रमाण है। यहां तक कि कांग्रेस के विरोधी पत्रकारों और सम्पादकों ने भी यह लिखा है कि वह पूर्णतः निर्दोष है।

इस रिपोर्ट का दूसरा पक्ष, जिस पर मैं कुछ अधिक कहना चाहूंगा, षडयन्त्र के बारे में है। यदि आप देखें कि क्या हुआ था और हत्या कैसे हुई थी?

उस दिन का चयन बहुत ही सावधानी से किया गया था। यदि मुझे ठीक से याद है तो उस दिन राष्ट्रपति दिल्ली से बाहर थे, श्री राजीव गांधी दिल्ली से बाहर थे, कैबिनेट में दूसरा स्थान रखने वाले श्री प्रणव मुखर्जी दिल्ली से बाहर थे, रक्षा मंत्री दिल्ली से बाहर थे, गृह मंत्री दिल्ली से बाहर थे, कैबिनेट सचिव दिल्ली से बाहर थे और प्रधान मन्त्री के प्रधान निजी सचिव भी दिल्ली से बाहर थे। अतः ऐसा हर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हत्या के बाद शीघ्र निर्णय ले सकता था दिल्ली से बाहर था। इसलिए इस दिन का चयन सावधानी से किया गया था।

स्थान का चयन भी सावधानीपूर्वक से किया गया था। यह कोई सार्वजनिक स्थल नहीं था, न ही कोई सार्वजनिक सभा थी, न ही कोई सार्वजनिक समारोह था; स्थान उनका अपना ही निवास स्थान था। अतः स्थान का चयन सोच समझ कर किया गया था।

समय का चयन सावधानी से किया गया था। क्योंकि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूं की शाम को आने की सम्भावना थी। इसलिए हत्यारों की ड्यूटी दोपहर से बदल कर प्रातः कर दी गई थी।

इसके बाद हत्यारे का चयन भी सावधानीपूर्वक किया गया था, ऐसा व्यक्ति जो परिवार के साथ था और जिसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता था। इस प्रकार समय का चयन सावधानी से किया गया था, दिन का चयन सावधानीपूर्वक किया गया था, स्थान का चयन सावधानीपूर्वक किया गया था और हत्यारे का चयन सावधानीपूर्वक किया गया था। यह किसी साधारण सुरक्षा गार्ड का काम नहीं था। इसके पीछे कोई अत्यधिक चालाक व्यक्ति कार्य कर रहा था संभवतः वह व्यक्ति भारत से बाहर का हो सकता है। इस सारी कार्यवाही की योजना किसी अत्यधिक चालाक दिमाग द्वारा बनाई गई थी। इसलिए रिपोर्ट के इस पक्ष पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।

इसके बाद बहुत-सी घटनाएं घटी । इस सावधानीपूर्वक चयन और योजना से मुझे यह विचार आया है कि कोई अत्यधिक चालाक दिमाग काम कर रहा है । मैं एक शृंखला (पैटर्न) सी देखता हूं : चिली में ऐलेण्डल, बंगलादेश में शेख मुजीब, मिस्र में सादात और भारत में इन्दिरा गांधी ।

3.00 म०प०

आप इसका पैटर्न देखें । ये सभी कुछ बाह्य शक्तियों को न पसन्द आने वाली कुछ स्वतंत्र स्थिति रखते थे । इन सभी की उनके अपने सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या की गई थी । आप पैटर्न देख रहे हैं । कुछ लोग यह कह सकते हैं कि यह मेरी कोरी कल्पना है । सौभाग्य से अब हमारे पास इसके लिखित प्रमाण हैं । अब मैं पीटर राइट द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक "स्पाई कैचर" से उद्धृत कर रहा हूं । वह एम० आई०-5 ऑपरेटर था । उन्होंने ऐसे कार्यों का संचालन किस प्रकार किया ?

वह कहता है :

एम० आई० 6 —प्रतिद्वन्द्वी संगठन

"वस्तुत: मिस्र में उनके सम्पूर्ण नेटवर्क का पता लगाकर आरंभिक चरण में श्री नास्सार के निर्देश पर उन्हें संकटकाल में गिरफ्तार कर लिया गया और उनका मात्र योगदान यह था कि उन्होंने नास्सार की हत्या का फूहड़ प्रयास किया ।"

एम० आई० 6 ने नास्सार की हत्या का अवश्य ही प्रयास किया । इसके बाद हम इसी पुस्तक में देखेंगे कि वे किस हद तक जा सकते हैं, वे कितने निर्दयी बन सकते हैं । वह कहता है :

"स्वेज संकट के आरम्भ में एम० आई०-6 ने लंदन स्टेशन से स्नायु (नर्व) गैस का प्रयोग करके नास्सार की हत्या करने की योजना बनाई । ईडन ने आरम्भ में इस आपरेशन (कार्य) का अनुमोदन किया किन्तु बाद में फ्रांसीसियों और इस्राइलियों के साथ संयुक्त सैनिक कार्रवाई करने पर समझौता होने के बाद इसे निरस्त कर दिया ।"

यदि फ्रांसीसी और इस्राइली सहमत नहीं हुए होते तो नास्सार की हत्या करने की योजना अमल में लाई गई होती । और वे किस हद तक जाते हैं । यही वह कहता है :

"मैंने उसे बताया कि गैस कनस्तर योजना असफल होने के बाद एम० आई०-6 ने किसी नए हथियार की बात सोची । एक बार मैं एक सिगरेट पैकेट के प्रदर्शन को देखने पोर्टन गया जिसमें एक्सप्लोसिव रिचर्स एण्ड डवलेपमेंट एस्टेबलिस्मेंट द्वारा जहर से टेढ़ी की गई शर को आग लगाने के लिए संशोधन किया गया था । हमने विधिवत रूप से सफेद कोट पहने और हमें वहां के वैज्ञानिक डा० लाडेल द्वारा, जो सभी एम० आई०-5 और एम० आई०-6 का काम संभालते थे, पोर्टन के पीछे एक पशुशाला में ले जाया गया । शीशे पर एक भेड़ को रिंग के केन्द्र की ओर धकेला गया । उसकी खुरदरी गुलाबी चमड़ी देखने के लिए उसके एक तरफ के बाल काटे गए । लाडेल के सहायक ने सिगरेट पैकेट बाहर खींचा और आगे बढ़ा । भेड़ ने चलना आरम्भ किया और वह शीशे से रुक गई और मैंने सोचा कि इस यंत्र में संभवत: आग नहीं लगी । किन्तु इसके बाद भेड़ ने चलना आरम्भ किया और अपनी आंखें घुमाने लगी तथा मुंह चलाने लगी । धीरे-धरे वह पशु जमीन में धंसने लगा और उसकी जान निकलने लगी, जैसाकि सफेद कोट वाले पेशावर बात कर रहे थे…"

इसकी निर्दयता देखिए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि भेड़ को इससे कितना कष्ट हुआ होगा और यदि इस यंत्र का प्रयोग किया गया होता तो यही कष्ट नास्सार को सहना पड़ता। उन्होंने क्या किया ? वह कहता है :

"...सफेद कोट वाले पेशावरों ने शव के चारों ओर फैले आधुनिक नए विष के फायदों पर चर्चा की।"

वे इस हद तक जाते हैं। यह कोरी कल्पना नहीं है। मैं समय नहीं लूंगा। कास्तरो को मारने के प्रयास के बारे में भी हवाला दिया गया था।

सी० आई० ए० और एम० आई० 5 --इच्छुक पक्षकार--मिलजुलकर कार्य करते हैं --जब सी० आई० ए० कास्तरों की हत्या करने के लिए एम० आई० 5 की सहायता करने हेतु उनके पास आया तो एम० आई० 5 ने यह उत्तर दिया, "अब हमारा आधिपत्य नहीं रहा; आप बड़े राजा हैं अब आप ही इसे करें।" अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार की मानद्वेषी राजनीति का खेल खेला जाता है। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि मैं कोरी कल्पना की उड़ान ही भरता हूं। मैं कहता हूं कि इस मामले में किसी विदेशी ताकत शामिल है।

श्री बूटासिंह और अन्य व्यक्तियों ने स्वयं से यह प्रश्न किया कि वर्ष 1986 में अर्थात इंडिया टुडे और दी स्टेट्समैन में कुछ छपा था। उस समय यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया और यह प्रश्न अब क्यों उठाया जा रहा है ? उन्होंने इसके दो कारण दिए। एक तो यह कि जांच कार्य जनवरी या फरवरी में पूरा हुआ। इसीलिए यह प्रश्न अब उठाया गया। दूसरा यह कि श्री धवन की बहाली की गई। मेरे विचार में इसका तीसरा अनर्थकारी कारण भी है। और यह अनर्थकारी कारण चुनावों का आना है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किए इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जा सकता था, ताकि यदि यह मामला उठाया जाता है तो वे जनता पर काबू पा सकते हैं। इसका यह उद्देश्य है। फिर कोई यह कह सकता है कि यह मेरी कोरी कल्पना है। यदि आप इसे देखें तो आप पाएंगे कि यह खेल किस प्रकार खेला गया है। ऐसी ही परिस्थिति में जब इंग्लैण्ड में चुनावों का समय आ रहा था तो क्या किया गया था ? पहले तो उन्होंने श्री विल्सन को पसन्द नहीं किया क्योंकि श्री विल्सन की लेबर पार्टी उनके हक में नहीं थी।

"वर्ष 1964 में श्री हैरॉल्ड विल्सन के प्रधानमन्त्री बन जाने के बाद एंगल्टन ने एफ० जे० (संगठन के प्रमुख), जो उस समय काउन्टर जासूसी के निदेशक थे, से मिलने के लिए इंग्लैण्ड का विशेष दौरा किया। एंगल्टन (सी० आई० ए०) ने हमें अज्ञात सूत्रों से कुछ अति-गोपनीय सूचना देने की पेशकश की। एंगल्टन के अनुसार इसे सूत्र ने यह आरोप लगाया कि विल्सन सोवियत एजेंट था। उसने कहा कि यदि हम सूचना को एम० आई० 5 तक और राजनीतिक दायरे से बाहर रखने की गारंटी दे सकें तो वह हमें ब्योरेवार प्रमाण और जानकारी देगा। यह आरोप पूर्णत: अविश्वसनीय था (कि प्रधानमन्त्री सोवियत एजेंट था) किन्तु इस तथ्य के बाद कि एंगल्टन सी० आई० ए० की काउन्टर आसूचना डिवीजन का प्रमुख था हमारे पास इस बात को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।"

इसके बाद क्या हुआ ? लेबर सरकार के विरोधी कुछ औद्योगिक समूह और अन्य मिले। समूह के नेता ने इस व्यक्ति को बताया "हम उन लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश के भविष्य के

बारे में चिन्तित हैं। उसने कहा कि वे लेबर पार्टी को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए काम करने के इच्छुक हैं। और आपने कैसे जाना कि मैं सहायता कर सकता हूं ?" उसने पूछा। उन्होंने कहा, "हमें सूचना दो। और इससे अधिक क्या है ? उसने कहा : शीघ्र ही रिटायर करो। हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं।"

इसके बाद मैं अत्याधिक महत्वपूर्ण बात पर आता हूं।

> "1968 के दौरान एम० आई० 5 में मतभेद तीव्र हुए थे। उस समय विलसन के लिए अशान्ति पैदा करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि 'डेली मिरर के पूंजीपति, सेसिल किंग, जो बहुत समय से हमारे एजेन्ट थे, ने यह स्पष्ट किया कि वह ऐसी हर बात को प्रकाशित करेंगे जो एम० आई० 5 इस मामले में प्रकट करेगी। यह सारा सेसिल किंग द्वारा "शासन परिवर्तन" था, जिसके बारे में उसे यह विश्वास था कि इससे लेबर पार्टी की सरकार गिर जाएगी और उसके स्थान पर लार्ड माउन्टबेटन के नेतृत्व वाला गठबन्धन सरकार बनायेगा।"

अब मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर आता हूं।

> किंतु 1974 में यह दृष्टिकोण पूरी तरह और भी गम्भीर था। योजना साधारण थी। चुनाव की प्रक्रिया में, संसद की अस्थिरता को देखते हुए यह काम कुछ महीनों में पूरा अवश्य होना चाहिए था, एम० आई० 5 लेबर दल के प्रमुख व्यक्तियों के संबंध में चुनिन्दा जानकारी की व्यवस्था करेगी, विशेषकर विलसन के संबंध में, और उसे अपने पक्ष के प्रति सहृदय पत्रकारों को बता देंगे। समाचारपत्रों में और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में हमारे संबंधों का उपयोग करके, एम० आई० 5 फाइलों में लिखित सामग्री और इस तथ्य को कि विलसन को सुरक्षा के लिए खतरा समझा गया है, यह जानकारी सब जगह दी जाएगी···कुछ फाइलों के चित्र उतार कर विदेशी समाचारपत्रों को भेजे जाएंगे और इस मामले को अधिकतम प्रभाव के लिए संसद में उठाया जायेगा।"

क्या यह ऐसा ही उदाहरण नहीं है ? आयोग ने कहा है कि हत्या का समय महत्वपूर्ण था। मैं कहता हूं कि चरित्रहनन का समय भी महत्वपूर्ण था। इसके लिए समय कौन सा चुना गया था ? जब संसद का सत्र चल रहा था। और किस स्थान पर ? देश की संसद में। किस दिन ? जिस दिन स्वीडन के समाचारपत्रों में बोफोर्स के संबंध में कोई समाचार आया, उसी दिन ठक्कर प्रतिवेदन के संबंध में समाचारपत्रों में समाचार छपा। और चरित्रहनन का दोषी कौन है ? एक ऐसा समाचारपत्र, जिसको राजीव गांधी के प्रति दुराग्रह है। अतः चरित्रहनन में भी समय, स्थान और चरित्रहनन करने वाले का चयन सावधानी से किया गया है।

इसके पीछे मुझे लगता है कि कोई षड्यंत्र ही है जिसने चुनाव की पूर्वसंध्या पर ही इसका प्रबन्ध किया है। इसीलिए इस मामले को 1986 में नहीं उठाया गया, इसको 1989 में उठाया जा रहा है। देखिये किस प्रकार का तरीका अपनाया गया है। कुछ जानकारी समाचार-पत्रों को दो, फिर संसद में मुद्दा उठाओ और संदेह, अफवाह, गप्प और शंका का वातावरण बनाओ। इसी प्रकार के तरीके का पालन यहां भी किया है। प्रेसवालों को कुछ बताओ, संसद में मामला उठाओ और संदेह, अफवाह, गपशप, कानाफूसी आदि का वातावरण बनाओ। अतः मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक पुनः निवेदन करता हूं कि यह कपोलकल्पना नहीं है कि ऐसा हुआ है। अन्य देशों में भी इसी प्रकार होता है।

महोदय, फिर उसका कार्यवाही वृत्तान्त तथा प्रक्रिया से भी बहुत लाभ उठाया जाता है जो सदन को नहीं दी जाती है। श्री चिदम्बरम तथा अन्यों ने भी अनेक उदाहरण दिए हैं। यदि मुझे ठीक से याद है, कर्नाटक में भूमि घोटाले पर जी० वे० के० राव की पूरी रिपोर्ट कर्नाटक विधान सभा के पटल पर नहीं रखी गई। आंध्र प्रदेश में कृष्ण राव आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई और उसी व्यक्ति की रिपोर्ट फिर से सभा पटल पर रखी जाती है। यदि आप अन्य देशों को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्यवाही वृत्तान्त और रिकार्ड को सभा पटल पर रखने की प्रथा नहीं है। उदाहरण के तौर पर, मैं इन सब बातों के बारे में नहीं कहूंगा किंतु केवल इंग्लैंड में बारलो समिति की रिपोर्ट उल्लेख करूंगा जो कभी भी प्रकाशित नहीं हुई। इसके अलावा, सर एलन हर्बर्ट ने एक और उदाहरण दिया है, "मेरा विचार है कि सरकार ने पहले ही निश्चित किया है कि उन्हें क्या करना है और जब मैंने कुछ और बात की सिफारिश की तो सरकार को प्रसन्नता नहीं हुई। हमने तीन अलग-अलग रिपोर्टें लिखीं और इनमें से कोई भी प्रकाशित नहीं हुई।"—सुरक्षा आदि के आधार पर फ्लेक समिति की केवल एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई; और शेष तो जनसुरक्षा के आधार पर प्रकाशित नहीं हुई। फिर फ्लोडन ग्रुप रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, रैडक्लिफ समिति सुरक्षा प्रक्रिया रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं हुई। अतः आप ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं जिनके प्रतिवेदन, या पूरे प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किए गए हैं। क्यों? अमरीका में यह प्रथा है। डा० मार्टिन लूथर किंग की हत्या के समय यह विचार था कि संभावित हत्यारों ने वारेन आयोग की रिपोर्ट से कानून लागू करने वाली एजेन्सियों की तकनीकों के संबंध में बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके परिणामस्वरूप मार्टिन लूथर किंग के हत्यारों को अपनी योजना तैयार करने में पूरी आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई। अतः जनता के हित में कुछ बातें प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है, और ऐसा ही यहां पर भी किया गया है और लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण से भी इसमें कोई गलती नहीं है कि आप जनता की सुरक्षा के हित में रिपोर्ट के कुछ पहलू प्रकाशित नहीं करते हैं।

इस बात से भी बहुत लाभ उठाया जा रहा है कि मंत्रिमण्डल में भी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। महोदय, क्या आप विश्वास करेंगे संसद की जननी इंग्लैंड से भी जिसे हम आदर्श लोकतन्त्र मानते हैं मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं? किंतु मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। परमाणु बम बनाने का एटली का निर्णय रक्षा मन्त्री को भी नहीं बताया गया था। उनकी सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उनसे एक साक्षात्कार में पूछा गया, "आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने साथियों को इस बारे में क्यों नहीं बताया?' इस बात के बावजूद कि श्री चर्चिल ने, जो उनके उत्तराधिकारी थे, यह बात मंत्रीमण्डल को न बताने के लिए एटली को बधाई दी, एटली का उत्तर बहुत ही रोचक है। यह साक्षात्कार उन्होंने 15 जुलाई, 1958 को लॉर्ड बनने के पश्चात् दिया था। उन्होंने कहा, "मैंने सोचा कि उनमें से कुछ मन्त्री इस प्रकार के रहस्यों के विश्वासपात्र होने के योग्य नहीं हैं।" मुझे प्रसन्नता है कि श्री राजीव गांधी ने उन दो मन्त्रियों को यह बातें नहीं बताईं जिन्होंने दलबदल किया है। वे यह रहस्य खोल देते। अतः इसमें कोई बुराई नहीं है किसी व्यक्ति से कोई जानकारी छुपाई जाए। अन्त में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मैं फिर ऐसी ही स्थिति देख रहा हूं। किसी भी विकासशील देश में जब भी कोई विदेशी शक्ति हस्तक्षेप करना चाहती है तो वे ऐसा कैसे करते हैं? महोदय, मैं लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स में एक सर्वेक्षण में कही गई बात का उल्लेख करता हूं। बैरी बिज़न ने प्रो० नार्थहेज के अधीन काम किया था जो मेरे प्रोफेसर भी थे जब मैं लंदन स्कूल में था। यह है अनुसंधान। इससे क्या व्यक्त होता है? वह कहते हैं कि विदेशी शक्तियां विकासशील देशों में चार चरणों पर हस्तक्षेप करती हैं। मैं उद्धरण देता हूं:

"ऐसी परिस्थिति में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जनता की राय को प्रभावित करना महत्वपूर्ण तथा सक्षम हथियार बन जाता है। पहला कदम जनता में आत्म-निन्दा की भावना को बढ़ावा देना है, उदाहरण के तौर पर सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। इस काम में गैर-सरकारी व्यापार और बड़े उत्पादन-संघ अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।

अगला चरण प्रदर्शन, याचिकाओं, सक्रिय प्रचार सम्बद्ध लिखित सामग्री का अधिक मात्रा में प्रचार जिसके लिए चोरी-छिपे वित्तीय व्यवस्था करनी होती है, इन सभी के द्वारा सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध जनता को भड़काना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को घाटा होगा।"

"तीसरा चरण जनता की कार्यवाही को विश्वसनीय धमकियां बताना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति तथा समूह प्रतीक्षा करते हैं कि वे कर नहीं देंगे ताकि औद्योगिक अशान्ति हो और इसको समर्थन मिले, युवकों द्वारा विद्रोह आरम्भ कराकर तथा इसको प्रोत्साहन देकर शिक्षा में बाधा डाली जायं और सुस्थापित सरकार को बदलने के लिए उचित तथा अनुचित काम आरम्भ किया जाये।

अंतिम चरण व्यापक आंतरिक अशान्ति के द्वारा जनता की उग्र कार्यवाई और अधिकारियों के प्रति व्यापक दंगों और अवज्ञा से सरकार के खिलाफ आन्दोलन चलाना।"

महोदय, पिछले कुछ महीनों के दौरान क्या हुआ है? क्या आप ऐसी ही स्थिति नहीं देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि हम दूसरे चरण पर हैं जिसका उन्होंने यहां उल्लेख किया है। तीसरा और चौथा चरण भी आएगा। और वह है भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न करना। फिर यह कहा जाता है: आप कुछ राजनीतिक दलों को देशभक्त न होने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? सच तो यह है कि भारत में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका व्यवहार बिल्कुल अलग है और यह मेरी कल्पना नहीं है। यह एस्कॉट रीड द्वारा लिखित संस्मरणों की पुस्तक है जो नेहरू के समय भारत में कनाडा के उच्चायुक्त थे। वे कहते हैं:

"इसी प्रकार, अमरीकी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जो शायद भारत में सी० आई० ए० के प्रमुख प्रतिनिधि थे, उन लोगों के विचारों को और स्पष्ट किया जो इस धारणा से सहमत थे।"

मैं पूरी बात नहीं पढ़ूंगा। धारणा संक्षेप में यह थी कि तीसरा विश्व युद्ध एशिया में लड़ा जाना चाहिए और इसके लिए आपको सिपाही चाहिएं। सर्वोत्तम सिपाही कौन हैं? भारतीय और पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों के बारे में "वे तो हमारे साथ हैं।" किंतु भारतीय "वे हमें नहीं मिलते हैं।" क्यों? क्योंकि नेहरू के कारण। अतः यह धारणा थी कि कुछ ऐसे हालात होंगे जिनसे भारत को आयुध मिलने बन्द हो जाएंगे और भारत को कठिनाई होगी। ऐसी स्थितियां आएंगी।

"इन कार्यों से नेहरू और कांग्रेस दल कमजोर होगा और दक्षिण पंथी हिन्दू दल जनसंघ मजबूत बनेगा जिसके कुछ सदस्य अमरीका के साथ एक सैन्य समझौते का समर्थन करने के लिए तैयार थे।"

उन्होंने यह कहा है और अन्त में उन्होंने यह उल्लेख किया है:

"इस बातचीत के दौरान मुझे यह धमकी दी गई कि यदि भारत अमरीका के साथ सैन्य सहायता समझौता करने से इन्कार करता है तो अमरीका भारत को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बन्द कर सकता है।"

यह योजना है। पुनः जब मैं यह कहता हूं कि कुछ दलों का दृष्टिकोण पूर्णतः भिन्न है तो यह बात मेरी कोरी कल्पना नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह कब प्रकाशित हुआ था?

श्री बी० एन० गाडगिल : यह वर्ष 1981 में प्रकाशित हुआ था। (व्यवधान)

अतः महोदय, मुझे लगता है कि इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ी सुनियोजित योजना है। ठक्कर आयोग द्वारा इस खतरे के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है।

महोदय; उस दिन घटित त्रासदी से हजारों लोगों के जीवन प्रभावित हुए हैं। परन्तु मैं एक महान लेखक को उद्धृत करके ही अपने भाषण को समाप्त कर सकता हूं। उन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक "न्यू स्टेटसमैन" में चिली में 'एलेन्डे' की हत्या के पश्चात् 15 मार्च, 1974 को यह लिखा था और मैं समझता हूं कि इससे इस त्रासदी के बारे में कम से कम मेरे दृष्टिकोण का सार सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तुत होता है :

"यह नाटक चिली में घटित हुआ और चिलीवासियों को इससे भारी दुख हुआ परन्तु यह घटना एक ऐसी घटना के रूप में इतिहास का अंग बन जाएगी जो हम सभी के साथ घटित हुई है। और इसका प्रभाव सदैव हमारे जीवन पर रहेगा।"

अतः उस दिन क्या घटित हुआ? इन्दिराजी की हत्या का प्रभाव हमारे ऊपर जीवन भर रहेगा। वहां उपस्थित एक महिला ने मुझे यह बताया था कि जब उसने केसरिया साड़ी पर खून के धब्बे देखे परन्तु उनके चेहरे पर असाधारण शान्ति थी तो उसने यह कहा कि 'मुझे ऐसा लगा कि यह इन्दिरा गांधी नहीं है, यह भारत माता हैं।

वह छवि जीवन भर मेरे मन में रहेगी।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : महोदय, मेरे मित्र श्री गाडगिल के विद्वतापूर्ण भाषण के पश्चात् मैं नहीं समझता कि मेरे लिए इस विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ बचा है और विशेष रूप से दूसरी ओर के मेरे मित्रों की अनुपस्थिति से मैं थोड़ा हतोत्साहित हुआ हूं। यदि हम उनकी उपस्थिति में इस विषय पर भाषण देते तो यह बेहतर होता। परन्तु फिर भी हमें चर्चा को पूरा करना चाहिए।

महोदय, मेरी राय में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या केवल एक घटना अथवा दुर्घटना नहीं थी। यह एक प्रधानमंत्री अथवा प्रसिद्ध नेता की हत्या का मामला नहीं था। यह दो सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा भावनात्मक स्थिति में अपराध करने का मामला भी नहीं था। यह घटना गुस्से अथवा आवेग में तत्काल कार्यवाही का मामला भी नहीं थी। यह घटना साधारण शब्दों में एक राजनैतिक उथल पुथल का प्रयास भी नहीं थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या एक बहुत बड़ी योजना, 'अस्थिरता उत्पन्न करने वाली शक्तियों के एक बहुत बड़े षडयन्त्र का मुख्य उद्देश्य थी, जिसके बारे में अब समाचारपत्रों में आ चुका है।

यह राष्ट्रीय एकता अखडता और स्थिरता के सबसे मजबूत स्तम्भ को गिराने का ही प्रयास नहीं था अपितु उसके द्वारा अव्यवस्था, साम्प्रदायिक दंगों और व्यापक हिंसा की स्थिति उत्पन्न करना था ताकि हमारे देश में और हमारी राजनैतिक प्रणाली में अस्थिरता उत्पन्न हो सके और हमारी स्वतंत्रता प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय अखंडता खतर में पड़ सके। उस बड़ी योजना का उद्देश्य था और श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या इन मदों में से केवल एक मद थी। प्रैस ने इस बड़े षडयन्त्र की सम्पूर्ण स्थिति का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया है :

"सनसनीखेज कार्य करना जिनमें संसद भवन को बारूद से उड़ाना, विमान अपहरण, विद्युत सप्लाई बन्द कर देना और पेयजल में जहर मिलाना सम्मिलित है।

श्री राजीव गांधी सहित अतिविशिष्ट व्यक्तियों के बच्चों का अपहरण करना।

सिखों को आजाद कराने के लिए विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना।

सरकार के विरुद्ध लड़ाई जारी रख कर एक अलग सिख राज्य की स्थापना करना, इन्दिरा गांधी की हत्या करना। पंजाब में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों में दुर्भावना को भड़काना, सरकार के विरुद्ध घृणा, दुर्भावना और राजद्रोह का प्रचार करना।

आतंकवादी अपराधों के लिए हथियार, लड़ाई का सामान और विस्फोट पदार्थ प्राप्त करना।"

अतः महोदय, प्रैस ने इस विशाल षडयन्त्र की सम्पूर्ण स्थिति का सार प्रस्तुत किया है और इन्दिरा गांधी जी की हत्या इसका केवल एक भाग थी। अस्थिरता उत्पन्न करने वाली शक्तियों की कार्यवाही में कुछ भी नया नहीं था। ये शक्तियां स्वतंत्रता के समय से ही इस देश में विभिन्न रूपों में काम कर रही थीं और हम समय देश को कमजोर बनाने, इसे विघटित करने और इसके टुकड़े-टुकड़े करने का प्रयास कर रही हैं ताकि इस विशेष क्षेत्र में साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो सके। इन्दिरा गांधी इन शक्तियों के विरुद्ध एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थीं और इसलिए उन्हें हत्यारों के हाथों अपने जीवन की आहूति देनी पड़ी। उन्होने धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य का जीवनभर दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और इसीलिए वह साम्प्रदायिक और कट्टरपन्थियों की बन्दूक का निशाना बनीं। अब यह स्पष्ट और प्रमाणित हो गया है कि ये विदेशी शक्तियां कौन-हैं जिन्होंने हमारे देश के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। अब पाकिस्तान में स्थिति बदल गई है और मैं उस देश में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की पुनर्स्थापना का स्वागत करता हूं और लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित पाकिस्तान सरकार के लिए शुभ कामना करता हूं। परन्तु हम यह नहीं भूल सकते कि जिया उल हक की तानाशाही सैनिक सरकार ने आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें भड़काने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है। उसने इस क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करने वाली शक्तियों के लिए एक प्रमुख एजेन्ट के रूप में कार्य किया है। मुझे इस बात की हैरानी है कि हमारे विपक्ष के दो प्रमुख नेताओं ने पाकिस्तान में उनके आतिथ्य को स्वीकार किया और श्री जिया उल हक की बहुत प्रशंसा की परन्तु उनसे पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादियों को मदद देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि विपक्ष के वे प्रमुख नेता कौन हैं।

श्री शांताराम नायक : चार्ज फर्नांडीज और बीजू पटनायक।

श्री बिपिन पाल दास : मैं पुष्टि करता हूं कि वे जार्ज फर्नांडीज और बीजू पटनायक हैं। उन्होंने

वर्ष 1984 के आरम्भ में जिया उल हक के आतिथ्य को स्वीकार किया और पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने जिया उल हक की बहुत प्रशंसा की परन्तु पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को सहायता देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

महोदय, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अपने कर्त्तव्य को ठीक ढंग से निभाने में असफलता के अलावा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं में कुछ कमियों का भी उल्लेख किया गया है। आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और सरकार की की गई कार्यवाही सम्बंधी रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखा गया है। मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मैं केवल एक मुद्दे के बारे में टिप्पणियां करना चाहूंगा। आयोग ने श्री आर० के० धवन के बारे में कुछ सन्देहों को उठाया है। उन्होंने इसके कुछ कारण भी दिए हैं परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि श्री धवन के इस मामले में सम्मिलित होने के बारे में आयोग ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं श्री आर०के० धवन को कई वर्षों से भलीभांति जानता हूं। इन्दिराजी के प्रति उनकी वफादारी और निष्ठा के बारे में कोई भी व्यक्ति प्रश्न नहीं उठा सकता। वे उनके जीवन के सबसे बुरे समय में भी जब वे सत्ता से बाहर थीं उनके साथ रहे और जनता पार्टी ने भी धवन को यह प्रलोभन देने का प्रयास किया कि वे इन्दिराजी को छोड़कर जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाएं परन्तु वे उनके प्रलोभन में नहीं आए। वे अपने प्रयास में विफल हुए। अतः आयोग द्वारा श्री धवन की निष्ठा के बारे में शक करना अथवा श्री इन्दिराजी की हत्या में उनके सम्मिलित होने के बारे शक करना उचित नहीं था। फिर भी मुझे यह खुशी है कि एस० आई० टी० ने श्री धवन को पूर्णतः निर्दोष बताया है।

परन्तु प्रश्न यह है कि रिपोर्ट का एक भाग प्रेस को किसने दिया और क्यों दिया। मेरे मित्र श्री गाडगिल ने परोक्ष रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दूंगा। श्री बूटा सिंह जी ने यह कहा है कि रिपोर्ट के इसी भाग को वर्ष 1986 में कुछ दैनिक समाचारपत्रों में प्रकट किया गया था। उस समय यह रिपोर्ट तत्कालीन आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री श्री अरुण नेहरू के कब्जे में थी। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आपको उनका नाम क्यों चाहिए इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी है। अतः यह बात स्पष्ट है कि उस समय प्रेस को यह रिपोर्ट किसने दी थी। अतः यह निर्णय लेना स्वाभाविक है कि इस बार भी उन्होंने ही ऐसा किया होगा। यह बात स्पष्ट है कि उस समय ऐसा श्री धवन को हानि पहुंचाने के लिए किया गया था, जिनके मामले में जांच चल रही थी। परन्तु इस बार इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को हानि पहुंचाना है क्योंकि प्रधानमन्त्री महोदय ने श्री धवन को अपने सचिवालय में फिर से नियुक्त कर लिया है। उनके गुस्से का यह कारण था और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए उन्होंने श्री धवन के बारे में रिपोर्ट को प्रकट कर दिया। परन्तु प्रधानमंत्री ने श्री धवन को एस० आई० टी० द्वारा उन्हें दोषमुक्त सिद्ध किए जाने के बाद ही अपने सचिवालय में फिर से नियुक्त किया। इसे प्रकट करने का उद्देश्य इस बार प्रधानमंत्री को बदनाम करना था और यह कार्य पूर्णतः राजनीति से प्रेरित था। हाल ही में उनमें से कुछ लोगों ने श्री धवन को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ऐसे कुछ नाम सामने आए हैं। तथाकथित जनमोर्चा से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों श्री अरुण नेहरू और श्री वी० सी० शुक्ल तथा एक अन्य व्यक्ति ने श्री धवन को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया परन्तु वे ऐसा करने में असफल रहे। जब वे ऐसा करने में असफल रहे तो उन्होंने न केवल श्री धवन अपितु श्री राजीव गांधी को भी बदनाम करने का प्रयास किया। इस मामले का मुख्य उद्देश्य यही था। अन्यथा इसे प्रकट करने का कोई अन्य कारण नहीं था।

कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार में दोष निकालने में रुचि रखते हैं और ऐसा लगता है कि किसी बड़े षडयंत्र से उनका कोई संबंध नहीं है। संकीर्ण मानसिकता के यह व्यक्ति सरकार को उलझन में डालने में आनन्द का अनुभव करते हैं। मैं कम से कम एक ऐसे सम्पादक और एक ऐसे अधिवक्ता को जानता हूं जो किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो वे सरकार को कठिनाई में डालने के लिए राष्ट्रविरोधी और विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए किसी के साथ भी सांठ-गांठ कर सकते हैं। अपने संकीर्ण हितों की रक्षा के लिए के राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने की भी परवाह नहीं करेंगे। कौन नहीं जानता कि विपक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुले रूप से खालिस्तान का समर्थन किया है या अभी भी खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं या जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों के भोग समारोह में हिस्सा लिया। विपक्ष में ऐसे लोग हैं। मुझे हैरानी है कि विपक्ष में बहुत से लोगों ने विपक्ष के इन ग्रुपों का समर्थन किया और हमारे संसदीय लोकतन्त्र में विघटन तथा नष्ट करने की स्थिति उत्पन्न की है। मुझे बहुत हैरानी है। मैं समूचे विपक्ष पर आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन कई ऐसी ताकतें हैं जो ऐसे कार्य करना चाहती हैं। मुझे केवल यह हैरानी है कि बहुत से विपक्षी लोग इन ताकतों के बहकावे में आ गए।

उन्होंने विशेषतया इस समय रिपोर्ट को प्रकट करने का समय क्यों चुना? श्री वी० एन० गाडगिल ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। यह औपचारिक था क्योंकि विशेष जांच ग्रुप ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और कुछ लोगों को जो इस षडयंत्र में शामिल थे, को चार्जशीट (आरोप-पत्र) देने वाले थे। अब तक चार्जशीट बन गई थी और प्रेस में सभी तथ्य आ गए थे। जब विशेष जांच दल चार्जशीट बना रहा था, उन्होंने रिपोर्ट को देखा। रिपोर्ट को लीक करने का उद्देश्य, भ्रांतियां और संदेह उत्पन्न करना जिससे कि कानून की प्रक्रिया में कुछ कठिनाईयां उत्पन्न की जायें। आयोग के सभी रिकार्ड्स और कार्यवाहियां सभापटल पर रखने की मांगों का एक कारण यह भी था कि षडयंत्र का मामला अस्पष्ट और कमजोर पड़ जाए। मेरे विचार में यही कारण है उन्होंने इस समय ऐसा ही किया है।

महोदय, इस समूची घटना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विपक्ष ने इन्दिरा जी की हत्या पर एकाएक चिन्ता क्यों प्रकट की है। उनके जीवनकाल के दौरान वे इंदिरा जी की निरन्तर आलोचना करते रहे हैं। जब वे सत्ता में नहीं थीं तो उन्हें तंग किया जाता था और उन पर आरोप लगाये जाते थे। उन्हें लोक सभा से निकाल दिया गया था उन्हें राजनैतिक विद्वेष के लिए जेल भेजा गया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्हें जेल में भी रखा गया था।

श्री बिपिन पाल दास : इन्हीं विपक्षी दलों द्वारा उनकी हत्या करने के लिए भीड़ को भी उकसाया गया था। वही समाचार-पत्र था, वही वकील था जो इन्दिरा जी के विरुद्ध विपक्ष के अभियान में मुख्य सलाहकार थे। यह वही लोग थे, जिन्होंने इंदिरा जी की हत्या पर न केवल खुशियां मनाई थीं बल्कि हत्यारों को फांसी पर लटकाये जाने के बाद भोग समारोह में भी हिस्सा लिया था। यहां तक कि उनमें से कुछ ने हत्या के मामले में न्यायालय के निर्णय पर प्रश्नचिन्ह भी लगाया अब वे इंदिरा जी की हत्या कैसे हुई के बारे में गम्भीर चिंता व्यक्त करके दिखावा कर रहे हैं कि हत्या किस प्रकार हुई और इस बारे में आयोग को क्या कहना है। यह किसने किया है? ऐसा क्यों किया गया था? उन्होंने यह क्यों किया? इंदिराजी की हत्या को वे अचानक क्यों महसूस करने लगे हैं। क्या यह वास्तव में इंदिरा जी के प्रति वास्तविक सहानुभूति है? ऐसी बात नहीं है।

वे एक बात अच्छी तरह जानते हैं । श्री गाडगिल ने एक बात नहीं कही है और मैं इस बारे में कहने जा रहा हूं । जो कुछ वे इन्दिराजी के बारे में सोचते हैं वे भली प्रकार जानते हैं कि इन्दिरा जी अपनी मौत के बाद भी न केवल इस देश के लोगों के दिल में अपितु समस्त विश्व के लोगों के दिल में शासन करती हैं । अभी हाल ही में विपक्ष से किसी ने कहा कि हमने 1984 में चुनाव इसलिए जीता क्योंकि जनता को श्रीमती इन्दिरा गांधी से सहानुभूति थी । इसलिए अब वे आने वाले चुनावों में हत्या के बारे में चिन्ता प्रकट करके समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं और सारे आरोप भी राजीव गांधी पर लगाना चाहते हैं । यह उनका उद्देश्य है । वे अपने प्रयासों में पहले ही असफल हो चुके हैं । उनका उद्देश्य श्रीमती इन्दिरा की हत्या पर सहानुभूति दिखाना और श्री राजीव गांधी पर आरोप लगाने का है वे लोगों की सहानुभूति चाहते हैं । श्री राजीव गांधी परयह प्रहार क्यों किया गया है । क्योंकि उन्होंने श्री धवन को आश्रय (समर्थन) दिया है जिन पर हत्या के मामले में आयोग द्वारा संदेह व्यक्त किया गया था । वास्तव में, श्री बूटासिंह ने 27 मार्च सोमवार को प्रश्न उठाया था, कि 1986 में रिपोर्ट के लीक हो जाने पर विपक्ष चुप क्यों रहा था ? और उन्होंने अब यहां इस मामले में इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे है । उनमें से सी० पी० एम० के एक सदस्य ने टिप्पणी की है कि वह उचित समय नहीं था । इसका अर्थ है अब उचित समय है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं । यह भी अर्थ है कि वे आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का इस्तेमाल करेंगे । अतः ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया राजनीति से प्रेरित है और उनका इन्दिरा जी की हत्या के पीछे बड़े षडयन्त्र से कोई सरोकार नहीं है और जो कुछ आयोग ने इस देश के प्रधानमन्त्री के लिए सुरक्षा प्रबंधों के बारे में कहा है उनसे विपक्ष का कोई मतलब नहीं है । उनका इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है । उन्हें इस बात की चिंता है कि आने वाले चुनावों में अपने हितों के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कैसे किया जाये ।

यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि विपक्ष के मेरे मित्रों को न बोफोर्स न ही फेयरफेक्स न ही पनडुब्बी सौदे से कोई राजनीतिक लाभ हुआ है । उन मुद्दों में वे असफल रहे है । वे अब इन्दिरा गांधी के नाम से फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं । यही उनकी निराशा का चिन्ह है । यह दुर्भाग्य की बात है कि इन्दिरा गांधी के उत्पीड़क आज अपने राजनैतिक लाभ के लिए इन्दिरा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं । देश के लोग मूर्ख नहीं हैं और वे विपक्ष का असली अभिप्राय समझते हैं वे अनपढ़ हो सकते हैं, वे राजनीति को चाहे न समझें वे किसी वाद को चाहे नहीं जानते लेकिन उनमें दूरदृष्टि है और वे विपक्ष के वास्तविक इरादों को पहचानते हैं । पाखण्ड और दिखावटी आंसूओं से चुनाव नहीं जीता जा सकता । ये चालबाजियां सकारात्मक नीति और कार्यक्रम के अभाव को कभी पूरा नहीं कर सकतीं ।

विपक्ष की कोई नीति नहीं है । उन्हें सदन का समय बेकार की बातों में नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके पास कोई सक्रिय मुद्दा नही है । उनका उद्देश्य इन सभी तमाशों का सहारा लेकर चुनाव जीतना है । कुछ ही महीनों में उन्हें इसका सबक मिल जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछली शहर) : अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो दो वक्तव्य यहां सुने, वे एक तरह से इतने पूरे थे । रोज इस पर इतनी बहस हुई तरह-तरह के मुद्दों को सामने लाकर, कि ऐसा लगता है कि इसमें अब कुछ कहने को शेष नहीं रह गया है । लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में उठता है

और वहीं से मैं बहस को शुरू करना चाहता हूं । प्रश्न यह उठ रहा है कि आप भी कहते हैं कि तब वे इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे और यह भी कि उसी वक्त यह रिपोर्ट छप गई । और भी ऐसा ही लोग कहते हैं, एक दूसरे लोग भी इशारा करते हैं, पर वे बेचारे अखबार में लिख चुके हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी, नहीं पढ़ी । वह हमारे साथी रहे हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बात को भी मैं गलत मानने के लिए तैयार नहीं हूं । लेकिन एक सवाल उठता है कि इंदिरा जी की हत्या हुई । उसके बाद ठक्कर कमीशन बैठा और उसके बाद ही इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री कायम हुई, शायद इसीलिए कायम हुई कि ठक्कर कमीशन में जो बातें दिखाई गईं उनसे यह लगा कि कुछ और मुनासिब इंतजाम की जरूरत है, और उस इंतजाम के लिए सबसे मुनासिब आदमी वह चुने गए और उसके मन्त्री हुए । यानी एक तरह से जो कमजोरी इंतजाम में थी, जो बातें दिखाई गई थीं, उनकी दवा के लिए वह डाक्टर मुकर्रर हुए और उसका काम उन्होंने प्रारम्भ भी कर दिया, मगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं पढ़ी ? आप डाक्टर थे, उसकी दवा करने के लिए, मुकर्रर हुए थे, उसी काम को रोकने के लिए मुकर्रर किया गया था सिक्योरिटी इंस्पैक्शन के लिए कि जो कमजोरी है, उसी आधार पर उसको दूर कीजिए । और आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो क्यों नहीं पढ़ी ? अगर नहीं पढ़ी तो आप लापरवाह आदमी थे, नाकाबिल आदमी थे, और आपको विभाग देना ही गलत बात थी । क्यों नहीं पढ़ी रिपोर्ट ?

एक दूसरे सज्जन हैं, उन्होंने कहा कि मैंने भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी । यहां हाउस में मैंने सुना, बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत सम्मान के योग्य व्यक्ति हैं । हाउस में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए यह रिपोर्ट पेश करना मुनासिब नहीं है । देश की रक्षा और हित के लिए बहुत-बहुत कारण बताए और कहा कि पेश करना मुनासिब नहीं है, इसलिए अमैंडमैंट पास कीजिए । उन बेचारों ने भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी । यहां अपोजिशन के लोगों ने कहा कि क्या रीजन है, क्यों आप इसको रोकना चाहते हैं, वह हमें बताएं ? सब रीजन उन्होंने बताए, मगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो फिर क्या गलत बोले । बिना पढ़े ही उन्होंने जस्टीफाई किया कि अमैंडमैंट होना चाहिए ? और रिपोर्ट पढ़ी नहीं, या तो आप गलत बोल रहे हैं कि आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं । क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ी ?

तीसरे एक सज्जन और हैं, वह कहते हैं, मुझे दिखाई ही नहीं गई । दिखाई नहीं गई रिपोर्ट, आप इतने बड़े ओहदे पर थे, आपने कोशिश क्यों नहीं की देखने की ?

मैं उस वक्त की एक भावना आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंदिरा जी की हत्या के बाद ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट आई, तो कौन ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसको यह जिज्ञासा न हो कि रिपोर्ट देखे और पढ़े । अगर किसी को जिज्ञासा नहीं थी तो इसका मतलब है कि वह राजनीतिज्ञ नहीं, भावनाहीन था, वह मनुष्य होने के काबिल नहीं था, अगर उसको यह जिज्ञासा नहीं थी कि रिपोर्ट पढ़े, उन्होंने प्रधानमन्त्री जी से कहा भी नहीं, जिक्र भी नहीं किया कि रिपोर्ट हमको दिखा दीजिए । मेरा तो ख्याल यह है कि अगर वह कहते तो प्रधानमन्त्री उनको जरूर दिखा देते, वह उस वक्त वह नम्बर एक पर थे, आसमान पर बैठते थे ।

तब भी आसमान पर बैठाये गए जब वह एक छोटे प्रान्त, वह तो वह एक बड़ा प्रान्त है, जहां से वे नाराज होकर चले आए कि लोग तो हल्ला करते हैं कि हमारे जमाने में कहीं हत्याएं होती हैं, हमारे जमाने में बहुत कत्ल होता है, इसलिए मैं नौकरी नहीं करूंगा, हुकूमत से जा रहा हूं । वह भाग आए छोड़कर । वहां से भाग आए,

क्या वहां हाउस में आपके पास दो मेम्बर भी थे सपोर्ट करने लिए? लेकिन इंदिरा जी ने आपको बिठा दिया था। पूछा तो कह दिया कि मैं जा रहा हूं, मुझसे नहीं बन रहा है कि हुकूमत कैसे की जाए। इसी भावना को त्याग का नाम दिया गया। मोर्चे से भागिए, लड़ाई मत कीजिए तो उसको नाम दे दीजिए कि त्याग किया। और उसी त्यागी ने जिस कैबिनेट में रहे, जिसके पास रहे जब वहां विश्वासघात किया तो वहां उसको नाम स्पष्टवादिता का दे दिया गया। तो विश्वासघात, अस्पष्टवादिता और भगोड़ेपन को त्याग की संज्ञा वाले व्यक्ति को रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छा चलिए नहीं मिली। रिपोर्ट नहीं मिली तो यह आपके दिमाग में यह क्यों नहीं आयी थी कि यह रिपोर्ट इतनी इम्पार्टेन्ट है कि इस रिपोर्ट का पढ़ना इतना जरूरी है, कि प्रैस करना चाहिए देखने के लिए। इतनी जरूरी और इतनी इम्पार्टेन्ट रिपोर्ट के लिए आपनें क्यों नहीं प्रैस किया कि इसको पढ़ा जाय। इसको केबिनेट में रखा जाए, इसको देखा जाए, इन्दिरा गांधी के हत्याकांड को जाननें के लिए। आपके दिमाग में यह बात क्यों नहीं उठी कि इसमें वाकई कौन दुष्ट है, कौन कल्प्रिट है, उसको पकड़ा जाय, उसको समझा जाय। 1986 में रिपोर्ट छपी और उसका लीक हुआ एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए लीक किया गया, जो व्यक्ति एक साधारण जगह से, एक मामूली जगह से उठता हुआ वहां तक केवल अपने अध्यवसाय, मेहनत, ओनेस्टी और परिश्रम से पहुंचा था और 1977 से 80 तक इन्दिरा गांधी जी के साथ था जबकि बहुत बड़े-बड़े चेहरे मुंह ढांककर जाते थे। हम जब कभी 12 नम्बर पर जाते थे तो बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियां अपनी गाड़ियां तीन मूर्ति के पीछे खड़ी कर देती थीं कि कहीं ऐसा न हो कि सी० आई० डी० वाला देख ले कि किस गाड़ी में कौन आया है, गया है, वहां खड़ी करके चुपचाप जाते थे, कहीं नम्बर न नोट हो जाय लेकिन उस व्यक्ति ने उस वक्त नौकरी छोड़ी, अलग बैठा, उनके साथ रहा और जब दूसरे नेता बनकर आये तो सब लोग चाहते रहे कि उससे कोई ऐसी गलत सही, उल्टी सीधी बात कहला लें जिससे लाभ उठा सकें लेकिन उस वक्त वह अडिग रहा। 1984 से आज 1988 तक उसने मुंह नहीं खोला, इसके बावजूद भी मैं वकालत करता हूं लेकिन मैं जजों से डरता ज्यादा हूं क्योंकि वह रोजी-रोटी का सवाल हल करते हैं, इस सब के होते हुए मैं एक चीज पहले कह देना मुनासिब समझता हूं कि ये लोग जनता में भ्रम फैलाना इसलिए आसान समझते हैं क्योंकि आम पब्लिक को कमीशन ऑफ इन्क्वायरी क्या है, इन्वेस्टीगेशन क्या है, कौन किसके करने का अधिकारी है, यह नहीं आता है।

3.52 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बातें आम आदमी की समझ में उतनी आसानी से नहीं आतीं, वह तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि कोई घटना हुई है और उसकी जांच हो रही है। अगर घटना की जांच हो रही है तो जांच करने वाला अधिकारी सब बात का पता करके बतायेगा, उसको गांव की पंचायत जैसा लोग समझते हैं। कमीशन का एक आयाम है जिसके अन्दर कमीशन काम कर सकता है, एक एक्ट है उस एक्ट के अन्दर वह काम कर सकता है, उसको सिविल प्रोसीजर कोड के कुछ अधिकार दिए हुए हैं जिससे वह गवाह वगैरह बुला सकता है लेकिन जो कम होगा, जो घटना घटेगी, उसके लिए जो अभियोग होगा, उन सबके दफात दिये हुए हैं, सबकी परिभाषाएं दी हुई हैं, इण्डियन पेनल कोड में है कि कैसी घटनाओं की जांच होगी, यह दिया हुआ है सी०आर०पी०सी० में कि उसकी किस विधि से जांच होगी। उसके तहत जब जांच होगी और चार्जशीट फाइल होगी तभी कोई आदमी कन्विक्ट हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता है। कमीशन तो इसलिए बैठा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इन सरकमस्टान्सेज में हो गई

इसलिए इस घटना का पूरा पता लगाया जाय, इस षडयंत्र का पता लगाया जाय और इसमें जिन-जिन लोगों ने ठीक ढंग से अपना काम न किया हो, उन ओमीशंस का पता लगाया जाय, इसमें कमीशंस का पता लगाया जाय, इन सारी बातों के लिए यह हुआ और पूरे आयाम से सबको लगाकर दे दिया जाय कि हर बात पर जांच-पड़ताल होकर मुनासिब कार्यवाही की जाय।

मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, पूरी रिपोर्ट और अधूरी रिपोर्ट के बारे में भी बात आई, मैंने पूरी कह दिया, अपोजीशन कोई है नहीं, कोई नाराज होने का सवाल नहीं है लेकिन यह सारा रिकार्ड चाहते हैं कि वह देखेंगे कि कमीशन ने क्या किया, उसकी बात जानेंगे। आज रिकार्ड भी चाहते हैं, आप कमीशन होकर नहीं बैठ रहे हैं।

[अनुवाद]

आप आयोग के स्थान की बात नहीं कर रहे हो।

[हिन्दी]

कि किसी अपराध व उसके किसी मतलब की आप जांच कर रहे हैं। आप केवल उस रिपोर्ट की अच्छाई, बुराई, भलाई, ठीक और गलत की जांच कर रहे हैं, इसलिए आप उस कमीशन के रिकार्ड देखेंगे। आप कमीशन की जगह नहीं ले रहे हैं। उस कमीशन ने क्या किया है, उसके आधार पर क्या बात पैदा हो गई है, सिर्फ उसको आपको देखना है और उसको देखने के लिए आपको चाहिए सारा रिकार्ड। पता नहीं शाह कमीशन का मसला होता तो क्या करते, जल्दी चले गये नहीं तो शायद रिपोर्ट भी रख देते और जितना ट्रक लोड पेपर था, इंकपॉट, स्याही, रफ पेपर, मेज-कुर्सी वगैरह सब रख देते जिस पर शाह कमीशन ने वर्क किया था, यह तो खैरियत हुई कि जल्दी चले गये नहीं तो यह हाउस उसी से भर जाता···इस प्वाइंट को देखते हुए, एक चीज सबसे बड़ी सामने आई कि इन्होंने टाइम बदल दिया ? टाइम बदलेगा कौन ? इन्दिरा जी के मिलने का टाइम मुकर्रिर वे करते थे, तो क्या बदलने कोई दूसरा जाता। जो टाइम मुकर्रिर करता है, वही बदलता है। टाइम रोज मुकर्रिर किए जाते हैं और रोज बदले जाते हैं। कहीं का भी एप्वाइंटमेंट, किसी का टाइम, 10 परसेंट, 15 परसेंट, 20 परसेंट 25 परसेंट हमेशा बदले जाते हैं। किन्हीं कारणों से टाइम बदला है। उस टाइम के बदलने में सारी व्यवस्था देख ली कि इस टाइम के बदलने में षडयंत्र है। शुक्र है भगवान का कि उसमें उन्होंने कुछ तय नहीं कर दिया, सजा दिलवा दो होती सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो और काम्पलीकेशन्स पैदा हो जाते। सजा नहीं सुनाई। काफी मामूली बात पर यह ड्रा कर देना कि टाइम चेंज कर दिया गया। वहां काम करने वाले लोग थे, उन्होंने आपस में ड्यूटी चेंज की। आज उस बात का महत्व हो जाता है, इसलिए कि इतनी बड़ी घटना घट गई। अन्यथा मामूली टाइम का चेंज, जिस वक्त की ड्यूटी उस वक्त पहुंचना, उसके बाद तक रहना, यह कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसको कि इतना सीरियसली देखना हो। सबसे बड़ी बात होती है मोटिव। कोई मोटिव ऐसा होता है जिसमें आर० के० धवन को दिलचस्पी हो और वे इस तरह के किसी क्राइम में शामिल हों। श्री आर० के० धवन जिस पद पर, जिस रुतबे पर और जिस अधिकार से उस वक्त बैठे हुए थे, शायद ही कोई कभी किसी के साथ बैठेगा। उसके बावजूद भी वे लोग आरोप लगाने की बात करते हैं। माफ करना वे लोग तो धवन तो एक नौकर थे। एक साधारण स्टैनोग्राफर से वहां तक पहुंचते थे। नौकर ने अपना वह चरित्र दिखाया है कि चाहे जितने भी एडवर्स सर्कमस्टान्सेज थे, उसने उंगली नहीं उठने दी। यह मैंने देखा है। घर के लोग जो उठाकर रख दिए गए रंग की दुकान से इस रंगमंच पर बैठा दिए गए।

शायद वहां कुछ डिब्बे और उठाने वाले मजदूरों पर हुकूमत करते रहे होंगे, भारत पर हुकूमत करने लगा। एक दिन सरकार में नहीं रहे, इतने नाराज हो गए कि आज शायद इस सारे रिश्ते-नातों को भुलाकर कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी तरह से राजीव गांधी जी को नुकसान हो जाए। यह खून का रिश्ता और एक नौकर का रिश्ता, दोनों को आप कम्पेयर कर लीजिए। क्या मुकाबला है आपका और क्या मुकाबला धवन का। तीसरी बात आती है···(व्यवधान)···

श्री कमलनाथ : इतना तो काफी है। लोग आजकल के प्रचार में कहते हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, पंडित है, तो किसी तरह से नेहरू कहला रहे हैं। हो या न हों, उसकी भी तो लाज रखनी चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री श्रीपति मिश्र : आखिर में यह भी कहा गया कि अपोजीशन ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह शुरू किया। मुझे कोई ऐतराज नहीं दिखाई देता, अगर अपोजीशन ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह किया है। चुनाव का साल है, राजनीतिक लाभ लेना ही चाहेंगे। उन्होंने इसको मूर्खतापूर्ण तरीके से शुरू किया, इसके लिए मुझे ऐतराज है। मैं चाहता हूं कि सत्ता की तरह अपोजीशन भी बुद्धिमानी से काम करे। अब दो बातें हैं, आपको इन्दिरा जी के कन्प्रिस की जांच चाहिए थी। उस वक्त 1986 की रिपोर्ट पता चली, अगर वास्तविक जांच की बात थी, तो उस वक्त सब मुकद्दमा चल रहा था, मामले की जांच हो रही थी, उसी वक्त इस पर शुरू करते। रिपोर्ट आ चुकी थी, उस पर बहस करते। शायद सही बात सामने आ जाती और सही बात के आधार शायद और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन और जांच हो सकती। अगर इन्दिरा जी के हत्यारों को ही जेल भेजने की बात थी। नहीं, उस वक्त नहीं इस वक्त आकर किया। खैर अब किसको आंसू आ रहे हैं, उनको आंसू आ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सजा होने के बावजूद भी गये थे कि क्षमादान कर दीजिए इन्दिरा जी के हत्यारों को। उनको आंसू आ रहे हैं। यह रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए। सजा होने के बाद भी क्षमादान मांगा गया। मैं कहता हूं कि किस आधार पर क्षमादान मांगा इंदिरा जी के हत्यारों के बारे में।

4.00 म० प०

लेकिन गए और अब ऐसी उलटी हवा बहाना चाहते हैं ये लोग। देश की एकता के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बलिदान दिया। मैं तो कहता हूं कि इन्दिरा जी इस देश की आत्मा थी। इन्दिरा जी को शायद यह कमी लग रही थी कि उनके परिवार में सब जेल गए और सारी त्याग-तपस्या हुई, सब कुछ हुआ लेकिन उनको यह कमी लग रही थी कि कोई शहीद नहीं हुआ। इन्दिरा जी इस देश के लिए शहीद हो गई और वे जो शहीद हो गई, तो उनके बारे में ये वहां जांच कराने की बात करते हैं और जब आतंकवाद का नारा लग रहा था और तो भोग में पार्टीसिपेट करने गए थे और जब खालिस्तान की बात करने वाले लोगों के खिलाफ जब राजीव जी, प्रधान मंत्री जो यह कहते हैं कि कुछ विरोधी ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए सवाल उठाते हैं और उसके संगठन के खिलाफ, जो संगठन 100 साल का है खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला को जिस संगठन के लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं व और उस बात करते हैं कि इन्दिरा जी के हत्यारे के बारे में वे जानना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं, देश को समझाना चाहते हैं तो इस पर केवल यही एक बात कही जाएगी कि यह जानकारी नहीं चाहते, इनको यह जिज्ञासा नहीं है, यह शतरंज की मक्कारी की चाल है, जिस चाल को फैला कर यह आम जनता को कन्फ्यूज करना चाहते हैं कि देखो रिपोर्ट जो पेश हुई है, वह पूरी रिपोर्ट नहीं है और जो नहीं पेश हुई है,

उसमें सब लिखा हुआ है। यही उनका कहना है और उनको आगे कुछ नहीं कहना है। जो सामने आई है, वह असली नहीं है, असली तो वह है जो सामने नहीं आई है। इस तरह का माहौल बनाने में ये लोग लगे हुए हैं। मैं तो यह कहता हूं कि आपको यह जानकारी हासिल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो असली वकील, अच्छा वकील, होशियार वकील होता है, वह तो जजमेंट पढ़ कर ही सारे मुकदमे की बहस कर लेता है। बिना गवाही पढ़े, बिना गवाही देखे और और बिना पूरी फाइल देखे, अगर विभाग आप के पास है, तो जजमेंटपढ़ कर ही आप बहस कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो मजबूरी है। सारा मैटीरियल देख कर भी आप क्या करेंगे। पूरी की पूरी रिपोर्ट मौजूद है और उस रिपोर्ट को पढ़कर आप यहां बहस कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं आई, तो फिर भी यहां पर मुद्दा उठाते, तो पता चलता कि वाकई आप की इच्छा है यह जानने की कि इन्दिरा जी की हत्या में और कौन-कौन शामिल था, मगर ऐसा नहीं हुआ और यह एक बहुत अनफार्चूनेट बात हैं, एक दुर्भाग्य पूर्ण बात है भारत जैसे देश के लिए कि विरोधी दलों के इतने सम्मानित लोग, आ। जब इतनी बड़ी बहस हो रही है, उसमें भाग नहीं ले रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा और आपका और ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपने भाषण को बंद करना चाहता हूं। आज ही ऐसी बात नहीं हुई है कि इन्होंने ऐसा किया है। इससे पहले भी इसी हाऊस में जब बोफोर्स के बारे में सवाल उठा था, तो यह कहा गया था कि ज्वाइन्ट कमेटी बनाई जाए। श्री राजीव जी ने, हमारे प्रधान मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी के लिए कहा, जज से इंक्वारी कराने की बात हुई, हालांकि लोगों ने यह कहने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी देने की बजाए ज्वाइन्ट कमेटी बनाना ठीक होगा लेकिन साफ-साफ बात हो, असलियत का पता चले, सही बात का पता चले, हमने अपने सिर पर तलवार लटका ली। वह बात भी हो गई, तो यह कहा गया कि ज्वाइन्ट कमेटी बननी चाहिए। अब ज्वाइन्ट कमेटी बन गई, तो ये कहने लगे कि चैयरमैन उस कमेटी मे हमारा हो, सब रूल, कायदे-कानून को बदल कर ये कहने लगे कि चेयरमैन हमारा हो। अब मुकदमा भी ये दायर करेंगे और इनका होजज ही बजा फैसला करेगा। जब ज्वाइन्ट कमेटी बन गई, तो उस कमेटी का बायकाट किया और उसकी प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं लिया। अब यह रिपोर्ट यहां पर पेश हो गई, आधी रिपोर्ट हो या पूरी रिपोर्ट हो, हमारा कहना यह है कि यह पूरी रिपोर्ट है और जब इस पर बहस का मौका आया, तो इनके एक सदस्य एक नया शगूफा लेकर आ गए कि यह टेम्पर्ड रिपोर्ट है, टेम्पर की नई थीसिस लेकर आना शुरू हो गया है और मुमकिन है कि कल को यह टेम्पर वाली थीसिस भी आने लगे। यह टेम्पर, डिस्टेम्पर की थीसिस इसी तरह से चलती रहेगी, जब तक यह हाऊस चलता रहेगा और उसके बाद कुछ और चीज आ जाएगी।

अब इस सिलसिले में, अंत में मैं यह कहूंगा कि मैं आभारी हूं आपका कि आपने इस रिपोर्ट को सदन मे रखा। आप इसे इस सदन में रखना चाहते थे और एक इन्वेस्टीगेशन कम्पलीट होने पर रखना चाहते थे। उसके कम्पलीट होने पर आपने इसको रखा। लेकिन उन्होंने यह कहने की कि वह उनके प्रयत्न से आयी है। मैं उनकी बात को मान लेता हूं कि उन्हीं के प्रयत्न से आयी है। तो उन्हें इस पर बहस करनी चाहिए। वे इस बहस में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस बहस में शामिल न हो करके यह स्वीकार कर लिया कि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जोकि सत्ता या सत्ता पक्ष के लोगों के प्रतिकूल हो।

अब जनता के मन से तमाम भ्रम दूर हो चुका है और अगर दूर नहीं है तो प्रत्येक नागरिक का और उन लोगों का जो कि भ्रम फैलाने के काम कभी-कभी करते हैं, उन लोगों को यह भ्रम दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, उन विषयों पर बोलना मेरे लिए आसान नहीं है दूसरी तरफ इन पर बोलने का कोई फायदा भी नहीं है अर्थात वे मेरे लिए बहुत भावात्मक हैं और वे मुझे उस कठिन समय की याद दिलाते हैं।

महोदय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 मार्च, 1984 को अनेक लोगों के सामने दो हत्यारों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया।

इसके बाद हमारे सामने तीन कार्य करने जरूरी हो गए। पहला, जो इस घटना के लिए उत्तरदायी थे उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। दूसरी हत्या के पीछे क्या कारण थे और क्या परिस्थितियां थी उनकी जांच करना तथा तीसरे सुरक्षा के उपायों और चिकित्सा सुविधाओं में कमी तथा इस बारे में जो गहरी साजिश थी उसके लिए एक जांच आयोग स्थापित किया जाए।

सदन इसकी सराहना करेगा कि इन तीनों कार्यवाहियों के बीच में आपस में गहरा सम्बंध है।

इन्दिराजी की हत्या केवल उन्हीं की हत्या नहीं थी बल्कि उनके सभी सिद्धान्तों की हत्या थी जिनका उन्होंने समर्थन किया और जिनके लिए वह जीवन भर लड़ती रहीं।

इन्दिराजी का लोकतन्त्र में अटूट विश्वास था। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र देश की निर्वाचित नेता थीं उनका भरत के लोगों में बहुत विश्वास था। हमारे लोकतंत्र के शत्रु इंदिराजी को और हमारे लोकतंत्र की राजनीतिक बुनियादों को समाप्त देना कर चाहते थे।

इंदिरा गांधी का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था। वे हमारे राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध थीं। कट्टर धार्मिक विश्वास वाले राजनीतिज्ञ उनकी हत्या करना चाहते थे और हमारे राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाहते थे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रवादी थी। वह भारत की आजादी के लिए पूर्णयता समर्पित थीं। हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन उन्हें तथा उनके साथ हमारी स्वतंत्रता, हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते थे।

इंदिराजी का आत्म-निर्भरता में विश्वास था। वह भारत को आत्म-निर्भर बनाना चाहती थीं। जो लोग नहीं चाहते थे कि हम आत्म-निर्भर बनें, वे उनकी हत्या करना चाहते थे और हमें आत्म-निर्भर नहीं बनने देना चाहते थे।

इंदराजी देश में स्थिरता लाना चाहती थी। उन्होंने देश के अन्दर कार्यरत आतंकवादियों और देश के बाहर उन्हें उकसाने वाले तथा उनका समर्थन करने वाले लोगों के बीच सांठ-गांठ की ओर जनता का लगातार ध्यान आकृष्ट कराया। भारत को विघटित करने वाले लोग इंदिराजी की हत्या करके अपने घृणित इरादों को पूरा करना चाहते थे।

महोदय, इंदिरा जी देशभक्त थीं। उनके रक्त की अंतिम बूंद भी अपनी मातृभूमि, इसकी एकता और अखंडता के लिए समर्पित थी। हमारी एकता और अखंडता के दुश्मन उनकी हत्या करके भारत माता की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते थे।

इंदिराजी की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं थीं। उनका उद्देश्य था हमारी एकता को तोड़ना, हमारी अखंडता को कमजोर करना, हमारी धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचाना और हमें आत्मनिर्भर न

होने देना । उनका इरादा था हमारे देश में लोकतंत्र को समाप्त करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व की जड़ों को मिटा डालना ।

महोदय, हमारा कर्तव्य था कि उनके हत्यारों और उनका साथ देने वालों को पकड़े और यह सुनिश्चित करें कि इस अपराध के लिए जो षडयंत्र रचा गया था, उसका पर्दाफाश हो ।

इस षडयंत्र, जो देश तथा विदेश में रचा गया था, का पर्दाफाश किया जाना आवश्यक था ताकि हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हमारे लोकतंत्र की हत्या न हो और न ही इसके कारण देश से धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो अथवा न हो हमारे आत्मनिर्भर बनने में रुकावट आए । इस षडयंत्र का गहराई से पता लगाना था ताकि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हमारी अखंडता, एकता और आजादी के लिए जो सबसे गंभीर खतरा पैदा हो गया था, उससे राष्ट्र की रक्षा की जा सके ।

हत्यारों को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था । षडयंत्रकारी पकड़े नहीं गए थे ।

हत्यारे को कानून के तहत अपने बचाव का हर अवसर प्रदान किया गया । उसके सहयोगियों को भी इसका अवसर दिया गया । यह ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के सात-न्यायाधीशों कि खण्डपीठ ने निर्धारित कानून के तहत बड़े सोच-विचार के बाद अपना अंतिम निर्णय दिया । दोषी व्यक्ति को दूसरा अवसर देकर एक अभूतपूर्व कदम उठया गया था । यह बहुत खेद की बात है कि संसद तक में भी न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सदेह व्यक्त किया जा रहा है । महोदय, उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट नहीं है । स्पष्टतः ऐसा वैधानिक कारणों से नहीं अपितु राजनैतिक उद्देश्यों से किया गया है ।

अभियुक्त को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने बचाव के लिए वकील रखें और वकील को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यवसायिक सेवाएं अपने अभियुक्त को दे । किन्तु जब कानून की आड़ में खतनाक राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है तब हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उन लोगों के कार्यों की पोल खोली जाए जो इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं । हमारे लिए यह भी जरूरी है कि उसे सहयोग देने वाले राजनीतिज्ञों की भी पोल खोली जाए ।

यदि न्यायालयों का यह कर्त्तव्य है कि वे अभियुक्त और उसके बचावपक्ष के वकील के अधिकारों और उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करे तो संसद का भी यह कर्त्तव्य है कि वह गलत कार्य करने वाले राजनीतिज्ञों की पोल खोले ।

इन्दिरा जी की हत्या के बाद एक विशेष जांच दल नियुक्त किया गया । यह दल एक ऐसे अनुभवी पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में नियुक्त किया गया था जिन्हें आपराधिक मामलों की जांच करने का काफी अनुभव था । विशेष जांच दल को स्पष्ट निदेश थे अपराध की जांच करना तथा देखना कि किन परिस्थितियों में अपराध किया गया । हमने एक जांच आयोग नियुक्त किया था । जांच आयोग के गठन के लिए हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक न्यायाधीश का चयन किया । मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रतिष्ठित सेवारत जज, न्यायाधीश ठक्कर का नाम सुझाया । विशेष जांच दल और जांच आयोग के कार्यों के बीच निकट संपर्क रखा गया ।

महोदय, उन विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं अपनी रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए कहा था । सरकार ने यह सिफारिश मान ली थी । उन विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए

की गई सिफारिश को स्वीकार करने के निर्णय को अनुमोदन के लिए इस सभा के समक्ष रखा गया और इस सभा ने उस संकल्प को स्वीकार करके उस निर्णय का समर्थन किया।

यह सभा जनता से अधिकार प्राप्त करती है। सभा की इच्छा ही हमारे लोकतंत्र में सर्वोपरि है। सभा का नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि इसकी इच्छा का आदर किया जाए।

महोदय, कांग्रेस दल हमारी मातृभूमि की 100 वर्षों से अधिक तक की गई सेवा की विचार-धारा से, हमारे उन सिद्धान्तों से, जिनके कारण हमें स्वतन्त्रता मिली, उन आदर्शों से जिनके कारण हमारा राष्ट्र आधुनिक बना तथा उस दूरदृष्टिता से प्रेरणा लेती है जिनसे उनमें मानवता आई। हमें कुछ समाचारपत्रों से ही प्रेरणा नहीं मिलती। हमारा दल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और इन्दिरा गांधी का दल है। हमें उन लोगों से कोई पाठ नहीं सीखना है जो एक दल से चुनकर आते हैं और कई लोगों के वफादार बनकर तथा अवसरवादी बनकर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं। हमें उन लोगों क सिद्धान्तों या विचारधारा से कुछ नहीं सीखना है जिनमें इन दोनों ही चीजों की कमी है।

महोदय, अनधिकृत व्यक्तियों को अनधिकृत तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में बताकर इस सभा की इच्छा का उल्लंघन किया गया है। विपक्ष ने क्या किया? क्या उन्होंने इस सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन की निन्दा की? क्या उन्हें इस बात पर गुस्सा आया था? क्या उन्होंने अपने इस गुस्से को व्यक्त किया था? किसी व्यक्ति ने संसद की इच्छा का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर किए गए विश्वास को तोड़ा है। किसी ने गोपनीयता की शपथ को तोड़ा है। किसी ने अपने वचन को तोड़ा है। यह रिपोर्ट हमने लीक नहीं की है। हम इसके लीक करने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच कराएंगे।

पिछले कुछ सप्ताहों से विपक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रपंचपूर्ण पत्रकारिता की कठपुतलियों की तरह व्यवहार किया है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हम उनके इस दृष्टिकोण के आदि हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि जिम्मेदार विपक्षी दल जिनकी राष्ट्रभक्ति पर शक नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह अत्यन्त खतरनाक है।

महोदय, ठक्कर रिपोर्ट की विषय सूची की सूचना प्रेस को 3 वर्ष पूर्व मिल गई थी। लेकिन इस सभा में या अन्यत्र कोई मामला नहीं उठाया गया। महोदय, ऐसा क्यों किया गया। क्या इसका कारण यह था कि संबंधित पत्रकारों ने विपक्षी सदस्यों को ये निर्देश नहीं दिये थे कि अब उन्हें क्या करना है? अथवा अब जो शोर-शराबा हो रहा है, उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण हैं?

ठक्कर रिपोर्ट में इस अपराध से संबंधित गहन षडयंत्र के बारे मे बताया गया है। जिन्हें रिपोर्ट की गुप्त बातों की जानकारी थी, उन्हें यह भी पता था कि आपराधिक जांच समाप्त होने जा रही थी। उन्हें पता था कि रिपोर्ट को गुप्त रखने से षडयंत्र की जांच और षडयंत्रकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने को पक्षपातयुक्त बनाना असम्भव है। फिर इसे अब लीक क्यों किया गया। राष्ट्र की गोपनीय बातों को इस समय तथा इस तरीके से लीक करने के पीछे उनका क्या इरादा था? उन्होंने अपनी बात पहले क्यों नहीं प्रकट की। वे इसे अब क्यों लीक कर रहे हैं?

कुछ अकाली नेताओं ने कहा है कि षडयंत्र के मामलों को इसलिए फाइल किया गया है क्योंकि रिपोर्ट जनता के सामने आ गई है। एक तरीके से यह ठीक ही है कि उनमें सांठ-गांठ है किन्तु इसका कारण गलत है। महोदय, शोर इसलिए मचाया गया था क्योंकि हम षडयंत्रकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने ही वाले थे। ठक्कर रिपोर्ट में जांच की वह दिशा पता चली थी जिससे षडयंत्र का पता चला। अत: षडयंत्रकारियों के साथियों ने ऐसा काम किया जिससे षडयंत्र का भेद खुलने से रुक जाए। वे जानते थे कि भेद खुलने वाला है। वे जानते थे कि पिछले वर्ष के अन्त में अतिन्दर पाल सिंह के पकड़े जाने के बाद जांच दल द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी थी। वे जानते थे कि केवल कुछ नतीजों को जोड़ना भर होगा। वे जानते थे कि केवल आरोप पत्र दायर किए जाने बाकी हैं। वे जानते थे कि एक बार मामला न्यायालय में जाने के बाद, ठक्कर रिपोर्ट जनता के सामने आ जाएगी।

इसलिए उन्होंने उस समय चालाकी से काम किया जबकि आरोप पत्र दायर किए जाने थे। उन्होंने इसी पुरानी बात को दोहराने के बारे में सोचा। षडयंत्रकारियों के मित्र यदि उनकी इच्छा होती तो, षडयंत्र से संबंधित रिपोर्ट के हिस्से को भी लीक कर सकते थे क्योंकि यदि हम उनकी बात पर विश्वास करें—उनका कहना है कि उनके पास पूरी रिपोर्ट है—तो फिर कतिपय चुनींदा बातों को ही क्यों लीक किया गया ? पूरी रिपोर्ट लीक क्यों नहीं की गई ? वे षडयंत्रकारियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे ? क्या यह राष्ट्र का ध्यान परिवर्तित करने का छल नहीं था ? यह यदि नहीं था तो यह रहस्योद्घाटन चुनिंदा रहस्योद्घाटन क्यों था ? और यदि नहीं, तो अभी क्यों हुआ पहले क्यों नहीं हुआ ?

हमारे पास इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं हैं। हमारे पास तो संदेह के चुम्बकीय क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमने वाली ढेर सारी सुइयां हैं जो षडयंत्रकारियों, उनके राजनैतिक साथियों, उनके मित्रों, उनके सहापराधियों की ओर इशारा करती हैं।

यह राजनीतिक षडयंत्र आपराधिक प्रयोजनार्थ और विश्वासघाती उद्देश्य से रचा गया था। यह आपराधिक इसलिए था क्योंकि इसका उद्देश्य हत्या करना और अराजकता फैलाना था। यह विश्वासघाती इसलिए था क्योंकि इसका लक्ष्य हमारी स्वतंत्रता, हमारी एकता, अखण्डता और हमारे अस्तित्व को मिटाना था। षडयंत्र का आधार धार्मिक और राजनीतिक विस्फोटक मिश्रण का विस्फोटन करना था। जब पिछली बार उस मिश्रण का विस्फोटन किया गया तो उससे देश का विभाजन हो गया। हम अपने देश का विभाजन या बटवारा दोबारा कभी नहीं होने देंगे। दोबारा किसी दूसरे प्रस्ताव, चाहे यह वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर में प्रस्तुत किया गया हो या अकाली दल द्वारा वर्ष 1978 में आनन्दपुर साहिब में प्रस्तुत किया गया हो, को अपने देश की एकता को तोड़ने या हमारी अखंडता के साथ समझौता करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। हमारा एक राष्ट्र है। हमारे धर्म अनेक हैं किन्तु हमारी संस्कृति मिलीजुली है। हमारी एकता में विविधता है किन्तु इसमें पृथकतावाद, हिंसा या अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसाकि न्यायाधीश सरकारिया ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि यदि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो "देश एक अखण्ड राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रह सकता।"

फिर भी एक सांसद ऐसे हैं जो अकाली दल या इसके किसी भी गुट के सदस्य नहीं हैं किन्तु उन्होंने खुल्लम-खुल्ला प्रस्ताव के सारभाग का समर्थन किया है। जब उन्होंने पहली बार इस अधम

कार्य का समर्थन किया था जब वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं थे। इसके बाद उन्हें जनता दल ने जानबूझकर अपना लिया और उन्हें राज्य सभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। जनता दल ने ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए, यदि वे लोग उसके विचारों से सहमत नहीं थे, अपना मार्ग क्यों बदला ? मेरा यह मानना स्वाभाविक ही है कि जनता दल इतना दिग्भ्रमित हो गया है कि वे यह नहीं जानते या इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इस महाशय का मन्तव्य क्या था या वह उनकी पीठ के पीछे क्या कर रहा था। किन्तु अब इस बात को एक माह से अधिक हो गया है जब संसद को उसके घृणित क्रियाकलापों की जानकारी दे दी गई थी। क्या उसकी पार्टी ने उसे अपने दल से बाहर निकालने के लिए कुछ किया है ?

और विपक्ष की जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टियों, जो राष्ट्रीय मोर्चे और जनता दल का एक भाग हैं, ने क्या किया ? क्यों उन्होंने उसे निकाले जाने की मांग की है ? नहीं, उन्होंने यह मांग नहीं की। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने इस राष्ट्रीय अपमान में अपनी मौन स्वीकृति दी। वस्तुतः उनकी चुप्पी अनजाने में उन खतरनाक हठधर्मी तत्वों को बढ़ावा दे रही है और उन्हें दुष्प्रेरित कर रही है जो हमारे देश को बरबाद करना चाहते हैं। वे अभाव में आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कृताकृत अपराध हैं। मैं सभी जिम्मेवार राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों से उन लोगों से सार्वजनिक तौर पर और स्पष्टतः दूर रहने की अपील करता हूं। इस देश की जनता यह देखे कि विपक्ष उन्हें अस्वीकारता है। आतंकवादी यह देखें कि विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अस्वीकार करती हैं।

जब ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी गई तो इस बात पर कि "रिपोर्ट" में क्या-क्या है एक पूर्णतः अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से इस रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है, रिपोर्ट को पटल पर रखते समय किसी भी पूर्वउदाहरण का उल्लंघन नहीं किया गया। पहले की तरह इस अवसर पर भी रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है किन्तु कार्यवाहियों को सरकारी अभिलेख में रखा गया था। इससे पूर्व कभी भी इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है। अब इसे चुनौती क्यों दी गई है ?

अब इसे इसलिए चुनौती दी गई है ताकि धवन पर लगे आरोप से संबंधित टिप्पणियों का वर्णन करके इस षडयंत्र वाले मामले को बिगाड़ कर अपनी दुःसाहसी इच्छा की पूर्ति की जाए। टिप्पणियों और अभ्यारोपण में बहुत अन्तर होता है। न्यायाधीश ठक्कर का कार्य उन्हें दिखाने वाले हर सुराग को बताना था। सुराग रिपोर्ट में हैं। कार्यवाही बेकार की वस्तु है। हमें बेकार वस्तु को पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

विशेष जांच दल ने चार वर्षों तक श्री धवन की गतिविधियों की विस्तृत रूप से जांच की ; उन्होंने न्यायाधीश ठक्कर की टिप्पणियों की गौण बातों की भी जांच की। इन वर्षों के दौरान धवन को सरकारी कार्यों से दूर रखा गया। इन वर्षों के दौरान उसके विपक्ष के माननीय सदस्यों, जिन्होंने आज अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है, द्वारा गठित जांच आयोग से भी अधिक कड़ाई से पूछताछ, परिपृच्छा और जांच की गई।

विशेष जांच दल ने यह कहा कि उन टिप्पणियों को अभ्यारोपण में परिवर्तित करने के कोई

आधार नहीं थे। इसलिए उसे सरकारी कार्यों से दूर रखने के कोई आधार नहीं हैं। हमारी सरकार विवेकपूर्ण सरकार है। हमारी सरकार स्वच्छ सरकार भी है। अब उसे दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह क्यों किया जाए ?

हम स्वयं को अपना मार्ग बदलने की अनुमति नहीं देंगे। हम उन लोगों पर अभियोग चलाने के लिए दबाव डालेंगे जिन्हें दोषमुक्त नहीं किया गया है। हम उन लोगों पर आरोप लगाएंगे जिन्हें हम राष्ट्र के विरुद्ध षडयंत्र रचने के लिए दोषी मानते हैं। हम इस राष्ट्र या सदन का समय बरबाद नहीं करेंगे जैसाकि विपक्ष के हमारे मित्र एक निर्दोष व्यक्ति को खींचकर या उस पर मिथ्या आरोप लगाकर कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार गम्भीरता से अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। जब कभी भी भाई-भतीजावाद या भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रथम-दृष्टा स्थिति में स्थापित हुआ है या किसी कांग्रेसी पर, चाहे वह उच्च पद पर आसीन हो, मुख्यमंत्री हो या केन्द्रीय मंत्री हो अथवा राज्यपाल हो, न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण लगाया गया है तो जब तक उस पर लगे आरोप झूठे प्रमाणित नहीं हो जाते उसे हमेशा अपने पद से वंचित रहना पड़ा है।

हमारे दल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के सात अभ्यारोपण लगाये गये हों और जो अपनी कुर्सी से घोंघे की तरह चिपका रहा हो।

महोदय, हमारे दल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा "विधि शासन का सुस्पष्ट उल्लंघन" करने के लिए दोषी पाया गया हो—और बाद में उच्च न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हुई हो। फिर भी वह तब तक कुर्सी से चिपका रहता जब तक तक कि उस पर दूसरा आरोप न लग जाए और उसके लिए आगे उस पद पर बना रहना असंभव हो जाए।

हमारे दल में ऐसा मुख्य मंत्री नहीं है जो अपने परिवार के सदस्यों को एक महिला के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए आपराधिक जांच और अभियोग से बचाता है। महोदय, कांग्रेस दल एक सम्माननीय दल है। हम एक सम्माननीय सरकार चलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का नेता हूं। सदन की इच्छा, इसके अधिकारों और विशेषाधिकारों का आदर करना मेरा परम कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री भी हूं। यह देखना मेरा परम कर्त्तव्य है कि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए और षडयंत्रकारियों के षडयंत्रों को असफल किया जाए। यही मैंने किया है। मैं उस पवित्र विश्वास के प्रति निष्ठावान हूं जो मुझमें व्यक्त किया गया है। महोदय, राष्ट्र हमारे हाथों सुरक्षित है। हमने इसकी स्वतन्त्रता की गारंटी दी है। हमने इसकी एकता को मजबूत किया है। हमने इसकी अखण्डता बनाए रखी है।

किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं उस मां का इकलौता जीवित बेटा भी हूं जिसकी हत्या की गई थी। व्यक्तिगत रूप से यह आरोप लगाना, कि मैंने इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल संदिग्ध सहपराधी

को दोबारा नौकरशाही में लाकर उस प्यार और मोहब्बत को धोखा दिया है जिसकी उसने मुझ पर बौछार की थी, किसी रुग्ण मानसिकता का ही परिचायक है। ऐसा आरोप लगाने वाले व्यक्ति किस प्रकार के आचरण के हैं? उनके घटिया आक्षेप का मेरे ऊपर अथवा हमारी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि इससे पता चलता है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके सोचने का ढंग क्या है और वे किस दकियानूसी ढग से कार्य करते हैं।

सदन को यह जानकारी है कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मैं अपने खुशी पारिवारिक जीवन में खुश था। मेरी माता इन दोनों भावनाओं का आदर करती थी।

फिर युवावस्था में ही मेरे भाई संजय की मृत्यु हो गई। इससे एक मां का दिल टूट गया। इससे एक प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति खंडित नही हुई। शोक मनाने के लिए एक दिन का भी अवकाश किए बिना उन्होंने लोगों को किए गए अपने वायदों को पूरा करने के लिए अपना महान कार्य जारी रखा। केवल एक शोक सन्तप्त मां ही ऐसे एकाकीपन को जान सकती है। केवल एक शोक सन्तप्त महिला प्रधानमंत्री ही ऐसे अनोखे एकाकीपन को अनुभव कर सकती है। वह प्रधानमंत्री मेरी मां थी। अपने अकेलेपन में उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया। उनके कहने पर मैंने उड्डयन में अपनी रुचि को छोड़ दिया। उनके कहने पर ही मैंने अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया और उनका राजनैतिक सहायक बन गया। राजनीति का पहला पाठ मैंने उनसे ही पढ़ा। उन्होंने ही मुझसे यह आग्रह किया कि मैं अपने भाई के स्थान पर अमेठी से संसद-सदस्य बनकर अपने दल और चुनाव क्षेत्र की आग्रहपूर्ण मांग को पूरा करूं। उनके आशीर्वाद से मुझे दल का महासचिव बना दिया गया। उनकी अचानक मृत्यु होने पर मेरे दल ने मुझसे उनका स्थान ग्रहण करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। इस चुनौती को स्वीकार करके मैंने एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य, मां के प्रति एक बेटे के संतानोचित कर्त्तव्य का पालन किया। आज वही बेटा इस सदन के समक्ष खड़ा है। मेरा निजी दुख मेरा अपना दुख है। मेरी मां की यादों का सम्बन्ध मुझसे है।

अध्यक्ष महोदय, इंदिरा जी इस सदन की भी नेता थी। वे इस देश की प्रधानमंत्री थी। जब उनकी याद को मलिन किया जा रहा है, उनके आदर्शों का उल्लंघन किया जा रहा है तो मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। भारत की उनकी संकल्पना को, जिसके लिए वे जीवित रही और जिसके लिए वे मरी उसे अभी पूर्णतः साकार करना है। जब उनकी दुखान्त मृत्यु को घटिया चरित्रबल तथा दुर्भावनापूर्ण, गैर-जिम्मेदार राजनीतिज्ञों द्वारा एक राजनैतिक खिलौना बनाया गया है तो मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। अब मैं उनको अपना उत्तर दूंगा। मेरे, मेरे परिवार तथा मेरे सहयोगियों के विरुद्ध जो कानाफूसी और दुर्भावना फैलाई गई उससे मैं अपने उद्देश्य से हटने वाला नहीं हूं।

महोदय, अपनी माता इन्दिरा जी से मैंने एक सबक सीखा था, वह यह था कि परवाह मत करो, "एकला चलो रे", वे कहा करती थी।

महोदय, षडयंत्रकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। स्पष्ट रूप से षडयंत्र का उद्देश्य खालिस्तान की स्थापना करना था। इसके लिए प्रधानमंत्री की हत्या, देश में अव्यवस्था, भ्रम और अराजकता फैलाने के हथकंडे अपनाए गए। पंजाब में आतंकवाद के आरम्भ से हत्याओं का उद्देश्य साम्प्रदायिकता भड़काना रहा है। अत्यधिक साम्प्रदायिकता भड़काने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की। षडयंत्रकारियों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा करने से हजारों निर्दोष हिन्दुओं, निर्दोष सिखों और अन्य सम्प्रदाय के हजारों लोगों की मृत्यु हो

जाएगी। उनके लिए इस बात का भी कोई महत्व नहीं था कि देश में खून की नदियां बहाने पर ही उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। षडयंत्रकारियों का उद्देश्य साम्प्रदायिक भ्रातृ हत्या को बढ़ावा देना और निर्दोष व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं की हत्या करवाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना था। वे एक विध्वंस के द्वारा इस देश का विघटन करना चाहते थे ताकि वे इसके एक भाग में अपना फासिस्टवादी कट्टरपंथी शासन स्थापित कर सकें। इस प्रकार के वातावरण में इन्दिराजी की नृशंसता-पूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वातावरण में दिल्ली, कानपुर और अन्य स्थानों पर हमारे सिख भाइयों के विरुद्ध हिंसा फैलाई गई।

मैंने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला ही था। मेरे पास केवल कार्यवाही करने के लिए समय था, मातम मनाने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। मैं सदियों से एक साथ रह रहे समुदायों के बीच भ्रातृत्व और मित्रता, सुरक्षा और विश्वास को पुन: स्थापित करने के लिए पूरे जोर से जुट गया।

महोदय, वर्ष 1984 का भयानक कत्लेआम एक ऐसा हत्याकांड था जिसका प्रभाव सभी शालीन भारतीयों की आत्मा पर सदैव रहेगा। यह उस दु:खद घटना के परिणामस्वरूप हुआ। यह कोई छोटी घटना नहीं है। हम अपने आपको माफ नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। परन्तु मुझे विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहिए कि हमने राजधानी में अथवा अन्य स्थानों पर सिखों के हत्याकांड की पुनरावृत्ति को रोका है। भड़काने वाले एजेन्टों ने अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वीभत्सता को भड़काने की बार-बार कोशिश की। हमने उनके प्रयासों को बार-बार निष्फल किया। भारत में प्रत्येक सिख के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए मैं वचनबद्ध हूं। यदि मैं इसके लिए वचनबद्ध नहीं हूं तो मैं अपनी मां का बेटा नहीं हूं।

वर्ष 1984 में कार्यभार संभालने के एक पखवारे के अन्दर ही मैंने चुनाव कराने और लोगों को यह तय करने का अधिकार देने का निर्णय लिया कि वे किसे चाहते हैं, किस दल को चाहते हैं। वह निर्णय लोकतंत्र के लिए मेरी वचनबद्धता का प्रतीक था। यह एक अन्य पाठ था जिसे मेरी मां ने मुझे पढ़ाया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुनाव को स्थगित करने की सलाह दी क्योंकि राष्ट्र एक भयानक सदमे के दौर में था। मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं लोगों का विश्वास करता हूं। इन्दिराजी ने मुझे लोगों का विश्वास करना सिखाया। चुनाव परिणाम इस सदन की संरचना से जाहिर होते हैं। क्योंकि लोगों को यह आशंका थी कि सम्भवत: देश की एकता कायम न रहे इसलिए लोगों ने एकता बनाये रखी। हमा शासनादेश स्पष्ट था। हमारा पहला कार्य देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना था, देश की स्वतन्त्रता का आश्वासन देना था। यह कार्य लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाना था।

पिछले 4 वर्षों मे हमने अपने प्रयासों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जब जनता पार्टी का पतन हो रहा था उस समय असम में एक आन्दोलन आरम्भ किया गया था। एक समझौते के द्वारा उस आन्दोलन को समाप्त किया गया है।

पहले के आन्दोलनकारी आज पूर्ण लोकतंत्रवादी है जिन्हें लोगों ने उस राज्य की देखभाल करने का दायित्व सौंपा हुआ है।

मिजोरम में एक समझौते द्वारा 20 साल से चले आ रहे विद्रोह को समाप्त किया गया है।

पहले के विद्रोही चाहे वे किसी पद पर थे अथवा नहीं, अब देश की एकता के लिए वचनबद्ध हैं और लोकतन्त्र में उनकी अटूट आस्था है ।

त्रिपुरा में कार्यभार संभालने के कुछ महिनों के अन्दर ही उस राज्य की कांग्रेस सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने और मतभेदों को शान्तिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से निपटाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक समझौते पर बातचीत की ।

नागालैंड और मणिपुर में भी बाकी विद्रोह समाप्त हो रहा है ।

जिस समय राजनैतिक दलों ने चुनाव की तैयारी आरम्भ की, उसी समय दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक जातीय आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । उस समय जनवादी दृष्टिकोण को अपनाना और जातीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बहुमत के लोगों की भावनाओं को भड़काना सबसे आसान कार्य था । परन्तु गांधी जी, पंडित जी अथवा इन्दिरा जी ने हमें ऐसा करना नहीं सिखाया । पश्चिमी बंगाल विधान सभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही मैंने इस बात की पुष्टि की कि वह आन्दोलन राष्ट्र-विरोधी नहीं था ।

मैंने तो इस बात पर जोर दिया था कि दार्जिलिंग के गोरखाओं की वास्तविक समस्याएं हैं, जिनके लिए वास्तविक हल की जरूरत है । कांग्रेस चुनाव में भले ही हार गई हो लेकिन हमने दार्जिलिंग के लोगों का पश्चिम बंगाल तथा देश के लिए जीत लिया । एक सम्भावित गम्भीर विद्रोह होने से बचा दिया गया । जैसाकि हमेशा कांग्रेस और इन्दिराजी के लिए भी रहा है । अब भी कांग्रेस के लिए देश तथा लोगों का हित पार्टी तथा हमारे स्वयं के हितों से ऊपर है ।

महोदय, पंजाब में भी काफी प्रगति हुई है । हम शांति तथा स्थिरता कायम करने की दिशा में आगे बढ़े हैं । पिछले वर्ष पंजाब के लगभग आधे पुलिस स्टेशनों पर आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई । आपरेशन ब्लैक थंडर की कार्यवाही ने सभी को दिखला दिया कि आतंकवादी किस प्रकार सर्वाधिक पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहे थे । इसके बाद से सभी गुरुद्वारों को हत्यारों और अपराधियों से मुक्त करा दिया गया है । पवित्र स्थानों को खराब कर रहे तथा इस पवित्रता का दुरुपयोग कर रहे हत्यारों और अपराधियों को अब इन स्थानों पर घुसने की अनुमति नहीं है । ग्रन्थी और सेवादार अब आतंकवादियों की राइफलों के तले कार्य नहीं करते हैं । एक बार पुनः पवित्र ग्रन्थों का उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए हो रहा है, राजनैतिक प्रचार के लिए हथियार के रूप में इनका उपयोग नहीं हो रहा है । महोदय, आतंकवादी बेनकाब हो चुके हैं । आतंकवादियों के प्रति बहुत कम हमदर्दी बची है । लोगों का एक छोटा-सा वर्ग ही उनका समर्थन कर रहा है । उनके प्रति आम समर्थन समाप्त हो चुका है । विचारधाराओं से प्रेरित होने वाले नाममात्र के एक-दो छोटे आतंकवादी गुट ही बचे हुए हैं । शेष गुटों को आम अपराधियों, तस्करों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापारियों, अवैध शस्त्र विक्रेताओं से पृथक करना कठिन है । सिख, हिन्दू, मुस्लिम तथा अन्य सभी समुदायों के पंजाब के लोग देश के साथ पूरी शक्ति के साथ डटे हुए हैं । कट्टरपंथी उनके सामुदायिक सद्भाव को समाप्त नहीं कर सके हैं । अलगाववादी उनकी राष्ट्रीय निष्ठा फुसलाकर समाप्त नहीं कर सके हैं । आतंकवादी उन्हें डराने में सफल नहीं हो सके हैं । पंजाब के लोग हावी रहे हैं । जैसाकि पहले अनेक बार हुआ है, एक बार फिर से पंजाब के लोगों ने देश की रक्षा की है ।

लेकिन हिंसा जारी है । इनके दो मुख्य कारण बुनियादी तथा मौलिक हैं ।

एक तो यह है कि पंजाब के आतंकवादी सीमा-पार से और विदेशों से मदद तथा समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। हमने इसके विरुद्ध अनेक उपाय किए हैं। हमें आशा है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन से लोकतांत्रिक शासन में हुए परिवर्तन के बाद सीमापार से आतंकवादियों को समर्थन मिलना पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं और हमें आशा है कि इस पर पूर्णरूप से अमल होगा। पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि ऐसे कार्यों से इस क्षेत्र और अपने देश में भी अस्थिरता पैदा हो सकती है, वे अब अपनी बात कहने लगे हैं।

पंजाब में इस आतंकवाद पर हमारे काबू न पाने का दूसरा मौलिक कारण यह है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध एक देश के रूप में संगठित मोर्चा बनाने में असमर्थ रहे हैं।

कसूर लोगों का नहीं है। देश के लोगों और विशेषकर पंजाब के लोगों ने इस घिनौने आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला किया है। उन्होंने सदियों पुराने सामुदायिक सद्भाव नहीं समाप्त किया है। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात करने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने गुरुओं के उपदेशों का पालन न करने से मना कर दिया है।

कसूर तो कुछ राजनैतिक पार्टियों का है। कुछ पार्टियां हैं जो साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष में अटल हैं। हम उनके समर्थन, उनके साहस और दृढ़धारणा का स्वागत करते हैं। आतंकवादियों का एक छोटा सा समुदाय है लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों और राजनैतिक पार्टियों की कथनी और करनी से उन्हें मदद मिलती है। उन्हें उन लोगों से भी मदद मिलती है जो चुप रहते हैं, दूसरों की खतरनाक घोषणाओं और घृणित कार्यों की निन्दा नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान, विपक्ष ने एक पुस्तिका में व्यक्त एक सदस्य के विचारों का समर्थन करने से मना कर दिया जबकि इसके प्रकाशन में इस सदस्य का गुप्त सहयोग था। फिर भी, वह उनके एक सम्मानित और अति-वांछनीय साथी बने हुए हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे कैसे उस सदस्य का परित्याग कर देते हैं, जबकि वह संसद में नहीं होते हैं लेकिन जब वह बोलते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं। वह आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव के प्रति अपने समर्थन की स्थिति से वापस नहीं हटे हैं। उन्होंने संसद में यह स्वीकारा है कि वह अभी भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वह केवल इसलिए संसद सदस्य बने हैं कि एक विपक्षी पार्टी ने उन्हें शामिल करके निर्वाचित करा दिया। अब यह पार्टी क्या कहती है? क्या वे अब कम से कम उनसे अपना उदार संरक्षण वापस लेने के लिए तैयार हैं?

दोहरे मानदंड के कारण उनका चुनाव हुआ। यह सबको पता है कि उन्होंने अमरीकी टेलिविजन के ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया था जो एक तीसरे देश द्वारा प्रायोजित था और जिसमें भारत की एकता के विरुद्ध घृणा और द्वेष का प्रचार किया गया था। उन्होंने इस कार्यक्रम में भी आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। क्या उनके दल को टिकट देने के लिए उनसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं मिलता? अथवा क्या ऐसी पार्टी से यही अपेक्षा की जाए जिसके दो प्रतिनिधि मार्च 1984 के अत्यन्त कठिन समय में एक पड़ोसी देश गए और सैन्य तानाशाह के आदर-सत्कार की अत्याधिक प्रशंसा की और अपने मेजबान द्वारा आतंकवादियों, अलगाववादियों और देशद्रोहियों के प्रति समर्थन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा?

विपक्ष के अन्य सदस्यों की क्या स्थिति है? क्या वे अब सदस्य का परित्याग करने, स्वयं को

उनकी पार्टी से अलग करने और उनके मोर्चे से अलग रहने के लिए तैयार हैं ? क्या वे अब देश को अपना मत बताने के लिए तैयार हैं ? क्या वे इस व्यक्ति और आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थक हैं या इस देश के लोगों के समर्थक हैं ?

धर्म-निरपेक्षता भारत की मजबूती की कुंजी है। खालिस्तान के समर्थकों को धर्मनिरपेक्षता के बल पर ही समाप्त किया जाएगा। अलगाववादियों के पास एक यही उम्मीद है कि हमारे लोगों की सहज धर्म-निरपेक्षता को फुसलाया जाए। वे एक समुदाय को आतंक द्वारा दूसरे समुदाय से तोड़ने की उम्मीद रखते हैं। वे साम्प्रदायिक घृणा फैलाना चाहते हैं ताकि भारत साम्प्रदायिकता की आग में नष्ट हो जाए, इससे 'खालिस्तान' की उत्पत्ति हो सके। वे हिन्दुओं और सिखों के शताब्दियों पुराने सम्बन्धों को नष्ट करने पर अमादा हैं। वे हमारे संयुक्त पंजाब को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहते हैं। वे उस पंजाब को नष्ट कर देना चाहते हैं जो सिखों, मुस्लिमों, हिन्दुओं तथा ईसाइयों और अन्य सभी के लिए समान आश्रय स्थल है। उन्होंने पवित्र स्थानों को किलों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। वे इसमें असफल रहे। उन्होंने सिखवाद के सिद्धांतो को लड़ाई की तोपों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। वे इसमें असफल रहे। पंजाब के लोगों तथा इस देश के लोगों ने हिन्दुओं को सिखों से तथा सिखों को हिन्दुओं से आपस में लड़ने नहीं दिया। पंजाब के लोगों तथा इस देश के लोगों को सभी गुरुओं द्वारा सिखाई गई सहनशीलता तथा सद्भाव की भावना याद थी। उन्हें हमारी संयुक्त संस्कृति का ज्ञान था जोकि हमारी महानता है। वे हमारी धर्म-निरपेक्षता को जानते थे जो प्रत्येक भारतीय में जन्म से ही है।

इसलिए मैं इस प्रश्न पर जोर दे रहा हूं और इस प्रश्न से बचा नहीं जा सकता। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से यह पुनः पूछता हूं। क्या आप उनके साथ हैं जो आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थक हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री राजीव गांधी : क्या आप उनके साथ हैं जो साम्प्रदायिकता के समर्थक हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री राजीव गांधी : अथवा क्या आप धर्मनिरपेक्षता के लिए साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री राजीव गांधी : आपको हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण फैसला याद होना चाहिए जिसमें चुनाव में साम्प्रदायिक नारा इस्तेमाल करने के लिए एक सदस्य का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। यह बताना मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि साम्प्रदायिकता के लिए तथा धर्म-निरपेक्षता के विरुद्ध लड़ने वाला यह वकील कौन था। ऐसा तो संसद का एक ही सदस्य हो सकता है जो ऐसे मामले ले सकता है। हमें उस सदस्य से यही प्रश्न करना है कि : क्या आप भारत के लोगों के साथ हैं ? क्या आप भारत की विरासत, भारत के गौरव के साथ हैं ? अथवा क्या आप इन्हें फुसलाकर हमें नष्ट करना चाहते हैं ? मैं सभी विपक्षी पार्टियों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि : क्या आप इन मूल्यों के समर्थक इस सदस्य के साथ हैं अथवा क्या आप भारत की एकता और अखंडता तथा गौरव के समर्थक रहेंगे ? महोदय, मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं विपक्ष से कहता हूं

कि : आप अपने दल से ऐसे गन्दे तत्वों को निकाल दें और साम्प्रदायिकता तथा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम लोगों के विशाल बहुमत में शामिल हो जाएं।

महोदय, हम आतंकवादियों को झुका देंगे। यदि विपक्ष ऐसे लोगों की सहायता करना चाहता है तो बेशक करे। हम स्वयं दृढ़ निश्चय के साथ यह संघर्ष जारी रखेंगे। क्या मैं यहां यह कह सकता हूं कि यह पाठ भी मुझे मेरी मां इंदिरा जी ने सिखाया था ?

महोदय, विशेष जांच दल ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। आरोप-पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। कानून अपना समय लेगा। लेकिन न्यायालयों में इस देश के लोगों के खिलाफ षडयन्त्रकारियों की चालें समाप्त नहीं होंगी। यह लड़ाई तो राजनैतिक स्तर पर लड़ी जानी है। सभा के विभिन्न वर्गों में हमारे समर्थक हैं। हमें अपने सभी मतभेद दूर करने चाहिएं। षडयन्त्रकारियों के साथ रहने वाले तथा उनके मित्र दूर रहें। लोगों के समक्ष उनका पर्दाफाश हो जाएगा। बाकि हम सबके लिए रास्ता एकदम साफ है। हम हिंसा के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम पंजाब के लोगों के समर्थन को और मजबूत करेंगे। हम पंचायतों के चुनाव के साथ उन्हें और अधिक शक्तियां तथा दायित्व सौंपेंगे। हिंसा का परित्याग करने वाले तथा हमारे संविधान का सम्मान करने वालों के साथ हम बातचीत करेंगे। हम पंजाब में शांति स्थापित करेंगे।

महोदय, क्या जो लोग आज पूरे जोर से चिल्ला रहे हैं, वे इंदिरा जी के निन्दकों में अग्रणी नहीं थे ?

आज वे नकली आंसू बहा रहे हैं। उनके मन में इंदिराजी के लिए कितना प्यार है ? क्या ये वही लोग नहीं थे जो उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं ? क्या ये वे ही नहीं थे जो दिन-रात उनके पीछे पड़े रहते थे ? क्या ये वे लोग नहीं थे जिन्होंने उन्हें चिकमंगलूर से विजयी होने के बाद भी संसद की बैठक में भाग नहीं लेनें दिया था और प्रजातंत्र को नष्ट किया था ?

वे लोग जिन्होंने हमेशा गलत तरीके अपनाकर उन्हें देश के सार्वजनिक जीवन से अलग-थलग करने की कोशिश की थी, ये ही आज अपने आपको, उनको शारीरिक तौर पर हमारे बीच से खत्म करने के बाद, उनका रक्षक और समर्थक बतला रहे हैं। महोदय, इस तरह के हथकण्डों से न तो संसद को बरगलाया जा सकता है और न ही देश को।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों के मानसिक आघात और अब तक के भाषण के दौरान मुझे ऐसा महसूस होता रहा है कि इन्दिराजी मेरे पास ही हैं। देश को मजबूत और एकता प्रदान करनें के हमारे कार्यों के पीछे उनका आशीर्वाद ही है। महोदय, यही मेरे लिए सुख और पारितोषिक की बात है। धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं इंदिराजी के पुत्र को धन्यवाद देता हूं—इंदिराजी जो भारत की माता के रूप में उभरी।

श्री राजीव गांधी : महोदय मैंनें एक गलती की है। यह तीन सदस्यों वाली खण्डपीठ थी, सात सदस्यों वाली नहीं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रिय प्रधानमंत्री अत्यन्त भावनात्मक

वक्तव्य को सुनने के बाद आज मुझे भी ठक्कर आयोए के बारे में टिप्पणी करने और विपक्ष के द्वारा संसद का बहिष्कार करने की प्रवृत्ति से अत्यधिक ठेस पहुंची है।

महोदय, यह एक स्थापित तथ्य है कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या, भारत में अस्थिरता पैदा करने का एक बड़ा षडयन्त्र था।

4.58 म० प०

[श्री शरद दीघे पीठासीन हुए]

महोदय, अगर हम दिवंगत प्रधानमंत्री की हत्या की पृष्ठभूमि को देखें तो पाते हैं कि यह षडयंत्र किसी कार्यालय के अन्दर या किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारियों द्वारा नहीं रचा गया। यह एक ऐसे वृहत षडयन्त्र का भाग था जो जून 1984 से ही शुरू हो चुका था।

महोदय, हमने इतिहास से यह सीखा है कि किसने क्रान्तिकारी परिवर्तनों को लाने का प्रयास किया, प्रतिक्रियावादी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और किन्होंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी हत्या करने का प्रयास किया। ईसु-मसीह ऐसे ही प्रतिक्रियावादी तत्वों द्वारा सूली पर लटका दिए गये थे और हाल ही में, महात्मा गाधी की हत्या भी प्रतिक्रियावादियों द्वारा ही कर दी गई थी क्योंकि वे लोग इनसे भयभीत थे। भारत के दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या भी इससे अलग नहीं है।

5.00 म० प०

महोदय, वर्तमान आयोग को रिपोर्ट न्यायमूर्ति ठक्कर के नेतृत्व में प्रस्तुत की गयी थी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त किया गया था। मैं इसकी अंतिम रिपोर्ट की दो-चार पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे यह पता चलता है कि यह एक बड़ा षडयंत्र था। इसका वास्तविक कारण वह बड़ा षडयन्त्र है यद्यपि रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि शक की सूई श्री आर० के० धवन की ओर है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रिपोर्ट से ही यह पता चलता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे श्री आर० के० धवन के बारे में शक किया जाए। महोदय, कोई भी हत्या बिना उद्देश्य के नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत मैं रिपोर्ट के माध्यम से ही यह दिखला दूंगा कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ होने पर शक किया गया है और रिपोर्ट में भी ऐसा ही शक जाहिर किया गया है।

जहां तक कारण का संबंध है, मैं इस संबंध में आपका ध्यान अंतिम रिपोर्ट के 141वें पृष्ठ के "परावर्तन" शीर्षक के अन्तर्गत ले जाना चाहता हूं। इस संबंध में मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं:

> "यद्यपि इस बात का महत्वपूर्ण संकेत मिलता है कि श्री आर० के० धवन जो दिवंगत प्रधानमन्त्री के विशेष सचिव थे। इसमें शायद सम्मिलित हों, लेकिन अभी तक की जांच से यह पता चलता है कि उस समय उनके मन में क्या था।"

यह रिपोर्ट का निष्कर्ष है। अन्तिम रिपोर्ट के 141वें पृष्ठ पर यह कहा गया है कि आयोग को ऐसी कोई बात का पता नहीं चला जिससे इस सिद्धांत की पुष्टि हो। इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि यह षडयन्त्र किसी कार्यालय की चार-दीवारी के भीतर नहीं रचा गया है। इस रिपोर्ट में श्री आर० के०

धवन के ऊपर अनावश्यक जोर दिया गया है। बिना किसी पूर्वधारणा के मैं आदर पूर्वक कहता हूं कि रिपोर्ट में विशेष महत्व, विशेष बल और शक की सूई किसी विदेशी शक्ति की ओर इंगित की जानी चाहिए थी। मुझे दुख है कि मैं ऐसी टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे रिपोर्ट की ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन महोदय, मुझे रिपोर्ट द्वारा सही सत्य का पता चला है। इस रिपोर्ट में आयोग ने पृष्ठ 8 से 127 तक श्री आर० के० धवन और अन्य अधिकारियों के बारे में चर्चा की है।

आयोग का पूर्ण कार्यक्षेत्र इस संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए था जबकि इसका वास्तविक कारण विदेशी शक्तियों का कार्य है जिस पर मात्र आठ पृष्ठों में ही चर्चा की गयी है। आयोग ने क्या कहा है? मैं आपको अन्तिम रिपोर्ट के पृष्ठ 138 पर ले जाता हूं :

> "इसके निदेशपद के अन्तर्गत यह बात नहीं आती थी भारत में अस्थिरता फैलाने के लिये देश के भीतर कार्य करने वाले तत्वों को क्या किसी विदेशी शक्तियों ने सहायता दी थी। बहुत सारी बातों की जांच से इस बात का सबूत मिलता है कि वास्तव मे विदेशी शक्तियां—अन्य बातों के साथ-साथ लोगों को उकसाने, उत्तेजित करने और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने में कार्यरत थीं।"

आयोग द्वारा विदेशी शक्तियों के हांथ होने की जांच के संबंध में रिपोर्ट में ही यह साफ-साफ कहा गया है कि :

> "जब तक हत्या में प्रत्यक्षतः शामिल सभी व्यक्तियों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक यह सम्भव नहीं होगा की यह पता चल सके कि यह कौन सी विदेशी शक्तियां हैं जो परदे के पीछे रहकर कार्य कर रही थी और जिन्होंने हत्यारे को उकसाने के साथ-साथ उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की पेशकश भी की थी।"

अगर मुझे कहने की अनुमति है तो मैं यही कहूंगा कि इसी आधार पर षडयन्त्र के वास्तविक कारणों की उपेक्षा की गई और इसे सही रूप तथा सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। विदेशी शक्तियों के कार्यों के बारे में उचित संभावना व्यक्त की जानी चाहिए थी। इस संबंध में मैं कुछ ठोस उदाहरण देते हुए यह दर्शाना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का कत्ल या हत्या, देश में अस्थिरता, फैलाने के उद्देश्य से ही की गयी थी। विशेष जांच दल ने अपनी जांच से यह पाया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की नागपुर में 7 सितम्बर को हत्या करने का एक षडयंत्र रचा गया था। लेकिन, सौभाग्यवश, बैठक की तिथि को 7 ता० से बदलकर 13 ता० कर दिया गया और 13 ता० को वे उनकी हत्या के लिए मुस्तैदी से कदम नहीं उठा सके।

इसी तरह, देश में आस्थिरता फैलाने के लिए विमानों के अपहरण और तनावों का सहारा लिया गया। साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया गया। इनका उद्देश्य यह था कि देश में अराजकता फैल जाये और विभिन्न क्षेत्रों के बीच तनाव पैदा करके समूचे वित्तीय ढांचे को तहस-नहस कर दें जिससे देश को जोरदार आघात लगे। विदेशी शक्तियों का यही मुख्य उद्देश्य था जो इस षडयंत्र के पीछे कार्यरत थीं।

अंतिम रिपोर्ट के उपादात भाग में ठक्कर आयोग ने श्री आर०के० धवन, जो की उस समय

श्रीमती इंदिरा गांधी के विशेष सहायक थे, के अलावा अनेक लोगों से की गई पूछ-ताछ का उल्लेख किया है मुद्दा। यह है कि आयोग ने अपनी ही नियम और कार्यप्रणाली बनाई और फिर उनका पालन नहीं किया। इसलिये यह कोई छोटा षड़यंत्र नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या एक बड़े षडयंत्र का भाग है जिन पर आयोग का ध्यान अच्छी तरह नहीं गया। श्री आर० के० धवन की ओर शक की सुई पूरी तरह से मनमाने आधारों पर की गई है। अगर मुझे रिपोर्ट के कुछ पन्ने प्रस्तुत करने की आज्ञा मिले तो मैं कहूंगा कि इसमें कुछ परस्पर विरोधी बाते भी हैं। इस रिपोर्ट में पांच मुख्य कारण हैं जिनके द्वारा आयोग ने शक की सुई श्री आर०के० धवन की ओर की है। वे कौन से कारण हैं ? कारण तो दूरदर्शन के दल के साथ साक्षात्कार के समय का है। श्री बेअंत सिंह और सतवन्त सिंह वहां पर 7.30 बजे से तैनात थे। ड्यूटी-समय की 8.30 म०पू० से बदलकर 9.00 म०पू० करने से उन्हें क्या लाभ मिल सकता था ? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। शक का दूसरा मुख्य आधार सिख सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात करने का है। जब यह निर्णय जून, 1984 में लिया गया था तो यह निर्णय केवल एक व्यक्ति का नही था। नीचे से ऊपर तक के सभी अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी। मुझे दुःख के साथ यह वक्तव्य कहना पड़ रहा है कि शक की सुई फिर से एक ही व्यक्ति, श्री आर० के० धवन की ओर की गयी है। एक दूसरा कारण, जो रिपोर्ट में दर्शाया गया है वह यह है कि हत्या के समय श्री आर०के० धवन श्रीमती गांधी से दो फुट की दूरी पर थे और जब हत्या की गई तो श्री आर० के० धवन नीचे की ओर देख रहे थे। यह कथन रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। यहां पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लीजिये मैं षडयंत्रकारी हूं और मैं उस षडयंत्र के दायरे में हूं, क्या मैं अपने आप को वहां रखूंगा ? ऐसी स्थिति में, क्या कोई व्यक्ति मूर्ख है जो षडयंत्र का एक भागीदार होने के बाद भी आपने आपको वहां मौजूद रखता है। इसलिये, मेरे कहने का मतलब है कि इस संबंध में विस्तृत जांच की जानी चाहिये जिससे की विदेशी शक्तियों की सांठ-गांठ का पता लग सके जो इस रिपोर्ट के कार्य क्षेत्र में नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। विनयपूर्वक मेरा कहना है कि उस अध्याय में जहां आयोग ने विदेशी एजेन्सी की बात की है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके पीछे उद्देश्य हैं, इस देश को अस्थिर करने के साफ संकेत हैं और विदेशी ऐजेन्सियों का हाथ हो सकता है। परन्तु सबूत के न होने की वजह से आयोग किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है। यदि मैं आपको पृष्ठ 27 और 29 दिखाऊं, तो ये पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत हैं। जब वह आयोग द्वारा छान-बीन में अन्तिम रिपोर्ट के पृष्ठ 27 पर श्री आर०के० धवन की बात करते हैं तो यह कहा गया है :

> "आयोग ने अपने खोज कार्य में स्वयं कुछ सामग्री एकत्र की है और उस आधार पर यह राय कायम की है कि अपराध में स्वर्गीय प्रधानमंत्री के विशेष सहायक श्री आर०के० धवन के शामिल होने के संदेह के उचित आधार हैं।"

कृपया शब्दों और भाषा पर गौर कर :

"इसके आधार पर धारण बनाई गयी," आधार क्या है ? आधार खोज संबंधी कार्य है जिसमें कुछ मसाला मिला है। किसने यह सामग्री स्वत: एकत्र की है ? स्वयं आयोग ने इकठ्ठी की है। उसी अध्याय के पृष्ठ 29 पैरा 2.3 में यह कहा गया है :

> "जैसे पहले अध्याय एक में चर्चा की गयी थी आयोग समानान्तर सुनवाई नहीं कर सकता है। यह रिपोर्ट और निष्कर्ष पूर्व जांच कार्य पर आधारित हैं।"

मुझे यह समझ में नहीं आता है। मैं स्वयं रिपोर्ट को समझने में असमर्थ हूं। पृष्ठ 27 पर एक सकारात्मक वायदा किया गया है कि इस तरह के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए श्री धवन पर संदेह करने के पर्याप्त कारण हैं और इसके लिए कतिपय कार्य किये गये। स्वयं आयोग ने ये कार्य किये और पृष्ठ 29 पर आयोग ने कहा है कि आयोग इस प्रकार के करने की स्थिति में नहीं है। आगे, अन्तिम कुछ पंक्तियों में यह एकदम स्पष्ट है कि आयोग का दर्जा क्या है। वस्तुतः आयोग का दर्जा इस मामले पर गौर करने का नहीं है। यहां यह कहा गया है और मैं उधृत करता हूं :

> "इसके लिए आयोग महसूस करता है कि आयोग की भूमिका समाप्त हो गयी है अर्थात आयोग रुकावटों और सीमाओं के अन्दर अधिक कुछ नहीं कर सकता है। शेष कार्य जांच ऐजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।"

यदि ऐसी बात है। यदि यह निष्कर्ष है तो हम जांच एजेन्सी पर बरस पड़ेंगे। उनकी क्या रिपोर्ट है? उन्होंने उन्हें निर्दोष ठहराया है।

मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और नहीं मुझे अपील में शामिल होने की इजाजत दी जानी चाहिए। मैं आलोचना नहीं कर सकता हूं। परन्तु यदि मुझे रिपोर्ट में परस्पर विरोधी बातें पता चलती हैं तो निश्चित रूप से मेरा टिप्पणी करने का अधिकार है। कई बातें कही गयी हैं। यह बहुत दुख और शर्म की बात है कि श्रीमती इंन्दिरा गांधी जिन्हें सारे भारत द्वारा भारत माता के रूप में समझा जाता था की हत्या का कुछ लोग इस रिपोर्ट और इस दुखद घटना से राजनैतिक लाभ उठना चाहते हैं जोकि भारत के इतिहास में एक दुखद मील के पत्थर की भांति बनी रहेगी। विपक्ष यहां नहीं है। जब उन्हें पता चला कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है तो वे सदन से उठ कर चले गये। उन्हें वर्तमान सरकार पर दोष लगानें के लिए कुछ न कुछ चाहिए विशेषरूप से ऐसे ईमानदार व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए कुछ न कुछ जोकि देश की समस्याओं को ईमानदारी से हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इस महान सभा में हम सब यहां मोजूद हैं। विपक्ष भी इस सभा में आया है। लाखों वे लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्होंने हम सबको बहुत आशाओं के साथ यहाँ भेजा है। परन्तु हम संदिग्ध-व्यक्तियों की खोज के द्वारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें विपक्ष द्वारा इस संबंध में गुमराह किया गया है कि इस रिपोर्ट मे वास्तव में क्या पता चलता है और इसके किस हिस्से की हमें ठीक ढंग से जांच करनी चाहिए।

मैं समाप्त करते से पहले अपन विपक्ष के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कुछ भी हो, पार्टी से उपर नहीं उठ सकता और इसी प्रकार कोई भी दल देश से ऊंचा नहीं उठ सकता। यह हमारे देश का प्रश्न है। श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या यह सवाल था कि भारत का एक अस्तित्व बना रहेगा अथवा नहीं, क्या भारत स्थिर रहेगा या नहीं। इसलिए हमें भावी पीढ़ी के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और अपनें कर्त्तव्यों को निभाये बगैर किसी को भी इससे लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जोकि इतिहास में और इस सभा के रिकार्ड में अपने कर्तव्यों से पीछे हटने के रूप में दर्ज होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, शुरू में ही मैं कहना चाहूंगा कि एक घंटे तक जबकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही भावुक भाषण दे रहे थे—इसलिए क्योंकि यह श्री राजीव गांधी

की माँ का सवाल था — यह दुख की बात है कि ऐसे दुख के समय में विपक्षी पार्टियों के माननीय सदस्य सदन के नेता के दुख के साझेदार बनने के लिए वहां नहीं थे।

यह बहुत दुख की बात है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि लोकतंत्र में विरोधस्वरूप सभा से उठकर बाहर जाना बहिष्कार तो चलता ही रहता है परंतु ये वे अवसर होते हैं जब विपक्ष को दो बार सोचना चाहिए था क्या उन्हें रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान इस दुख में भागीदार होना चाहिए या उन्हें इस मुद्दे को राजनैतिक रूप देना चाहिए।

चूंकि हम इस रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं मैं रिपोर्ट के आधारभूत पहलुओं पर सीधे बात करना चाहूंगा। जांच आयोग अधिनियम, 1952 की गुंजाईश तो एक प्रकार से पूर्व जांच के रूप में थी, यह एक व्यक्ति को दिया गया तथ्य खोजने वाला मिशन था। अन्य कार्य तो आई० पी० सी० या सी०पी०आर०सी० के अन्तर्गत जांच एजेंसियों के लिए हैं। परन्तु अधिक सार्वजनिक हित को देखते हुए इस मामले पर गौर करने के लिए तथ्यों का पता लगाने वाली संस्था का गठन किया गया। केवल इसी उद्देश्य से कि विधि आयोग ने आयोगों के सिद्धान्त की बात की है। पिछले कई वर्षों में हमें जांच आयोग अधिनियम उपयोगी लगा है ताकि देश का कानून फिर अपना कार्य निभा सके। तथापि इसका एक अन्य पहलू भी देखा जाना चाहिए कि कई बार यह आयोग मुकदमों पर इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं कि अगर कोई घटना घटित हुई है और इसके परिणामस्वरूप इस पर मुकदमा संबंधी तंत्र भी कार्य करता है जबकि साथ ही आयोग भी कार्य करते हैं। जब अभियोग चलाने वाला तंत्र आरोप-पत्र पेश करता है या मामले के एक भाग से निपटता है तो इस संबंध में जांच आयोग बना दिया जाता है। अतः इस मामले विशेष में जांच आयोग कतिपय पहलुओं तक ही सीमित कर दिया गया था और इसने कुछ उन मध्य पहलुओं को भी छेड़ा जिनके लिए मुकदमे चलाए गए थे।

यह कुछ भी हो एक बात मै नम्रता से कहना चाहूंगा कि इस मामले में बहुत लापरवाही से सबूत इकट्ठे किए गए और इनके जो निष्कर्ष निकाले गए वे बहुत दुखद हैं। जिस प्रकार से आयोग ने कुछ तथ्यों का श्री आर० के० धवन के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाने के लिए सहारा लिया है वे संतोषजनक नहीं हैं। मैंने श्री आर० के० धवन से संबन्धित सारे हिस्से पर गौर किया। केवल इसलिए कि श्री धवन की डायरी में सी० आई० ए० शब्द लिखा था, केवल इसलिए कि समय में परिवर्तन किया गया और केवल इसलिए कि श्री धवन ने बेअंत सिंह के बारे में पूछताछ की थी. आयोग ने श्री आर० के० धवन को सीधे ही इस षड्यंत्र में घसीटना चाहा। यहाँ प्रश्न यह है कि यदि आयोग तथ्य एकत्र कर रहा था तो इसका कार्य इतने तक ही सीमित होना चाहिए था। आयोग इसके बाद यह नहीं कह सकता है कि मैं निष्कर्ष पर हो नही पहुंचा हूं। निष्कर्ष पर पहुंचना जांच ऐजेन्सी का कार्य है। दूसरी तरफ से आयोग ने सिर्फ तथ्य ही एकत्र नहीं किए बल्कि कतिपय तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष भी निकाले। शायद आयोग ने ऐसा ही महसूस किया हो और यही कारण था कि आयोग ने कहा कि रिपोर्ट का खुलासा किया जाए। अब चूंकि रिपोर्ट का खुलासा हो चुका है और ये निष्कर्ष जो कि गलत ढंग से आए हैं और जिनका कोई आधार नहीं है, उन्हें सार्वजनिक रूप से पेश किया जा चुका है इससे उस व्यक्ति की निष्ठा का गंदे रूप में खुलासा होता है। मैं सविनय कह सकता हूं कि जांच आयोग की स्थापना का ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। अतः इस मुद्दे पर आयोग ने बहुत गलत कार्य किया है क्योंकि उन्होंने तथ्य खोजने वाले मिशन का कार्य नहीं किया है बल्कि इसने यहां-वहां से बेबुनियाद तथ्य तथा लगे लगाए आरोप एकत्र किए हैं और फिर उसका यह कहना कि एम० आई०

टी० को कार्य करना चाहिए यह सब जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत किसी आयोग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

यह प्रश्न कि क्या रिपोर्ट पूर्ण है या अपूर्ण इस स्थिति में प्रासंगिक नहीं है। वस्तुत: रिपोर्ट में विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के प्रयोजन से विपक्ष ने कहा था : खैर हम इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं लेकिन हम अनुबन्धों पर गौर करना चाहेंगे क्योंकि हम यह देखना चाहेंगे कि आयोग जिन निष्कर्षों पर पहुंचा है वह कितने सही हैं। यदि उन्होंने ऐसा कहा था तो उनके इरादे समझ में आ सकते हैं क्योंकि उस मामले में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह एक पूर्ण रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी वे सबूतों पर गौर फरमाना चाहेंगे। परन्तु यह कहना कि सारे अनुबंध रिपोर्ट के हिस्से हैं गलत बात है। कल वे कहेंगे कि जब आयोग जांच कर रहा था तो आयोग ने कुछ पत्र रद्दी के टोकरी में डाल दिए होंगे और वे उन पत्रों को एकत्र करें तथा सभा पटल पर रखें। यह कहना भी उतना ही बुरा है। किसी तरह वे चीजें प्रासंगिक नहीं हैं। मान लें कि मेरे समक्ष रिपोर्ट के अलावा एक सबूत है तो निस्संदेह मैं ऐक भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, आयोग के निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर। वस्तुतः तो इस बारे में तीन या चार निष्कर्ष होने चाहिएं थे। इससे कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।

यह ठीक ही कहा गया है कि कोई भी आयोग का स्थान नहीं ले सकता। ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा सकता है। परंतु आप अब आयोग के गठन के प्रयोजन का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जहां तक इस पहलू की बात है, मैं तो कहूंगा कि आयोग अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रहा है। झूठ पकड़ने वाले यंत्र की थी समस्या है। झूठ पकड़ने वाला यंत्र एक आधुनिक यंत्र है। आयोग चाहता था कि श्री धवन झूठ पकड़ने वाले यंत्र के परीक्षण से होकर गुजरते। यह तो झूठ पकड़ने वाले यंत्र की बात है। लेकिन जब श्री धवन ने यह जानना चाहा कि झूठ पकड़ने वाला यंत्र क्या है इसके विभिन्न पहलू, इसकी कार्यपद्धति और कहां तक यह विश्वसनीय है --मैंने श्री धवन का विस्तृत पत्र पढ़ा है जब श्री धवन द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा गया तो कुछ हल नहीं निकला और मामला वहीं समाप्त हो गया।

किसी का यह कहना और आरोप लगाना कि श्री धवन ने 'लाई डिटेक्टर' से गुजरने से इंकार कर दिया था क्योंकि यह एक नया वैज्ञानिक उपकरण है ठीक नहीं है। जो कुछ आज हम देखते हैं शायद श्री धवन को उस समय ही मालूम होगा। ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारणवश आयोग का निशाना श्री धवन ही थे और आयोग उनमें कहीं कुछ कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहा था। इस समय श्री धवन का इस अत्याधुनिक उपकरण के बारे में पूछना ठीक ही था।

अन्य मुद्दा, विदेशी हाथ के सम्बन्ध में है। श्री गाडगिल ने भी इसका उल्लेख किया है। विपक्ष कभी भी इस बात को नहीं मानेगा कि उसमें विदेशी हाथ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस (आई) के लोग और सत्तारूढ़ दल ने विदेशी हाथ के बारे में एक कहानी बनाई है लेकिन कोई भी व्यक्ति इस कहानी को न्यायोचित नहीं मानेगा -- यह 'आपरेशन ब्लूस्टार' के कारण है क्योंकि सुरक्षागार्ड दु:खी थे सुरक्षा गार्डों ने गुस्से में गोली चलाई होगी। वे यह कार्य 8 दिन या 15 दिनों में कर देते क्योंकि उनमें गुस्सा था। अगर यही कारण था तो उन्हें इतने लम्बे समय तक इन्तजार नहीं करते निस्संदेह उनमें ऐसी भावना थी लेकिन कुछ ताकतों ने उनकी इस भावना का लाभ उठाया। एक समय पता चला था कि श्री बेअन्त सिंह श्री सतवंत सिंह से यह आग्रह कर रहा था कि उन्हें 31 अक्तूबर,

1984 तक अपना कार्य पूरा करना है। यदि प्रधानमंत्री को मारने की योजना थी तो एक दिन या एक महीना इधर-उधर का कोई सवाल नहीं था। लेकिन बेअन्त सिंह ने सतवन्त सिंह को 31 अक्तूबर से पहले इस कार्य को पूरा करने का आग्रह किया था। ये टिप्पणियां थी। इसका अभिप्राय है कि कुछ विदेशी ताकतों ने इन लोगों को हिदायत दी थी कि इस अन्तिम तारीख तक उन्हें अपना काम अवश्य पूरा करना है। इसलिए बेअन्त सिंह इसके लिए बहुत उत्सुक था।

हमारे देश के राष्ट्रपति जाम्बिया की यात्रा पर थे। समय में परिवर्तन किया गया था। यहां मैं आयोग से सहमत हूं कि किसी पेशेवर एजेन्सी को इस हत्या के लिए लगाया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से, जिस पुस्तक का हमने जिक्र किया है वह इस बात का अध्ययन करने के लिए किसी सरकार के इशारे पर लिखी गई थी कि यदि भारत के प्रधानमंत्री को समाप्त कर दिया जाये तो क्या होगा। यह लेखक का कौशल नहीं था। लेखक ने अपना अध्ययन किया है। लेकिन इस पुस्तक में अन्तर्विष्ठ सामग्री और उसके सम्भावित परिणामों को कुछ विदेशी एजेन्सियों द्वारा श्रीमती गांधी की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। वे हमेशा हमारी अस्थिरता के सिद्धान्त पर हंसते हैं। मात्र कल्पना के आधार पर हमने कभी इस विषय में कोई बात नहीं की है। उन्होंने कई बार अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की हैं। पिछले तीन चार वर्षों में हमने यह देखा है। हमारे साथ प्रचंड बहुमत है। प्रधानमंत्री से त्यागपत्र की मांग करना क्या अस्थिरता फैलाने का एक प्रयास नहीं है। जब कभी हमने आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में किसी कानून को पारित या पुरःस्थापित किया या अध्यादेश जारी किया है, इन विधेयकों या अध्यादेशों का विरोध करना क्या इस देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास नहीं है? बोफोर्स बंदूकों की गुणवत्ता पर संदेह करना और इसे जनता और विश्व में बताना कि हमारे देश में रक्षा करने के लिए उचित बंदूकें नहीं हैं, क्या यह हमारे देश में अस्थिरता फैलाने का एक प्रयास नहीं है? स्वीडिश दूतावास पर जाकर दूतावास में एक क्लर्क को एक ज्ञापन देना, जबकि हमारी संसद उच्चतम न्यायालय तथा अन्य संस्थाएं हैं, यह सब क्या है? क्या यह हमारे देश में अस्थिरता लाने का एक प्रयास नहीं है?

अतः उन्होंने यह खेल देश में अस्थिरता लाने के लिए खेला है। उन्होंने इस सदन में कभी भी ठोस योगदान नहीं दिया है। उन्होंनें किसी स्तर पर सरकार का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने किसी भी विधेयक को जो राष्ट्र के हित में सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया गया है, कभी भी समर्थन नहीं किया। आप कार्यवाही देखिए। प्रत्येक विधेयक, प्रत्येक उपाय, प्रत्येक संकल्प जिसे इस सदन में सरकार द्वारा राष्ट्रहित में पुरःस्थापित किया गया है, सभी का उन्होंने किसी न किसी आधार पर हमेशा विरोध किया है। विपक्ष 20 या 25 प्रतिशत कार्यवाही का समर्थन तो कम से कम कर ही सकता था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

उनके सहयोगी, श्री जार्ज फर्नांडीस और श्री बीजू पटनायक का जहां तक सम्बन्ध है हम भली प्रकार जानते हैं कि वे जिया के कहने पर पाकिस्तान गये थे। उन्होंने वहां काफी चर्चा की थी लेकिन उन्होंने आतंकवादियों के विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं दिया। केवल इतना ही नहीं बल्कि श्री जेठमलानी ने अमेरिका में एक निजी टेलीविजन कम्पनी को एक इन्टरव्यू दिया था। संयुक्त राज्य अमेरीका स्थित इस टेलीविजन कम्पनी का वित्त पोषण कभी जिया स्वयं सीधे ही करते थे। इस कम्पनी को श्री जेठमलानी ने इन्टरव्यू दिया और वे इस देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध बोले थे। केवल यही नहीं बल्कि इन्टरव्यू के तुरन्त बाद एक अन्य व्यक्ति उसी टेलीविजन नेटवर्क पर आया जिसे एक

ज्योतिषी बताया गया था। उस ज्योतिषी ने कहा : "मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्रयास सफल रहेगा।" ज्योतिषी द्वारा यह भविष्यवाणी श्री जेठमलानी के इन्टरव्यू के शीघ्र बाद की गई थी। इस तरह की बातें हो रही थी। जब प्रधानमंत्री ने उन्हें चुनौती दी और विपक्ष से अपना निश्चय बताने के लिए कहा तो प्रो० मधु दंडवते को छोड़कर किसी ने भी नहीं कहा कि वे खालिस्तान के समर्थक नहीं थे और वे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति विशेष को उनकी पार्टी, संगठन या ग्रुप से निकालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। महोदय, इसलिए, यह सब बातें हो रही थी।

वे आयोग की रिपोर्ट के बारे में काफी शोर मचा रहे हैं। "वे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। यह रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गई।" हमने देखा है कि जब कभी हम जांच आयोग बैठाना चाहते हैं तो उन्होंने उस जांच में कभी विश्वास नहीं किया। वे कहते हैं केवल एक न्यायाधीश क्या करेंगे एक संसदीय समिति होनी चाहिए। जब संसदीय समिति गठित की गई तो उन्होंने कहा "आप समिति में प्रत्येक बात का निर्णय बहुमत के आधार पर करेंगे और उससे काम नहीं चलेगा, हम जांच आयोग चाहते हैं।" अतः उन्होंने कभी भी जांच आयोग या संसदीय समितियों में विश्वास व्यक्त नहीं किया। हमने जो संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की थी उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया। अतः यदि हम सभा की कार्यवाही को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि उन्होंने इन संस्थाओं में से किसी में भी विश्वास व्यक्त नहीं किया। यदि उनका इन संस्थाओं में विश्वास होता तो हम कहते कि चूंकि उनका इन संस्थाओं में विश्वास है इसलिए हम उन्हें इस संस्था की समूची जांच उपलब्ध कराएं। इसलिए महोदय यह बहुत दुखद व दयनीय बात है। मैं कहूंगा कि हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करें क्योंकि यह हमारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेता की हत्या से संबंधित है। हम इस रिपोर्ट के प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहेंगे। वह हमारे देश की माता थी। वह हमारी माता थी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के रूप में हम इस विषय के विस्तार में जाने में रुचि रखते हैं। महोदय, मुझे विश्वास है जो कल विपक्षी सदस्यों के साथ थे आज हमारे साथ होंगे और वे महसूस करेंगे कि उनके प्रतिनिधि ने इस रिपोर्ट से संबंधित चर्चा से स्वयं को सम्बद्ध न करके अच्छा नहीं किया। इस समय, जो मतदाता विपक्षी सदस्यों के पक्ष में थे वे हमारे साथ होंगे।

महोदय, अन्त में, मैं दो पहलुओं पर बोलूंगा जिसे ठक्कर रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है। इस रिपोर्ट से लगता है कि श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जब श्रीमती गांधी को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल के अधिकारियों के साथ सम्पर्क कायम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आज जीवन की रफ्तार बहुत तेज है। जैसाकि आयोग ने ठीक ही बताया है कि वायरलेस सेट मौजूद थे उन पर एक दो मिनट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारियों के साथ बात की जा सकती थी जहां श्रीमती इन्दिरा गांधी को घायल अवस्था में लाया गया था और सभी व्यवस्था हो जाती। जब श्रीमती गांधी अस्पताल पहुंची तो किसी को मालूम नहीं था कि उन्हें कहां ले जाया जाए। उन्हें कैजुएल्टी वार्ड ले जाया गया। 8 या 10 मिनट बाद डाक्टर आये। इन सभी बातों से हमें दुःख हुआ। देश की प्रधानमंत्री जोकि घायल अवस्था में थी उन्हें न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिलीं।

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सदन में अभी बोल रहे थे। अपने पूरे भाषण में उन्होंने महसूस किया जैसेकि उनकी माता उनके पास ही है। मैं कहूंगा कि सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिज्ञ के

रूप में जो कुछ हम करेंगे, हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी से उसकी प्रेरणा मिलेगी और वह प्रेरणा हमें इस देश के विकास और ख्याति की ओर ले जायेगी।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्डोल) : सभापति महोदय, पिछले 12 वर्षों से मैं संसद का सदस्य हूं। मैंने पहले कभी भी सत्र के मध्य में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करते नहीं देखा है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा करने में काफी देरी हुई है। हमें इतनी देरी क्यों हुई ? क्या इस देश में कोई आपातस्थिति है। क्या किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने पहले चर्चा की थी। इसका उत्तर 'नहीं' है केवल विपक्ष के कठोर रवैये के कारण अध्यक्ष को सभा को कई बार स्थगित करना पड़ा था और जिससे कार्यवाही में देरी हुई थी। अन्त में हम क्या देखते हैं ? विपक्षी सदस्यों ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने और सभा पटल पर रिपोर्ट रखने के लिए कहा था। लेकिन अन्त में आज वे सदन में नहीं हैं और रिपोर्ट के विरोध में सदन से बाहर चले गये हैं। अध्यक्ष ने विपक्ष का भी ध्यान में रखते हुए ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कृपा करके ग्यारह घंटे आवंटित कर दिए। वे इस संबंध में अपने संशय उठा सकते थे और सत्तारूढ़ दल को इन बातों को स्पष्ट करने और उनके संशयों को दूर करने में प्रसन्नता होती। किन्तु उनके वास्तविक संदेह कुछ भी नहीं हैं। यह भारत की जनता के मन में सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध सामान्यतौर पर शंका उत्पन्न करने की केवल एक चाल थी। बोफोर्स, फेयरफैक्स तथा अन्य ऐसे मुद्दे उठाने का मुख्य कारण यही है। सभा के बाहर, सामान्यतः यही धारणा है कि विपक्ष ने श्री राजीव जी के प्रधानमंत्री बनने के दूसरे वर्ष से ही यह सोचना आरम्भ कर दिया है कि यदि श्री राजीव गांधी दृढ़तापूर्वक अपने स्थान पर बने रहेंगे, तो वे भारतीय जनता के आशीर्वाद से बहुत समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और उन्हें सत्ता नहीं मिल पायेगी। अतः उन्होंने इस प्रकार की चालें आरम्भ की। उन्होंने बोफोर्स पर चर्चा करते हुए बड़े जोर-शोर से भ्रष्टाचार के संबंध में बात की। किन्तु जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उच्च न्यायालय द्वारा विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार के संबंध में निर्णय देने के बाद भी वे अपने मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय, हम विपक्ष की सोच को दिवालियापन को अच्छी तरह समझते हैं। विपक्ष में जरा भी एकजुटता नहीं है। विपक्ष में अनेक छोटे-छोटे दल हैं। इस संसद में कभी भी ऐसा विपक्ष नहीं था। एक ओर तो सत्तारूढ़ दलों के सदस्यों का भारी बहुमत है और दूसरी ओर 17 या 18 छोटे-छोटे दल हैं जिनमें बहुत कम सदस्य हैं। इनकी किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं है। इसीलिए वे बिना किसी कारण के सदन से उठकर चले जाते हैं, स्थगन प्रस्ताव पेश करते हैं तथा ऐसी अन्य चालें चलते हैं।

सभापति महोदय, जब 1977-1980 के दौरान जनता दल सत्ता में था, मैंने देखा श्री मोरारजी देसाई जैसे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ को भी एक अधिवक्ता, जो उस समय इस सदन के सदस्य को गुमराह कर देता था। यह सदन के कार्यवाही वृत्तान्त में है। जब कभी वह तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई को गलत सलाह देते थे तो मैं उन्हें झूठ बोलने के लिए मना करता था। बाहर लॉबी में वह मुझसे कहते थे कि दोनों अधिवक्ता हैं और मुझे उनसे बात करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैं उनसे कहता था "हां, हम दो अधिवक्ता हैं। किंतु आपके और मेरे बीच बहुत अन्तर है। मैं अपने क्षेत्र के गरीब लोगों का अधिवक्ता हूं। मैं न्यायिक सहायता समिति का संयोजक हूं। किंतु आप समृद्ध उद्योगपतियों के अधिवक्ता हैं। इतना ही नहीं आप बहुत ही धनी लोगों के

अधिवक्ता हैं जिनमें से 80 प्रतिशत लोगों पर तस्करी का आरोप है। यह अन्तर आपके और मेरे बीच है।"

फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी के उत्पीड़न के लिए शाह आयोग था। फिर उनके परामर्श पर तत्कालीन सत्तारूढ़ जनता दल ने श्रीमती गांधी को इस सदन से निकाल दिया। वे उनकी सदस्यता समाप्त करने से ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उन्हें जेल भी भेज दिया। निश्चय ही, उन्हें इसके लिए भारी कीमत देनी पड़ी। उन लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को जेल भेजने का निश्चय किया था। अब उन लोगों को इस समय मगरमच्छ के आंसू बहाने और ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर निष्फल चर्चा करने की मांग का अधिकार किस प्रकार है? वे इस चर्चा की मांग तीन वर्ष पूर्व कर सकते थे। किंतु उस समय उनके मन में कुछ और मुद्दे थे। यह उन्होंने एक समय विशेष चुना है। इसलिए नहीं कि उन्हें इस षडयंत्र के पीछे असली दोषियों का पता लगाना है किंतु भारत की जनता के मन में केवल शंका उत्पन्न करना है।

सभापति महोदय, हमारे प्रारंभिक वक्ता श्री गाडगिल ने उदाहरण दिए हैं और यह सिद्ध करना चाहा है कि इस बात पर विश्वास करने का उचित कारण है कि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी की हत्या के पीछे विदेशी हाथ भी है। हम इनके ब्यौरे में नहीं जाएंगे। किंतु जब इंगलैंड से एक ऐसे समाचार-पत्र का उल्लेख किया जिसका उपयोग कुछ लोगों ने वहां के सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार को हटाने के लिए किया था, तो यहां भी इस हेतु विपक्ष के हमारे मित्रों का मार्गदर्शन भी दुर्भाग्यवश एक समाचारपत्र, एक पत्रकार और एक अधिवक्ता द्वारा किया जाता है। हां, यही अधिवक्ता—जिसका उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमन्त्री नें अभी किया—विले पारले उपचुनाव का मामला हार गए हैं। वह विपक्ष के अधिवक्ता थे। उनके सिद्धान्त क्या हैं? यह पत्रकार कौन है? और यह समाचार-पत्र कौन सा है? इस संबंध में बहुत सी बातें कही गई हैं। किंतु, उन्हें उन लोगों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए जो अपने ही ढंग से सोचते हैं और इन बातों पर संसद में चर्चा करते हैं।

जहां तक श्री आर० के० धवन का संबंध है, हम सभी श्रीमती गांधी के प्रति उनकी ईमनदारी और निष्ठा से अवगत हैं। हम जानते हैं कि जनता दल शासन के दौरान उन्हें पदग्रहण करने के लिए कितना लालच दिया गया था? जब उन्होंने इसे नहीं माना तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं। उनके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जनता दल का साथ न देने के लिए तंग किया गया। यह सारा केवल इस लिए हुआ क्योंकि वह श्रीमती गांधी के प्रति वफादार थे।

यदि मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री महोदया की हत्यारों द्वारा जो दूसरी सामने की ओर से उन पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की जाएगी तो मैं प्रधानमन्त्री के पीछे नहीं चलूंगा क्योंकि मुझे यह भय होगा कि यदि निशाना चूक गया तो हो सकता है कि मुझे भी कोई गोली लग जाए। श्री धवन प्रधानमंत्री जी के पीछे चल रहे थे। और भी अनेक कारण हैं। इसीलिए विशेष जांच दल ने श्री धवन को निर्दोष ठहराया है। और ड्यूटी का समय बदलने तथा हत्यारों के बारे में पूछ-ताछ करने का यह अर्थ नहीं है कि इसके पीछे कोई गलत इरादा है। इसके बदले, यदि सोनिया जी श्री धवन से पूछती हैं कि हत्यारों के बारे में पूछ-ताछ करें—क्योंकि बच्चे घर में ही थे और यदि हत्यारा घर में ही है तो वह बच्चों को भी मार सकता है—तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि इसमें उनका कुछ हाथ है। यदि किसी के निर्देशों के कारण श्री धवन ने हत्यारों के सम्बन्ध में पूछा है तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि श्री

धवन का इन्हें बचने की फिराक में है। किन्तु, दुर्भाग्यवश ठक्कर-नटराजन आयोग ने इन बातों की ओर ध्यान देने में असफल रहा है। इसीलिए, आरम्भिक पूछताछ में कोई शंका व्यक्त की गई। किंतु बाद में यह सारी बातें स्पष्ट हो गई।

सिख सुरक्षा कर्मियों के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ अन्य साथियों की तुलना में संसद के अन्दर तथा बाहर के सभी साथियों की तुलना में नहीं—मुझे श्रीमती गांधी के साथ बहुत निकट रहने का अवसर मिला था क्योंकि मैं छः महीनें उपमंत्री रहा था। मैं जनता राज के तीन वर्ष के दौरान भी जाता रहता था। मैं श्रीमती गांधी के स्वभाव से परिचित हूं। इसीलिए मैं आप से कहता हूं कि उन्होंने अपने निवास में सिख सुरक्षा कर्मियों को तैनात रखा रहने का आग्रह किया होगा।

इस गलती के लिए हमें श्री धवन और अन्य सुरक्षा अधिकारियों को भी दोष नहीं देना है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी यह बातें इस रूप कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित हों। किन्तु, कुछ अन्य लोगों ने भी श्रीमती गांधी को सलाह दी थी कि प्रधानमंत्री के निवास में सिख समुदाय के सुरक्षा अधिकारियों को तैनात न किया जाए, किन्तु उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि वे यहां ड्यूटी देते रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। विपक्ष के सदस्यों ने ऐसा क्यों किया है? इस बार रिपोर्ट फिर कैसे 'लीक' हुई? पहली बार ऐसा 1986 में हुआ था जब 'इण्डिया टुडे' और 'स्टेट्समैन' में यह बात आई थी। ऐसा केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मन में यह शंका उत्पन्न करने के लिए किया गया था कि सत्ताकड़ दल का कोई व्यक्ति, कोई मंत्री ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को लीक करने में सम्बद्ध है; वे उनके मन में शंका उत्पन्न करना चाहते हैं कि उन्हें सरदार बूटासिंह, श्री एम० एल० फोतेदार, श्रीमती शीला दीक्षित तथा अन्य व्यक्तियों के बारे में शंका उत्पन्न हो। श्री धवन की बहाली के पश्चात् वे सदन का विभाजन चाहते थे; किन्तु वे ऐसा करने में बुरी तरह असफल रहे; और जब वे ऐसा करने में बुरी तरह असफल हो गए, तो उन्हें श्री धवन को दण्डित करने की इच्छा हुई। वे यह बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी ईमानदारी में कोई सन्देह नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें विश्वास तथा जानकारी के साथ वापस लिया था। किंतु रिपोर्ट लीक होने के बारे में विवाद उठाने से, प्रधानमंत्री की स्थिति भद्दी बनाकर कि क्या श्री धवन को रखें, या नहीं, और उनके मन में रिपोर्ट के लीक होने के संबंध में शंका उत्पन्न करके उन्होंने खराब काम करना चाहा; किंतु वे सफल नहीं हुए। यह सभी जानते थे कि उस समय आंतरिक सुरक्षा अधिकारी कौन थे और सरकार ने भी इस बात का पता लगाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमन्त्री ने यह उल्लेख किया है कि वह रिपोर्ट लीक होनें की जांच करायेंगे क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है।

माननीय प्रधानमंत्री की बात सुन कर मुझे इस संबंध में और कुछ नहीं कहना है। किंतु व्यक्तिगत रूप में मैं इस संबंध में जो कुछ समझता हूं, वह मैं यहां कहना चाहता था। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं; मैं जानता हूं कि सदन का समय बहुत मूल्यवान है; इसीलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर मामले में, जिसमें एक महान व्यक्तित्व की हत्या हुई है लेकिन इस मामले पर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है। जो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है, उस पर विपक्ष द्वारा चर्चा नहीं की गई है; और वे सदन से उठकर बाहर चले गए हैं। मैं नहीं जानता कि वे कल किस प्रकार के मुद्दे को लेकर सदन में आएंगे। सदन से उठकर जाते समय एक सदस्य ने वैसे भी कहा था कि रिपोर्ट मे रद्दोबदल किया गया है। यह मनगढ़न्त आरोप एक ऐसे सदस्य को शोभा देते हैं जिसे एक जिम्मेदार व्यक्ति कहा जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : निश्चय ही ये गैर-जिम्मेदार आरोप हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : सभापति जी, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि जब इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर बहस हो रही है, उस समय इस देश का अपोजीशन इस बहस का बहिष्कार कर रहा है जिसकी मांग वह पिछले कई दिनों से करता आ रहा था। अगर उनमें कोई नैतिक साहस होता और वे कोई वास्तविक जानकारी चाहते···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप भाषण यहीं पर समाप्त कीजिए। आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

———

5.59-1/2 म०प०

कार्य मन्त्रणा समिति

69वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 69वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 11 अप्रैल, 1989/21 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : इण्डियन प्रेस, राजा पार्क, दिल्ली-34